United Bank of India
Head Office
11, Hemanta Basu Sarani
Kolkata – 700001
Tel: 033 2248 1054, Fax: 033 2248 5852
Email: investors@unitedbank.co.in

Board Sec/BSE/AR15-16/ /2016 July 8, 2016

Corporate Relations Cell
BSE Ltd.
P J Tower, Dalal Streer, Fort
Mumbai – 400001

Scrip Code: UNITEDBNK (533171)

Dear Sir,

Sub: Annual Report 2015-16

We enclose herewith Annual Report of the Bank for the year 2015-16. The Bank held its 7th Annual General Meeting on June 28, 2016 at which the same was adopted.

The same is filed under Regulation 34(1) of the SEBI Listing Regulations 2015.

Thanking you,

Bikramjit Shom
Company Secretary & Compliance Officer.

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
(भारत सरकार का उपक्रम)
आपका बैंक

United Bank of India
(A Govt. of India Undertaking)
The Bank that begins with U

www.unitedbankofindia.com

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2015-2016

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
प्रधान कार्यालय
युनाइटेड टावर, 11, हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता-700 001
www.unitedbankofindia.com

United Bank of India
Head Office
United Tower, 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata-700 001
www.unitedbankofindia.com

विषय-सूची

- निदेशक मंडल 2
- मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं महाप्रबंधकगण 3-4
- बैंक का संक्षिप्त इतिहास और संकल्प 5
- कार्यनिष्पादन की एक झलक 6-7
- शेयरधारकों को संदेश 8-9
- निदेशकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण 10-29
- कंपनी अभिशासन की रिपोर्ट 30-39
- आचार संहिता की घोषणा 40
- सीईओ-सीएफओ का प्रमाण-पत्र 41
- कंपनी अभिशासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र 42
- स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 43-46
- 31 मार्च, 2016 का तुलन-पत्र 47
- अनुसूची 1 - अनुसूची 12 48-55
- 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा 56-57
- अनुसूची 13 - अनुसूची 18 58-87
- 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण 88-89
- बासेल - III मानदंडों के अन्तर्गत पीलर-3 का प्रकटीकरण 90-125

CONTENTS

- Brief History & Vision Statement of the Bank 129
- Performance at a glance 130-131
- Message to Shareholders 132-133
- Director’s Report & Management Discussion and Analysis 134-152
- Corporate Governance Report 153-162
- Code of Conduct Declaration 163
- CEO-CFO Certificate 164
- Auditors’ Certificate on Corporate Governance 165
- Independent Auditors’ Report 166-168
- Balance Sheet as on 31st March 2016 169-170
- Schedule 1 - Schedule 12 171-177
- Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2016 178
- Schedule 13 - Schedule 18 179-207
- Cash Flow Statement for the year ended 31st March 2016 208-209
- Pillar - 3 Disclosure under Basel - III Norms 210-245

निदेशक मंडल /BOARD OF DIRECTORS

श्री पेटलुरी श्रीनिवास
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
Sri Petluri Srinivas
Managing Director & CEO

श्री संजय आर्य
कार्यपालक निदेशक
Sri Sanjay Arya
Executive Director

श्री के वी राममूर्ती
कार्यपालक निदेशक
Sri K V Rama Moorthy
Executive Director

श्री ए के डोगरा
भारत सरकार द्वारा नामित
Sri A. K. Dogra
Nominee-Govt. of India

श्री अर्णब राय
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित
Sri Arnab Roy
Nominee-Reserve Bank of India

श्रीमती रेणुका मुट्टू
अंशकालिक गैर-कार्यालयीन निदेशक
Smt. Renuka Muttoo
Part-time Non-official Director

श्री प्रत्यूष सिन्हा
शेयरधारक निदेशक
Sri Pratyush Sinha
Shareholder Director

श्री एस. सूर्यनारायण
शेयरधारक निदेशक
Sri S. Suryanarayana
Shareholder Director

श्री संजीब पति
कामगार कर्मचारी निदेशक
Sri Sanjib Pati
Workmen Employee Director

मुख्य सतर्कता अधिकारी / CHIEF VIGILANCE OFFICER

श्री अरुण कुमार वर्मा
Sri Arun Kumar Verma

महाप्रबंधकगण / GENERAL MANAGERS

श्री देबाशीष मुखर्जी
Sri Debashish Mukherjee

श्री नरेश कुमार कपूर
Sri Naresh Kumar Kapoor

श्री विकास सीताराम खुटवाड
Sri Vikas Sitaram Khutwad

श्री संजय कुमार
Sri Sanjay Kumar

श्री रथिन दे
Sri Rathin De

श्री मानस धर
Sri Manash Dhar

मो. आब्दुल वाहिद
Md. Abdul Wahid

श्री उमेश कुमार राय
Sri Umesh Kumar Roy

श्रीमती सुनंदा बसु
Smt. Sunanda Basu

श्री कुंतिला बालाराजू
Sri Kuntilla Balaraju

श्री विनय गंदोत्रा
Sri Vinay Gandotra

श्री गौरी प्रसाद शर्मा
Sri Gauri Prosad Sarma

कंपनी सचिव, अनुपालन अधिकारी एवं निदेशक मंडल के सचिव :

श्री बिक्रमजीत सोम

सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक :

मेसर्स राममूर्ति (एन) एंड कंपनी
मेसर्स पी सी बिन्दल एंड कंपनी
मेसर्स एस पी एम आर एंड एसोसियेट्स
मेसर्स नंदी एंड एसोसियेट्स

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट :

लिंक इनटाइम प्रा. लि.
सी-13 पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड्स
एल बी एस रोड, भंडुप (प)
मुंबई - 400 078

पंजीकृत कार्यालय का पता :

युनाइटेड बैंक ऑ़फ़ इंडिया
युनाइटेड टावर
11 हेमंत बसु सरणी
कोलकाता - 700 001

वेबसाइट
www.unitedbankofindia.com
ईमेल
investors@unitedbank.co.in

बैंक का संक्षिप्त इतिहास

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया का एक अभूतपूर्व इतिहास है। एक छोटे से बैंक, कोमिल्ला बैंकिंग कॉरपोरेशन लि. (1914 में स्थापित) के तीन अन्य बैंकों जैसे कोमिल्ला यूनियन बैंक लि. (1922 में स्थापित), हुगली बैंक लि. (1932 में स्थापित) और बंगाल सेन्ट्रल बैंक लि. (1918 में स्थापित) में विलय के साथ 18 दिसम्बर, 1950 में युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया का गठन हुआ। बैंक का प्रधान कार्यालय पहले 4, क्लाइव घाट स्ट्रीट (अब एन.सी.दत्ता सरणी), कोलकाता-700001 में अवस्थित था जो बाद में 11, हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता-700001 के वर्तमान स्थान में स्थानांतरित हो गया ।

19 जुलाई, 1969 को 13 अन्य बैंकों के साथ-साथ इस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। बाद में कटक बैंक लिमिटेड, तेजपुर औद्योगिक बैंक लिमिटेड, हिन्दुस्तान मर्केटाइल बैंक लिमिटेड और नारंग बैंक ऑफ़ इंडिया लिमिटेड को इस बैंक के साथ विलय कर दिया गया।

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया का क्रमशः विकास हुआ है। राष्ट्रीयकरण के समय 1969 में 174 शाखाओं का नेटवर्क और रु. 259 करोड़ रुपये का व्यवसाय से शुरू करके, वर्तमान में बैंक का व्यवसाय 2011 शाखाओं/ कार्यालयों के साथ कुल रु. 1.87 लाख करोड़ से ज्यादा का है। पूर्वी पाकिस्तान में परिचालित शाखाओं के 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के परिणाम स्वरुप बंद हो जाने से, बैंक ने 2010 में ढाका, बांग्लादेश और बाद में यांगून, म्यंमार में प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित करके अपनी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति का विस्तार किया। बैंक का अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन, वैदेशिक बैंकों के साथ खोले गए संवाददाता संबंध के व्यापक नेटवर्क द्वारा समर्थित है।

युनाइटेड संकल्प

हमारा संकल्प व्यावसायिकता, विश्वास एवं पारदर्शिता के वातावरण में, समष्टि अभिशासन और सामाजिक उत्तरदायित्यों के उच्चतम मानकों को अपनाकर, समस्त स्वत्वाधारियों की अपेक्षाओं और अपने कर्मचारियों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने और जोखिम प्रबंधन पर समुचित बल देते हुए, हमारे देश के एक, व्यवसाय वृद्धि एवं लाभप्रदता पर केंद्रीभूत, गतिशील, प्रौद्योगिकी उन्नत, ग्राहक हितैषी, प्रगामी, आर्थिक रूप में सुदृढ़, अखिल भारतीय बैंक के रूप में उभरना है।

सारत:, सर्वोत्कृष्टता की प्राप्ति ही, हमारे बैंक का आंतरिक दर्शन और प्रेरणा स्रोत होगा।

कार्यनिष्पादन की विशेषताएं

- 31.03.2016 तक बैंक के कुल व्यवसाय में रु. 187813 करोड़ की वृद्धि हुई है।
- कुल जमा राशि में रु. 7583 करोड़ तक वृद्धि हुई।
- 31 मार्च, 2016 तक कासा के अंश में 41.92% का सुधार हुआ।
- 2016 की तिमाही 4 के लिए परिचालन लाभ रु. 245.32 करोड़ और वित्त वर्ष 2016 के लिए यह रु. 1811.80 करोड़ हुआ।
- 2016 की तिमाही 4 के लिए शुद्ध लाभ रु. (413.04) करोड़ और वित्तीय वर्ष 2016 के लिए रु. (281.95) करोड़ हुआ।
- 2016 की तिमाही 4 के लिए शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) रु. 405.45 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2016 के लिए रु. 2280.56 करोड़ हुई।
- 31.03.2016 तक सकल एनपीए रु. 9471.01 करोड़ हुआ।
- वित्तीय वर्ष 2016 के लिए एनआईएम 2.01% रहा।
- 31 मार्च, 2016 तक टियर I में 7.93% के साथ सीआरएआर (बासेल-III) 10.08% हुआ।

कार्यनिष्पादन की एक झलक

राशि करोड़ ₹ में

मानदंड	2013-14	2014-15	2015-16
शाखाओं की संख्या	2001	2004	2011
पूंजी	1354.75	839.52	1319.52
इक्विटी	554.75	839.52	839.52
पी एन सी पी एस	800	0	0
शेयर आवेदन राशि (लंबित आवंटन)	0	0	480.00
प्रारक्षित एवं अधिशेष	3927.91	4988.52	4999.67
पूंजी पर्याप्तता			
बासेल-II	11.46%	11.42%	10.46%
बासेल-III	9.81%	10.57%	10.08%
सकल लाभ	2061.74	2427.94	1811.80
शुद्ध लाभ	-1213.44	255.99	-281.95
कुल जमा	111510	108818	116401
औसत जमा	106010	105410	109138
प्रतिशत वृद्धि	20.75%	-0.57%	3.54%
सकल अग्रिम	67982	69070	71412
औसत सकल अग्रिम	72208	65920	66784
प्रतिशत वृद्धि	18.45%	-8.71%	1.31%
कुल व्यवसाय	179492	177888	187813
प्रतिशत वृद्धि	5.36%	-0.89%	5.58%
निवेश	44876	46798	44934
प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम	28950	28561	29809
शुद्ध ऋण का प्रतिशत / ए एन बी सी	40.10%	40.48%	41.16%
कुल कर्मचारी	16499	15192	14981
प्रति कर्मचारी व्यवसाय	10.67	11.51	12.37

शेयरधारकों को संदेश

प्रिय शेयर धारकगण,

मैं वर्ष 2015-16 के लिए आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट एक ऐसे समय में प्रस्तुत कर रहा हूँ जब सामान्य तौर पर बैंकिंग उद्योग और विशेष तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अर्थव्यवस्था की सुस्ती, कारपोरेट एवं विनिर्माण क्षेत्र की मंदी, सर्वव्याप्त आस्ति संकट से त्रस्त होकर उथल-पुथल के दौर से गुजर रहे हैं। नव विनियामक परिशुद्धतावाद (प्यूरिटैनिज़्म) के कारण यह स्थिति और भी अधिक गंभीर हो गई है। युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया भी इस स्थिति से अप्रभावित नहीं रह सका है।

आर्थिक स्थिति :

जब हम उक्त कठिन परिस्थितियों को समझने के लिए बैंकिंग और आर्थिक जगत की विगत 15 महीनों की घटनाओं का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि विद्यमान आर्थिक कठिनाइयों के लिए वैश्विक और स्थानीय दोनों ही कारण जिम्मेदार हैं ।

उन्नत बाज़ारों में बढ़ते हुए वित्तीय उथल पुथल के मध्य वैश्विक सुधार पुनः कमजोर हुआ है। यूएस ने उपाय के तौर पर मात्रात्मक सहजता की शुरूआत की जिसका अनुकरण बाद में ईयू और जापान ने किया। इसका उद्देश्य ब्याज दर को कम करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना था । उक्त कार्रवाई से अपेक्षाएँ पूरी नहीं हुईं क्योंकि उससे न तो खपत बढ़ी और न निवेश। प्रणाली में मुद्रा ढालने से केवल ऋण में वृद्धि हुई और परिसंपत्ति के मूल्य में उछाल आया । उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति भी बेहतर नहीं थी। ब्राज़ील और रूस जैसे कुछ देश पहले से ही निराशाजनक आर्थिक मंदी में डूबे हुए हैं। ब्राज़ील में 8 प्रतिशत तक खपत और 10 प्रतिशत तक निवेश कम हो गया तथा जीडीपी में 3.8 प्रतिशत ह्रास हुआ। चीन की स्थिति में काफी गिरावट आई है और दुबारा बुलबुले की तरह फूटने का भय बना हुआ है। यूआन 16 माह के न्यूनतम स्तर पर पहुँच गया और निर्यात 25 प्रतिशत कम हो गया । चीनी अर्थव्यवस्था में पुनः नरमी आने के भय , इक्विटी मार्केट के अवमूल्यन एवं यूआन के मूल्यह्रास के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था निरंतर किनारे पर अवस्थित रहेगी।

गनीमत है कि भारत में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर करीब 7 प्रतिशत पर कायम है। हालांकि, विभिन्न खंडों /क्षेत्रों के अपने अलग अलग विकास ढांचे हैं। सरकार के जोरदार हस्तक्षेप और पर्याप्त मूल्य संवर्धन के बावजूद औद्योगिक उत्पादन में अधिक सुधार नहीं देखा गया है। विगत वर्ष अपेक्षा से कम बारिश हुई जिसका अनाज उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस वर्ष हम बहुत अच्छे मानसून की उम्मीद कर रहे हैं। लगभग एक वर्ष से माह दर माह निर्यात गिरता जा रहा है। सेवा क्षेत्र अपने प्रगति पथ को कायम रखे हुए है जिससे तनाव ग्रस्त अर्थव्यवस्था को थोड़ी राहत मिल रही है। मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के एकलदिशात्मक उपायों से मौद्रिक नीति को सुविधाजनक बनाने के लिए नियामक को मदद मिली।

इस वर्ष की शुरुआत से ही मुद्रास्फीति कुछ कम थी और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आई एम डी) की पूर्वसूचना अनुसार यदि मानसून इस साल सामान्य रहा तो मुद्रा स्फीति की यह प्रवृत्ति जारी रहनी चाहिए । इससे कृषि उत्पादन का मूल्य स्थिर करने में मदद मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में गिरावट, मुख्य रूप से तेल और धातुओं में गिरावट ने थोक मूल्य सूचकांक को हतोत्साहित कर दिया है और भारतीय रिजर्व बैंक को उम्मीद है कि तरलता प्रबंधन के साथ मुद्रास्फीति आगे भी बेहतर होगी।

एशियाई विकास बैंक ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि मुख्य रूप से सार्वजनिक निवेश में मंदी, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में निचोड़ तथा निर्यात में गिरावट के कारण वित्तीय वर्ष 2016 में 7.6% से कम होकर वित्तीय वर्ष 2017 में 7.4% हो सकती है।

भारत के बैंक मुख्य रूप से लाभप्रदता और पूंजी पर्याप्तता के संबंध में व्यापक रूप से प्रभावित होने के साथ आस्ति गुणवत्ता मुद्दों के कारण जबरदस्त तनाव में हैं।

कुछ अलग अलग बैंकों अर्थात भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक जो पहले से ही विद्यमान हैं, उनके रहते रिजर्व बैंक आगे ऐसे कुछ अधिक बुटीक बैंकों जैसे, संरक्षक बैंक अथवा थोक बिक्री के लिए बैंकों व लंबी अवधि के वित्तपोषण के लिए बैंकों की संभावनाओं का पता लगा रहा है।

बैंक का कार्यनिष्पादन:

आपका बैंक पिछले कुछ वर्षों से कठिन समय से गुजर रहा है। यह प्रवृत्ति 2015-16 में भी जारी रही, यद्यपि इसमें कुछ कमी आई है। व्यापारिक बाध्यताओं ने बैंक को अपनी व्यापार रणनीतियों को एक नई दिशा देने तथा अपने कारोबार मिश्र को एक नयी आकृति प्रदान करने के लिए प्रेरित किया है ।

कार्य निष्पादक संकेतक:

- 31.03.2016 तक कुल रु.187813 करोड़ का व्यवसाय हुआ और इसमें 5.58% की सामान्य वृद्धि हुई।
- कुल जमाराशि रु. 7583 करोड़ (6.97%) की वृद्धि के साथ रु.116401 करोड़ हुई । कम लागत बचत बैंक जमा में काफी वृद्धि हुई, जबकि बैंक ने तरजीही दर पर किसी भी थोक जमा को स्वीकार करने से परहेज किया।
- कासा जो बैंक की मज़बूती है, इसमें वर्षवार 6.64% की वृद्धि हुई है और यह रु.45755 करोड़ से बढ़कर रु.48791 करोड़ हो गया है तथा यह कुल जमा के 41% से अधिक पर लगातार बना हुआ है।
- अग्रिमों में 3.40% का धीमा विकास हुआ है।
- ट्रेजरी आय और अन्य आय घटकों में गिरावट के कारण वित्त वर्ष16 में बैंक का परिचालन लाभ घटकर रु.1812 करोड़ हो गया है, जो पिछले वर्ष में रु.2428 करोड़ था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगातार ब्याज दरों में कटौती की घोषणाओं के बावजूद, पूरे वित्तीय वर्ष में बाजार प्रतिलाभ उंचे स्तर पर कायम रहा लेकिन बहुत अंतिम दौर में इसने बैंक को लाभ करने से बाधित किया। तथापि, हमें उम्मीद है कि इस वर्ष बैंक को पर्याप्त लाभ करने के लिए प्रचुर अवसर होगा।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) की पृष्ठभूमि में बढ़ रही अनर्जक आस्ति (एनपीए) और कुछ बड़ी कंपनियों के खातों की स्लिपेज चुनौतीपूर्ण स्थितियों के मुख्य कारक तत्व हैं। अन्य सभी ऑपरेटिंग और वित्तीय मानकों के आधार पर इसका व्यापक प्रभाव रहा है, बैंक ने पिछले वर्ष रु.256 करोड़ के लाभ के मुकाबले, इस वर्ष रु.282 करोड़ का शुद्ध घाटा किया है।
- आधार दर में कटौती के कारण, वर्ष 2015-16 में शुद्ध ब्याज आय रु.2281 करोड़ रहा जो पिछले वर्ष रु.2491 करोड़ था।
- बैंक का सकल एनपीए रु.9471.01 करोड़ (13.26%) और निवल एनपीए रु.6111 करोड़ (9.04%) रहा।

- वित्त वर्ष16 में, कुल एनपीए वसूली और उन्नयन रु. 2093 करोड़ का हुआ, इसमें से नकदी वसूली रु. 541.42 करोड़ हुई, जिसके परिणामस्वरूप एनपीए में रु.890.35 करोड़ की समग्र कमी हुई है।
- वित्त वर्ष 2016 में एनआईएम 2.01% रहा।
- 31 मार्च 2016 को बासेल-III के तहत सीआरएआर 10.08% था और टीयर I में 7.93%।

व्यापार पहल:

- वर्ष 2016-17 में ऋण देने के लिए बैंक का ध्यान एमएसएमई और खुदरा क्षेत्रों में होगा। बैंक मुद्रा योजना, स्टैंडअप इंडिया योजना के तहत दिए गए लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करेगा और अपने खुदरा चैनलों विशेष रूप से आवास, शिक्षा और वाहन ऋण खंडों को मजबूत करेगा।
- पूंजी दुर्लभ और बहुत महंगी है। वर्ष 2016-17 में पूंजी की स्थिति को मजबूत बनाने और इसका संरक्षण करने पर ध्यान दिया जाएगा। अग्रिम देते समय बैंक सरकार की गारंटी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा और उन क्षेत्रों से बचने का प्रयास करेगा, जिसमें पूंजी डूबने की संभावना हो। बैंक अपने संसाधनों को बढ़ायेगा ताकि भविष्य में धन में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।
- बैंक अपनी प्रक्रिया और प्रणालियों में तकनीकी सुधार द्वारा और उसे व्यवस्थित करके लगातार अपने उत्पादों एवं सेवाओं का उन्नयन कर रहा है। ई कियोस्क का शुभारम्भ, ऑनलाइन बचत बैंक खाता खोलने की सुविधा, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से तुरंत भुगतान सेवा (आईएमपीएस) आधारित 24 X 7 निधि अंतरण की सुविधा तथा मोबाइल और इंटरनेट आधारित वालेट सेवाएं इसके कुछ उल्लेखनीय उदाहरण हैं। ई कियोस्क लगभग एक शाखा की तरह कार्य करता है जहां खुदरा ग्राहकों के लिए सभी सेवाएं आवश्यकतानुसार सुबह-शाम 24/7 उपलब्ध हैं।
- बैंक ने कोटक सिक्यूरिटी लि. के साथ संयुक्त रुप से अपने शेयर व्यापार उत्पाद यू कनेक्ट ट्रायो की शुरूआत की है जो ग्राहकों को घर बैठे ही इंटरनेट पर बैंक खाता, डीमैट खाता और शेयर व्यापार खाता तथा समेकित व्यापार जैसे 1 में 3 खाते खोलने की सुविधा प्रदान करता है।
- बैंक ने अधिक से अधिक नए किसानों को केसीसीनेट के तहत शामिल करने के उद्देश्य से किसान केडिट कार्ड जारी करने हेतु विशेष शिविरों का आयोजन किया था। सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसरण में बैंक ने केसीसी धारकों को 3.60 लाख रुपे आधारित एटीएम कार्ड जारी किए, यह सभी पात्र केसीसी धारकों का 93% है।
- बैंक ने समाज के आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के संभावित उद्यमियों को प्रशिक्षित करने के लिए पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा राज्यों में अबतक 14 आरसेटी की स्थापना की है।
- यह बैंक पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) का संयोजक है साथ ही उसे चार राज्यों के कुल 34 जिलों में अग्रणी बैंक का दायित्व भी सौंपा गया है जिनमें से 10 जिले पश्चिम बंगाल में 12 असम में, 4 मणिपुर में और 8 त्रिपुरा राज्य में फैले हुए हैं।
- बैंक अपने पुराने ढांचे की मौजूदा नेटवर्क संरचना को पूरी तरह से सुधारने के लिए उसे उन्नत मल्टीप्रोटोकॉल लेवेल स्विचिंग (एमपीएलएस) तकनीक में परिवर्तित कर रहा है । साथ ही अत्यधिक उपलब्धता और बेहत्तर कार्यनिष्पादन के लिए अपने नेटवर्क बैंडविथ का भी उन्नयन कर रहा है । बैंक ने बैंडविथ रिच बैंकिंग एप्लीकेशन को सहजतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए नेटवर्क की कार्यक्षमता में सुधार हेतु सभी शाखाओं में वाईड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यू ए एन) ऑपटिमाईजेशन सॉल्यूशन विकसित किया है।
- बेहतर वसूली के लिए, बैंक ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम), जिसके तहत शाखाओं में बैंक सखी/ बैंक मित्र को नियुक्त किया गया है, उनकी सहायता से समुदाय आधारित वसूली तंत्र (सीआरबीएम) में प्रतिभागिता करना आरंभ किया है ।
- बैंक ने ग्राहकों की संतुष्टि के लिए त्वरित सेवाएं, नए उत्पादों/सेवाओं की शुरुआत और अल्प टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) जैसी सुविधाओं के माध्यम से विभिन्न सुधारात्मक कदम उठाएं हैं। बैंक ने त्वरित, निष्पक्ष एवं भेदभाव रहित निवारण तंत्र की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से व्यापक शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीसीएमएस) के रुप में एक पोर्टल की शुरुआत की है।

सीएसआर

- बैंक ने 71 समाज कल्याण गतिविधियों के लिए कुल रु. 2.13 करोड़ की वित्तीय सहायता पिछले वित्तीय वर्ष में प्रदान की है ।

पुरस्कार

- आपके बैंक को त्रिपुरा राज्य में एसएलबीसी संयोजक के रूप में अधिकतम उप सेवा क्षेत्र को शामिल करने, बांकुड़ा जिले में अग्रणी जिला प्रबंधक के रूप में किसी बैंकर द्वारा किसी एक जिले के अंतर्गत अधिकतम उप सेवा क्षेत्र को शामिल करने, पश्चिम बंगाल राज्य में एसएलबीसी संयोजक के रूप में पहचान किए गए अधिकतम घर परिवार को शामिल करने के संबंध में अधिकतम प्रतिशत उपलब्धियों के लिए मान्यता प्रमाणपत्र तथा कूचबिहार शाखा द्वारा पीएमजेडीवाई खातों में कुल जमा संग्रहण हेतु तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है।

कौशलविकास

- सेवा क्षेत्रों में बने रहने के लिए कौशलविकास, विशेष रुप से सॉफ्ट स्किल्स अनिवार्य हो गया है। एक उन्नत भविष्य सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने विशेष आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत की है जहां नव नियुक्त अधिकारियों को उनके स्थायी तैनाती के पहले ही 16 सप्ताह के लिए क्लास रुम प्रशिक्षण और व्यवहारिक प्रशिक्षण एक साथ प्रदान किया जा रहा है।
- बैंक के पास एक मेंटरिंग प्रक्रिया है जिसमें अनुभवप्राप्त कार्यपालक नव नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों का मार्गदर्शन करते हैं।
- बैंक ने एसडब्ल्यूओ के लिए नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इंफोरमेशन टेक्नोलोजी लि. (एनआईटीटी) और इंस्टिट्यूट ऑफ फाइनान्स, बैंकिंग एंड इन्श्यूरेंस (आईएफबीआई) के साथ 3 वर्षो के प्रीक्षण कार्यक्रम हेतु सहमति ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षिरत किया है।
- मौजूदा अधिकारियों के आधारभूत ज्ञान को लगातार अद्यतन करते रहने तथा बैंकिंग और वित्त के विभिन्न पहलुओं पर विचारों का आदानप्रदान करने के लिए उन्हें मंच प्रदान करने हेतु बैंक ने 'क्वेस्ट' नाम से एक ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल की शुरूआत की है।

मैं केन्द्र सरकार को उनके अनवरत सहयोग, भारतीय रिज़र्व बैंक को उनके मार्गदान, सेबी और स्टॉक एक्सचेंज, बैंक के बहुमूल्य ग्राहकों एवं शेयरधारकों को हर परिस्थिति में प्रोत्साहन के साथ बैंक का साथ देने, युबीआई परिवार के सभी सदस्यों और कर्मचारियों को इस बड़े संस्थान की गरिमा बनाए रखने में अथक सहयोग देने के लिए, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं ।

यह मेरी अंतिम वार्षिक आम बैठक है। मैं व्यक्तिगत रुप से इस बैंक और इसके सभी घटकों को शुभकामना देता हूं।

पि. श्रीनिवास

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

निदेशकों की रिपोर्ट

बैंक की 66वीं वार्षिक रिपोर्ट और उसके साथ 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष (वित्तीय वर्ष 2015-16) का परीक्षित तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा तथा व्यवसाय और परिचालन रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशक मंडल को प्रसन्नता हो रही है।

प्रबंधन विवेचना और विश्लेषण

1. **आर्थिक वातावरण**

वैश्विक अर्थव्यवस्थाः

2008 के संकट के बाद अनेक देशों में आंशिक सुधार हुआ यद्यपि उसका आधार कमजोर रहा। उन आधारों के बिखराव के विभिन्न कारण हैं तथा कुछ देश पहले से ही आर्थिक मंदी की स्थिति में हैं और कुछ अन्य देश उसकी दहलीज पर खड़े हैं। अत्यधिक उथल-पुथल, भ्रम और अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है जिसे कुछ लोग वीयूसीए (वोलैटिलिटी,अनसर्टेटी, कम्प्लेक्सीटी, ऐम्बिग्विटी) का नया रूप कहना पसंद करेंगे।

2008 के बाद स्थिति मे सुधार बहुत हद तक सरकारी निधियन पर निर्भर था। संयुक्त राष्ट्र (यू एस) ने गुणात्मक सुविधा की खोज की जिसका अनुकरण बाद में ई यू और जापान ने किया। इसका उद्देश्य ब्याज दर को कम करके मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करना था। ये उद्देश्य पूरे नहीं हो सके क्योंकि न तो खपत बढ़ी और न निवेश। अर्थव्यवस्था में मुद्रा ढाली गई किन्तु इससे केवल ऋण अधिक हुआ और परिसंपत्ति के मूल्य में उछाल आया।

ईयू में कुछ देश अधिमूल्यांकित (ओवर वैल्यूड) यूरो के कारण प्रगति नहीं कर सके और इसके दबाव में बिखर गए। पुर्तगाल, आयरलैंड, ग्रीक, इटली, स्पेन की हालत बदतर रही तथा उनके द्वारा अपनाए गए मितव्ययिता उपायों के कारण वृद्धि कठिन हो गई है। यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा शुरू की गई नकारात्मक ब्याज दर के बावजूद यहाँ तक कि फ्रांस और जर्मनी को भी विकास करना कठिन हो गया । ईयू में बेरोजगारी 9% से अधिक है। ब्रिटेन के ईयू से अलग रहने से यह दबाव और अधिक बढ़ेगा।

उभरती बाजार अर्थ-व्यवस्था बेहतर स्थिति में नहीं है। ब्राज़ील और रूस जैसे कुछ देश पहले से ही आर्थिक मंदी में डूबे हुए हैं। ब्रीक्स देशों में केवल चीन और भारत में उच्च सकारात्मक वृद्धि की स्थिति है हालांकि चीन की हालत में काफी गिरावट आई है और उसके बुलबुले की तरह फूटने का भय बना हुआ है। यूआन 16 माह के न्यूनतम स्तर पर पहुँच गया है तथा निर्यात में 25 प्रतिशत की कमी हुई है। चीनी अर्थव्यवस्था के और अधिक कमजोर होने, इसके इक्विटी मार्केट के गिरने एवं मुद्रा का मूल्यह्रास होने के भय के कारण वैश्विक आर्थिक संभाव्यता पर अंधकार छाया हुआ है। जनवरी में चीन से पूंजी प्रवाह के कारण उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ए ई) तथा उभरते बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ई एम डी ई) दोनों में विक्रय अवरुद्ध हुआ जिससे करेंसी का अधिक मूल्यह्रास हुआ एवं अस्थिरता बढ़ी। ए ई में सुधार की संभावना अनिश्चित होने के अतिरिक्त, इस प्रकार के उथल-पुथल का मुख्य कारण चीन में मंदी की वास्तविक संभाव्यता है। जीएफसी के बाद वैश्विक आर्थिक निष्पादन को चीन की वृद्धि और मांग, विशेषतः वस्तुओं [तेल,औद्योगिक धातुओं इत्यादि] की मांग का समर्थन मिलता रहा है। इसके लिए व्यापक मूलभूत सुविधाओं के निर्माण हेतु समर्थन की आवश्यकता है। यह कहा जा रहा हैं कि वास्तव में चीन अब अगले कुछ वर्षों में स्टील और कोयला खानों जैसे क्षेत्रों में अपनी अतिशय क्षमता को कम करना चाहता हैं। इस प्रकार वर्तमान स्थिति में इस क्षेत्र में कार्यकलाप बढ़ने की कम संभावना दिखाई देती है। इसके साथ ही इस भारी व्यय के लिए निधि प्रदान करने वाले बैंकों और स्थानीय निकायों के वित्तीय स्वास्थ्य के समक्ष प्रश्न चिह्न लगाया जा रहा है। भारत में कारपोरेट लाभ कम हो गया है और निजी क्षेत्र में निवेश की स्थिति में सुधार होने में समय लगेगा।

अनेक देशों विगत मंदी जैसी स्थिति विद्यमान है। खुदरा बिक्री कम हो गई है, फैक्ट्री ऑर्डर कम हो गए हैं, कारपोरेट लाभ गिर गया है, वस्तुओं के मूल्य कम हुए हैं, निर्यात घट गया है किन्तु उनके केंद्रीय बैंकों के पास स्थिति को सम्हालने की थोड़ी संभावना है। ब्याज दर पहले से ही नकारात्मक है तथा उच्च ऋण की अधिकता है । इससे यह भय पैदा हो गया है कि आर्थिक मंदी कहीं आसपास ही मड़रा रही है।

भारतीय अर्थव्यवस्थाः

अर्थव्यवस्था सात प्रतिशत से अधिक की दर से नियमित रूप से बढ़ती रही है, हालांकि अलग अलग सेक्टरों की अपनी अलग अलग गतियां हैं। पर्याप्त मूल्य संवर्धन के बावजूद औद्योगिक उत्पादन में अधिक सुधार नहीं हुआ है। विगत वर्ष में मानसून वृष्टि कम हुई और अनाज उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सेवा क्षेत्र में गति बनी रही। एक वर्ष से अधिक समय से प्रति माह निर्यात गिरता जा रहा है। मुद्रा स्फीति 5.5 प्रतिशत से कम थी जिसके कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा नीति को आसान किया। अधिकांश मानदंड सकारात्मक हैं तथा विकास का संकेत दे रहे हैं ।

कृषि :

पर्याप्त भंडार उपलब्ध होने के कारण मूल्यों पर कोई दबाव नहीं था। हालांकि, जीडीपी में योगदान और खाद्य पदार्थों की खपत की दृष्टि से खाद्यान्नों की तुलना में गैर-खाद्यान्न क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। उदाहरण के लिए भारत अब सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। यह वैश्विक स्तर पर लगभग 18.5 प्रतिशत दूध उत्पादन करता है जो हमारे जीडीपी का 1 प्रतिशत है ।

2016-17 के केंद्रीय बजट में कृषि विकास के लिए अपेक्षाकृत बहुत अधिक निधि आबंटित की गई है तथा सिंचाई और फसल बीमा पर विशेष बल दिया गया है । यह न केवल किसानों की आय में सुधार के लिए बल्कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए भी आवश्यक था।

उद्योग :

कुछ उद्योगों में सुधार हो रहा है। अब तक कार उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ है और मार्च में, इसमें करीब 5 फीसदी की वृद्धि हुई है। दुनिया में मांग और अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के

कारण अन्य उद्योगों जैसे स्टील में गिरावट की वजह से गतिहीनता आई है। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट दबाव (स्ट्रेस्ड) की स्थिति को दर्शाते हैं। उपभोक्ता के सकारात्मक भावनाओं के बावजूद मुनाफे में गिरावट आई है।

निवेश

वित्तीय वर्ष 11 से, जब निजी क्षेत्र में निवेश रु.3.1 त्रिलियन की उचांई पर पहूंचने के बाद, अब इसमें तेजी से कमी आ रही है। इनके कारण थे। पहला, इसके 20 प्रतिशत की सीमा तक क्षमता का न्यूनतम उपयोग किया गया है; दूसरा, कम मुनाफे और अस्थिर बाजार ने आईपीओ को मुश्किल बना दिया है, कंपनियों को ऋण पर अधिक निर्भर होना पड़ा है जिसके चलते व्यवसायी उधारकर्ता को पुनर्भुगतान करना मुश्किल हो गया है और व्यापार ऋण लेने वालों के लिए और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सरकार के लिए एक मुद्दा बन गया है।

जनवरी-मार्च 2016 में, अपेक्षित निवेश ठप परियोजनाओं के मूल्य सकल घरेलू उत्पाद का 8.4 प्रतिशत हो गया है। यदि ये निवेश फलवान होता तो जीडीपी की विकास दर 2 फीसदी अधिक होता।

'मेक इन इंडिया' ने विशेष रूप से रक्षा उद्योगों में विदेशी निवेश में कुछ रुचि पैदा की है। वर्ष 2015-16 के पहले 11 महीनों में, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश $31.6 बिलियन था जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 20% अधिक है।

शेयर बाजार

कई एक कारणों से बाजार अस्थिर हो गया है। वास्तव में घरेलू कारकों की तुलना में, अंतरराष्ट्रीय घटनाएं घरेलू बाजार को काफी अधिक प्रभावित करती है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मुद्रा नीति, चीन में मंदी या मध्य पूर्व में अराजकता की स्थिति के रुख ने भारत में कंपनियों द्वारा की गई कमाई की तुलना में बहुत अधिक प्रभावित किया है।

अधिकांश भागो में एफआईआई निवेश नकारात्मक था। 2015 के पहले तीन महीनों मार्च के निवेश, शेष महीनों के बाकी हिस्सों में विनिवेश द्वारा रद्द हो गया है। अप्रैल के पहले सप्ताह में निवल बिक्री हुई थी।

मुद्रास्फीति:

इस साल की शुरुआत से मुद्रास्फीति में कुछ कमजोरी थी। यह प्रवृत्ति जारी रहेगी यदि आईएमडी की भविष्यवाणी के अनुसार इस साल मानसून सामान्य रहा। यह कीमतों को स्थिर करेगी, क्योंकि मुद्रास्फीति कृषि की शुरुआती बिंदु है। अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी, मुख्यत: तेल और धातुओं की कीमते कम हो रही हैं, जिसने डब्ल्यूपीआई को कम कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक को उम्मीद है कि तरलता के बेहतर प्रबंधन से मुद्रास्फीति में कमी आयेगी।

बाह्य व्यापार :

धीमी विश्व अर्थव्यवस्था ने लगभग हर देश के निर्यात को कम किया है। व्यतिक्रम अभी तक नहीं आया है। भारत का निर्यात $350 बिलियन के लक्ष्य से 15 प्रतिशत से अधिक कम हो गया है। लेकिन भारत को सेवाओं के निर्यात में लाभ हुआ है जिसने आंशिक रूप से व्यापार घाटा का अंतर को कम किया है। इसके अलावा, आयात में भी गिरावट आई है और इसके परिणामस्वरूप चालू खाता घाटा (सीएडी) कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 1.3 प्रतिशत हो गया है।

संभावनाएँ :

विभिन्न संस्थाओं द्वारा 2016-17 में विकास दर 7.4 से 7.8 प्रतिशत होने का अनुमान है। यह भी सहमति है कि यदि सरकार वास्तविक सुधारों और शासन में सुधार करती है तो निवेश अधिक होगा और विकास 8 प्रतिशत को पार कर जाएगा। पिछले बजट में यह उम्मीद थी कि आगे अर्थव्यवस्था में विस्तार होगा। ऐसा हुआ नहीं। जीएसटी और प्रवेश और निकास नीति संकट में है और उन्हें यथाशीघ्र लागू करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने की जरूरत है।

सरकार कम ब्याज दर शासनप्रणाली के लिए प्रतिबद्ध है। यह उम्मीद की जाती है कि कम ब्याज दरों से निजी क्षेत्र में निवेश में वृद्धि और विकास तथा रोजगार उत्पन्न होगा, जो अभी पीछे है। यह भारतीय रिजर्व बैंक के ब्याज दर नीति में कटौती करने के लिए और वित्तीय बाजार में दर कम करने के लिए जमीन तैयार करेगा।

सरकार ने विनियमित ब्याज दरों को कम कर दिया है।

तथापि, कम ब्याज दर से कैपेक्स में वृद्धि होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि निवेश अन्य कई कारकों पर निर्भर करता है। ब्याज दरों में गिरावट के बावजूद, वर्ष 2011 के बाद से निजी क्षेत्र के निवेश में कमी आ रही है लेकिन एक लंबी अवधि की रणनीति के रूप में कम ब्याज निस्संदेह वांछनीय है।

अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान में ब्याज दर कई वर्षो से शून्य के आसपास या नकारात्मक रही है। लेकिन न तो खपत और न ही निवेश को पुनर्जीवित किया गया है। भारत को निवेश की आवश्यकता है और यदि सही सुधारों की पहल की गई और आसान प्रवेश और निकास सुनिश्चित की गई तो निवेश का पुनरुत्थान किया जा सकता है, जो उच्च विकास और रोजगार के लिए महत्वपूर्ण है ।

मौद्रिक और बैंकिंग विकास

5 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने 25 बीपीएस तक रेपो दर में कटौती के साथ वर्ष 2016-17 के लिए अपनी पहली द्विमासिक नीति की घोषणा की। कुशल चलनिधि प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई। चूंकि 25 बीपीएस की कटौती पहले से ही हो चुकी थी इसलिए स्टॉक मार्केट ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं की। हालांकि कुछ बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर ब्याज दर को कम कर दिया है।

भारत में पूरे बैंकिंग उद्योग तनावग्रस्त आस्तियों के बढ़ने के कारण उच्च तनाव में है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह विशेष रूप से सच है कि उन्हें 3 करोड खरब ऋण की वसूली करनी है। कॉरपोरेट वांछित परिणाम नहीं दे पाया और एक बेहतर वैकल्पिक नीतिगत ऋण पुनर्गठन (एसडीआर) की शुरुआत हो गई है, लेकिन इसका पूरा प्रभाव आना बाकी है भारतीय रिजर्व बैंक के बड़े निवेश जोखिम फ्रेमवर्क और बाजार तंत्र के माध्यम से क्रेडिट की आपूर्ति बढ़ाने पर दिशा निर्देशों के साथ आने की उम्मीद है। रिजर्व बैंक ने भी

प्रतिभूतिकरण ढांचा, जो जनवरी 2018 तक लागू किया जाना है बीसीबीएस संशोधन के आलोक में प्रतिभूतिकरण ढांचे पर दिशानिर्देशों में संशोधन का कार्य करेगा।

हाल ही में विभिन्न लाइसेंस प्राप्त बैंक जैसे, भुगतान बैंकों और लघु वित्त बैंकों के अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य विभिन्न बैंकों जैसे कस्टोडियन बैंक तथा थोक बिक्री और दीर्घावधि वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रीत करने वाले बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने की संभावनाओं की तलाश कर रहा है।

वित्तीय प्रदर्शन

वर्ष के दौरान बैंक के कार्यनिष्पादन के अंतर्गत गुणवत्ता आस्ति और हानि आस्तियों की वसूली के क्षेत्र में वांछित परिणाम को पाने के लिए प्राथमिकता दी गई । विकास, लाभप्रदता, दक्षता, उत्पादकता, और शोधन क्षमता के मुख्य कार्यनिष्पादन संकेतक निम्नप्रकार हैं:

वित्तीय वर्ष 2014-15 में बैंक के परिचालन लाभ 2427.94 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 1811.80 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ दर्ज करते हुए, 616.14 करोड़ रुपये (25.37%) का ह्रास दर्ज किया गया। वित्तीय वर्ष 2014-15 में बैंक का शुद्ध लाभ रु.255.99 करोड़ की तुलना में 2015-16 में बैंक का शुद्ध लाभ रु.(-281.96) करोड़ रहा। **प्रति कर्मचारी सकल लाभ मार्च, 2015 को रु.15.98 लाख से कम होकर मार्च, 2016 को यह रु.12.09 लाख हो गया।**

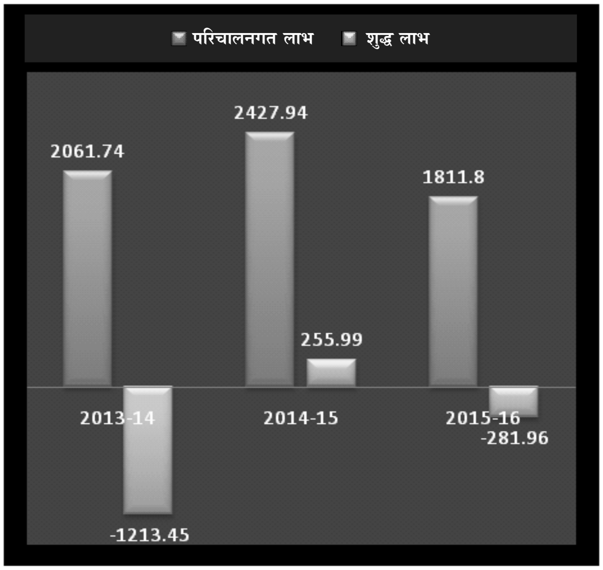

प्रमुख वित्तीय अनुपात (%)	मार्च 2015	मार्च 2016
निधियों की लागत	6.38	6.16
निधियों पर प्रतिफल	8.44	7.99
जमा की लागत	6.88	6.58
अग्रिम पर प्रतिफल	10.80	9.93
निवेश पर प्रतिफल	8.04	8.02
एडब्ल्यूएफ का % के रूप में विस्तार	2.07	1.89
शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम)	2.21	2.01
एडब्ल्यूएफ के परिचालन व्यय	1.50	1.61
औसत आस्तियों पर लाभ	0.21	(-)0.22
इक्विटी पर लाभ	5.16	(-)6.01
प्रति कर्मचारी व्यापार (रुपए करोड़ में)	11.53	12.37
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (रुपए करोड़ में)	1.69	(-)1.88
बही मूल्य	59.20	50.14

एडब्लूएफ औसत कार्यशील निधि

आय और व्यय विश्लेषण

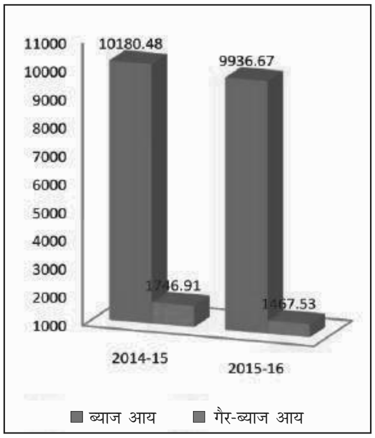

वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक की ब्याज आय रु.10180.48 करोड़ की तुलना में 2015-16 में रु.9936.67 करोड़ अर्जित हुई । अग्रिम में ब्याज आय वृद्धि का मुख्य कार्य होने के कारण, ब्याज दर प्रभारित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दर कटौती के लाभ को लागू करते हुए वर्ष 2015-16 में बैंक ने अपनी आधार दर में दो बार कटौती की। गैर-ब्याज आय वित्तीय वर्ष 2014-15 में रुपये 1746.91 करोड़ से 279.38 करोड़ (15.99%) घटकर वित्तीय वर्ष 2015-16 में रु. 1467.53 करोड़ रुपये हो गया है। अग्रिमों पर प्रतिलाभ मार्च 2015 में 10.80% की तुलना में मार्च 2016 में 9.93% तक की गिरावट आई।

ब्याज व्यय 2014-15 में रु. 7689.82 करोड़ की तुलना में 2015-16 में रु. 33.71 करोड़ के ह्रास के साथ रु.7656.11 करोड़ हुआ। सभी कोष्ठक में खुदरा मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दर के ह्रास के साथ कम ब्याज व्यय सुनिश्चित किया गया। उच्च लागत जमा के क्रमश: विस्तार द्वारा कम ब्याज का सुनिश्चित किया गया। जमा की लागत 2014-15 में 6.88% से कम होकर 2015-16 में 6.58% हो गया। बैंक ने अपने परिचालन व्यय में 7.00% तक रु.126.66 करोड़ राशि की वृद्धि जारी रखा।

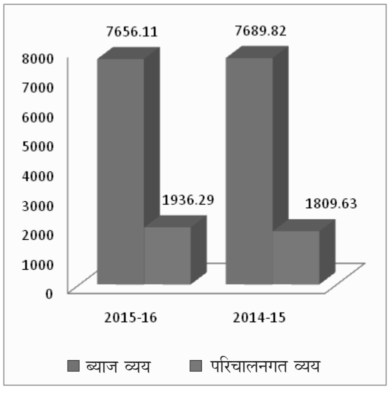

व्यापार वृद्धि

जमाराशि

बैंक की जमाराशि 31 मार्च, 2016 तक 6.97% की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए 116401 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। 31 मार्च, 2016 तक बैंक की बचत जमा राशि 10.86 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए रु.40810 करोड़ तक पहुंचा। कुल जमा राशि में कासा जमा का अंश 31 मार्च, 2016 तक 41.93% हुआ। बैंक की खुदरा मीयादी जमाराशि 8.28% की वृद्धि के साथ रु61818 करोड़ हुई। कुल जमाराशि में थोक जमाराशि और अधिमान्य दर में जमाराशि का अंश पुनः कम होकर क्रमशः 4.97% और 1.31% हो गया।

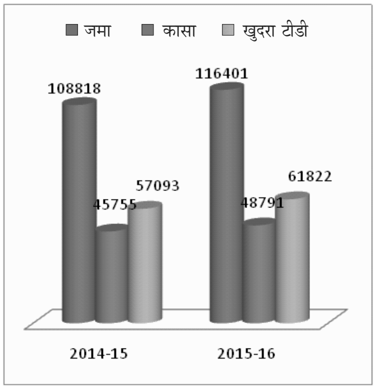

बैंक के ग्राहक अधिग्रहण अभियान के परिणाम स्वरूप बैंक का ग्राहक आधार मार्च 2015 में 3.60 करोड़ से बढ़कर मार्च 2016 में **3.93 करोड़** हो गया।

अग्रिम

बैंक के कुल ऋण पोर्टफोलियो में वृद्धि होने लगी है। 31 मार्च, 2016 तक बैंक के सकल अग्रिम में रु. 2342 करोड़ (3.39%) की वृद्धि हुई और यह रु. 71412 करोड़ तक पहुंच गया। ऋण जमा अनुपात 31 मार्च, 2016 को 61.35% हुआ। बैंक ने एएनबीसी का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम के लिए निर्धारित लक्ष्य 40% प्राप्त कर लिया। खुदरा ऋण उत्पादों के गहन विपणन के परिणाम स्वरूप आवास ऋण में वृद्धि के साथ खुदरा अग्रिम में काफी वृद्धि हुई।

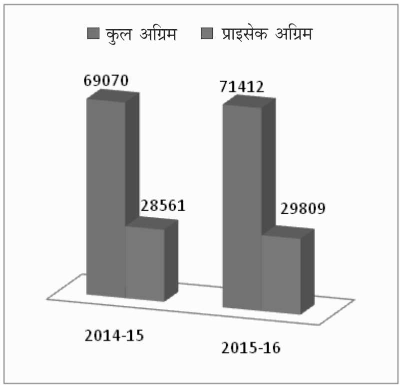

बैंक का गैर खाद्य ऋण रु. 67667 करोड़ से बढ़कर रु. 70046 करोड़ हो गया, जबकि खाद्य ऋण 31 मार्च, 2015 को रु. 1403 करोड़ से कम होकर 31 मार्च, 2016 के अंत तक रु. 1366 करोड़ हो गया ।

कुल व्यवसाय

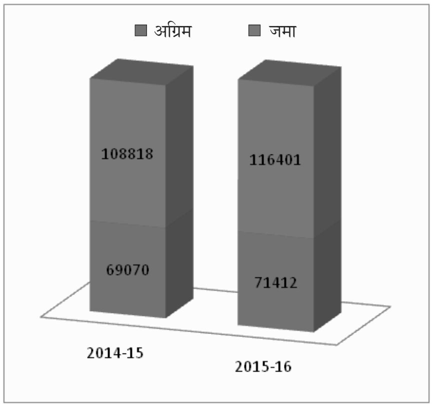

चालू वित्त वर्ष 2015-16 के अंत तक बैंक का कुल कारोबार रु. 187813 करोड़ तक पहुंच गया।

प्रति **कर्मचारी करोबार** के आधार पर तैयार उत्पादकता, 31 मार्च, 2015 को रु. 11.51 करोड़ से वृद्धि होकर 31 मार्च, 2016 तक **रु. 12.37** करोड़ हो गई है।

खुदरा ऋण परिचालन

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक का जोर खुदरा ऋण पर रहा है। बैंक खुदरा ऋण स्वीकृत करने पर विशेष जोर देते हुए आवास ऋण एवं और बंधक ऋण पर विशेष ध्यान दिया है जो खुदरा ऋण के लिए प्रमुख योगदान कर रहे हैं और यह बैंक के खुदरा ऋण संविभाग के 65.03% है।

कार्यनिष्पादनः

वित्तीय वर्ष 2015-16 में, खुदरा ऋण के तहत 601.41 करोड़ रुपये की सकारात्मक वृद्धि देखी गई है, यह 31 मार्च, 2015 के रु. 12050.95 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2016 को 12652.36 करोड़ हो गया है एवं इसमें वर्षवार 4.99% की वृद्धि दर्ज की गई है।

इस अवधि के दौरान विकास मुख्य रूप से आवास ऋण खंड के खाते में हुआ है, जिसके चलते इसमें रु. 5969.67 करोड़ की सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है, यह 31 मार्च, 2015 के रु. 5092.74 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2016 को रु. 5969.67 करोड़ हो गया है एवं इसमें 1722 की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई है।

शुरू की गई विशेष पहल :

- आवास ऋण में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए, बैंक ने प्रतिष्ठित बिल्डरों के साथ गठबंधन (टाईअप) पर विशेष जोर दिया है। प्रतिष्ठित बिल्डरों से उनके आगामी आवासीय परियोजनाओं में गठबंधन किया गया है और वे अपने ब्रोशर में बैंक के नाम आवास ऋण बाजार में दृश्यता को बढ़ाने के लिए प्रकाशित कर रहे हैं।
- शिक्षा ऋण खंड के विकास को बढ़ावा देने के लिए बैंक लगातार प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों के साथ गठबंधन किया है।
- भारत के प्रमुख शैक्षिक संस्थानों में अध्ययनरत सर्वाधिक मेधावी और प्रतिभाशाली छात्रों के लिए एक विशेष ऋण योजना के तहत अतिरिक्त विशेष लाभ के साथ साथ उन्हें कम ब्याज दर पर ऋण की पेशकश की है।
- शिक्षा ऋण योजना के तहत ऋण प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज हेतु प्रक्रिया की शुरूआत की गई है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत युनाइटेड अफोर्डेबल हाउसिंग ऋण योजना के नाम से सब्सिडी सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूह के लिए योजना की शुरुआत की गई है। आवास ऋण के एक हिस्सा के रूप में रूफ टॉप सोलर लाइटिंग उपकरण नई योजना शुरूआत की गई है।
- वित्त वर्ष के दौरान वेतनभोगी, व्यावसायिक एवं स्वरोजगार और व्यापारियों और किसानों एवं बैंक मित्र के लिए युनाइटेड टू व्हीलर ऋण योजना शुरू की गई है।
- बैंक सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप विद्या लक्ष्मी पोर्टल को एकीकृत किया है ताकि छात्र आवेदन ऑनलाइन कर सके और आसानी से शिक्षा ऋण ले सकें।
- सरकार की ब्याज सहायता योजना का बैंक एक सदस्य है, सरकार के मार्ग निर्देश के अनुसार योग्य शिक्षा ऋण लेने वालों को ब्याज सहायता प्रदान की जा रही है।
- खुदरा ऋण योजनाओं के ब्याज दर में उपयुक्त संशोधन कर, इसे अधिक प्रतिस्पर्धी और आकर्षक बनाया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2015-16 में, खुदरा ऋण जैसे हाउसिंग और शिक्षा ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा कई आवेदकों के बीच में अधिक सफल रहा है और अब सक्रिय रूप से इसे प्राप्त करने के लिए वे इस परेशानी मुक्त प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा ऋण आवेदन को अविलम्ब सिद्धांत रूप में स्वीकृति प्रदान किया जा रहा है।
- आवास, कार और टू व्हीलर ऋण की सुविधा के लिए एसएमएस सुविधा के शुरू की गई है।
- खुदरा ऋण उत्पाद, मुख्य रूप से आवास, बंधक और कार ऋण से संबंधित व्यापक प्रचार नगर एवं शहरी क्षेत्रों के प्रमुख स्थानों में विज्ञापन प्रदर्शित कर और शाखा परिसर के भीतर और बाहर बैनर द्वारा तथा एफएम रेडियो / टीवी चैनल में विज्ञापन देकर खुदरा ऋण उत्पादों का विस्तृत विज्ञापन किया गया है।
- बैंक के आधिकारिक फेस बुक पेज का शुभारंभ किया गया है बैंक के उत्पादों / सेवाओं और ऑफरिंग पर नवीनतम जानकारी की सुविधा प्रदान किया गया है और खुदरा उत्पादों के लिए एक प्रमुख विपणन उपकरण के रूप में उभरा है।
- एक सर्मर्पित विपणन टीम द्वारा विपणन प्रयास को तेज किया गया है, जिसमें योग्य विपणन अधिकारियों द्वारा बैंक के खुदरा उत्पादों का विपणन किया जाता है।

खुदरा ऋण केन्द्र

तेजी से मूल्यांकन और ऋण प्रस्तावों के प्रसंस्करण में पेशेवर दृष्टिकोण के लिए बैंक ने खुदरा ऋण केन्द्रों की स्थापना की है, जिससे ऋण मंजूरी की प्रक्रिया परेशानी मुक्त बनाई जा सके और इसमें लगने वाला समय (टीएटी) कम किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक के 23 क्षेत्रों में 24 खुदरा ऋण केन्द्र कार्यरत हैं, जिसमें वित्त वर्ष 2014-15 में 5373 खुदरा ऋण प्रस्तावों में रु. 756.93 करोड़ स्वीकृत किया गया और इसके मुकाबले इस वर्ष में 6955 खुदरा ऋण प्रस्तावों में रु. 1028.83 करोड़ स्वीकृत किया गया है।

ट्रेजरी और अंतरराष्ट्रीय परिचालन

बैंक के निवेश पोर्टफोलियो में 31.03.2015 को 43440 करोड़ रुपये से बढ़कर, 3.44% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2016 को 44934 करोड़ रुपये हो गया है। बैंक के एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो 31.03.2015 को 35020 करोड़ रुपए से बढ़कर दिनांक 31.03.2016 को 36009 करोड़ रुपए हो गया है। पोर्टफोलियो संशोधित अवधि एक वर्ष के पहले 4.62% की तुलना में बढ़कर मार्च 2016 में 4.66% हो गया है। बिक्री हेतु उपलब्ध (ए एफ एस) पोर्टफोलियो की संशोधित अवधि मार्च 2015 को 3.73% से बढ़कर मार्च, 2016 को 3.59% हो गया है।

बैंक ने वर्ष 15-16 के दौरान ट्रेजरी के घरेलू खंड से कुल रु. 824 करोड़ का व्यापार लाभ किया था। वर्ष 15-16 के दौरान निवेश पर औसतन प्रतिलाभ 8.28% हुआ और वर्ष 15-16 के दौरान निवेश पर प्रतिफल 8.02% हो गया।

31.03.2016 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक का विदेशी मुद्रा कारोबार कुल रू. 15089.59 करोड़ का हुआ, जिसमें निर्यात के तहत रू. 3606.59 करोड़, आयात के तहत रू. 4430.40 करोड़ और धनप्रेषण के तहत रू. 7052.60 करोड़ शामिल है।

31.03.2016 तक बैंक का बकाया निर्यात ऋण रू. 1207.27 करोड़ रहा। बैंक ने वर्ष 2014-15 के दौरान रू. 97 करोड़ के एवज में वर्ष 2015-16 के दौरान रू. 135 करोड़ का विनिमय आय प्राप्त किया।

बैंक की वैदेशिक अवस्थिति दो देशों जैसे; म्यांमार और बांगलादेश में है। ढाका, बांगलादेश और यांगून, म्यांमार प्रत्येक में एक प्रतिनिधि कार्यालय है। इंडो म्यांमार का व्यापार हमारे बैंक के जरिए किया जाता है। बांगलादेश के 25 बैंकों द्वारा यूएसडी और यूरो मुद्रा में (38) वोस्ट्रो खाते और म्यांमार के (15) बैंकों द्वारा यूरो, यूएसडी, एसजीडी मुद्राओं में (23) वोस्ट्रो खातों का हमारे बैंक में परिचालित किया जाता है। ग्लोबल आईएमई बैंक लि. नेपाल और म्यांमार इकोनोमिक बैंक लि., द्वारा हमारे बैंक में आईएनआर में वोस्ट्रो खाता परिचालित करते हैं।

बैंक का अंतर्राष्ट्रीय परिचालन वैदेशिक बैंकों की 616 से भी अधिक शाखाओं के साथ पारस्परिक रिश्तों के व्यापक नेटवर्क से जुड़ा है जिसके अंतर्गत 8 मुद्राओं में वैदेशिक बैंकों में 18 नोस्ट्रो खाते खोले गए हैं।

अन्य सेवाएं

मर्चेंट बैंकिंग डिविजन ने 29.09.2015 को रुपये 150 करोड़ के बासेल-III अनुपालित बैंक के अतिरिक्त टियर बांड जारी किया है। निर्गम के लिए बैंकर के संबंध में डिबेंचर ट्रस्टी और

मर्चेंट बैंकर के रुप में सेबी द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र बैंक धारण करता है जिसके तहत नियामक शर्तों के अनुसरण में बैंक द्वारा परिभाषित कार्य और उतरदायित्वों का निर्वाह किया जाता है ।

सरकारी व्यवसाय

सरकारी व्यवसाय के तहत, बैंक सरकारी व्यावसायिक गतिविधियों को निम्नलिखित प्रकार चलाती है:

- केन्द्र सरकार के राजस्व का संग्रहण जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर (सीबीडीटी, सीबीईसी और सीमा शुल्क) बैंक की प्राधिकृत शाखाओं द्वारा भौतिक रूप से और सभी शाखाओं में ईमोड (इंटरनेट बैंकिंग) के माध्यम से किया जाता है।
- राज्य के राजस्व एवं करों (सेल्स टैक्स, वैट, प्रोफेशनल टैक्स आदि), ऑन लाइन और ऑफलाइन दोनों से संग्रहण करना।
- पीएमजेडीवाई (पीपीएफ, एससीएसएस, सुकन्या समृद्धि खाता, बचत बॉण्ड, मुद्रास्फीति सूचकांक बॉण्ड, सार्वभौमिक गोल्ड बॉन्ड, अटल पेंशन योजना आदि) जैसे सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत सरकारी जमा का संग्रहण करना।
- सरकारी कोष का संचालन (विभागीय मंत्रालयों के खातों, राज्य सरकार के ट्रेजरी परिचालन)
- स्कूल शिक्षकों के वेतन एवं सभी प्रकार के पेंशन का भुगतान (केंद्र सरकार, राज्य सरकार और विभिन्न स्वायत्त संगठनों)।

पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने ग्राहकों के पंजीकरण एवं भारत के सभी नागरिकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में पंजीकरण प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए बैंक एवं 1094 शाखाओं को प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपीएसपी) सेवा प्रदाता के तौर पर सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी, एनएसडीएल प्रणाली के लिए अधिकृत किया है।

असंगठित क्षेत्र तथा आर्थिक रूप से वंचित लोगों के लिए एनपीएस लाइट / स्वावलंबन योजना में अंशदाता पंजीकरण प्रक्रिया के कार्यान्वयन हेतु सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी, एनएसडीएल प्रणाली में एनपीएस लाइट संग्रहण केंद्र(एनएलसीसी) के रूप में बैंक की 1400 शाखाओं का पंजीकरण किया गया है । बैंक ने एनपीएस / एनपीएस लाइट / स्वावलंबन योजना के तहत समाज के असंगठित वर्ग से 8356 अंशदाताओं का पंजीकरण किया है।

भारत सरकार द्वारा जून, 2015 में एक नए सामाजिक सुरक्षा योजना अर्थात् अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की शुरूआत की गई है। यह समाज के असंगठित क्षेत्रों के आयु समूह (18-40) वर्ष के बीच के लोगों के लिए एक विशेष रूप से निर्धारित पेंशन योजना है। इससे उनकी उम्र 60 वर्ष हो जाने पर वृद्धावस्था आय को सुरक्षित करने के लिए मासिक पेंशन के रूप में रू (1000-5000) प्राप्त किया जाएगा ।

इस नए पेंशन योजना के तहत ग्राहकों का नामांकन करने के लिए हमारी सभी शाखाएं अधिकृत हैं। इस वर्ष के दौरान उक्त योजना के तहत लगभग 35000 ग्राहकों को नामांकित किया गया है। इस योजना ने मौजूदा स्वावलंबन योजना का स्थान ले लिया है।

प्रधान कार्यालय में स्थापित केन्द्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण केंद्र (सीपीपीसी) द्वारा रू 1.04 लाख से अधिक केन्द्रीय सिविल, दूरसंचार, डाक, राजनैतिक, रेलवे और रक्षा पेंशनरों को पेंशन का वितरण का काम संभाल रही हैं।

पेंशनरों में आवश्यक सूचना के प्रसार की सुविधा के लिए, बैंक की वेबसाइट पर एवं पेंशन संवितरण करने वाली शाखाओं में 'पेंशनर्स चार्टर' प्रदर्शित किया गया है। बैंक ने पेंशनरों के लिए डिजिटल की सुविधा की भी शुरूआत की है जहां पेंशनर शाखा में गए बिना ही डिजिटली अपना वार्षिक तौर पर अपना लाइफ प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है,अगर उनका खाता आधार के साथ संयुक्त है तो।

ऑन लाइन पेंशन शिकायत निवारण तंत्र बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध है। बैंक के वेबसाइट पर पेंशनरों की वेतन पर्ची भी उपलब्ध हैं।

बैंक एवं एजेंसी द्वारा किए जा रहे सरकारी व्यवसाय से होने वाले कारोबार के संबंध में उक्त व्यवसाय से वित्तीय वर्ष के दौरान क्रमशः राशि रू 42,693.21 करोड़ एवं रू 42.93 कमीशन अर्जित किया गया। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान सरकारी व्यापार से अर्जित कमीशन निम्नलिखित प्रकार से है:

व्यापार का प्रकार	कारोबार (टीओसी) अर्जित (रु करोड़)
	2015 - 16
कर	2.32
पेंशन	19.92
स्कूल वेतन	12.69
ट्रेजरी	6.60
पीपीएफ, एससीएसएस, एसएसए, एपीवाई, बांड और एसडीएस	0.75
डीएमए	0.65
कुल	**42.93**

आस्ति गुणवत्ता और जोखिम प्रबंधन

आर्थिक मंदी के कारण मांग में कमी आ जाने और परियोजनाओं के कार्य रुक जाने के कारण उधारकर्ताओं को ऋण चुकाने में समस्या होती है तथा अशोध्य ऋण बढ़ जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिचालित गहन आस्ति गुणवत्ता की समीक्षा (एक्यूआर) से पता चला कि लंबे समय से बैंकों के पास तनावग्रस्त आस्तियां अवरूद्ध हैं । इसके अलावा, बैंकों को यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि स्वीकरण और प्रावधान के संबंध में वे आम तौर पर एक जैसे हैं, भले ही व्यक्तिगत मामले में वे एक दूसरे से अलग हों ।

अड़ियल उधारकर्ताओं से लगातार अनुवर्तन,तनावग्रस्त आस्तियों की निगरानी एवं दुर्लभ खातों के लिए सख्त उपाय अपनाने के बावजूद भी, बैंक बढ़ रहे एनपीए स्तर रू.9471 करोड़ जो कि कुल अग्रिम का 13.26% है, को रोकने के लिए सक्षम नहीं था।

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा तनावग्रस्त आस्तियों के वसूली हेतु बड़ा कदम उठाकर सीमित अवधि को सरल बनाते हुए 5 लाख से कम के बकाया के साथ एनपीए के एकबारगी निपटान (ओटीएस) हेतु प्रस्ताव दिया था। आम जनता में जागरूकता फैलाने हेतु बैंक ने कदम उठाते हुए चूक उधारकर्ताओं के प्रतिष्ठानों के सामने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करते हुए रोड शो करने का फैसला किया है।

आस्ति गुणवत्ता

बैंक ने आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण प्रतिशत के संदर्भ में आरबीआई के संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है, पिछले वर्ष की समाप्ति पर बैंक के कुल एनपीए अनुपात 9.49% की तुलना में 31.03.2016 तक 13.26% है। निरपेक्ष संदर्भ में 31.03.2016 तक बैंक का सकल एनपीए अनुपात रु 9471 करोड़ है। 31.03.2015 तक बैंक के कुल एनपीए 6.22% की तुलना में 31.03.2016 को 9.04% रहा। वित्तीय वर्ष 2014-2015 में बैंक के नए स्लिपेज रू.4087 की तुलना में 2015-16 में रू.5011 करोड़ की बढ़ोत्तरी हो सकती है।

वर्ष के दौरान नकदी वसूली रू.541 करोड़ और उन्नयन रू.349 करोड़ था, बैंक के प्रावधान कवरेज अनुपात में 31.03.2015 तक के 58.50% की तुलना में 31.03.2016 में 56.36% तक बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 2015-16 के दौरान तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए खातों में रू.110 करोड़ की वसूली की गई है।

बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक व्यापक वसूली नीति है जो कि वसूली और एनपीए के कटौती जैसा कि एकबारगी भुगतान (ओटीएस), प्रभारित आस्तियों की बिक्री, आस्ति विनिर्माण कंपनियों (एआरसी) को बिक्री इत्यादि के लिए सभी प्रकार से व्यापित है। बैंक ने वर्ष के दौरान कम मूल्य वाले एनपीए खाते जो कि 5 लाख से कम के बकाया की वसूली के लिए सरल दिशानिर्देश लेकर आया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक रू.553 करोड़ का एनपीए एआरसी को बिक्री करने को तरजीह दी है।

पूंजी एवं आरक्षित निधियां

31 मार्च, 2016 तक बैंक का निवल मालियत रु 4685.14 करोड़ निर्धारित किया गया था। बैंक की कुल चुकता पूंजी रु 839.52 करोड़ और आरक्षित निधियां और अधिशेष रु 4999.67 करोड़ था। मार्च, 2016 तक बैंक में सरकार की शेयरधारिता 82% रही।

(रु. करोड़)

पूंजी की संरचना	मार्च 2016		मार्च 2015	
	बासेल-II मानदण्ड	बासेल-III मानदण्ड	बासेल-II मानदण्ड	बासेल-III मानदण्ड
जोखिम भारित परिसंपत्तियाँ	73079	69249	66798	65882
टीयर 1 पूंजी	5797	5008	5021	5117
जिसमें से सीईटी 1 पूंजी	5660	NA	5021	NA
टीयर 1 अनुपात (%)	7.93	7.23	7.52	7.77
जिसमें से सीईटी 1 अनुपात (%)	7.74	NA	7.52	NA
टीयर 2 पूंजी	1572	2235	2034	2404
टीयर 2 अनुपात (%)	2.15	3.23	3.05	3.65
कुल पूंजी	7369	7243	7055	7521
सीआरएआर (%)	10.08	10.46	10.57	11.42

पूंजी पर्याप्तता अनुपात टीयर 1 के 7.93% के अनुपात के साथ बासेल के मानदण्डों के तहत मार्च, 2016 में 10.08% और सीईटी 1 अनुपात 7.74% निर्धारित किया गया। पूंजी पर्याप्तता अनुपात टीयर 1 के 7.26% के अनुपात के साथ बासेल के मानदण्डों के तहत मार्च, 2016 में 10.46% निर्धारित किया गया। बैंक के पास व्यवसाय वृद्धि की गति को समर्थन करने हेतु पूंजी बढ़ाने के लिए टीयर 1 और टीयर 2 विकल्पों के तहत पर्याप्त हेडरुम उपलब्ध हैं ।

जोखिम प्रबंधन

इस बैंक की अपनी एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि जिस जोखिम की आशंका है वह परिभाषित जोखिम सीमा के भीतर है और उसका पर्याप्त रूप से निराकरण किया गया है। विभिन्न जोखिमों, जिसमें बैंक की संभावनाएं है, को क्रियान्वित करने के लिए, बैंक के पास पुख्ता जोखिम प्रबंधन आर्किटेक्चर है, जिसमें जोखिम प्रबंधन संरचना, जोखिम प्रबंधन नीतियां और जोखिम प्रबंधन कार्यान्वयन और निगरानी प्रणाली शामिल है।

जोखिम प्रबंधन ढांचा:

बैंक के जोखिम सीमा के निर्धारण की समग्रतः जिम्मेदारी और प्रभावी जोखिम प्रबंधन का दायित्व बैंक के निदेशक मंडल और शीर्षस्थ प्रबंधन पर है। बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बैंक ने एक बोर्ड स्तरीय समिति का गठन किया गया है जिसका नाम निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबीओडी) है। यहां बैंक के विभिन्न जोखिम प्रबंधन कार्यो एवं गतिविधियों का पर्यवेक्षण करने के लिए शीर्ष कार्यपालकों की कुछ अन्य आंतरिक समितियां भी हैं, जैसे ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) और आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को)

बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) ब्याज दर और चलनिधि जोखिमों की रणनीतिक प्रबंधन के लिए एक निर्णय लेने योग्य समिति है । एल्को की वर्ष में 12 बार बैठकें हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की गई जैसे, ब्याज दरों के परिदृश्य, जमा और अग्रिम दोनों के लिए उत्पाद मूल्य, वृद्धिशील आस्तियों एवं देयताओं के अपेक्षित परिपक्वता रुप रेखा, बैंक नीधियों की मांग, बैंक के आधार दर का पुनर्निर्धारण, बैंक के नकद प्रवाह, लाभ योजना और समग्र तुलनपत्र प्रबंधन ।

परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) पर बैंक की परिचालन जोखिम की निगरानी करने और एक स्पष्ट परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रणाली के अभिकल्पन एवं निर्वाह द्वारा परिचालन जोखिम के निवारण हेतु मूल्यांकन एवं आवश्यक कदम उठाने का दायित्व है। यह सुनिश्चित करती है कि परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति के मानदंडो, नीतियों एवं दिशानिर्देशों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया जा रहा है। परिचालन जोखिम दृष्टिकोण से विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए ओआरएमसी की 08 बार बैठकें हुई ।

ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) बैंक के व्यापक आधार पर ऋण नीति, प्रक्रिया और विश्लेषण, प्रबंध और नियंत्रण ऋण जोखिम से संबंधित विभिन्न ऋण जोखिम के पहलुओं की निगरानी करता है । परिचालन जोखिम के दृष्टिकोण से विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए वर्ष के दौरान समिति की 07 बार बैठकें हुई ।

जोखिम प्रबंधन की नीतियां:

विभिन्न जोखिमों जैसे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, चलनिधि जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम और स्तंभ जोखिमों, पर चर्चा करने और ऐसे जोखिमों, जिसमें बैंक की संभावनाएं हैं, को पहचानने, प्रबंधित करने एवं उसके निवारण हेतु, बैंक ने विभिन्न जोखिम प्रबंधन नीतियां तैयार की हैं। इस प्रकार के जोखिमों से निपटने के लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा ऋण नीति, आईसीएएपी पर नीति, परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, व्यवसाय लाइन मैपिंग नीति, आस्ति देयता प्रबंधन नीति, निवेश नीति, प्रकटीकरण नीति, ऋण लेखा नीति, तनाव परीक्षण नीति, और ऋण जोखिम निवारण तकनीक और संपार्श्विक प्रबंधन पर नीति आदि प्रमुख नीतियां विकसित एवं अनुमोदित की गई हैं ।

ऋण जोखिम:

ऋण जोखिम से निपटने के लिए बैंक ने एक ऋण नीति तैयार की है जिसमें ऋण जोखिम संबद्ध समस्त परिचालन क्षेत्रों को शामिल करते हुए ऋण प्रबंधन के नीतिगत दिशानिर्देश निर्धारित हैं। यह नीति बैंक को अपने ऋण संविभाग में एक नियमित और स्वस्थ विकास के लिए नीतिगत ढांचे द्वारा निर्देशित ऋणगत निर्णयों के द्वारा जोखिम प्रबंधन क्षमताओं की वृद्धि करने के लिए सक्षम बनाती है।

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुयोजन में व्यक्तिगत उधारकर्ताओं, समूह उधारकर्ताओं, प्रवेश स्तरीय निवेश मानदंड, पर्याप्त निवेश सीमा, बेंचमार्क वित्तीय अनुपात, उधारकर्ता मानकों, उद्योगों के लिए निवेश सीमा / अधिकतम सीमा, संवेदनशील क्षेत्रों, मूल्यांकन वर्ग आदि विभिन्न प्रकार की विवेकाधिकार सीमा का निर्धारण किया है। वर्ष के दौरान इस प्रकार की सीमाओं को बोर्ड द्वारा समीक्षित किया गया है।

वर्ष के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक / बैंक के बोर्ड द्वारा तय की गई निवेश सीमा/अधिकतम सीमा के भीतर बैंक के विभिन्न निवेशों को सुनिश्चित करने के लिए छमाही आधार पर विभिन्न निवेश मानदंडों का विव्लेषण किया गया है।

बैंक ने जोखिम मूल्यांकन कार्य से स्वतंत्र अपने ऋण मूल्याकंन कार्य का निर्धारण किया है। ऋण खातों का आंतरिक जोखिम मूल्याकंन, ऋण प्रस्तावों का आंकलन एवं उधारकर्ता के मूल्याकंन करने वाले एक सॉफ्टवेयर आधारित मूल्यांकन मॉडल के माध्यम से किया जाता है।

बैंक ने वर्ष के दौरान, बैंक के ऋण संविभाग पर विशेष उद्योग/क्षेत्र के प्रभाव का अध्ययन करने और ऋण संविभाग की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए रणनीतियों को अपनाने और संकेन्द्रण जोखिम के संभावित प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, त्रैमासिक अंतराल पर ऋण संविभाग विश्लेषण का आयोजन किया।

वर्ष के दौरान, बैंक ने भी एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष और चार वर्षों की समय सीमा के लिए स्थिरता दर, उन्नयन दर, निम्न कोटि निर्धारण दर एवं चूक दर का विश्लेषण करने के लिए छमाही अंतराल पर अपने उधारकर्ताओं का मूल्यांकन स्थानानंतरण विश्लेषण करने का कार्य शुरू किया है एवं संविभाग की गुणवत्ता को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की गई है।

बाजार जोखिम:

बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए बैंक ने नकदी, ब्याज दर, विदेशी मुद्रा और बैंक की इक्विटी जोखिम को मापने, निगरानी एवं प्रबंध करने पर जोर दिया है। व्यापार बही में बाजार जोखिम की निगरनी एवं प्रबंधन उसके उपयुक्त नियत्रंण प्रणाली द्वारा की जाती है। बाजार की स्थिति, वित्त पोषण पैटर्न, अवधि, प्रतिपक्ष सीमा और विभिन्न संवेदनशील मानकों की भी नियमित आधार पर बैंक द्वारा निगरानी की जाता है। उन्नत जोखिम प्रबंधन उपकरण जैसे जोखिम पर मूल्य (वीएआर), उपार्जन पर जोखिम (आएआर), निवल एक दिवसीय खुली स्थिति सीमा (एलओओपीएल) और संशोधित अवधि सीमा का भी बाजार जोखिम के प्रबंधन में उपयोग किया जाता है।

बैंक, नियमित आधार पर संरचनात्मक चलनिधि विवरणों और शेयर अनुपातों के माध्यम से तुलन पत्र के सभी मदों की चलनिधि जोखिम को मापता एवं निगरानी करता है। बैंक, ब्याज दर संवेदनशीलता अंतराल रिपोर्टों के माध्यम से इसके ब्याज दर जोखिम की भी निगरानी करता है।

बैंक ने राजकोष कार्यों के लिए परिचालनगत दिशानिर्देशों को लागू करने हेतु अपनी निवेश नीति का प्रतिपादन एवं उसकी समीक्षा की है। बैंक ने चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम आदि से निपटने के लिए एक आस्ति देयता प्रबंधन नीति को भी लागू किया है। इन नीतियों में प्रबंधन कार्य, प्रक्रिया, विवेकसम्मत जोखिम सीमा, समीक्षा व्यवस्था और रिपोर्टिंग प्रणाली आदि शामिल हैं। इन नीतियों की समय-समय पर वित्तीय एवं बाजार की स्थिति में परिवर्तन होने के क्रम में समीक्षा की जाती है।

बैंक के निवेश संविभाग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने के साथ बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार के स्वचालित गणना के साथ चल रहे आधार पर अपने निवेश एवं राजकोष संविभाग की निगरानी के लिए बैंक के पास एकीकृत राजकोष प्रबंधन प्रणाली (आईटीएमएस) सॉफ्टवेयर है।

परिचालनगत जोखिमः

प्रभावी ढंग से एक परिचालनगत जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक ने एक परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। विभिन्न उत्पादों, गतिविधियों और विभिन्न व्यवसाय श्रेणी में आय की संगणना के लिए बैंक ने व्यवसायिक ऋंखला संगणना नीति भी तैयार की है।

बैंक के परिचालनगत जोखिम की निगरानी करने का दायित्व परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) का है। ओआरएमसी द्वारा बैंक द्वारा अपनाई गई प्रणाली, प्रक्रिया, नए उत्पाद तथा परिचालन जोखिम लॉस इवेन्ट डाटा की भी समीक्षा की जाती है और आंतरिक प्रणाली तथा प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए सुधारात्मक/निवारक उपाय करने हेतु यह सुझाव देता है।

बासेल-II और बासेल-III अनुपालनः

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देश की श्रृंखला में 31 मार्च, 2009 से बैंक ने बासेल ढांचे का सफलता के साथ ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए) परिचालनगत जोखिम के लिए मूल संकेत दृष्टिकोण (बीआईए) और पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना के लिए बाजार जोखिम हेतु मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) को अपनाया है।

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसरण में 01 अप्रैल, 2013 से बासेल पूंजी नियामक शर्तों का अनुसरण किया है। बैंक द्वारा तिमाही अंतराल में बासेल-II और बासेल-III, दोनों के तहत, जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) में पूंजी की गणना की जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने स्तंभ 2 दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए सभी वस्तु की जोखिम का निर्धारण करने के लिए आंतरिक पूंजी पर्याप्त बैंक ने दोनों बासेल-II और बासेल-III के नियमों के तहत अपनी पूंजी की आवश्यकता की समीक्षा की और अपने पूंजी आधार को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। बैंक ने आईसीएएपी को तिमाही आधार पर बैंक की पूंजी की आवश्यकता और निगरानी के लिए समीक्षा की है ।

आईसीएएपी नीति के साथ, बैंक वार्षिक आधार पर आईसीएएपी दस्तावेज तैयार करता है और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा आंतरिक सत्यापन और अनुमोदन के बाद भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया जाता है। वर्ष 2015-16 के लिए बैंक के आईसीएएपी दस्तावेज आरबीआई को प्रस्तुत किया गया है।

बैंक ने दोनों बासेल-II और बासेल-III के नियमों के तहत अपनी पूंजी की आवश्यकता की समीक्षा की और अपने पूंजी आधार को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। बैंक ने आईसीएएपी को तिमाही आधार पर बैंक की पूंजी की आवश्यकता और निगरानी के लिए समीक्षा की है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों और बैंक के तनाव परीक्षण नीति के अनुसार बैंक ने लिक्विडिटी रिस्क, ब्याज दर जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम और ऋण जोखिम जैसे विभिन्न जोखिमों पर त्रैमासिक अंतराल पर तनाव परीक्षण विश्लेषण का आयोजन किया और पूंजी पर्याप्तता और मुनाफे का आकलन भी किया।

जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में कौशल विकास के लिए, बैंक ने सीएएफआरएएल, एनआईबीएम, आईबीए, आईडीआरबीटी, सीएबी आदि जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा किए गए जोखिम प्रबंधन पर विभिन्न प्रशिक्षण/सेमिनार के लिए नियमित आधार पर अपने अधिकारियों को मनोनीत किया।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को 31 मार्च, 2016 तक बैंक द्वारा रु. 29809 करोड़ ऋण दिया गया है जो कि एएनबीसी का 41.16 है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों पर जारी संशोधित दिशानिर्देश के पश्चात, उद्देश्य के साथ निर्धारित लक्ष्यों को पार करने के लिए, बैंक ने लघु और सीमांत किसान, एमएसएमई के तहत माइक्रो खंड के वित्तपोषण पर विशेष जोर दिया है और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण को बढ़ाने के लिए गिरवी के वित्तपोषण के लिए संपार्श्विक प्रबंधन कंपनियों को नियुक्ति, दुग्ध उत्पादन की बड़ी इकाईयों को वित्त, मुर्गी पालन, नियंत्रित हालत में (ग्रीन हाउस / पाली हाउस) सब्जी और फूल, कृषि आदि के लिए अग्रिम प्रदान किया है।

कृषि ऋणः

बैंक ने वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान रु. 7698 के लक्ष्य के मुकाबले रु. 7401 करोड़ संवितरित कर 96% का लक्ष्य प्राप्त किया है। 31 मार्च 2016 को कृषि क्षेत्र को ऋण रु. 12605 रहा, जो एएनबीसी के निर्धारित 18 लक्ष्य के मुकाबले में 17.40% है। वर्ष 2015-16 में लघु एवं सीमांत किसानों को रु. 5477 करोड़ ऋण दिया गया जो एएनबीसी की निर्धारित 7% लक्ष्य के मुकाबले 7.56% है।

कमजोर वर्ग के लिए ऋणः

31 मार्च 2016 को कमजोर वर्ग के ऋण रु. 7733 करोड़ हो गया है और जो 10% की निर्धारित एएनबीसी के लक्ष्य के मुकाबले में 10.68% है।

अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ऋणः

31 मार्च 2016 को बैंक का अल्पसंख्यक समुदाय के ऋण रु. 4474 करोड़ हो गया है जो शर्त के अनुरूप पीएसएल के 15% है ।

किसान केडिट कार्ड:

संशोधित योजना के अनुसार केसीसी के दायरे में बैंक ने नई किसानों को अधिक संख्या में किसान केडिट कार्ड जारी करने के लिए कई विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने 94799 नई केसीसी जारी किया जिसकी ऋण सीमा रु 538 करोड़ रही। 31 मार्च 2016 तक कुल केसीसी की संख्या 559923 रही, जिसमें कुल बकाया राशि रु 2266.56 करोड़ रही। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी केसीसी धारकों को सक्षम रूपे आधारित एटीएम कार्ड जारी करने के संबंध में, बैंक ने केसीसी धारकों को 31.03.2016 तक 3.60 लाख एटीएम कार्ड जारी किया है, जो पात्र केसीसी धारकों (अनपढ़, अनिच्छुक और एनपीए केसीसी धारकों को छोड़कर) का 93% है।

स्वयं सहायता समूह:

31 मार्च 2016 को बैंक का 87015 स्वयं सहायता समूहों के साथ केडिट लिंकेज है, जिसमें कुल बकाया राशि रु 366.62 है। एसएलबीसी, पश्र्चिम बंगाल के निर्णय के अनुसार प्रथम ग्रेडिंग के स्वयं सहायता समूह को 1.25 लाख की प्रारंभिक केडिट सीमा प्रदान करते हुए बैंक ने स्वयं सहायता समूह के लिए एनआरएलएम कार्यक्रम को लागू किया है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) की सहायता से बैंक ने समुदाय आधारित वसूली तंत्र (सीबीआरएम) में भाग लेना शुरू किया है, जिससे शाखाओं में बैंक सखी / बैंक मित्र को रखा गया है।

कॉर्पोरेट की सामाजिक दायित्व:

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेवारी के रूप में, बैंक ने निम्नलिखित गतिविधियों में कार्य शुरू किया है:

युनाइटेड बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (युबीआरएसईटीआई)

बैंक ने अब तक समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संभावित उद्यिमयों को प्रशिक्षण देने के लिए पश्र्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा राज्यों में 14 आरसेटी का गठन किया है। सरकार द्वारा निर्देशित कार्यक्रम जैसे पीएमईजीपी, लाइफ एमजीनरेगा आदि को आरसेटी सक्रिय रूप से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, इन संस्थानों ने 11333 ग्रामीण युवाओं / महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिनमें से 55 प्रशिक्षुओं ने आर्थिक उद्यम की स्थापना कर स्वयं को स्थापित कर लिया है। कुल स्व रोजगार के प्रशिक्षुओं में से 75 महिलाएं और कमजोर वर्ग समुदाय के हैं। ये संस्थान प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के बाद उन्हें सहारा देते हुए हमारे बैंक की शाखाओं से ऋण की व्यवस्था करते हैं ताकि वे स्वयं के उद्यम स्थापित करने में सक्षम हो सके।

एफएलसीसी

समाज के गरीब वर्ग को वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श सेवाओं का विस्तार प्रदान करने के लिए बैंक ने पश्र्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मणिपुर राज्यों में 38 वित्तीय साक्षरता केन्द्र (एफएलसी) का गठन किया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में, इन एफएलसी नियमित रूप से आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें बाहरी गतिविधियों के लिए वित्तीय साक्षरता प्रदान करना भी शामिल है।

युनाइटेड बैंक सामाजिकआर्थिक विकास फाउंडेशन (युबीएसईडीएफ)

बैंक के निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार सामाजिक और आर्थिक विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य तथा समाज के कमजोर और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को सहायता प्रदान करने के लिए, 30 मार्च 2007 को युनाइटेड बैंक सामाजिक आर्थिक विकास फाउंडेशन (युबीएसईडीएफ) स्थापित किया गया था। बैंक ने 31.03.2016 तक अपने सीएसआर गतिविधियों के लिए 71 विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों में रु 213.00 लाख की कुल राशि का वित्तीय सहायता प्रदान किया है। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, स्वच्छ भारत मिशन / स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत प्रस्तावों को सहायता देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस साल, बैंक ने 5 परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संबंधित संगठनों द्वारा समाज हेतु रु 20.59 लाख संवितरित किया है ।

एमएसएमई को अग्रिम

ऋण देने के क्षेत्र में एमएसएमई क्षेत्र का प्रदर्शन निम्नांकित है:

	वित्तिय वर्ष 2013-14		वित्तिय वर्ष 2014-15			वित्तिय वर्ष 2015-16		
श्रेणी	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	वृद्धि (वर्षवार)	खातों की संख्या	बकाया राशि	वृद्धि (वर्षवार)
सूक्ष्म	234888	7259	221214	8287.12	14.16	240877	7,491.53	-9.60
लघु	14807	4225	14235	4057.59	-3.96	16632	3,506.50	-13.58
एमएसई	249695	11484	235449	12344.71	7.49	257509	10,998.03	-10.91
मध्यम	372	600	332	604.42	0.74	774	886.91	46.74
एमएसएमई	250067	12084	235781	12949.13	7.16	258283	11,884.94	-8.22

एमएसएमई के अंतर्गत बैंक के अग्रिम में 31.03.15 के रू.12949 करोड़ की तुलना में 31.03.2016 में रु.11885 करोड़ की गिरावट हुई। एमएसएमई के लक्ष्य को निम्न कारणों से प्राप्त नहीं किया जा सका- i) आरबीआई द्वारा प्राइसेक के दिशानिर्देशों में संशोधन करने ततपश्चात एमएसएमई से कृषि की एग्रो प्रसंस्करण इकाई का पुनर्वर्गीकरण किया जाना, ii) सामान्य आर्थिक मंदी, iii) सीजीटीएमएसई गारंटी सुरक्षा को हटा देना

एमएसएमई लक्ष्य को पाने के लिए रणनीतियाँ

एमएसएमई क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिए पहलः

- इस वित्तीय वर्ष में रु. 14000 करोड़ के एमएसएमई लक्ष्य और तदवि एनपीए को ध्यान में रखते हुए, हमारे पूरे प्रयास एमएसएमई परिसंपत्ति पोर्टफोलियो के निर्माण गुणवत्ता एमएसएमई उद्यमी / इकाइयों को ऋण से जोड़कर, एनपीए खातों से वसूली कर एवं नए स्लिपेज को रोककर, करना है।
- टर्न अराउंड समय को कम करने और गुणवत्ता परिसंपत्ति पोर्टफोलियो निर्माण करने के लिए प्रधान कार्यालय में एक केंद्रीकृत एमएसएमई ऋण प्रसंस्करण केंद्र (एमएसएमईएलपीसी) स्थापित किया गया है। देश के सभी स्थानों से प्राप्त, 1.00 करोड़ रुपये के पात्र एमएसएमई ऋण प्रस्तावों की मंजूरी और प्रसंस्करण एमएसएमई एलपीसी करेगा ।
- क्षेत्र अपने नियंत्रण की शाखाओं को तिमाही और वार्षिक एमएसएमई लक्ष्य देगा । एमएसएमई विशेषज्ञता प्राप्त शाखाओं और औद्योगिक क्षेत्र/ क्लस्टरों के करीब स्थित उन शाखाओं सहित एमएसएमई अग्रिम की संभावना वाली शाखाओं को सलाह दी गई है कि वे उद्यमियों से नए कारोबार के लिए ध्यान केंद्रित करें। इस संबंध में, प्रधान कार्यालय से साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।
- ऋण देने के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एमएसएमई को बैंक एक मानता है और बैंक ने पुनः 100 अतिरिक्त शाखाओं को एमएसएमई विशेष शाखाओं के रूप में नामित किया है और एमएसएमई विशेष शाखाओं की कुल संख्या अब 87 से बढ़कर 180 हो गयी है।
- एमएसएमई संघों के साथ नियमित इंटरफेस / एनएसआईसी से गठबंधन और प्रचार कार्यक्रमों / कार्यशालाओं / सेमिनारों और ईडीपी कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी ।
- बैंक के लिए सीजीटीएमएसई गारंटी कवरेज, जो अक्टूबर 2014 से बंद कर दिया गया था उसे अब 01.04.2016 से वार्षिक सेवा शुल्क (एएसएफ) की विभेदक दर संरचना के आधार पर बहाल कर दिया गया है।
- क्षमता निर्माण दृष्टिकोण के तहत, कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय के संकाय सदस्यों के साथ एमएसएमई ऋण से संबंधी अधिकारियों को, एमएसएमई उद्यिमयों के परेशानी मुक्त और समर्पित सेवा के लिए नियमित आधार पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ।

- एमएसएमई वित्तपोषण के लिए बैंक क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाया है।
- एमएसई क्षेत्र को 10.00 लाख रुपये तक के जमानत मुक्त ऋण को बैंक ने प्रोत्साहित किया है।

अग्रणी बैंक प्रभाग

अग्रणी बैंक योजना की शुरुआत आरबीआई द्वारा दिसंबर 1969 में की गई थी। अग्रणी बैंक योजना की शुरुआत व्यक्तिगत बैंक को (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों) को आवंटित किए गए जिलों में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए की गई थी। अग्रणी बैंक आवंटित जिलों में सभी ऋण संस्थाओं के प्रयासों का समन्वय करने का नेतृत्व करता है ताकि भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार आधार इकाईयों वाले जिले के साथ, ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्र में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में शामिल कृषि ऋण, लघु उद्योगों और अन्य आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि को बनाया राखा जा सके

बैंक पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) का संयोजक है । बैंक चार राज्यों के 34 जिलों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है जिसमें पश्चिम बंगाल में 10 जिले, असम में 12 जिले, मणिपुर में 4 जिले और त्रिपुरा में 8 जिले शामिल हैं ।

राज्य का अग्रणी बैंक होने के नाते, अग्रणी बैंक योजना में शामिल राज्य के लिए वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) के निर्माण एवं अंतिम रुप देने और राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ निकट संपर्क बनाए रखते हुए विभिन्न सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त कार्ययोजना तैयार करने में बैंक सक्रिय रुप से शामिल है ।

पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा दोनों राज्यों के एसएलबीसी का संयोजक होने का नाते बैंक के लिए 2015-16 का वर्ष घटना प्रधान रहा ।

त्रिपुरा राज्य में आयोजित की गई एसएलबीसी की बैठक में विभिन्न पदाधिकारी जैसे; श्री यशपाल सिंह, मुख्य सचिव, त्रिपुरा सरकार, डॉ. जी.एस.जी आयंगार, प्रमुख सचिव, वित्त, आरडी एवं कृषि, त्रिपुरा सरकार, महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक और राज्य के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ कार्यपालकों ने भाग लिया ।
पश्चिम बंगाल राज्य के माननीय वित्त मंत्री डॉ. अमित मित्रा, भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग से निदेशक और राज्य के संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवगण ने वर्ष 2015-16 के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में आयोजित की गई एसएलबीसी की सभी बैठकों में राज्य के विकास के संबंध में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए नियमित रुप से सहभागिता कर रहे हैं।

बैंक के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा राज्य में वर्ष के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियां हुईः

- ❖ एसएलबीसी के संयोजक के रुप में बैंक के नेतृत्व में दोनों राज्यों में 03 सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का 09 मई, 2015 को श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कोलकाता से भव्य शुभारम्भ किया गया।
- ❖ त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्य में 31.03.2017 तक ब्रिक एंड मोर्टार बैंक शाखाएं खोलने के लिए सदस्य बैंकों को आवंटित किए गए 5000 से अधिक जन समुदाय वाले गांवों को शामिल करते हुए रोडमैप तैयार किया गया है।
- ❖ त्रिपुरा के एसएलबीसी संयोजक के रूप में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत उप सेवा क्षेत्रों के अधिकतम कवरेज में योगदान के लिए प्रथम रैंक की मान्यता दी गई है।
- ❖ पश्चिम बंगाल के एसएलबीसी संयोजक के रूप में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत पहचान किए गए घरेलू कवरेज के अधिकतम प्रतिशत में योगदान के लिए प्रथम रैंक की मान्यता दी गई है।
- ❖ युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के अग्रणी जिला प्रबंधक, बांकुड़ा (पश्चिम बंगाल) को प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत उप सेवा क्षेत्रों की अधिकतम कवरेज में योगदान के लिए प्रथम रैंक की मान्यता दी गई है।

❖ बैंक के नेतृत्व में असम के नगांव जिला तथा पश्चिम बंगाल के 24 परगना (उत्तर) जिले को पीएमजेडीवाई के कार्यान्वयन के लिए सर्वोत्तम जिले के रुप में श्री नरेन्द्र मोदी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत किया गया है ।

वित्तीय समावेशन

डिजिटल भुगतान और मोबाइल प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, अब इस सुविधा के द्वारा वंचित लोगों और क्षेत्रों में उन्नत उत्पाद वितरित किया जा सकता है। 13250 गांवों में जहां बैंकिंग सेवा नहीं था, ऐसे गांवों में 4252 बैंक मित्र की बड़ी बीसी नेटवर्क द्वारा नवीनतम और उत्तम प्रौद्योगिकी के माध्यम से बंचित लोगों को उनके दरवाजे पर विभिन्न बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत वित्तीय समावेशन से संबंधित कार्यान्वयन की मुख्य उपलब्धियां निम्नलिखित हैः

- मार्च 2016 की समाप्ति तक पीएमजेडीवाई के तहत 72.99 लाख खाते खोले गए हैं।
- मार्च 2016 तक पीएमजेडीवाई खातों में रु. 4244.37 करोड़ जमाराशि संग्रहण किया गया है।
- कुल खोले गए 72.99 लाख खाते में से 11.05 लाख खाते (15.15) शून्य शेष के तहत खोले गए हैं।
- बैंक मित्र चैनल के माध्यम से 18.78 लाख वितीय समावेशन ग्राहकों को क्रेडिट लिंकेज से जोड़कर स्थापित किया गया है एवं इसमें कुल रु. 337.64 करोड़ रुपये की बकाया राशि है।
- बैंक मित्र माध्यम से बैंक ने जेएलजी ऋण मॉड्यूल की शुरूआत की है। 26,510 एफआई ग्राहकों ने जेएलजी ऋण लिया है, जिसमें 31.03.2016 तक बकाया राशि रु. 3434.17 लाख है और बिना चूककर्ता के।
- 46.97 लाख रुपे डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं।
- 21.10 लाख पीएमजेडीवाई खाते को आधार से जोड़ा गया है।
- 20.98 लाख ग्राहकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत नामांकित किया गया है।
- 3.77 लाख ग्राहकों ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत बीमा सुरक्षा की सदस्यता ली है।
- पीएमजेजेबीवाई के तहत दर्ज की गई 385 मौत दावों में से, 242 दावों को एलआईसीआई द्वारा निपटारा कर दिया गया है।
- पीएमएसबीवाई के तहत, 47 दुर्घटना बीमा प्राप्त दावों के एवज में, एनआईसी ने 24 मामलों का निपटारा कर दिया है और 5 मामलों अस्वीकार किया है।
- हमारे बैंक को पीएमजेडीवाई के तहत पश्चिम बंगाल में अधिकतम जमा खाते खोलने की श्रेणी में दिनांक 06.08.2015 को फॉरम फॉर इनक्लुसिव फाइनेंशियल सर्विसेज (एफएफआईएफएस) द्वारा सम्मानित किया गया है।
- चेम्बर ऑफ इंडिया सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम (सीएमएसएमई), नई दिल्ली ने हमारे बैंक को 3 श्रेणियों में अर्थात पीएमजेडीवाई के तहत सर्वश्रेष्ठ बैंक, उभरते बैंकों के तहत प्रोत्साहन योजनाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक और टर्न अराउंड बैंक के लिए विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया है।

वित्तीय समावेशन पहल एक साझेदारी है जो नेतृत्व, विशेषज्ञता, अनुभव और निधि को एक साथ करता है। वित्तीय समावेशन हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है। अतः, बैंक अधिक से अधिक वित्तीय समावेश सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल तकनीक का सामूहिक रूप से लाभ उठा रहा है।

संगठन एवं सहायता सेवा

शाखा विस्तार

31.03.2016 तक बैंक की कुल शाखाएं 2011 हो गई हैं । देश में बैंक के 05 एक्सटेंशन काउंटर और 35 क्षेत्रीय कार्यालय अवस्थित हैं ।

कुल शाखा नेटवर्क का जनसंख्या समूहवार संरचनाः

स्थान	शाखाओं की संख्या (कुल का %)	
	31.03.2015	**31.03.2016**
मेट्रोपोलिटन	330 (16.47%)	330 (16.41%)
शहरी	463 (23.10%)	466 (23.17%)
अर्ध शहरी	411 (20.51%)	415 (20.64%)
ग्रामीण	800 (39.92%)	800 (39.78%)
कुल	**2004**	**2011**

कुल शाखा नेटवर्क की भौगोलिक स्थितिवार संरचनाः

स्थान	शाखाओं की संख्या (कुल का %)	
	31.03.2015	31.03.2016
पूर्वी क्षेत्र	1169 (58.33%)	1169 (58.13%)
पूर्वोत्तर क्षेत्र	352 (17.56%)	356 (17.70%)
पश्चिमी क्षेत्र	85 (4.24%)	85 (4.23%)
उत्तरी क्षेत्र	123 (6.14%)	123 (6.12%)
दक्षिणी क्षेत्र	121 (6.05%)	124 (6.16%)
केन्द्रीय क्षेत्र	154 (7.68%)	154 (7.66%)
कुल	**2004**	**2011**

विशिष्ट ग्राहकों के खण्ड के लिए बैंक की 242 विशेष शाखाएं हैं ।

विशेष शाखाओं क श्रेणियाँ	31.03.2016
• एमएसएमई	180
• आस्ति वसूली प्रबंधन	4
• खुदरा केंद्र	26
• एमएसएमई ऋण प्रोसेसिंग केंन्द्र	1
• कॉर्पोरेट वित्त शाखा	4
• सेवा शाखा	19
• महिला शाखा	5
• ट्रेजरी शाखा	1
• केन्द्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र	1
• कैश मैनेजमेंट सर्विस हब	1
कुल	**242**

31.03.2016 तक कुल 2011 शाखाओं में से 885 (44.01%) शाखाएं देश भर में 85 अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) में स्थित हैं।

कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस):

सभी शाखाएं कोर बैंकिंग सोल्यूशन (फिनैकल) प्रणाली के अंतर्गत आती हैं और ग्राहक सेवा तथा प्रबंधन संतुष्ट कराने के लिए अन्य उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। अपने कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) के तौर पर , बैंक आवधिक डी.आर (डिजास्टर रिकवरी) अभ्यास आयोजित करता है।

नेटवर्कः

बैंक ने अपने मौजूदा परंपरागत नेटवर्क आर्किटेक्टर को प्वाइंट-टू-प्वाइंट को नेक्स्ट जेनरेशन एमपीएलएस टेक्नॉलोजी में बदलने एवं नेटवर्क बैंडविथ का भी उच्च सुलभता एवं बेहतर निष्पादन हेतु उन्नयन (अपग्रेड) किया है। बैंक ने शाखा में बीएसएनएल एक्सचेंज विफल होने केबल कटिंग आदि होने पर हाई स्पीड डाटा कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 3जी का इस्तेमाल करते हुए बैकअप कनेक्टिविटी के लिए वीएसएटी, आईएसडीएन लगाया है।

बैंक नेटवर्क के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए सभी शाखाओं में वान ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन लागू किया है। बैंक के केबल कटने की परिस्थिति में नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने हेतु चयनित सिंगल सेंटर शाखाओं में द्वितीय बैकऑप के रूप में वीसेट लिंक का कार्यान्वयन किया है ।

भुगतान प्रणालीः

बैंक सभी शाखाओं और प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से सीधे गहन प्रसंस्करण (एसटीपी) का उपयोग कर अगली पीढ़ी के आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से अंतर बैंक फंड अंतरण के लिए सक्षम हैं। आरटीजीएस / एनईएफटी की सुविधा भी खुदरा और कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से उपलब्ध हैं।हमारे मोबाइल बैंकिंग ग्राहक

एनईएफटी सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। स्विफ्ट सेवाएं समेकित रूप से दुनिया भर में अंतर बैंक वित्तीय संचार के माध्यम से ए श्रेणी के ए.डी शाखा और 39 बी श्रेणी के ए.डी शाखाओं के लिए पेशकश की जा रही है। बैंक ने अबाधित सेवाओं की सुपुर्दगी के सफलतापूर्वक व्यापार निरंतरता योजना (बीसीपी) के लिए भी रणनीति बनाई थी। बैंक ने प्रणाली को उन्नत बनाने हेतु निरंतर प्रयास करते हुए ,एसएफएमएस एवं सीबीएस के बीच सीधे प्रकमण (एसटीपी) के माध्यम से अंतर्देशीय साखपत्र में परिवर्तन किया है।

बैंक की वेबसाइट और इंट्रानेटः

बैंक के इंट्रानेट पोर्टल का जानकारी विनिमय करने, ज्ञान प्रबंधन और ऑनलाइन परीक्षा के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। वित्त मंत्रालय के निदेशानुसार, बैंक की वेबसाइट में ऑनलाइन शिकायत, आवास ऋण, कार ऋण क्रियान्वित किया गया है। ग्राहकों के सभी अनुरोध को ऑनलाइन बनाने के लिए और ऑनलाइन ट्रैकिंग करने की सुविधा से आवेदनों की नियति जानी जा सकती है । बैंक ने अपने वेबसाइट को आईपीवी-6 अनुपालित एवं डीडीओएस सुरक्षित बनाया है । बैंक ने अपने वेबसाइट के लिए डीआर साइट भी स्थापित किया है।

स्वयं सेवा कियोस्क :

चयनित शाखाओं में स्वयं सेवा कियोस्क सेवाओं की एक नई प्रौद्योगिकी की पहल की गयी है।यह पासबुक प्रिंटिंग, नकद जमा और चेक जमा सेवाओं के लिए है ।

मेल संदेश प्रणाली :

सभी कार्यालयों को शामिल करते हुए वर्ष के दौरान केंद्रीकृत अभिलेखीय समाधान के साथ कॉर्पोरेट मेल संदेश प्रणाली को उन्नत बनाया गया ।

एस ओसी और आईटी सुरक्षाः

आईटी सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वितरण चैनलों के माध्यम से लेनदेन में घातीय वृद्धि पर बढ़ती निर्भरता के साथ, बैंक व्यवसाय के निर्वाह के लिए प्रमुख क्षेत्र के रूप में सूचना सुरक्षा की पहचान की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन तथा साइबर धोखाधड़ी को बैंक में सूचना सुरक्षा प्रबंधन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में लिया जाता है। बैंक सक्रिय रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने के लिए अंतराल को कम करने में लगा है। बैंक नियमित रूप सर्ट-इन एमपैनेल्ड एजेंसी के माध्यम से महत्वपूर्ण आईटी बुनियादी ढांचे की नियमित सुरक्षा लेखा परीक्षा आयोजित करता है। बैंक ने अपने वेबसाइटों के लिए एंटी फ़िशिंग, एंटीविरोधी एंटीफॉर्मिंग, एंटीट्रोजन और एंटी-मैलवेयर प्रबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए पेशेवर एजेंसी को लगाया है। बैंक के लॉग निगरानी और रिकॉर्डिंग के लिए डेटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी सेंटर में उपलब्ध सभी उपकरणों और मैपिंग् द्वारा सुरक्षा संचालन केन्द्र (एसओसी) को चालू किया गया है। आईएस सुरक्षा के संचालन के लिए एसओसी द्वारा केंद्रीकृत सूचना सुरक्षा स्थिति और कमांड सेंटर दृष्टिकोण प्रदान करता है।

बॉयोमीट्रिकः

वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्रमाणीकरण धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के लिए बैंक के कर्मचारियों के लिए लॉग इन बायोमैट्रिक पेश करने का निर्देश दिया है। बैंक ने अपनी सभी शाखाओं में बॉयोमीट्रिक प्रमाणीकरण समाधान लागू किया है।

अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए चिप आधारित कार्ड जारी कर रही है।

आईएस लेखापरीक्षा

बैंक निश्चित अंतराल में बाहरी जोखिम को घटाने के लिए, अगर कोई पाया गया तो, वीएपीटी (जोखिम मूल्यांकन एवं निवेश परीक्षण) का आयोजन करता है। इसके कोर बैंकिंग सोल्यूशन और डाटा सेंटर/ डिजेस्टर वसूली केन्द्र इंफास्कट्रेक्चर के साथ-साथ सभी अन्य एप्लीकेशनों के लिए सूचना सुरक्षा (आईएस) लेखा परीक्षा, बाहरी एजेंसियों द्वारा पूरी की जाती है ।

इलेक्ट्रॉनिक पासबुक

बैंक ने प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के उद्देश्य से, ग्राहकों के लिए खाते में हुई लेनदेन को देखने की सुविधा प्रदान करने हेतु मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में इलेक्ट्रॉनिक पासबुक (युनाइटेड ई-पासबुक) की शुरूआत की है। ग्राहक पिछले लेनदेन को देखने के लिए और अन्य अनूठी सेवाओं जैसे लेनदेन के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी करना, व्यक्तिगत खाता बही बनाना, पुराने लेनदेन वाले डेटा को सुरक्षित रखना, खाता विवरण ईमेल के माध्यम से प्राप्त करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं ।

केंद्रीकृत भुगतान केंद्र

बैंक ने प्रधान कार्यालय में एक केंद्रीकृत भुगतान केंद्र की स्थापना की है जो अलग भुगतान प्रणाली के उच्य मूल्य के लेन देन को सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय ढंग से संभालता है। केंद्रीकृत भुगतान केंद्र 03.11.2014 से प्रभावी है।

विभाग निम्नलिखित सेवाओं की देख रेख कर रहा हैः

- एनएसीएच डेबिट
- एनएसीएच क्रेडिट
- एबीपीएस (आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली)
- गंतव्य बैंक के रूप में एनपीसीआई की जनादेश प्रबंधन प्रणाली
- डीबीटीएल (एलपीजी ग्राहकों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण)
- डीबीटी (भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं द्वारा लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाना)

- ईसीएस क्रेडिट प्रायोजक बैंक के रूप में केन्द्र सीपीएच प्र.का. में, (भारतीय रिजर्व बैंक से एनएसीएच के मंच पर आने से पहले शाखाओं / सेवा शाखा द्वारा संसाधित किया जा रहा था, जो 17.02.2015 पर एनएसीएच करने के लिए)
- भारतीय रिजर्व बैंक को एनएसीएच प्लेटफार्म से माइग्रेट अधिदेश प्रबंधन प्रणाली समेत प्रायोजक बैंक के रूप में ईसीएस डेबिट ।
- एईपीएस (आधार समर्थित भुगतान प्रणाली)
- सीएमएस भुगतान सेवाएं
- कॉर्पोरेट थोक भुगतान
- जी इपीजी (सरकारी ई-पेमेंट गेटवे)
- सीएमएस संग्रह सेवा
- इंडो नेपाल धन प्रेषण सेवा
- केन्द्रीकृत जनादेश के आधार डायरेक्ट डेबिट सर्विस
- कॉर्पोरेट नकद और चेक संग्रह सेवा
- कोर एएसबीए (अवरोधित राशि से सर्मथित एप्लीकेशन)
- कोर एएसबीए
- सिंडीकेट एएसबीए
- ई-एएसबीए (ई-बैंकिंग / नेट-बैंकिंग मंच के माध्यम से)

जनशक्ति प्रोफाइल

विगत वर्ष में बैंक के कुल कर्मचारियों की संख्या 15192 थी, 31 मार्च, 2016 तक यह 14981 हो गई है।

कर्मचारियों की श्रेणी	मार्च 15	मार्च 16
कर्मचारियों की कुल संख्या	15192	14981
अधिकारी	7355	7687
लिपिक	5428	5018
अधीनस्थ कर्मचारी	2409	2276
*अंशकालिक कर्मचारी को छोड़कर		

कुल कर्मचारियों की संख्या अधिकारी 51.31%, लिपिक 33.49% और अधीनस्थ कर्मचारी 15.20% हैं। महिला कर्मचारियों की संख्या 3334 है जो बैंक की कुल कर्मचारियों की संख्या का 22.25% है।

वर्ष 2015-16 में बैंक ने 552 अधिकारियों और 326 लिपिकों की आईबीपीएस के माध्यम से भर्ती की। भर्ती प्रक्रिया रिक्त पदों को भरकर प्रभावी ढंग से उत्तराधिकार योजना प्रक्रिया और श्रम शिक्त प्रबंधन को संगठन के सुचारू रूप से चलाने के लिए किया गया था।

वर्ष 2015-16 के दौरान, इंटर कैडर और इंटर स्केल पदोन्नति को सफलता पूर्वक आयोजित किया गया और कुल 885 कर्मचारियों को अगले उच्च कैडर / स्केल के लिए पदोन्नति दि गई।

प्रशिक्षण / मानव संसाधन विकास (एचआरडी)

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया ने पहली बार निगरानी की प्रक्रिया शुरू की है। शीर्ष कार्पालकगण नव नियुक्त 552 पीओ का मार्गदर्शन करेंगे।

एसडब्ल्यूओ को आरंभिक और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित करने के लिए बैंक ने तीन साल की अवधि के लिए एनआईटीटी और आईएफबीआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

अधिकारियों की प्रतिभा पूल के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जैसे ऋण जोखिम प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, प्रबंधन विकास, धोखाधड़ी विश्लेषण, विदेशी मुद्रा आदि में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वर्ष के दौरान कुल 231 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कुल 4999 कर्मचारियों ने भाग लिया, इसमें बैंक के 3409 अधिकारी और 850 लिपिक थे जिन्होने आंतरिक प्रशिक्षण में भाग लिया।

सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के 900 कर्मचारियों को कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, कोलकाता, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों और अन्य विभिन्न स्थानों पर पूर्व पदोन्नति प्रशिक्षण आयोजित किया गया। बैंक ने वर्ष के दौरान कंपनी में भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें 25 अधिकारी कर्मचारियों ने भाग लिया है। बैंक ने 1225 अधिकारी कर्मचारियों को 71 विभिन्न बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भेजा है। वर्ष के दौरान, बैंक ने एक शीर्ष कार्यपालक को प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए विदेश में भेजा है।

एचआरएमएस बैक ऑफिस की स्थापना

- प्रधान कार्यालय में एक समर्पक्ति एचआरएमएस बैक ऑफिस की शुरुआत की गयी है जो अखिल भारतीय आधार पर एचआरएमएस मुद्दों की देखभाल करेगा।
- प्रधान कार्यालय से सभी शाखाओं के लिए केंद्रीकृत वेतन जमा की शुरूआत की गयी है।
- अखिल भारतीय स्तर पर प्रधान कार्यालय से केन्द्रीकृत टीए बिल प्रसंस्करण और भुगतान की शुरूआत की गयी है।

ग्राहक उन्मुखीकरण

बैंक ने त्वरित सेवा प्रदान कर, विविधतापूर्ण प्रौद्योगिकी समर्थित उत्पाद /सेवाएँ उपलब्ध कराकर, ग्राहकों की पूछताछ /सुझावों पर शीघ्र कार्रवाई करके तथा ग्राहकों की शिकायतों के निवारण द्वारा ग्राहकों के प्रति मैत्रिभाव बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। बीसीएसबी आई द्वारा जारी ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता कोड बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है तथा मुद्रित पुस्तिका के रूप में देश भर के क्षेत्रीय कार्यालयों में भी भेजा गया है। ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ग्राहक सेवा विभाग में एक टॉल फ्री संपर्क सुविधा दी गई है ताकि ग्राहक अपनी शिकायतों /सुझावों को दर्ज करा सकें। टॉल फ्री सुविधा सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध रहती है। ग्राहकों से शिकायतों की प्राप्ति और निपटान में शीघता की दृष्टि से टॉल फ्री डेस्क की संख्या बढ़ा दी गई है। एटीएम संबंधी मामलों में ग्राहकों की आसानी के लिए प्रधान कार्यालय में अलग टॉल फ्री संपर्क सुविधा दी गई है। बैंक ने अपने वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की है जहां ग्राहक अपनी शिकायत की स्थिति का पता भी कर सकते हैं ।

शिकायतों के शीघ्र और निष्पक्ष निपटान के लिए उपयोगी प्रोद्योगिकी द्वारा बैंक ने एक पोर्टल शुरू किया है जिसे व्यापक शिकायत प्रबंधन प्रणाली [सीसीएमएस] कहते हैं। इस प्रणाली के तहत शाखाओं,क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रधान कार्यालय के विभागो को प्राप्त शिकायतें इंट्रानेट पर उपलब्ध पोर्टल ऑनलाइन शिकायत निवारण [सीसीएमएस] पर संबन्धित शाखाओं / क्षेत्रीय कार्यालय/ प्रधान कार्यालय के विभाग द्वारा अपलोड / दर्ज की जाती हैं तथा निवारण /निपटान की स्थिति भी वास्तविक सामय आधार पर अपलोड की जाती है। ग्राहक सीधे भी सी सी एम एस पोर्टल पर शिकायतें लोड कर सकता है जिसे सी सी एम एस के आउटस्टैंडिंग डाटाबेस में प्रणाली द्वारा जोड़ दिया जाता है।

व्यापक शिकायत प्रबंधन प्रणाली [सीसीएमएस] से प्रत्येक शिकायत की स्थिति की खोज-खबर रखने तथा एक विशेष अवधि में बैंक द्वारा प्राप्त कुल शिकायतों पर व्यापक दृष्टि रखने में सहायता मिलती है। शिकायतों के शीघ्र निपटान हेतु संबंधित शाखा /क्षेत्रीय कार्यालय /प्रधान कार्यालय के विभाग के साथ तुरंत आवश्यक अनुवर्ती उपाय किए जाते हैं। इस प्रणाली से ग्राहक सेवा विभाग के प्राधिकारियों को शिकायत की प्रकृति का वर्गीकरण करने में तथा यह जानने में सहायता मिलती है कि शिकायत किन उत्पादों और सेवाओं से संबंधित है। डाटा विश्लेषण का उद्देश्य यह है कि सेवा के जिस क्षेत्र में कोई कमी पाई जाती है, उसमें सुधार हेतु उचित कार्रवाई करने के लिए बैंक प्रबंधन की सहायता करना। विभिन्न स्रोतों; जैसे ग्राहक सेवा विभाग के अधिकारियों को मेल द्वारा तथा बैंकिंग लोकपाल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को सीसीएमएस पोर्टल पर दर्ज किया जाता है। सीसीएमएस पोर्टल पर प्राप्त सभी शिकायतों का समेकन करने से प्रबंधन को शिकायतों का विश्लेषण करने, उनके प्रकार और क्षेत्र की पहचान करने तथा उनके निवारण में लगने वाले समय के बारे में पता चलता है। इस तरह के विश्लेषणात्मक अध्ययन का लक्ष्य है, ग्राहक सेवा के स्तर में सुधार करना तथा उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां प्रणालीगत मामलों में सुधार करने के अतिरिक्त स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाना, उत्पादों और सेवाओं को सटीक रूप में परिमार्जित करना तथा ग्राहकों के साथ संपर्क को मजबूत किया जाना अपेक्षित है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित दामोदरन समिति की शिफारिश के अनुसार बैंक ने सीसीएसओ (मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी) को 07.12.2015 से ग्राहकों के विश्वास को बढ़ाने तथा शिकायत निवारण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से नियुक्त किया है। अगर ग्राहकगण अपनी शिकायत के निवारण के लिए बैंक से पूर्ण रुप से संतुष्ट नहीं होते हैं, उन्हें अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए एक अगले स्तर के रुप में सीसीएसओ (आंतरिक लोकपाल) की सुविधा उपलब्ध करने का अवसर दिया गया है ।

कोलकाता स्थित शाखाओं में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रधान कार्यालय के प्राधिकारियों ने गुप्त दौरे किए जिसमें अतिरिक्त रूप से सजावट-सफाई, अनुशासन, समय की पाबंदी तथा बैंक और ग्राहकों के पारस्परिक हितरक्षा हेतु निवारक सतर्कता से संबंधित मामले भी शामिल किए गए ।

बैंक के उत्पादों और सेवाओं से भलीभाँति अवगत कराने तथा शीघ्र एवं उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने के संबंध में बैंक के युवा अधिकारियों को शिक्षित करने के अलावे जून 2015 में एक क्वेस्ट नामक एप्लिकेशन की शुरूआत की गई। क्वेस्ट एक ऐसा एप्लिकेशन है जिसके द्वारा बैंक के सभी पंचाट कर्मचारी और अधिकारी परिचालन बैंकिंग से संबंधित पूछताछ इंट्रानेट पर कर सकते हैं। उस पूछताछ का उत्तर प्रधान कार्यालय के चयनित प्राधिकारियों द्वारा 24 घंटे के अंदर दिया जाता हैं। प्रश्न और उत्तर की प्रक्रिया शुरू से ही नियमित रूप से चल रही है। क्वेस्ट पर प्राधिकारियों की अनुक्रिया उत्साहजनक और अत्यंत सकारात्मक रही है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में ग्राहक शिकायत निवारण का प्रतिशत 99.01% रहा है। वर्ष के अंत में 472 शिकायतों का निपटान बाकी था जिनमें से 04 शिकायतें एक माह से अधिक की थीं। 219 शिकायतें कंज्यूमर फोरम में दायर मामलों से संबंधित थीं। एडीसी संबंधित 99.40% शिकायतों का निपटान निर्धारित अवधि के अंदर कर लिया गया ।

31.03.2016 तक जीओआई पोर्टल (सीपीजीआरएएमएस) पर किसी भी शिकायत का निपटान लंबित नहीं था।

आंतरिक नियंत्रण

बैंक के आंतरिक निरीक्षण नियंत्रण तंत्र की प्रभावकारिता को सुनिश्चित करने के लिए और बैंक द्वारा विनियामक अनुपालन सहित जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण को प्रभावी बनाने के साथ प्रबंधन को उच्च गुणवत्ता सलाह प्रदान करने के लिए बैंक के सभी परिचालन इकाइयों का सतत आधार पर आंतरिक निरीक्षण किया जाता है । बैंक द्वारा जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) की जाती है जिससे बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को प्रभावी और पर्याप्त रुप से मूल्यांकन किया जाता है ।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित निरीक्षण और लेखा परीक्षा नीति के अनुसार निर्धारित प्रक्रियाओं और मानकों के कार्यान्वयन और अनुपालन के स्तर के मूल्यांकन, पहचान, पद्धित और विभिन्न कार्य क्षेत्रों में शामिल जोखिम को कम करने के लिए क्षेत्र स्तर पर सात क्षेत्रीय निरीक्षण इकाइयों (आर आई यू) के वर्धित स्कंधों के साथ और आंतरिक निरीक्षकों/बाह्य लेखा परीक्षकों (सीए फार्म) के एक समूह के साथ शीर्ष स्तर पर लेखा परीक्षा और निरीक्षण विभाग द्वारा क्रमागत रूप से बैंक के शाखा/कार्यालयों का निरीक्षण किया जाता है। बैंकिंग प्रणाली में बदलते परिदृश्य के साथ तालमेल बनाकर चलने के उद्देश्य से समय-समय पर बैंक की निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा नीति को अद्यतन किया जाता है और उसमें आवश्यक परिवर्तन को भी शामिल किया जाता है। उक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की लेखा परीक्षाएं जैसे-जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा समवर्ती लेखा परीक्षा,

ऋण लेखा परीक्षा, सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा, स्नैप ऑडिट, राजस्व लेखा परीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों का निरीक्षण और क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रबंधन लेखा परीक्षा की जाती है।

विभिन्न जोखिमों से बैंक को बचाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए संभावित जोखिम के क्षेत्रों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए प्रभावी जोखिम प्रबंधन पर केंद्रित करके शाखाओं की जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) की जाती है। वर्ष 2015-16 के दौरान 1296 शाखाओं की जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा पूरा कर ली गई है।

बैंक के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शाखाओं/कार्यालयों में सटीकता, प्रामाणिकता और आंतरिक प्रणालियों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बाहरी ऑडिट फर्मों द्वारा समवर्ती लेखा परीक्षा आयोजित की जाती है। वर्ष 2015-16 के दौरान संपूर्ण रूप में कुल जमाराशि का 53 प्रतिशत, कुल अग्रिम का 86 प्रतिशत और कुल व्यवसाय का 66 प्रतिशत को शामिल करते हुए बैंक की 512 शाखाओं की समवर्ती लेखा परीक्षा पूरी कर ली गई है ।

शाखाओं में ऋण वितरण प्रक्रिया में अंतर को चयन करते हुए ऋण लेखा परीक्षा को एक प्रभावी निगरानी संयत्र के रुप में अपनाया गया है तथा अनुपालन की निगरानी के लिए अंतर को पूरा करने के लिए उपाय सुझाए गए हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक के 31 मार्च, 2015 तक ऋण लेखा परीक्षा द्वारा कुल ऋण संविभाग का 91 प्रतिशत पूरा किया गया।

बैंक द्वारा अपनाई गई उन्नत तकनीक के परिणाम स्वरूप, आई टी क्षेत्र की जटिलताओं ने विशेष तकनीकी संबंधी जोखिमों को उत्पन्न किया है। इन तकनीकी जोखिमों को कम करने एवं प्रभावी रुप से प्रबंधित करने के लिए सूचना प्रणाली लेखा का संचालन किया गया है।

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)

बैंक द्वारा सभी ग्राहकों के मामले में केवाईसी शर्तों के कड़ाईपूर्वक अनुपालन हेतु समुचित उपाय जारी रखा गया और एएमएल (धन शोधन निवारक) मानक के कार्यान्वयन हेतु लेनदेन की सटीक निगरानी की गई।

केवाईसी/ एएमएल दिशानिर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए कदम निम्नप्रकार हैं:

- बैंक द्वारा एमएमएल कार्यक्रम का प्रभावी रुप से अनुपालन करने हेतु समुचित प्रक्रिया बनाई गई और उसका अनुपालन कड़ाईपूर्वक सुनिश्चित किया जाता है।
- नकद लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर), संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर), गैर लाभ संगठन लेनदेन रिपोर्ट (एनटीआर), क्रॉसबोर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट (सीडब्ल्यूटीआर), नकली करेंसी नोट रिपोर्ट (सीसीआर) को एफआईयू आईएनडी के साथ समय-सीमा के भीतर दायर करके प्रस्तुत किया जाता है।
- सभी ग्राहकों से उनके पता प्रमाण को जानने के लिए कार्यालयीन रुप से वैध दस्तावेज (ओवीडी) लिए जाते हैं । उक्त दस्तावेजों को सीबीएस प्रणाली में शामिल किया जाता है।
- प्रणाली द्वारा सभी ग्राहकों के जोखिम वर्गीकरण और उनके प्रोफाइल का अद्यतन किया जाता है।
- बैंक ने पैन, पासपोर्ट और आधार संख्या के आधार पर सभी ग्राहकों का यूनिक कस्टमर आईडेन्टिफिकेशन कोर्ड (यूसीआईसी) के आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली है।

सुरक्षा व्यवस्था:

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुरूप समय–समय पर सुरक्षा उपकरणों को स्थापित करते हुए शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से बैंक ने अपेक्षित कदम उठाया है। हमारे बैंक शाखाओं को उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त सुरक्षा उपकरण/सेवा निम्नांकित है :

- शाखा की सुरक्षा को और भी मजबूत करने के लिए सभी शाखाओं में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली से लैस किया जाएगा। सभी करेंसी चेस्ट शाखाएं पहले से ही सीसीटीवी प्रणाली से लैस की जा चुकी है। इसके अलावा 751 गैर करेंसी चेस्ट शाखाओं में सीसीटीवी प्रणाली पहले से ही उपलब्ध करा दी गयी है। कुल 835 शाखाओं में सीसीटीवी निगरानी उपलब्ध करा दी गयी है। सीसीटीवी के खरीद की औपचारिकताएं पूरी हो गई है और खरीद के लिए आदेश प्रस्तुत किया जा चुका है एवं बाकी शेष शाखाओं में स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है।
- तिजोरी (कैश सेफ) काटकर होने वाली घटनाओं से नकद हानि के बचाव के लिए 90 अत्यधिक संवेदनशील शाखाओं को उच्च श्रेणी का तिजोरी (कैश सेफ) उपलब्ध कराया गया है।
- अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के रूप में कोलकाता पुलिस के अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी करेंसी चेस्ट शाखाओं को एकीकृत सुरक्षा समाधान (आईएसएस) के तहत लाया गया है,जिसे संकट के समय नियंत्रण निगरानी और करेंसी चेस्ट के अंदर की गतिविधियां को सीधे लालबाजार पुलिस नियंत्रण कक्ष से देखा जा सकता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के क्लीन नोट पॉलिसी को लागू करने के क्रम में सभी शाखाओं के काउंटर पर ही जाली भारतीय करेंसी नोटों (एफआईसीएन) की पहचान करने के लिए शाखा में (1 + 1) पॉकेट डेस्क टॉप प्रमाणक सह सॉर्टर के साथ सुसज्जित किया गया है। यह शाखाओं को जारी करने योग्य नोट एवं नहीं जारी करने योग्य करेंसी नोटों के रूप में छांट कर ग्राहकों और जनता के सदस्यों के बीच पुनर्वितरण करने में सक्षम करता है। खरीद की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है और मशीन के खरीद का आदेश वित्तीय अनुमोदन की प्राप्ति के बाद प्रस्तुत किया जाएगा।
- वर्ष 2015-16 के दौरान सुरक्षा विभाग ने बीमा कंपनी के पास लंबित विभिन्न शाखाओं में बैंक के खिलाफ अपराध के दौरान खेया पैसे के पुराने बीमा दावा की देय राशि से रू86,55,608 लाख वसूल किया है ।
- आगंतुकों को विनियमित करने और निगरानी करने के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर कम्प्यूटरीकृत आगंतुक प्रबंधन प्रणाली स्थापित किया गया है।
- चेक की धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए बैंक ने अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताओं को शामिल करते हुए अपने चेकों को पुन:डीजाइन किया है, जिसमें यूवी बैंड शामिल है। इसके परिणाम स्वरुप जालसाजी चेकों माध्यम से होनेवाले धोखाधड़ी के मामलों में कमी पाई गई।

परिसर

खरीदः

- बैंक का अपना भवन तथा मुद्रा तिजोरी निर्मित करने के लिए त्रिपुरा क्षेत्र के अन्तर्गत अगरतला में त्रिपुरा राज्य सरकार से भूमि की खरीद ।
- नीलाम्बर अपार्टमेंट, 28बी, शेक्सपियर सरणी, कोलकाता-700017 में 4बीएचके फ्लैट की खरीद तथा कार्यपालक निदेशक के कार्यालय-सह-आवास के रुप में उसका उपयोग।
- गुजरात विहार, नई दिल्ली में कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र के लिए 5बीएचके अपार्टमेंट की खरीद।

निर्माणः

- बैंक के कॉर्मशियल फ्लैट 192डी, ब्लॉकबी, सेक्टर-52, नोएडा, यूपी पर बैंक का अपना बहुमंजिला भवन निर्मित किया गया । यह कुल 6249.42 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्मित है जिसमें बेसमेंट, स्टिल्ट, अपर ग्राउंड फ्लोर, पहला तल और दूसरा तल शामिल है।

उन्नयनः

- कॉर्पोरेट परिवेश निर्मित करने के लिए प्रधान कार्यालय के मुख्य प्रवेश कक्ष (लॉबी) का नवीकरण।
- कार्यपालक निदेशक के कार्यालय-सह-आवास के रुप में उपयोग हेतु बैंक के फ्लैट संख्या 7जी, नीलाम्बर अपार्टमेंट, 28बी, शेक्सपियर सरणी, कोलकाता-700017 के 7वें तल का नवीकरण ।
- शांतीकुंज अपार्टमेंट, बांसद्रोणी, कोलकाता स्थित बैंक के अधिकारी क्वाटर के विद्यमान जल उपचार संयत्र के स्वरुप में परिवर्तन, उसकी त्रैवार्षिक ओवरहॉलिंग, वार्षिक रखरखाव और उसका दैनिक परिचालन ।
- बारंबार भूंकप के झटके आने के मद्देनजर हमारे प्रधान कार्यालय के भवन का प्रारम्भिक क्षति आकलन एवं ढांचा परीक्षण रिपोर्ट तथा ढांचा परीक्षण रिपोर्ट में सुझायी गई उपचारात्मक कार्रवाई के अनुसार हमारे प्रधान कार्यालय भवन की ढांचागत मरम्मति हेतु आकलन करना ।
- युबीआई, प्रधान कार्यालय के 5वें तल पर स्थित टैरेस गार्डेन में सोलर गार्डेन लाइट की आपूर्ति और संस्थापन ।

चल रहे कार्यः

- केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों/राज्य सरकार के एजेंसियों/सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों से, भारत के विभिन्न भागों में स्थित युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया के विभिन्न निर्माण और खरीद परियोजनाओं के लिए डिपॉजिट वर्क्स बेसिस पर परियोजना प्रबंधन की नियुक्ति हेतु उपर्युक्त के अनुसार अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्राप्त की गई है ।
- प्रधान कार्यालय और कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, कोलकाता में 100 केडब्ल्यूपी के सौर संयत्र फोटो वोल्टेक ग्रिड की स्थापना करना।
- सामान्य लाइट फिटिंग को चरणबद्ध तरीके से ऊर्जा कुशल एलईडी फिटिंग में रूपांतरण करना (700 के आसपास को बदल दिया गया है)
- प्रधान कार्यालय के पुराने लो टेनसन एयर सर्किट ब्रेकर का उन्नयन और बदलाव।
- बैंक अधिकारियों के क्वार्टर, शांतिकुंज अपार्टमेंट में इको फ्रेंडली डीजी सेट की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग करना।
- शाखाओं की विद्युत लेखा परीक्षा।
- युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय परिसर में स्थापित जल उपचार एवं सॉफ्टेनिंग संयंत्र का ओवरहालिंग और मरम्मत के साथ-साथ इसके दिन-प्रतिदिन के संचालन और रखरखाव के लिए, इसके 3 (तीन) वर्ष के वार्षिक रखरखाव का अनुबंध करना।
- दिनांक 18-12-2015 को आयोजित 66वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर 'स्वच्छ भारत' मिशन के कार्यान्वयन के लिए शाखाओं और कार्यालयों के माहौल में सुधार करने हेतु पहल की गई। प्रधान कार्यालय के आसपास स्थित विक्रेताओं के बीच डस्टबीन वितरित किया गया और आसपास के परिवेश की सफाई के लिए उनमें जागरूकता बढ़ाई गई।

राजभाषा का कार्यान्वयन

सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने के उद्देश्य से उक्त अवधि में प्रधान कार्यालय में हिंदी प्रवीण और प्राज्ञ पाठ्यक्रम के नियमित प्रशिक्षण में 31 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, कोलकाता में प्रत्येक तिमाही में बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए हिन्दी कार्याशाला और यूनिकोड आधारित कंप्यूटर प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रधान कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार तिमाही बैठकें प्रबंध निदेशक तथा सीईओ की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैंक की हिन्दी गृह पत्रिका युनाइटेड दर्पण के दो अंकों का विमोचन किया गया। बैंक की विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रधान कार्यालय के विभागों का राजभाषा निरीक्षण किया गया।

हिन्दी में बेहत्तर कार्य निष्पादन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), कोलकाता द्वारा प्रधान कार्यालय को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसी प्रकार विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा बैंके के पटना, पश्चिम मेदिनीपुर, भुवनेश्वर और मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय तथा नागपुर, पुणे, देहरादून, भोपाल और बनारस शाखा को पुरस्कार प्राप्त हुआ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

हमारे 4 प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 4 राज्यों में हैं बंगीय ग्रामीण विकास बैंक पश्चिम बंगाल में, असम ग्रामीण विकास बैंक असम में, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक त्रिपुरा में, और मणिपुर ग्रामीण बैंक मणिपुर में है । उक्त बैंकों की शाखाओं का कुल नेटवर्क 1169 (कानून व्यवस्था की समस्या के कारण कामकाज नहीं कर पा रही एमआरबी की 8 शाखाओं सहित) है।

31.03.2016 को उनका कुल व्यवसाय रू 35213 करोड़ सहित कुल जमा रू 23678 करोड़ एवं अग्रिम रू 11535 करोड़ था। उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ रू 97.56 करोड़ रहा और एमआरबी का घाटा रू 3.23 करोड़ रहा । औसत सकल एनपीए 13.61% था।

हमारे आरआरबी सीबीएस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं और रूपे कार्ड/ एनएसीएच/ पीएफएमएस/एनइसीएस/पीओएस के माध्यम से एनईएफटी, आरटीजीएस, एईपीएस/एटीएम के लिए सक्षम हैं । उनके पास लॉकर, एएलएम, अचल परिसंपत्ति मॉड्यूल, बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण एवं ईकी इत्यादि तकनीकी परिचालित उत्पाद हैं।

युनाइटेड डीमैट

'युनाइटेड डीमैट' एक डीमैट सेवा है, जो परेशानी मुक्त, तेज और पूंजी बाजार में सटीक लेनदेन करने के लिए बनाया गया है। बैंक 2007-08 से अपने ग्राहकों को डीमैट सेवा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के रूप में प्रदान कर रहा है।

लाभः

- प्रतिभूतियों को आसान और सुविधाजनक तरीके से धारण करना
- प्रतिभूतियों के तत्काल अंतरण और प्रतिभूतियों के अंतरण पर स्टाम्प शुल्क नहीं
- कागज के शेयरों की तुलना में सुरक्षित (पहले भौतिक प्रमाण पत्र के साथ जुड़े जोखिम जैसे ख़राब वितरण, नकली प्रतिभूतियों, देरी, चोरी आदि इससे समाप्त हो जाता है)
- प्रतिभूतियों के अंतरण करने में कम कागजी कार्रवाई
- बोनस / विभाजन, समेकन / विलय आदि से होने वाले शेयरों के लिए डीमैट खाते में स्वतः जमा होना
- आईपीओ में आवंटित शेयरों को सीधे डीमैट खातों में जमा करना और लाभांश को लिंक बैंक खाते में जमा करना।
- एक डीमैट खाता में इक्विटी और ऋण लिखत दोनों निवेश के रूप में रखा जा सकता है। यहाँ तक कि म्यूचुअल फंड यूनिट, सॉवरीन गोल्ड बांड, बीमा पॉलिसी आदि एक ही डीमैट खाते में डीमैट रूप में रखा जा सकता है।

उपलब्ध सेवाएं:

- डीमैट खाता खोलना
- प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री
- डिमेट्रेरिलाइजेशन एवं रिमेट्रेरिलाइजेशन
- प्लेज एवं अनप्लेज
- फ्रिज एवं अनफ्रिज
- ट्रांसमिशन और ट्रांसपोजिशन
- म्युचुअल फंड यूनिटों का मोचन

बैंक ने मेसर्स कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड के सहयोग से यूकनेक्ट ट्राइयो व्यापार उत्पाद की शुरुआत 14 अक्टूबर, 2015 से किया है । यूकनेक्ट ट्राइयो1 में 3 खाता (बचत/चालू खाता, डीमैट खाता और ट्रेडिंग खाता) खोलने की सुविधा प्रदान करता है, जबकि बचत एवं डीमैट खाता और ट्रेडिंग खाता का रखरखाव युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा किया जाता है और ट्रेडिंग खाता कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड के साथ खोला जाता है ।

इक्विटी बाजार के साथसाथ म्युचुअल फंड योजनाओं में ग्राहक ऑनलाइन से केएसएल व्यापार मंच का उपयोग कर निवेश कर सकता है।

वैकल्पिक सुपुर्दगी माध्यम

बैंक हमेशा सुविधा आधारित बैंकिंग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रकार सभी लोकप्रिय एवं नवीनतम वैकल्पिक बैंकिंग चैनल की शुरूआत किया गया है । बैंक नियमित रूप से नए उत्पाद के विकास के लिए अपनी प्रणाली का नियमित रूप से उन्नयन कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान निम्नलिखित नवोन्मेष किया गयाः

बैंक नियमित रूप से नए उत्पादों के विकास के लिए और परिचालन सुविधा के लिए प्रक्रिया में सुधार करते हुए, अपने प्रणाली को नियमित उन्नयन किया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान निम्नलिखित नई पहल शुरू किए गए हैं:

1. ऑन लाइन बचत बैंक खाता खोलने की सुविधा।
2. उच्च सीमा के साथ प्लेटिनम चिप आधारित रूपे डेबिट कार्ड।
3. मुद्रा रूपे डेबिट कार्ड।
4. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आईएमपीएस आधारित 24×7 धन अंतरण की सुविधा।
5. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से सोवेरिन गोल्ड बांड एप्लिकेशन।
6. इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के हिंदी संस्करण ।
7. डेबिट कार्ड के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग के स्वतः पंजीकरण।
8. समय सीमा समाप्त कार्ड के एवज में निजीकृत डेबिट कार्ड सक्रिय जारी करना ।
9. मोबाइल नंबर के आधार पर अन्य बैंकों के ग्राहकों के लिए त्वरित निधि अंतरण, जिसका नाम युएफटी (युनाटेड फंड ट्रांसफर) है।
10. मोबाइल और इंटरनेट आधारित वॉलेट सेवाएं की शुरूआत की गई है, जिसका नाम युनाइटेड वॉलेट है।

उपरोक्त नए उत्पादों / सुविधाओं की शुरूआत के साथ, बैंक का ईमोड आधारित लेनदेन बढ़कर 53% हो गया है। सहकर्मी समूह के बीच एटीएम लेनदेन करने के मामले में बैंक शीर्ष 5 स्थान पर बना हुआ है।

अनुपालन

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों और उसकी सुदृढ़ प्रचलित प्रथाओं के हिस्से के आधार पर, बैंक ने अनुपालन विभाग का गठन किया है। उक्त विभाग की भूमिका है कि अनुपालन के मुद्दों को पहचान करने के लिए समन्वय करना, उनका आकलन करना और अनुपालन जोखिम का निवारण करना । बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन नीति तैयार की गई है और सेवाओं, अग्रिम, केवाईसी, एएमएल, बीसीएसबीआई संहिता की गतिविधि से संबंधित क्षेत्रों में अनुपालन के मुद्दों की पहचान की गई है। अनुपालन कार्यों से सम्बंधित जिम्मेदारी की भूमिका को बैंक के हर स्तर पर परिभाषित किया गया है। बैंक ने हरित पहल के भाग के रूप में ऑनलाइन अनुपालन प्रणाली की शुरूआत की है जिसके माध्यम से सभी शाखाएं अनुपालन,नियामक/बैंकों के सभी महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों का पालन करती हैं। यह प्रणाली अनुपालन की वास्तविक स्थिति को सुविधाजनक बनाती है जिसकी निगरानी क्षेत्रीय कार्यालय/ प्रधान कार्यालय कर सकते हैं।

इसके अलावा क्षेत्रीय कार्यालय के मनोनीत अनुपालन अधिकारियों और अनुपालन विभाग के अन्य अधिकारियों द्वारा यादृच्छिक परीक्षण के माध्यम से अनुपालन स्थिति की निगरानी की जा रही है ।

कॉर्पोरेट गवर्नेस के अंतर्गत निदेशक मंडल द्वारा समय समय पर नियमित रूप से कानून, नियमों और दिशा निर्देशों के लागू होने वाले सभी प्रावधानों के अनुपालन से सम्बंधित विनियामक विवरण भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक को प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों को समय पर प्रस्तुत करने के लिए सुनिश्चित किया जाता है।

पुरस्कार

- पीएमजेडीवाई के तहत पश्चिम बंगाल में खोले गए उच्चतम जमा खाते श्रेणी के अन्तर्गत हमारे बैंक को सर्वोत्तम बैंक के पुरस्कार से दिनांक 06.08.2015 को इंक्लुसिव फाइनेंशियल सर्विसेज फोरम (एफएफआईएफएस) द्वारा सम्मानित किया गया है।
- भारतीय चेम्बर सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम (सीएमएसएमई), नई दिल्ली ने हमारे बैंक को 3 श्रेणियों में अर्थात पीएमजेडीवाई के तहत सर्वोत्तम बैंक, उभरते बैंक के तहत प्रोत्साहन योजनाओं के लिए सर्वोत्तम बैंक और टर्न अराउंड बैंक के लिए विशेष जूरी पुरस्कार प्रदान कर मान्यता दी है।

कंपनी अभिशासनः

कंपनी अभिशासन से संबंधी निदेशक मंडल की रिपोर्ट, इस विषय में अलग खंड में शामिल किया गया है।

प्रस्तावित लाभांशः

वित्तीय वर्ष 2015-16 में, बैंक को हानि होने के कारण निदेशक मंडल ने लाभांश घोषित नहीं किया है ।

पावतीः

निदेशक मंडल सभी हितधारकों से प्राप्त संरक्षण और सहयोग के लिए सराहना करता है। यह उन बहुमूल्य मार्गदर्शन और उत्कृष्ट मार्गदर्शन और उत्कृष्ट समर्थन को भी अपने अभिलेख में प्रस्तुत करना चाहता है जो भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार, अन्य नियामक एजेंसियों और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थानों से मिला है। यह निदेशक मंडल सभी स्तरों पर कार्यरत अपने कर्मचारियों की सराहनीय सेवाओं की प्रशंसा करता है।

कृते निदेशक मंडल

दिनांकः 17 मई 2016

पेटलुरी श्रीनिवास

कोलकाता

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कंपनी अभिशासन पर युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया के निदेशक मंडल की रिपोर्ट 2015-16

1. परिचय :

यह बैंक कंपनी अभिशासन के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने के लिए प्रयासरत है और अपने सभी पणधारियों (स्टेक होल्डर्स) सहित अपने ग्राहकों, शेयरधारकों, कर्मचारियों, सामान्य लोगों, समाज, संरक्षकों, भारत सरकार और नियामकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक ने प्रकटीकरण, पारदर्शिता, व्यवसाय नीति परायणता संबंधी सर्वश्रेष्ठ चलन को अपनाया है जिसका लक्ष्य है इस संस्थान के पणधारियों के अंतर्निहित मान की श्रीवृद्धि करना।

2. अभिशासन संहिता पर बैंक का नजरिया :

इस बैंक में कंपनी अभिशासन का आधारभूत नजरिया बैंक द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन से निर्देशित होना और प्रभावी प्रबंधन एवं नियंत्रण द्वारा मूल्य सृजन करना है । बैंक की नीतियों और उन नीतियों पर अमल करना केवल सांविधिक जरुरत ही नहीं बल्कि इस संस्था को परवर्ती स्तर पर ले जाने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं का मान रखना भी है ।

इस बैंक ने कंपनी अभिशासन को एक ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है जिसकी बदौलत कोई संगठन एक सुपरिभाषित नैतिक स्तर बरकरार रखने के लिए निर्देशित और नियंत्रित होता है और साथ ही अपनी धन-उत्सर्जन क्षमता भी बढ़ाता है। बोर्ड समग्र रुप से यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार है कि कंपनी अभिशासन कोड का अनुपालन करते समय बैंक की कार्रवाई, आस्तियों और संसाधन को प्राप्त करने के लिए कंपनी अभिशासन की प्रक्रिया की संरचना की गई है। बैंक एक ओर शेयरधारकों के मूल्यों के प्रति अत्यंत सचेष्ट है और दूसरी ओर अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और कॉरपोरेट विकास की जरूरतों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझता है। यह हर क्षेत्र के कार्यकलापों में उत्कृष्टता की उद्घोषणा करना चाहता है :

- स्थापित सिद्धांतों की सीमा में राष्ट्र के कानूनी ढांचे के भीतर शेयरधारकों के महत्व की मर्यादा को बनाए रखकर,
- बोर्ड की प्रक्रिया तथा कार्यपालक प्रबंधन के साथ बोर्ड के संपर्क के सम्बन्ध में स्पष्ट विवरणी।
- पारदर्शी कंपनी रणनीति की संरचना, प्रभावी नीति, दक्ष प्रक्रिया, कठोर नैतिक मानको, सटीक विधिक जिम्मेदारियां तथा समग्र पेशवर दृष्टिकोण को बढ़ावा देना।
- ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ सुविधा और सेवाएं देकर।
- कर्मचारियों, ग्राहकों और वृहत्तर रूप में समाज के लिए एक अनुकूल परिवेश की उदघोषणा करके,
- वस्तुत: सक्रिय और पूर्वाग्रहमुक्त प्रबंधन को सुनिश्चित करके।

बैंक स्वयं को पणधारकों का न्यासी समझता है और उनके प्रति न्यासी स्वरूप अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करता है । यह अभिस्वीकृति उसके धन का सृजन करके और उसकी अभिरक्षता करते हुए देता है। सुरक्षा, सम्मान, उत्कृष्टता और टीम वर्क स्थायी कार्य-निष्पादन के मौलिक कारक है।

3. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (इसके आगे 'अधिनियम' के रूप में कहा गया) और राष्ट्रीय बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके आगे 'योजना' कहा गया) के अनुसरण में किया गया है ।

3.1 31 मार्च, 2016 तक निदेशक मंडल की संरचना :

बोर्ड में 3 कार्यपालक और 6 गैर-कार्यपालक निदेशक हैं। कार्यपालक निदेशक 5 वर्षों के लिए अथवा उनके सेवानिवृत्त होने तक नियुक्त होते हैं। सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के नामांकितों को छोड़कर गैर-कार्यपालक निदेशक 3 वर्षों के लिए नियुक्त होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार के नामांकित सरकार की संतुष्टि तक कार्यालय से जुड़े रहते हैं। शेयरधारक निदेशकों को छोड़कर अन्य सभी निदेशक केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। केंद्रीय सरकार को छोड़कर शेयरधारकों द्वारा बहुमत के आधार पर शेयरधारक निदेशक चुने जाते हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा बोर्ड के गठन को जरूरत पड़ने पर परिवर्तित किया जा सकता है।

नाम	पदनाम	डीआईएन	बोर्ड की बैठक		पिछली एजीएम में उपस्थित	अन्य निदेशकत्व	इस बैंक समेत समिति सदस्य
			आयोजित	उपस्थित			
श्री पि.श्रीनिवास	एमडी एवं सीईओ	02836590	10	10	हां	2	1
श्री संजय आर्य	कार्यपालक निदेशक	03420686	10	10	हां	1	1
श्री के.वी.राममूर्ती	कार्यपालक निदेशक	07034994	6	6	अप्रयोज्य	1	2
श्री ए.के डोगरा	सरकार द्वारा नामांकित	07074297	10	7	नहीं	2	2
श्री अर्णव राय	आरबीआई द्वारा नामांकित	02849115	8	8	नहीं	1	1
श्री संजीव पति	कामगार निदेशक	07018133	10	10	नहीं	1	0
श्रीमती रेणुका मुड्डु	गैर कार्यालयीन निदेशक	07005568	10	9	नहीं	1	2
श्री प्रत्यूष सिन्हा	शेयरधारक निदेशक	07018125	10	9	हां	1	1
श्री एस.सूर्यनारायण	शेयरधारक निदेशक	00739992	8	8	हां	1	2

- 'अन्य निदेशकत्व' विदेशी कंपनियों के निदेशकत्व में शामिल नहीं है, लेखापरीक्षा समिति और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की हितधारक संपर्क समिति में 'समिति सदस्यता'
- 10 बोर्ड समितियों के सदस्य नहीं हैं अथवा 05 बोर्ड समितियों में अध्यक्ष नहीं हैं।
- कोई भी निदेशक एक दूसरे से संपर्कित नहीं है।
- 2015-16 के दौरान, बोर्ड की दस बैठकें दिनांक 10.04.15, 07.05.15, 06.07.15, 03.08.15, 16.09.15, 07.11.15, 18.12.15, 28.01.16, 11.02.16 और 16.03.16 को आयोजित हुई।
- निदेशकों में से श्रीमती रेणुका मुद्धू के पास 100 शेयर, श्री प्रत्युष सिन्हा के पास 100 शेयर और श्री एस. सूर्यनारायण के पास बैंक के 200 शेयर हैं।
- निदेशकों के परिचय के लिए वेबलिंक : http://www.unitedbankofindia.com/upload/BOD-new.pdf

3.2 वर्ष के दौरान निदेशकत्व में हुए परिवर्तन का ब्योरा (कालक्रम के अनुसार):

निदेशक का नाम	पदनाम	कार्यग्रहण/कार्यत्याग	कार्यालय में कार्यग्रहण/कार्यत्याग की तारीख
श्री एस.सूर्यनारायण	शेयरधारक निदेशक	कार्यग्रहण	11.06.2015
श्रीमती पार्वती वी. सुन्दरम	आरबीआई द्वारा नामांकित	कार्यत्याग	18.06.2015
श्री अर्णव राय	आरबीआई द्वारा नामांकित	कार्यग्रहण	18.06.2015
श्री के.वी.राममूर्ती	कार्यपालक निदेशक	कार्यग्रहण	29.08.2015

3.3 बोर्ड बैठक की प्रक्रिया: बोर्ड बैठक की सूचना बहुत पहले दी जाती है। आम तौर पर बोर्ड की बैठक कोलकाता में आयोजित की जाती है। एजेंडा और अन्य कागजात पहले भेज दिये जाते हैं ताकि प्रभावी चर्चा हो सके और निर्णय लिए जा सकें। बोर्ड की बैठक में निदेशकगण चर्चा और निर्णय लेने में अधिक समय लेते हैं ।

बोर्ड के सचिव के रूप में कंपनी सचिव कार्य करते हैं और बोर्ड तथा समिति की बैठक के संचालन, रिपोर्ट के समेकन, प्रस्तुति और एजेंडा के वितरण के लिए वे जिम्मेदार होते हैं। बोर्ड तथा बोर्ड समिति की सभी बैठकों में कंपनी सचिव उपस्थित रहते हैं और कंपनी अभिशासन सिद्धांत का अनुपालन करते हैं तथा कार्यवृत्त की रेकॉर्डिंग सुनिश्चित करते हैं।

बोर्ड की औपचारिक बैठक के अलावा, बोर्ड की बैठक के बाहर भी प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा अन्य गैर-कार्यपालक निदेशकों के बीच पारस्परिक चर्चा होती है।

3.4 **निदेशक नियुक्ति प्रक्रिया:** निदेशक अधिष्ठापन प्रक्रिया में निदेशकों को अपेक्षित ब्रोशर, दस्तावेज, रिपोर्ट, आंतरिक नीतियां, अन्य पठन सामग्रियां उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे बैंक के काम के माहौल, परिचालन पद्धति और व्यवहार से परिचित हो सके। विभिन्न कार्यक्षेत्र में बैंक के कार्य-निष्पादन को अद्यतन बनाने के लिए बोर्ड को आवधिक प्रस्तुति की जाती है। सीएएफआरएएल, एनआईबीएम आदि विभिन्न संगठनों द्वारा परिचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निदेशकों को नामित किया जाता है ।

3.5 बोर्ड मूल्यांकन प्रक्रिया

शेयरधारक निदेशक के अलावा सभी निदेशकगण केन्द्रीय सरकार की संतुष्टि में नियुक्त और कार्यालय में कार्य करते हैं। शेयरधारक निदेशक संख्या लघु शेयरधारको द्वारा चयनित किए जाते हैं। तदनुसार बैंक द्वारा स्वतंत्र रूप से बोर्ड मूल्यांकन का कार्य नहीं किया जाता है।

4. बोर्ड की समितियां

उत्तम अभिशासन प्रैक्टिस के आकलन के रूप में बोर्ड द्वारा परिभाषित निर्धारित भूमिका अदा करने के लिए बोर्ड की समितियों का गठन किया गया है। बोर्ड के सदस्यों के बीच बैठक के कार्यवृत्त को परिचालित किया जाता है और नोटिंग करने के लिए बोर्ड की बैठक में उसे प्रस्तुत किया जाता है।

4.1 **बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति**

बैंक के निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है और लेखा-परीक्षा समिति की भूमिका और जिम्मेदारियां भारतीय रिजर्व बैंक तय करता है। बैंक ने मूल रूप से 26 जून, 1995 को अपनी एसीबी का गठन किया है, जिसे समय-समय पर पुनर्गठित किया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षा के अनुसार लेखा परीक्षा समिति की बैठक आमतौर पर एक तिमाही में कम से कम एक बार होनी चाहिए और एक साल में कम से कम छह बार आयोजित की जानी चाहिए। लेखा परीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार है -

नाम	पदनाम	दिनाक से तक सदस्य	आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थित
श्री एस.सूर्यनारायण	शेयरधारक निदेशक (अध्यक्ष)	11.06.15 से	7	7
श्री के.वी.राममूर्ती	कार्यपालक निदेशक	29.08.15 से	4	4
श्री ए. के डोगरा	सरकार द्वारा नामांकित	पूरा वर्ष	9	6
श्री अर्णव राय	आरबीआई द्वारा नामांकित	18.06.15 से	7	7
श्रीमती रेणुका मुद्धू	गैर कार्यालयीन निदेशक	पूरा वर्ष	9	9
श्रीमती पार्वती वी. सुन्दरम	आर.बी.आई. द्वारा नामांकित	18.06.15 तक	2	2
श्री प्रत्यूष सिन्हा	शेयरधारक निदेशक	07.11.15 तक	6	6

- वर्ष 2015-16 के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की 9 बैठकें दिनांक 10.04.2015, 07.05.2015, 22.07.2015, 03.08.2015, 24.08.2015, 07.11.2015, 19.12.2015, 11.02.2016 और 16.03.2016 को आयोजित की गई।
- श्री संजय आर्य, कार्यपालक निदेशक ने आमंत्रित सदस्य के रूप में बैठक में भाग लिया।
- लेखा परीक्षा समितियों की बैठकों में मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी, लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण विभाग के प्रमुख तथा कंपनी सचिव उपस्थित रहे।

4.1.2. **लेखा परीक्षा समिति के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैः-**

- वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया तथा वित्तीय सूचना का प्रकटीकरण का पर्यवेक्षण करना ।
- बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण तथा वित्तीय सूचनाओं का सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय प्रकटीकरण सुनिश्चित करना।
- प्रबंधन के साथ आवधिक और वार्षिक वित्तीय विवरणियों की समीक्षा करना।
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता तथा आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण कार्य की समीक्षा करना।
- संदिग्ध जालसाजी अथवा अनियमितता के मामले में संगामी लेखा परीक्षकों, राजस्व लेखा परीक्षकों, आंतरिक निरीक्षकों के निष्कषों की समीक्षा करना अथवा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की असफलता दिखने/होने पर नियंत्रण-तंत्र को मजबूत करने हेतु अर्थोपाय सुझाव देना।
- लेखा परीक्षा रिपोर्ट और लेखा परीक्षा अर्हताओं, यदि कोई हो, एलएफएआर आदि पर विचार करके लेखांकन नीतियों एवं पद्धतियों में हुए परिवर्तनों को केन्द्र में रखकर, आवधिक खातों और रिपोर्टो के अंतिम रुप दिए जाने से पहले सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों के साथ बैंक के कार्यनिष्पादन पर विचार-विमर्श एवं विश्लेषण करना।
- लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता और कार्यनिष्पादन की निगरानी करना।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित वार्षिक वित्तीय निरीक्षण (एएफआई), भारतीय रिज़र्व बैंक या उनके द्वारा समनुदेशित अन्य एजेंसी द्वारा संचालित विशेष लेखा परीक्षा, यदि कोई हो, के परिणामों का विस्तृत विश्लेषण करना।
- विभिन्न लेखा परीक्षा और निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करना ।
- जमाकर्ताओं, शेयर धारकों, डिबेंचर धारकों एवं ऋणदाताओं को भुगतान करने के संबंध में अधिक चूक होने के कारणों का पता लगाना ।
- प्रबंधन के साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों, संगामी एवं राजस्व लेखा परीक्षकों के कार्य निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा करना, आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ महत्वपूर्ण निष्कर्षो पर चर्चा करना तथा उसपर अनुवर्तन करना ।
- समिति मुख्यतः निम्नलिखित मदों के अनुवर्तन पर ध्यान देती हैः-
  - क) अंतर शाखा समायोजन लेखा
  - ख) अंतर शाखा खातों एवं नोस्ट्रो खातों में की असमायोजित पुरानी प्रविष्टियाँ
  - ग) विभिन्न शाखाओं में बही-संतुलन संबंधी बकाया कार्य
  - घ) जालसाजी एवं
  - ङ) हाउसकीपिंग के प्रमुख क्षेत्र

4.2. नामांकन समिति

4.2.1. इस समिति का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार वांछित संख्या में शेयरधारकों द्वारा नामित उम्मीदवारों में से 'उपयुक्त और समुचित' उम्मीदवार का निर्धारण करने के लिए किया गया है जो शेयरधारकों के प्रतिनिधि के रूप में निदेशक होंगे।

4.2.2. समिति का गठन निम्नप्रकार है:

नाम	पदनाम	सदस्यता, से/तक	आयोजित बैठक	बैठक में उपस्थित
श्री ए. के डोगरा	सरकार द्वारा नामांकित (अध्यक्ष)	पूरा वर्ष	1	1
श्रीमती रेणुका मुट्टू	गैर कार्यालयीन निदेशक	पूरा वर्ष	1	1
श्री संजीव पति	कामगार निदेशक	पूरा वर्ष	1	1

- समिति की बैठक दिनांक 10.06.2015 को शेयरधारक निदेशकों के निर्वाचन के लिए आयोजित हुई।

4.3. पारिश्रमिक समितिः

4.3.1. 9 मार्च 2007 को वित्त मंत्रालय से जारी अधिसूचना सं. एफ नं. 20/1/2005 - बी.ओ- आई के मार्फत प्राप्त निदेशों के अनुरूप पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है। यह समिति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन पर विचार करती है। यह प्रोत्साहन कार्यनिष्पादन आधार के लिए निश्चित किए गए विस्तृत गुणात्मक मानदंडो के अधीन है और निर्धारित लक्ष्यों की सूची के विवरण, गुणात्मक मानदंडो एवं न्यूनतम मानदंडों पर निर्भर करता है जिनका आधार पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अनुपालन की रिपोर्ट है।

4.3.2.समिति की संरचना और निदेशक सदस्यों की उपस्थितिः

क्र. सं.	नाम	निदेशकत्व	सदस्यता की अवधि	आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित हुए बैठकों की संख्या
1.	श्री. ए.के.डोगरा	सरकारा द्वारा नामांकित (अध्यक्ष)	पूरा वर्ष	1	1
2.	श्री अर्णव राय	आरबीआई द्वारा नामांकित	18.06.15 से	1	1
3.	श्रीमती रेणुका मुट्टू	गैर कार्यालयीन निदेशक	पूरा वर्ष	1	1
4.	श्री प्रत्यूष सिन्हा	शेयरधारक निदेशक	पूरा वर्ष	1	1
5.	श्रीमती पार्वती वी. सुन्दरम	आरबीआई द्वारा नामांकित	18.06.15 तक	-	-

- उक्त समिति की वर्ष के दौरान दिनांक 22.07.2015 को एक बार बैठक हुई।

4.3.3. वर्ष 2015-16 के दौरान किसी भी पूर्णकालिक निदेशक को निष्पादन संपर्कित प्रोत्साहन नहीं दिया गया।

4.4. निदेशकों के लिए पारिश्रमिक

4.4.1. बैंक का अपने गैर-कार्यालयीन निदेशकों के साथ बोर्ड की बैठक और समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए बैठक शुल्क के भुगतान के अलावा किसी प्रकार के आर्थिक लेनदेन का संबंध नहीं है ।

4.4.2. पूर्णकालिक निदेशकों को केन्द्रीय सरकार और बैंक के मौजूदा नियम और विनियमों के अनुसार भारत सरकार के वेतनमान के अनुसरण में वेतन तथा अतिरिक्त सुविधाओं का भुगतान किया जाता है।

4.4.3. वर्ष 2015-16 में पूर्णकालिक निदेशकों को निम्नलिखित वेतन तथा अतिरिक्त सुविधाएं दी गईः

	वेतन (रु)	अतिरिक्त सुविधाएं (रु.)	पीएलआई* (रु)	कुल (रु)
श्री पि. श्रीनिवास	2 203783	38728	शून्य	2242511
श्री संजय आर्य	2458618	38940	शून्य	2497558
श्री के.वी. राममूर्ति	1004250	21899	शून्य	1026149

** निष्पादन संपर्कित प्रोत्साहन*

4.5 हितधारकों की संपर्क समिति

4.5.1 समिति का गठन और निदेशक सदस्यों की उपस्थिति

नाम	पदनाम	सदस्यता की अवधि	आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थित
श्री प्रत्यूष सिन्हा	शेयरधारक निदेशक (अध्यक्ष)	पूरा वर्ष	4	4
श्री संजय अर्घ्य	कार्यपालक निदेशक	पूरा वर्ष	4	4
श्री के.वी. राममूर्ति	कार्यपालक निदेशक	29.08.15 से	2	2
श्रीमती रेणुका मुट्टू	गैर कार्यालयीन निदेशक	पूरा वर्ष	4	4
श्री एस. सूर्यनारायण	शेयरधारक निदेशक	11.06.15 से	3	3

- कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी निदेशक मंडल के हितधारकों की संपर्क समिति में सचिव के रूप में कार्य करते हैं

● उक्त समिति की दिनांक 10.04.15, 22.07.15, 02.11.15 और 28.01.16.को चार बैठकें आयोजित हुई।

4.5.2 वर्ष 2015-16 के दौरान निवेशकों से प्राप्त तथा सुलझाई गई शिकायतों का ब्योरा निम्नप्रकार हैं:

वर्ष के प्रारंभ में शिकायतों की संख्या	0
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	73
वर्ष के दौरान सुलझाई गई शिकायतों की संख्या	73
असुलझाई गई शिकायतों की संख्या	0

5. आचरण संहिता

5.1.1 लिस्टिंग विनियमों के तहत बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक, द्वारा निर्धारित आचार संहिता के अंतर्गत सभी बोर्ड सदस्य नियंत्रित हैं । लिस्टिंग विनियमों के तहत बैंक के महाप्रबंधक के पद के सभी अधिकारी भी बैंक की आचार संहिता के अंतर्गत नियंत्रित होते हैं । आचार संहिता बैंक की वेबसाइट www.unitedbankofindia.com- पर उपलब्ध है।

5.1.2. सभी निदेशक और महाप्रबंधक प्रयोज्य आचार संहिता का अनुपालन करते हैं ।

5.2. प्रतिज्ञान और प्रकटीकरण:

5.2.1. बैंक और बोर्ड के सदस्यों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के बीच किसी प्रकार का वित्तीय या वाणिज्यिक लेनदेन नहीं है जिससे बैंक के हित में बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ सके ।

5.2.2 वित्तीय और वाणिज्यिक लेनदेन से संबंधित सभी विवरण जहां किसी भी बोर्ड के सदस्य का आर्थिक हित हो सकता है, उसे बोर्ड में प्रस्तुत किया गया और संबंधित निदेशक उसकी विवेचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग ˙ ¨ लेते हैं ।

6. साधारण सभा

6.1. विगत तीन एजीएम का ब्योरा:

स्थान	तारीख	समय	विशेष संकल्प
भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेलवेडीयर रोड, अलिपुर, कोलकाता - 700027	22.06.2015	पूर्वाह्न 10.00.	पब्लिक इश्यू, राइट्स इश्यू, क्यूआईपी या पूंजी मुद्दे के इस तरह के अन्य रूप के माध्यम से 1000 करोड़ रुपये तक की पूंजी जुटाना। **वोटिंग पैटर्न:** पक्ष में :772521948 विपक्ष में :9419
भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेलविडीयर रोड, अलिपुर, कोलकाता - 700027	18.06.2014	पूर्वाह्न 10.00	पब्लिक इश्यू राइट्स इश्यू, क्यूआईपी या पूंजी मुद्दे के इस तरह के अन्य रूप के माध्यम से 1000 करोड़ रुपये तक की पूंजी जुटाना। **वोटिंग पैटन:** पक्ष में : 505416329 विपक्ष में : 494725 तटस्थ : 225 सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VII के अंतर्गत 8,45,07,042 इक्विटी शेयर रु 35.50/- प्रति शेयर एलआईसी को अथवा उक्त संबंध में निधि और केन्द्रीय सरकार को 7,74,00,000 इक्विटी शेयर रु 35.50/- प्रति शेयर रुपांतरण द्वारा 27477 पीएनसीपीएस इकाईयों का प्रत्येक रु 100,000 का अधिमान्य आवंटन **वोटिंग पैटर्न:** पक्ष में : 505414809 विपक्ष में : 496245 तटस्थ : 225

स्थान	तारीख	समय	विशेष संकल्प
भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेलवेडीयर रोड, अलिपुर, कोलकाता - 700027	21.06.2013	पूर्वाह्न 9.30	पब्लिक इश्यू राइट्स इश्यू, क्यूआईपी या पूंजी मुद्दे के इस तरह के अन्य रूप के माध्यम से 1000 करोड़ रुपये तक की पूंजी जुटाना। **वोटिंग पैटन:** हाथ उठाकर पारित किया।

6.2. आम बैठक में मेसर्स एस.एन.अनंतसुब्रमन्यन एंड कंपनी, सेवारत कंपनी सचिव संवीक्षक थे। सभास्थल पर शेयरधारकों के एक प्रतिनिधि संवीक्षक के रूप में उपस्थित थे।

6.3. पिछले वित्त वर्ष में डाक मतपत्र के माध्यम से कोई संकल्प पारित नहीं किया गया था।

7. संचार के माध्यम

7.1. बैंक ने एक अंग्रेजी, एक बंगाली और एक हिंदी अखबार में अपने तिमाही परिणाम प्रकाशित किया है और उक्त तिमाही परिणाम को अपने संबंधित इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंजों तथा बैंक की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है ।

7.2. वर्ष के दौरान बैंक के वित्तीय परिणाम निम्नलिखित समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए थे:

	अंग्रेजी	बंगला	हिन्दी	प्रकाशन की तारीख
तिमाही/समाप्त वर्ष मार्च, 2015	बीएस*/मिंट	एबीपी*	बीएस*/मिंट (हिंदी)	08.05.2015
जून 2015 को समाप्त तिमाही	एफई*	एइ समय	जनसत्ता	04.08.2015
सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही/छमाही	एफई	आजकल	जनसत्ता	09.11.2015
दिसंबर 2015 को समाप्त तिमाही	बीएस*/मिंट	एइ समय	दैनिक विश्वामित्र	12.02.2016

* *एफई- फाइनेंसियल एक्सप्रेस; बीएस- बिजनेस स्टैंडर्ड; आनंद बजार पत्रिका*

- *31 मार्च, 2016 को समाप्त तिमाही/ समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम सेबी(सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार प्रकाशित किया जाएगा*

7.3 निम्नलिखित वेबसाइटों में परिणाम अपलोड किए गए।

www.unitedbankofindia.com	www.nseindia.com	www.bseindia.com

7.4 विश्लेषकों/प्रेस के संबंध में की गई प्रस्तुति को बैंक की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। वर्ष के दौरान किसी भी संस्थागत निवेशक द्वारा प्रस्तुति नहीं की गई।

8. शेयरधारकों को सामान्य सूचना

8.1. वार्षिक आम बैठक:

मंगलवार, जून 28,2016	पूर्वाह्न 10.00	भाषा भवन सभागर, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेलवेडीयर रोड, अलिपुर, कोलकाता – 700 027

बुक क्लोजरः सोमवार 20 जून, 2016 से मंगलवार, 28 जून, 2016 (दोनों दिन को मिलाकर)

8.2. वित्तीय वर्ष: 1 अप्रैल से 31 मार्च

अनुमानित वित्तीय कैलेण्डर : वित्तीय वर्ष 2016-17

तिमाही 1	अगस्त 2016	तिमाही 2	नवम्बर 2016	तिमाही 3	फरवरी 2017	तिमाही 4	मई 2017

8.3. लाभांश भुगतान तारीखः निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए किसी प्रकार के लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

8.4. लिस्टिंग ब्यौरा

बीएसई लि. फिरोज जीजीभोय टॉवर्स दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400001	नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट - सी/1, ब्लॉक -जी बांद्रा कुर्ला कम्पलेक्स, बांद्रा (ई) मुंबई - 400051	वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क बैंक द्वारा बीएसई और एनएसई को भुगतान कर दिया गया है।

8.5. स्टॉक कोड

BSE: 533171 NSE: UNITED BANK ISIN: INE695A01019

8.6. बाजार मूल्य आंकड़े: वर्ष 2015-16 के दौरान बीएसई और एनएसई में बैंक के इक्विटी शेयर का मासिक उच्च और निम्न बाजार मूल्य-

क्र.सं.	बीएसई लि.				एनएसई ऑफ इंडिया लि.			
1	10-04-15	31.70	28-04-15	27.15	10-04-15	31.6	28-04-15	27.20
2	05-05-15	28.75	27-05-15	24.20	05-05-15	28.85	27-05-15	24.10
3	23-06-15	25.60	12-06-15	21.85	02-06-15	25.45	12-06-15	21.80
4	14-07-15	25.00	28-07-15	22.50	15-07-15	25.20	29-07-15	22.70
5	03-08-15	26.45	25-08-15	20.40	03-08-15	26.50	25-08-15	20.45
6	24-09-15	22.85	08-09-15	20.40	24-09-15	22.90	16-09-15	20.00
7	23-10-15	23.05	01-10-15	21.80	23-10-15	23.10	01-10-15	21.80
8	30-11-15	22.80	09-11-15	21.00	30-11-15	22.50	06-11-15	21.00
9	01-12-15	23.45	11-12-15	21.05	15-12-15	23.80	11-12-15	21.00
10	01-01-16	22.25	20-01-16	18.30	04-01-16	22.10	21-01-16	18.30
11	11-02-16	19.85	11-02-16	16.80	11-02-16	22.00	12-02-16	16.80
12	08-03-16	20.50	01-03-16	18.00	08-03-16	20.60	01-03-16	18.00

8.7. बीएसई सेनसेक्स और एनएसई निफ्टी की तुलना में स्टॉक निष्पादन:

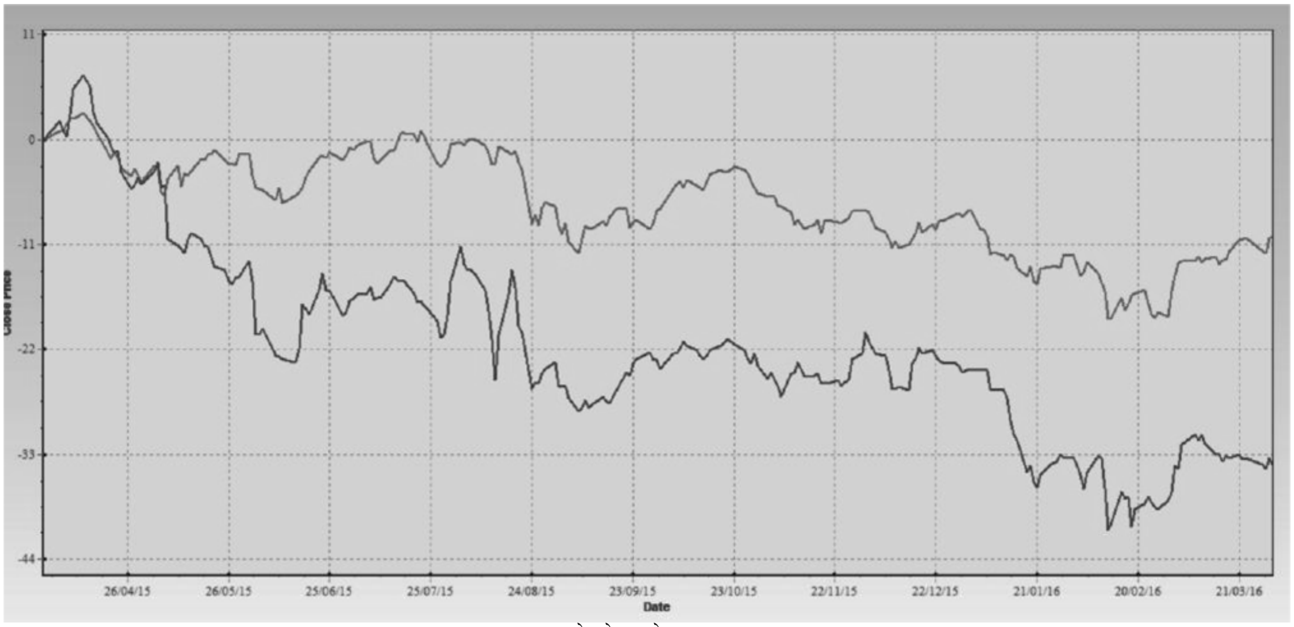

सेनसेक्स के साथ

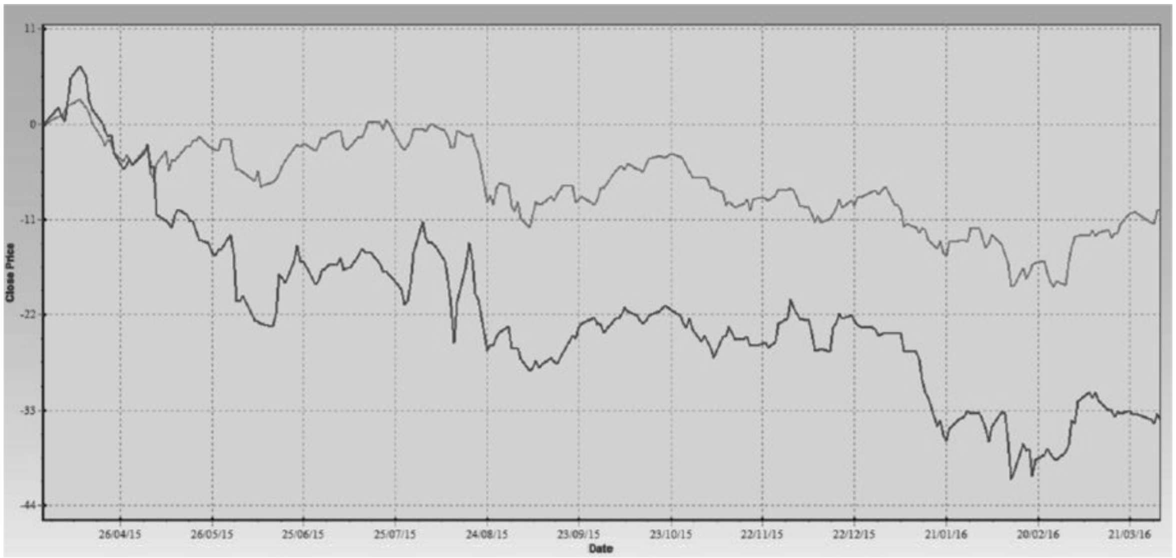

निफ्टी के साथ

8.8. रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर ऐजेंटः

मेसर्स. लिंक इनटाइम इंडिया (प्रा) लि.	
कॉरपोरेट कार्यालयः- सी-13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड, एल.बी.एस.मार्ग, भंडूप (पश्चिम), मुंबई- 400078 दूरभाषः 022-2594 6970	स्थानीय कार्यालयः 59 सी, चौरंगी रोड, 3रा तल कोलकाता- 700020 दूरभाषः (033) 2289 0540 फैक्सः (033) 2289 0539 ई मेलः kolkata@linktime.co.in

8.9. शेयर अंतरण प्रणाली

शेयर अंतरण प्रणाली

शेयर अंतरण, हस्तांतरण, अमूर्तिकरण और पुर्नमूर्तिकरण के संबंध में सभी अनुरोधों पर प्रत्यायोजित प्राधिका के अनुसार 15 दिनों के निर्धारित समय के भीतर बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण ऐजेंट द्वारा कार्रवाई की जाती है । उक्त सभी अंतरण, हस्तांतरण, अमूर्तिकरण और पुर्नमूर्तिकरण के संबंध में बोर्ड/हितधारक संपर्क समिति को रिपोर्ट की जाती है ।

8.10. 31 मार्च, 2016 तक शेयरधारण का वितरण

शेयरों की संख्या			शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का प्रतिशत	कुल शेयर	कुल शेयर का प्रतिशत
तक 5000			83758	98.671	28473771	3.392
5001	से	10000	646	0.761	4772418	0.569
10001	से	20000	267	0.315	3841037	0.456
20001	से	30000	88	0.104	2201620	0.262
30001	से	40000	40	0.047	1403374	0.167
40001	से	50000	21	0.025	966669	0.115
50001	से	100000	41	0.048	2869226	0.342
100001	और	अधिक	25	0.029	794987836	94.697
		कुल	84886	100.000	839515951	100.000

8.10.1. स्वामित्व का वितरण

	श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारण का प्रतिशत
क.	प्रमोटर की धारिता		
1.	प्रमोटर (भारत सरकार)	688430610	82.003
	उप-कुल	**688430610**	**82.003**
ख.	गैर-प्रमोटरों की धारिता		
3.	संस्थागत निवेशक		
	क) म्यूचुअल फंड एवं यूटीआई	336000	0.040
	ख) बैंकों/वित्तीय संस्थानों,	135300	0.016
	ग) बीमा कंपनियों	101734227	12.118
	उप-कुल	**102205527**	**12.174**
	अन्य		
	क) निकाय कॉरपोरेट	5210412	0.621
	ख) क्लियरिंग सदस्य	1232854	0.147
	ग) भारत की जनता	40732408	4.852
	घ) एनआरआई	1651879	0.197
	ङ) न्यासियों	52261	0.006
	उप-कुल	**48879814**	**5.823**
	सकल योग	**839515951**	**100.00**

8.11. शेयर एवं चलनिधि का अमूर्तिकरण
31 मार्च, 2016 तक समग्र प्रदत्त शेयर पूंजी का अमूर्तिकरण किया गया । बैंक के इक्विटी शेयरों की ट्रेडिंग अमूर्तिकरण के रुप मे स्वीकृत है । प्रमोटरों की धारिता अमूर्तिकरण के रुप में है । प्रत्यक्ष धारिता 333 शेयरधारकों तक केवल 24308 इक्विटी शेयर धारण तक सीमित है ।

8.12. बकाया जीडीआर / एडीआर / वारंट / परिवर्तनीय उपकरणों, रूपांतरण की तारीख और संभावित प्रभाव।
बैंक ने किसी भी जीडीआर / एडीआर / वारंट / परिवर्तनीय उपकरणों को जारी नहीं किया है।

8.13. बैंक वस्तु के साथ सौदा नहीं करता इसलिए वस्तुओं के मूल्य जोखिम से संबंधित प्रकटीकरण और वस्तु की बचाव- व्यवस्था कार्यकलाप की आवश्यकता नहीं है। बैंक के सामान्य व्यवसाय के दौरान विदेशी विनिमय निवेश के अंश को बैक्रकी नीति के अनुसार पर्याप्त रूप से बचाव की गई है। वृद्धिशील प्रावधान बनाया गया है तथा आन–हेज्ड विदेशी विनिमय निवेश के लिए दिनांक 31.03.2016 तक पूंजी उपलब्ध करायी गयी है।

8.14. संयन्त्र स्थानः
बैंक एक विनिर्माण संस्था नहीं है , इसलिए यह किसी भी संयन्त्र का संचालन नहीं करता है।

8.15. पत्र व्यवहार हेतु पताः
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
युनाइटेड टावर, 11 हेमंत बसु सरणी, कोलकाता- 700001

9. अन्य प्रकटीकरणः

9.1. संभावित विवाद के साथ वास्तव में महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरणः संभावित विवाद के साथ वास्तव में महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी का लेनदेन नहीं हुआ है । बैंक में संबंधित पार्टी लेनदेन भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसरण में नियंत्रित किया जाता है । सूचीकरण विनियमन के अनुसार बैंक ने संबंधित पक्ष के लेन- देन के बारे में नीति बनायी है जो समुचित रिपोर्टिंग, उक्त लेन- देन के अनुमोदन एवं प्रकटीकरण को भी सुनिश्चित करेगा।

9.2. लंबित मामलों का प्रकटीकरण/गैर- अनुपालन के उदाहरणः
वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान किसी भी लंबित मामले की रिपोर्टिंग नहीं की गई।
तथापि सेबी ने अधिनिर्णय आदेश द्वारा सेबी (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993, सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीकरण) विनियम 2008, सेबी द्वारा जारी परिपत्र. एमआईआरएसडी/डीपीएस III/परि-11/07 दिनांक 6 अगस्त, 2007 तथा डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए 2002 तक जारी विभिन्न बॉन्ड पर आचार संहिता के उल्लंघन पर रुपए दो लाख का जुर्माना लगाया है ।

9.3. सतर्कता तंत्र/ व्हिसल ब्लोअर नीति का विवरणः
बैंक की एक उत्कृष्ट व्हिसेल ब्लोअर नीति है और इस संबंध में सभी कर्मचारियों को व्हिसेल ब्लोइंग द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है।

9.4 बैंक ने 30 नवम्बर, 2015 तक सूचीकरण करार के खंड 49 के तहत तथा 01 दिसम्बर, 2015 के आगे सूचीकरण विनियम की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है ।

9.5 वेब लिंकः

9.5.1. बैंक की कोई सहायक सामग्री नहीं है इसलिए इस संबंध में किसी भी नीति निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

9.5.2. संबंधित पक्ष लेन-देन के संबंध में नीति के लिए वेब लिंक-
http://www.unitedbankofindia.com/uploads/Related_Party_Transactions_Policy.pdf

9.6 सूचीकरण विनियम की अनुसूची-V के भाग ग के अंतर्गत कंपनी अभिशासन रिपोर्ट के लिए उप पैरा (2) से (10) तक किसी भी आवश्यकता का गैर-अनुपालन नहीं हुआ है।

9.7. बैंक एक निगमित निकाय होने के नाते सेबी के सूचीकरण विनियम 46 में विनिर्दिष्ट उप विनियमन (2) के विनियमन के 15 (2) (बी), और खंड (बी) से (i) उप विनियमन (2) को 17-27 के संबंध में कंपनी अभिासन आवश्यकताओं का पालन किया है।

10. डिमैट उचंत खाता/अदावी उचंत खाते के तहत धारित शेयर

वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारकों की सं.	वर्ष के प्रारंभ में शेयरों की सं.	अंतरण के लिए प्रस्ताव देने वाले शेयरधारकों की सं.	शेयर अंतरित किए गए धारकों की सं	वर्ष के अंत में शेयर धारकों की सं	वर्ष के अंत में शेयरों की सं.
49	6407	शून्य	शून्य	49	6407

10.1. उचंत खाते के शेयर के संबंध में वोट डालने के अधिकार को अवरोधित किया गया है।

11. गैर-जरूरी आवश्यकताएं

11.1. बोर्डः

सरकार द्वारा गैर कार्यपालक अध्यक्ष की नियुक्ति बाकी है। बोर्ड के बैठक की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा की जाएगी।

11.2. शेयरधारकों का अधिकारः

अर्धवार्षिक रिपोर्ट समाचारपत्रों में प्रकाशित की गयी है, बैंक के वेबसाइट एवं स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पर अपलोड कर दी गयी है एवं सभी शेयरधारकों के पंजीकृत पते/ पंजीकृत ई-मेल पते पर डाक/ई-मेल द्वारा भेज दी गयी है।

11.3. लेखा परीक्षा अर्हताः

लेखा परीक्षा रिपोर्ट में किसी अर्हता का उल्लेख नहीं है।

11.4. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए अलग पदः

अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की पदवी को पृथक किया गया है। अध्यक्ष की नियुक्ति अभी बाकी है।

कृते निदेशक मंडल
ह/-
पि. श्रीनिवास
प्रबंध निदेशक एवं सीइओ

दिनांकः 17.05.2016, कोलकाता

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
प्रधान कार्यालय
11, हेमंत बसु सरणी
कोलकाता - 700 001

<u>**आचरण संहिता की घोषणा**</u>

बीएसई लिमिटेड और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ किए गए सूचीकरण विनियमन और सूचीकरण करार के अनुसार मैं, पि श्रीनिवास, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की क्षमता में एतद्द्वारा पुष्टि करता हूँ कि बोर्ड के सभी सदस्य और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बैंक की आचरण सहिता का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया है।

पि. श्रीनिवास
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
डीआईएन: 02836590

दिनांक : 17 मई, 2016, कोलकाता

निदेशक मंडल
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
प्रधान कार्यालय,
11, हेमंत बसु सरणी,
कोलकाता - 700001

सीइओ-सीएफओ का प्रमाण पत्र

हम प्रमाणित करते हैं कि

क) हमने अपनी अन्यतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों एवं नकदी प्रवाह विवरणी की समीक्षा कर ली है :

1. इन विवरणों में किसी तरह की गलत बयानी या असत्य तथ्यात्मक विवरण नहीं दिए गए हैं, न ही कोई तथ्यात्मक विवरण छोड़ा गया है और न ही कोई ऐसा विवरण दिया गया है जो गुमराह करने वाला हो।

2 इन विवरणों में बैंक के कार्यकलापों को सही एवं साफ सुथरे रूप में प्रस्तुत किया गया है तथा इसमें मौजूदा लेखा मानकों, लागू कानूनों तथा विनियमों का अनुपालन किया गया है।

ख) हमारी अन्यतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूरे वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसा कोई लेन देन नहीं किया जो कपट पूर्ण हो, गैर कानूनी हो या जिसमें बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन किया गया हो ।

ग) हम बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित एवं रख-रखाव करने और उसकी प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने की जवाब देही स्वीकार करते हैं और आंतरिक नियंत्रण के अभिकलन और परिचालन की कमियां, अगर कोई है, जिससे हम अवगत हैं और उन कमियों को सुधारने हेतु हमारे द्वारा उठाए या प्रस्तावित किए गए कदम को लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है ।

घ) हम अपने अन्यतम मूल्यांकन, जहां कहीं भी लागू हो, के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि करते हैं किः

1. इस वर्ष वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्तवपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है ;

2. इस वर्ष लेखा नीतियों में कोई महत्तवपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है ;

ङ) हम पुनः पुष्टि करते हैं कि हमारे समक्ष आए हुए उल्लेखनीय धोखाधड़ी के मामले को हमनें लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति के ध्यान में लाया है ।

वर्ष के दौरान धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं हुआ जिसमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कोई कर्मचारी शामिल हो ।

ह/-
संजय कुमार
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
पि. श्रीनिवास
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

दिनांक : 17 मई , 2016
स्थान : कोलकाता

कंपनी अभिशासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र

सेवा में,
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के सदस्य

हमने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अध्याय IV में निर्धारित और उक्त बैंक द्वारा निष्पादित सूचीबद्ध करार के अनुसार युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कंपनी अभिशासन की उन शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली है, जिसका उल्लेख बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ हुए सूचीकरण करार के खंड 49 में किया गया है।

कंपनी अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच, कंपनी अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सीमित था। यह न तो कोई लेखा परीक्षा है और न ही बैंक की वित्तीय विवरणों पर हमारी राय की अभिव्यक्ति है।

हमारे अभिमत में तथा प्राप्त सूचना के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के मुताबिक, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अध्याय IV में निर्धारित और बैंक द्वारा निष्पादित सूचीबद्ध करार के अनुसार बैंक ने कंपनी अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है ।

हम इस तथ्य का भी उल्लेख करते हैं कि यह अनुपालन न तो बैंक की भावी संभाव्यता का आश्वासन और न ही इसकी दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसकी बदौलत प्रबंधन ने बैंक के काम-काज का संचालन किया है ।

कृते मेसर्स राममूर्ति (एन) एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002899एस

सी. ए. सुरेंद्र नाथ भारती
भागीदार
(सदस्यता सं: 023837)

नंदी एंड एसोसिएटस
सनदी लेखाकार
एफआरएन 309090ई

सी. ए. सौमेन नंदी
भागीदार
(सदस्यता सं: 059828)

मेसर्स पी.सी.बिंदल एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन 003824एन

सी. समीत गुप्ता
भागीदार
(सदस्यता सं: 093783)

एस.पी.एम.आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 007578एन

सी. ए. प्रमोद कुमार महेश्वरी
भागीदार
(सदस्यता सं: 085362)

दिनांक : 17.05.2016, कोलकाता

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया के सदस्यगण

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने **युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया** के **31 मार्च 2016** के संलग्न वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा कर ली है । इस लेखा परीक्षा में **31 मार्च 2016** की तारीख तक का तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता एवं समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण, विशिष्ट लेखा नीतियों का सारांश और अन्य स्पष्टीकरण योग्य सूचना शामिल हैं। इन वित्तीय विवरणो में 20 ऐसी शाखाओं के विवरण हैं जिनकी लेखा परीक्षा हमने की है और 670 शाखाएं वैसी है जिनकी लेखा परीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों ने की है। हमारे द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का चयन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस बैंक को जारी दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है। इस तुलन पत्र, में उन 35 क्षेत्रीय कार्यालयों, 1319 शाखाओं और 1 कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, 1 नकद प्रबंधन प्रणाली, और 1 केन्द्रीय पेंशन प्रसंस्करण केन्द्र के लाभहानि खाता को शामिल किया गया है जो लेखापरीक्षा के अधीन नहीं हैं । जिन शाखाओं की लेखा परीक्षा नहीं की गई हैं, उनमें कुल अग्रिमों का 9.81 प्रतिशत, जमा का 36.55 प्रतिशत, ब्याज आय का 8.95 प्रतिशत और ब्याज व्यय का 36.26 प्रतिशत शामिल है।

वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का दायित्व

2. इस वित्तीय विवरण को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश तथा आम तौर पर भारत में स्वीकृत लेखा मानक के अनुसार तैयार करते हुए अपेक्षित सूचना प्रकट करना प्रबंधन का दायित्व है। इस दायित्व में उन आंतरिक नियंत्रणों का निर्माण करना, उन्हें कार्यान्वित करना और उनको बनाए रखना शामिल है, जो इस वित्तीय विवरण को इस प्रकार तैयार करने के लिए प्रासंगिक है, जो तथ्यात्मक रूप से गलत विवरण से मुक्त हो, चाहे वह गलत विवरण किसी धोखाधड़ी के कारण हुआ हो या किसी भूल के कारण।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

3. हमारा दायित्व यह है कि हम लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना विचार व्यक्त करें। हमने जो लेखा परीक्षा की है वह इन्सॅटीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा परीक्षा के मानकों के अनुरूप है। उन मानको के लिए जरूरी है कि हम आचार नीति का पालन करें और लेखा परीक्षा की योजना इस तरह बनाएं एवं उसका निष्पादन इस तरह करें ताकि यह वित्तीय विवरण तथ्यात्मक त्रुटियों से मुक्त हैं या नहीं इसके बारें में एक युक्तियुक्त आश्वासन हासिल हो सके।

4. लेखा परीक्षा में इस कार्य को निष्पादन करने की पद्धति शामिल होती है ताकि वित्तीय विवरणों की राशि और प्रकटीकरण संबंधी लेखा परीक्षा साक्ष्य हासिल हो सकें। चयनित पद्धति लेखा परीक्षकों के फैसले पर निर्भर होती है जिसमें वित्तीय विवरणों से संबंधित तथ्यात्मक गलत विवरण के जोखिमों की समीक्षा भी शामिल होती है चाहे वह किसी धोखाधड़ी के कारण हो अथवा किसी भूल के कारण। उन जोखिमों की समीक्षा करते हुए लेखा परीक्षक उस आंतरिक नियंत्रण पर भी विचार करता है जो वित्तीय विवरणों के लिए उस बैंक की तैयारियों और साफ-सुथरी प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक होते हैं ताकि संबंधित परिस्थितियों में लेखा परीक्षा की पद्धतियों की समुचित रूपरेखा बनाई जा सके। लेखा परीक्षा के अंतर्गत उपयोग में लायी गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन भी शामिल रहता है और प्रबंधन द्वारा तैयार लेखांकन प्राक्कलन की युक्तियुक्तता इसी के साथ वित्तीय विवरणों की समग्रतः प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल रहता है।

5. हमें विश्वास है कि प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, लेखा परीक्षा संबंधी अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हमें पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराते हैं ।

अभिमत

6. हमारे अभिमत में, जैसा की बैंक की बहियों में दिखाया गया है और हमारी पूरी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुरूपः

   (i) यह तुलन पत्र, इसमें उल्लिखित नोट्स सहित बैंक का एक उत्तम तुलन पत्र है, जिसमें 31 मार्च, 2016 तक बैंक की वास्तविक स्थिति को भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों की पुष्टि के अनुरूप बनाया गया है।

   (ii) यह लाभ हानि लेखा बैंक के उस लाभ को सही-सही दर्शाता है जो लेखा में सम्मिलित किए गए वर्ष के लिए भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन के सिद्धांतों के अनुरूप हैः और

   (iii) नकदी प्रवाह विवरण इस वर्ष की नियत तिथि को नकदी प्रवाह की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है।

अन्य विधिक एवं नियामक जरूरतों पर रिपोर्ट

7. यह तुलन पत्र एवं लाभ हानि लेखा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के भाग 29 के प्रावधान के अनुसार बनाया गया है।

8. ऊपर के पैरा 1 से 5 तक निर्दिष्ट लेखा परीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की जरूरतों के अनुरूप तथा उसमें प्रकटीकरण की सीमाओं की जरूरत के मद्देनजर हम यह रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि :

   (क) लेखा परीक्षा के लिए प्रयोजनीय सभी आवश्यक सूचना और स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हुआ है और हमारी जानकारी में और हमारे विश्वास के अनुसार वे संतोषजनक पाए गए हैं।

(ख) बैंक के जितने भी लेन देन हमारी जानकारी में आए है वे बैंक के अधिकारों के अंतर्गत हैं।

(ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन की दृष्टि से पर्याप्त पाई गयी।

9. हम पुनः रिपोर्ट करते हैं कि

क) इस रिपोर्ट द्वारा तुलन-पत्र एवं लाभ एवं हानि खाता, खाता बही तथा विवरणियों के अनुसार तैयार है।

ख) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के भाग 29 के तहत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के लेखा से संबंधित रिपोर्ट हमारे पास भेजी गई और इस रिपोर्ट को बनाने में हमनें उनकी मदद ली है।

ग) हमारे अभिमत में, तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरणी में, प्रयोज्य मानक लेखा का अनुसरण किया गया है ।

कृते राममूर्ति (एन) एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002899एस

सी. ए. सुरेंद्र नाथ भारती
भागीदार
सदस्यता संः 023837

नंदी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 309090ई

सी. ए. सौमेन नंदी
भागीदार
सदस्यता संः 059828

कृते पी.सी.बिंदल एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन 003824एन

सी. ए. समित गुप्ता
भागीदार
सदस्यता संः 093783

एस.पी.एम.आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 007578एन

सी. ए. प्रमोद कुमार महेश्वरी
भागीदार
सदस्यता संः 085362

दिनांक : 17.05.2016
स्थान : कोलकाता

31 मार्च, 2016 का तुलन–पत्र

एवं

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का लाभ–हानि लेखा

प्रपत्र – क

स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज किए गए वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट संबंधी आवरण पत्र

1. कंपनी का नाम	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
2. समाप्त वार्षिक वित्तीय विवरणी	31 मार्च 2016
3. लेखा परीक्षा प्रेक्षण का प्रकार	अयोग्य
4. प्रेक्षण की बारंबारता	लागू नहीं

संजय कुमार
महाप्रबंधक एवं सीएफओ

एस सूर्यनारायण
अध्यक्ष-लेखा परीक्षा समिति

पी.श्रीनिवास
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

मेसर्स राममूर्ति (एन) एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002899एस

सी. ए. सुरेंद्र नाथ भारती
भागीदार
एमआरएन. 023837

मेसर्स नंदी एंड एसोसिएटस
सनदी लेखाकार
एफआरएन 309090ई

सी. ए. सॉमेन नंदी
भागीदार
एमआरएन. 059828

मेसर्स पी.सी.बिंदल एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन 003824एन

सी. ए. समीत गुप्ता
भागीदार
एमआरएन. 093783

मेसर्स एस.पी.एम.आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 007578एन

सी. ए. प्रमोद कुमार महेश्वरी
भागीदार
एमआरएन. 085362

दिनांक : 17.05.2016
स्थान : कोलकाता

31 मार्च, 2016 का लेखा परीक्षित तुलन-पत्र

पूंजी एवं देयताएं

(₹ हज़ार में)

पूंजी एवं देयताएं	अनुसूची	31.03.2016 तक	31.03.2015 तक
पूंजी	1	839,51,60	839,51,60
शेयर एप्लीकेशन राशि लंबित आवंटन	1ए	480,00,00	-
प्रारक्षित एवं अधिशेष	2	4999,66,90	4988,52,34
जमाराशियां	3	116401,27,64	108817,59,89
उधार राशियां	4	2912,50,65	4061,72,98
अन्य देयताएं और प्रावधान	5	3798,78,25	4320,21,10
कुल :		**129431,75,04**	**123027,57,91**

आस्तियां

(₹ हज़ार में)

	अनुसूची	31.03.2016 तक	31.03.2015 तक
भारतीय रिजर्व बैंक में नकदी एवं जमा राशियां	6	6070,44,66	5815,60,12
बैंकों में जमा राशियाँ और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय	7	2255,21,23	214,94,02
निवेश	8	44723,38,34	43245,49,49
अग्रिम	9	68060,20,04	66763,03,55
अचल आस्तियाँ	10	1210,92,00	877,41,32
अन्य आस्तियाँ	11	7111,58,77	6111,09,41
कुल :		**129431,75,04**	**123027,57,91**
आकस्मिक देयताएं	12	11583,90,97	6450,33,61
उगाही हेतु बिल		1959,97,05	2416,50,60

31.03.2016 तक के तुलन पत्र का एक भाग

पि. श्रीनिवास
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संजय आर्य
कार्यपालक निदेशक

के.वी राममूर्ती
कार्यपालक निदेशक

अर्णव राय
निदेशक

ए. के. डोगरा
निदेशक

प्रत्यूष सिन्हा
निदेशक

रेणुका मुट्टू
निदेशक

एस.सूर्यनारायण
निदेशक

संजय कुमार
महाप्रबंधक एवं सीएफओ

परिशिष्ट में दी गई समसंख्यक तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट अनुसार

मेसर्स रामामूर्ती (एन) एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002899एस

मेसर्स नंदी एंड एसोसिएटस
सनदी लेखाकार
एफआरएन 309090ई

मेसर्स पी.सी.बिंदल एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन 003824एन

मेसर्स एस.पी.एम.आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 007578एन

सी. ए. सुरेंद्र नाथ भारती
भागीदार
एम.सं.: 023837

सी. ए. सौमेन नंदी
भागीदार
एम.सं.:059828

सी.ए. समीत गुप्ता
भागीदार
एम.सं.: 093783

सी. ए. प्रमोद कुमार माहेश्वरी
भागीदार
एम.सं.: 085362

दिनांक : 17.05.2016
स्थान : कोलकाता

अनुसूची 1 - पूंजी

(₹ हज़ार में)

		31.03.2016 तक		31.03.2015 तक
प्राधिकृत पूंजी*		**3000,00,00**		**3000,00,00**
इक्विटी शेयर पूंजी	**-**		**-**	
बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर (पी एन सी पी एस)	**-**		**-**	
निर्गत, अभिदत्त और चुकता पूंजी 839515951 (पूर्ववर्ती वर्ष 839515951) ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10/- का [सहित 688430610 (पूर्ववर्ती वर्ष में 688430610 भारत सरकार के पास)]		**839,51,60**		839,51,60
कुल :		**839,51,60**		**839,51,60**

अनुसूची 1ए–शेयर एप्लीकेशन राशि लंबित आबंटन

		31.03.2016 तक		31.03.2015 तक
अनुसूची 1ए–शेयर एप्लीकेशन राशि लंबित आबंटन**	-	480,00,00	-	-
	कुल :	480,00,00		-

**शेयर एप्लीकेान राशि लंबित आवंटन का अर्थ है 10.65/ शेयर पूर्ण प्रदत्त के प्रीमियम पर निर्गत होने के लिए प्रस्तावित 10/ प्रत्येक के अंकित मूल्य के 232445520 इक्विटी शेयर के साथ भारत सरकार से प्राप्त एप्लीकेशन

**अपेक्षित है कि इक्विटी शेयर विशेष संकल्प पारित होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर शेयर एप्लीकेशन राशि के एवज में आवंटित किए जाने हैं। उपर्युक्त शेयरों के आवंटन पर शेयर पूंजी के राशि के लिए बैंक के पास पर्याप्त प्राधिकृत पूंजी है।

अनुसूची 2 - प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष

(₹ हज़ार में)

	31.03.2016 तक	As on 31.03.2015
I. सांविधिक प्रारक्षित निधि		
अथ: शेष	777,51,12	713,51,31
जोड़ : लाभ हानि लेखा से अंतरण	-	63,99,81
उप योग :	**777,51,12**	**777,51,12**
II. पूंजी प्रारक्षित		
क) पुनर्मूल्यन प्रारक्षित		
आरंभिक शेष	594,07,14	608,89,37
जोड़: अवधि/वर्ष के दौरान	346,66,97	-
जोड़:/(घटाव): अवधि वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
घटाव: लाभ एवं हानि लेखा में अंतरण	(16,07,86)	(14,82,23)
	924,66,25	**594,07,14**
ख) अन्य		
आरंभिक शेष	1509,64,20	1508,49,53
जोड़: अवधि लाभ एवं हानि लेखा में अंतरण	18,63,87	1,14,67
जोड़:/(घटाव): वर्ष के दौरान समायोजन	18,12	-
	1528,46,19	1509,64,20
उप योग [(क)+ (ख)]	**2453,12,44**	**2103,71,34**
III. शेयर प्रीमियम		
आरंभिक शेष	2078,82,02	1263,58,81
अवधि/वर्ष के दौरान योग	-	815,23,21
उप योग	**2078,82,02**	**2078,82,02**
IV. राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित		
क) विशेष प्रारक्षित आईटी		
आरंभिक शेष	220,00,00	220,00,00
घटाव: आहरण द्वारा कमी	-	-
जोड़: लाभ एवं हानि लेखा से अंतरण	-	-
उप योग (क)	**220,00,00**	**220,00,00**
ख) राजस्व प्रारक्षित		
आरंभिक शेष	-191,52,14	-386,58,41
जोड़: पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित से अंतरण	16,07,86	14,82,23
घटाव: परिसंपतियों के लिए समायोजन हेतु आहरण द्वारा कमी	(53,74,65)	(10,60,70)
जोड़: लाभ एवं हानि लेखा से अंतरण	-300,59,75	190,84,74
उप योग (ख)	**-529,78,68**	**-191,52,14**
उप योग [(क)+ (ख)]	**-309,78,68**	**28,47,86**
V. लाभ एवं हानि लेखा में शेष	–	–
कुल (I + II + III+IV+V)	**4999,66,90**	**4988,52,34**

अनुसूची 3 - जमा राशियां

(₹ हज़ार में)

			31.03.2016 तक	31.03.2015 तक
क	**I.**	**माँग जमा**		
		I) बैंकों से	1188,08,43	1261,29,43
		ii) अन्य से	6793,33,56	7682,69,07
	II.	**बचत बैंक जमा**	**40809,62,35**	36811,10,93
	III.	मीयादी जमा		
		I) बैंकों से	1251,56,48	1761,02,83
		ii) अन्य से	66358,66,82	61301,47,63
		कुल :	**116401,27,64**	**108817,59,89**
ख		I) भारत की शाखाओं में जमा	116401,27,64	108817,59,89
		ii) भारत के बाहर की शाखाओं में जमा	–	–
		कुल :	**116401,27,64**	**108817,59,89**

अनुसूची 4 - उधार

(₹ हज़ार में)

	31.03.2016 तक	31.03.2015 तक
I. भारत में उधार		
I) भारतीय रिजर्व बैंक	-	584,00,00
ii) अन्य बैंक	85,53	4,91,62
iii) अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियाँ #	2911,65,12	3472,81,36
II. भारत के बाहर उधार राशियाँ	-	–
कुल :	**2912,50,65**	**4061,72,98**
उपर्युक्त I और II में सम्मिलित जमानती उधार	–	584,00,00
# टियर II पूँजी हेतु अधीनस्थ ऋण सहित	1925,00,00	2225,00,00
# टियर I पूँजी हेतु आईपीडीआई सहित	450,00,00	300,00,00

अनुसूची 5 - अन्य देयताएं एवं प्रावधान

(₹ हज़ार में)

		31.03.2016 तक	31.03.2015 तक
I.	देय बिल	374,59,30	348,79,90
II.	अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	121,10,83	67,81,58
III.	उपचित ब्याज	917,33,76	1022,39,35
IV.	मानक आस्तियों हेतु आकस्मिक प्रावधान	636,32,00	1060,09,00
V.	आस्थगित कर देयता (शुद्ध)	–	–
VI.	प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)	–	–
VII.	अन्य (प्रावधानों सहित)	1749,42,36	1821,11,27
	कुल :	**3798,78,25**	**4320,21,10**

अनुसूची 6- भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं जमाराशियाँ

(₹ हज़ार में)

		31.03.2016 तक	31.03.2015 तक
I.	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	558,80,93	503,02,00
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा राशियाँ		
	i) चालू खाते में	5511,63,73	5312,58,12
	ii) अन्य खातों में	–	–
	कुल :	**6070,44,66**	**5815,60,12**

अनुसूची 7 - बैंकों में शेष तथा माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि

(₹ हज़ार में)

	31.03.2016 तक	31.03.2015 तक
I. भारत में -		
i) बैंकों में जमा		
क) चालू खातों में	63,80,41	49,49,48
ख) अन्य जमा खातों में	–	–
ii) मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		
क) बैंकों में	2100,00,00	140,00,00
ख) अन्य संस्थानों में	–	–
उप - योग :	**2163,80,41**	**189,49,48**
II. भारत के बाहर–		
i) बैंकों में जमा		
क) चालू खातों में	91,40,82	25,44,54
ख) अन्य जमा खातों में	–	–
ii) माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	–	–
उप - योग :	**91,40,82**	**25,44,54**
कुल :	**2255,21,23**	**214,94,02**

अनुसूची 8 - निवेश

(₹ हज़ार में)

		31.03.2016 तक	31.03.2015 तक
I.	भारत में निवेश (सकल)	**44934,02,73**	**43440,04,34**
	घटाव : एनपीआई, मूल्य ह्रास/परिशोधन हेतु प्रावधान	(210,64,39)	(194,54,85)
	शुद्ध	**44723,38,34**	**43245,49,49**
	विश्लेषण		
	i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	36,240,65,99	35020,44,93
	ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	–
	iii) शेयर	222,71,08	201,56,82
	iv) डिबेंचर एवं बांड्स	2087,88,41	2072,33,92
	v) सहायक एवं/या संयुक्त उद्यम	–	–
	vi) अन्य (म्यूचुअल फंड सीपी, सीडी आदि)	6172,12,86	5951,13,82
	उप-योग :	**44723,38,34**	**43245,49,49**
II.	**भारत के बाहर निवेश (सकल)**		–
	घटाव : मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान	–	–
	शुद्ध	–	–
	विश्लेषण		
	i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरण सहित)	–	–
	ii) विदेशों में सहायक एवं/या संयुक्त उद्यम	–	–
	iii) अन्य निवेश	–	–
	उप-योग :	–	–
	कुल (I और II)	**44723,38,34**	**43245,49,49**

##आरबीआई के दिनांक 16 जुलाई, 2015 के परिपत्र सं. डीबीआर.बीपी.बीसी सं. 31/21.04.018/2015-16 के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण में कमी को पूरा करने के लिए नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी में जमा राशियों को तुलनपत्र की अनुसूची 11 के अंतर्गत 'अन्य आस्तियों' के उपशीर्ष 'अन्य' में शामिल किया जाए।

अनुसूची 9 - अग्रिम

(₹ हज़ार में)

			31.03.2016 तक	31.03.2015 तक
क.	i)	खरीदे एवं भुनाए गए बिल	520,61,29	399,48,52
	ii)	नकदी ऋण ओवर ड्राफ्ट एवं माँग पर चुकौती योग्य ऋण	21569,41,58	21567,02,91
	iii)	मीयादी ऋण	45970,17,17	44796,52,12
		कुल :	**68060,20,04**	**66763,03,55**
ख.	i)	मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित		
		(बही-ऋण के एवज में दिए गए अग्रिम सहित)	61133,38,00	59491,09,60
	ii)	बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित	2724,59,15	2419,23,91
	iii)	बेजमानती	4202,22,89	4852,70,04
		कुल :	**68060,20,04**	**66763,03,55**
ग.	**I.**	**भारत में अग्रिम**		
	i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	25204,73,00	25204,29,04
	ii)	सार्वजनिक क्षेत्र	3545,73,00	5580 ,52,70
	iii)	बैंक	8,52,00	28,74,26
	iv)	अन्य	39301,22,04	35949 ,47,55
		उप-योग :	**68060,20,04**	**66763,03,55**
	II.	**भारत के बाहर अग्रिम**		
	i)	बैंकों से प्राप्य	–	–
	ii)	अन्य से प्राप्य	–	–
		क) खरीदे एवं भुनाए गए बिल	–	–
		ख) समूहित ऋण	–	–
		ग) अन्य	–	–
		उप-योग :	**–**	**–**
		कुल (I और II)	**68060,20,04**	**66763,03,55**

अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ

(₹ हज़ार में)

			31.03.2016 तक	31.03.2015 तक
I.	परिसर (पट्टे पर सहित)			
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की लागत पर / पुनर्मूल्यांकित		870,78,24	858,21,73
	अवधि / वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन		346,66,97	-
	वर्ष के दौरान योग		5,09,69	12,56,51
			1222,54,90	**870,78,24**
	घटाव: अवधि / वर्ष के दौरान कटौती		-	-
	तिथि तक मूल्य ह्रास		(207,32,41)	(187,13,69)
		उप-योग :	**1015,22,49**	**683,64,55**
II.	पूंजीगत कार्य प्रगति पर		**1,65,45**	**4,05,27**
III.	अन्य अचल आस्तियाँ (फर्नीचर और फिक्सचर सहित)			
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की लागत पर		806,10,39	783,20,54
	अवधि/वर्ष के दौरान योग		80,76,11	56 ,99,93
			886,86,50	840,20,47
	घटाव : अवधि/वर्ष के दौरान कटौतियाँ		(2,85,96)	(34,10,08)
	तिथि तक मूल्य ह्रास		(694,06,03)	(629,19,33)
IV.	अमूर्त आस्तियां	उप-योग :	**189,94,51**	**176,91,06**
	सॉफ्टवेयर			
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31मार्च की लागत पर		96,07,91	94,27,33
	अवधि/वर्ष के दौरान योग		2,27,56	1,80,58
			98,35,47	**96,07,91**
	घटाव: अवधि/वर्ष के दौरान कटौतियाँ		–	–
	तिथि तक ऋण परिशोधन		(94,25,92)	(83,27,47)
		उप-योग :	4,09,55	12,80,44
		कुल (I+II+III+IV)	**1210,92,00**	**877,41,32**

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ

(₹ हज़ार में)

		31.03.2016 तक	31.03.2015 तक
I.	अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	–	–
II.	उपचित ब्याज	1032,48,03	1094,35,11
III.	अग्रिम रूप में प्रदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (शुद्ध)	825,29,71	713,14,91
IV.	लेखन सामग्री एवं स्टाम्प	8,06,08	8,80,63
V.	दावों की संतुष्टि में अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियाँ	–	–
VI.	आस्थगित कर आस्तियाँ (शुद्ध)	620,30,00	191,58,00
VII.	अन्य ##	4625,44,95	4103,20,76
	कुल	7111,58,77	6111,09,41

##आरबीआई के दिनांक 16 जुलाई, 2015 के परिपत्र सं. डीबीआर.बीपी.बीसी सं. 31/21.04.018/2015-16 के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण में कमी को पूरा करने के लिए नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी में जमा राशियों को तुलनपत्र की अनुसूची 11 के अंतर्गत 'अन्य आस्तियों' के उपशीर्ष 'अन्य' में शामिल किया जाए।

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं

(₹ हज़ार में)

		31.03.2016 तक	31.03.2015 तक
I.	बैंक पर दावे, जिन्हें कर्ज नहीं माना जाता	9,01,59	8,78,98
II.	आंशिक भुगतान किए गए निवेशों हेतु देयता	19,06,81	30,45,28
III.	वायदा विनिमय करारों के कारण देयता	5365,94,84	2163,68,30
IV.	घटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ (नकदी मार्जिन का शुद्ध) :		
क)	भारत में	3157,91,27	2670,14,10
ख)	भारत के बाहर	1233,27,67	422,77,49
ग)	बैंक गारंटी लागू किन्तु अप्रदत्त (भारत में)	4,63,83	4,63,83
V.	स्वीकृतियाँ, परांकन एवं अन्य दायित्व (नकदी मार्जिन का शुद्ध)	1768,67,31	1089,68,07
VI.	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है	25,37,65	60,17,56
	कुल :	**11583,90,97**	**6450,33,61**

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा

(₹ हज़ार में)

		अनुसूची	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
I.	**आय**			
	अर्जित ब्याज	13	9936,67,09	10180,47,77
	अन्य आय	14	1467,53,32	1746,91,15
	कुल :		**11404,20,41**	**11927,38,92**
II.	**व्यय**			
	खर्च किया गया ब्याज	15	7656,11,36	7689,81,55
	परिचालनगत व्यय	16	1936,29,44	1809,62,82
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		2093,75,49	2171,95,33
	कुल :		**11686,16,29**	**11671,39,70**
III.	**लाभ**			
	इस वर्ष शुद्ध लाभ		-281,95,88	255,99,22
	कुल :		**-281,95,88**	**255,99,22**

31.03.2016 तक के तुलन पत्र का एक भाग

पि.श्रीनिवास
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संजय आर्य
कार्यपालक निदेशक

के.वी राममूर्ती
कार्यपालक निदेशक

अर्नव राय
निदेशक

ए. के. डोगरा
निदेशक

प्रत्यूष सिन्हा
निदेशक

रेणुका मुद्ध
निदेशक

एस सूर्यनारायण
निदेशक

संजय कुमार
महाप्रबंधक एवं सीएफओ

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा

(₹ हज़ार में)

		अनुसूची	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
IV.	विनियोजन :			
	सांविधिक प्रारक्षित में अंतरण		-	63,99,81
	आरक्षित पूंजी मे अंतरण		18,63,87	1,14,67
	प्रस्तावित लाभांश :		–	–
	इक्विटी		–	–
	पी एन सी पी एस		–	–
	लाभांश पर कर		–	–
	राजस्व प्रारक्षित निधि में अंतरण		-300,59,75	190,84,75
	तुलन-पत्र में अग्रेषित जमाराशि		–	–
	कुल :		**-281,95,88**	**255,99,22**
	प्रति शेयर मूल्य एवं मिश्रित आय (रू.)		-3.36	3.78

परिशिष्ट में दी गई समसंख्यक तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट अनुसार

मेसर्स राममूर्ति (एन) एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002899एस
सी. ए. सुरेंद्र नाथ भारती
भागीदार
एमआरएन. 023837

मेसर्स नंदी एंड एसोसिएटस
सनदी लेखाकार
एफआरएन 309090ई
सी. ए. सौमेन नंदी
भागीदार
एमआरएन. 059828

मेसर्स पी.सी.बिंदल एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन 003824एन
सी. ए. समीत गुप्ता
भागीदार
एमआरएन. 093783

मेसर्स एस.पी.एम.आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 007578एन
सी. ए. प्रमोद कुमार महेश्वरी
भागीदार
एमआरएन. 085362

दिनांक : 17.05.2016
स्थान : कोलकाता

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(₹ हज़ार में)

		31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
I.	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	6628,43,96	7040,82,88
II.	निवेश पर आय	3038,73,14	2879,32,28
III.	भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा राशि पर तथा अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	38,43,56	90,16,79
IV.	अन्य	231,06,43	170,15,82
	कुल :	**9936,67,09**	**10180,47,77**

अनुसूची 14 - अन्य आय

(₹ हज़ार में)

		31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली	178,44,00	202,81,05
II.	घटाव : निवेशों के विक्रय पर हानि	825,23,75	1168,64,72
	घटाव : निवेशों के विक्रय पर हानि	(151,46)	(90,30)
III.	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	-	-
	घटाव: निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	-	-
IV.	जमीन, भवन और अन्य आस्तियों के विक्रय से लाभ	5,08	65,25
	घटाव : जमीन, भवन और अन्य आस्तियों के विक्रय से हानि	(1,28)	(7,23)
V.	विनिमय लेन-देन पर लाभ	136,06,64	97,64,10
	घटाव : विनिमय लेन-देन पर हानि	-	-
VI.	भारत में/भारत के बाहर अनुषंगी कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि द्वारा अर्जित आय	-	-
VII.	विविध आय	329,26,59	278,13,56
	कुल :	**1467,53,32**	**1746,91,15**

अनुसूची 15 - व्यय किए गए ब्याज

(₹ हज़ार में)

		31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
I.	जमाराशियों पर ब्याज	7184,17,47	7253,65,70
II.	भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर बैंक उधार पर ब्याज	176,03,38	82,52,74
III.	अन्य	295,90,51	353,63,11
	कुल :	**7656,11,36**	**7689,81,55**

अनुसूची 16 - परिचालनगत व्यय

(₹ हज़ार में)

		31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	1097,42,33	1038,28,51
II.	किराया, कर एवं बिजली	148,29,48	139.94,44
III.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	23,51,00	26,41,21
IV.	विज्ञापन एवं प्रचार	6,23,43	5,61,73
V.	बैंक की संपत्ति पर मूल्य-ह्रास	102,75,75	105,71,96
	घटाव : पुनर्मूल्यांकन आरक्षित से अंतरण	–	–
		102,75,75	**105,71,96**
VI.	निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय	1,32,25	1,15,69
VII.	लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय (शाखा के लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)	15,70,94	14,60,23
VIII.	विधि प्रभार	9,77,05	8,15,21
IX.	डाक-व्यय, तार टेलीफोन आदि	34,53,87	23,53,71
X.	मरम्मत और रख-रखाव	22,77,59	33,87,74
XI.	बीमा	118,19,33	103,38,11
XII.	अन्य व्यय	355,76,42	308,94,28
	कुल :	**1936,29,44**	**1809,62,82**

अनुसूची 17

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की मुख्य लेखा नीतियाँ

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

संलग्न वित्तीय विवरणियां परम्परागत लागत के आधार पर तैयार की गई हैं और अन्यथा उल्लेख किए हुए को छोड़कर, लाभकारी कारोबार वाले संस्थान की अवधारणा के अनुरूप और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परिपाटी (जी ए ए पी) लागू सांविधिक प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित नियामक मानदंडों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी प्रयोज्य अधिदेशात्मक लेखा मानकों (ए.एस)/मार्गदर्शी नोटों/उदघोषणाओं और भारतीय बैंकिंग उद्योग में विद्यमान चलन के अनुरूप है ।

2. प्राक्कलन का उपयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए वित्तीय विवरणों की तिथि तक रिपोर्ट की गई आस्ति एवं देयताओं तथा रिपोर्टिंग अवधि के आय व्यय पर विचार करने के उद्देश्य से प्रबंधन को प्राक्कलन एवं अनुमान करना होता है। प्रबंधन यह समझता है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण एवं तर्क सम्मत है।

3. आय और व्यय निर्धारण

3.1 यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो तो राजस्व और व्यय का हिसाब उपचय के आधार पर किया गया है।

3.2 अनर्जक आस्तियों पर आय का हिसाब उपचय के आधार पर किया गया है और अनर्जक आस्तियों पर वसूली के आधार पर किया गया है। इस वर्ष वसूली हुई राशि प्रथमतः अवमानक आस्तियों पर आय के रूप में विनियोजित की गई है। संदिग्ध, हानि आस्तियों और दायर मुकदमा के अधीन तथा डिक्री हो चुके खातों से हुई वसूली/प्राप्त राशि को प्रथमतः बकाया शेष स्वरूप विनियोजित किया गया।

3.3 जिन अग्रिमों पर आय वसूली नहीं हो सकी और जिन्हें अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है उनको प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।

3.4 कमीशन (सरकारी लेन देन एवं बैंक एश्योरेंस को छोड़कर) विनिमय, दलाली, दावा, लॉकर किराया और शेयरों पर लाभांश से प्राप्त आय का हिसाब नकद के आधार पर किया गया।

3.5 पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन राशि को भी नकद के आधार पर हिसाब किया गया है।

4. विदेशी मुद्रा लेन–देन

4.1. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं को छोड़कर प्रत्येक मुद्रा में मौद्रिक आस्तियों और देयताओं का पुनर्मूल्यांकन, तुलन पत्र की तारीख को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा घोषित स्पॉट दर पर किया गया है। बकाया वायदा विनिमय का पुनर्मूल्यांकन भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा घोषित फॉरवार्ड दर पर किया जाता है। पुनर्मूल्यांकित राशि और संविदागत राशि के अंतर को यथास्थिति लाभ या हानि के रूप में चिह्नित किया गया है।

4.2. आय एवं व्यय की मदों को लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर के अनुसार किया गया है।

4.3. गारंटी के साथ साथ स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों और अन्य बाध्यताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ, द्वारा घोषित क्लोजिंग स्पॉट दर पर निभाया गया है।

4.4. "विदेशी विनिमय दर पर परिवर्तनों के प्रभाव पर" ए एस 11 के अनुसार बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय का वर्गीकरण अभिन्न वैदेशिक परिचालन स्वरूप किया गया है।

4.5. आरंभिक निर्धारण हो जाने पर अभिन्न विदेशी परिचालन से संबंधित विदेशी मुद्रा लेनदेन को रिपोर्टिंग मुद्रा में दर्ज किया गया है और लेनदेन की तारीख को विदेशी मुद्रा राशि में रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा विनिमय दर के बीच लागू करते हुए किया गया है।

4.6. परम्परागत लागत पर चलाई जाने वाली विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का उपयोग करते हुए की गई है।

5. निवेश

5.1 वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के उद्देश्य से निवेशों को निम्नांकित छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जैसा कि बैकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म ए में निर्धारित है :–

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ
ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ
ग) शेयर
घ) डिबेंचर एवं बॉन्ड
ङ) सहायक/संयुक्त उद्यम
च) अन्य

5.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मार्गदशी सिद्धांतों के अनुसार बैंक के निवेश पोर्टफोलियों की निम्नांकित श्रेणियाँ बनाई गई है :

क) "परिपक्वता तक धारित"– इसमें परिपक्वता तक धारण के उद्देश्य से प्राप्त निवेश शामिल है।

ख) "व्यापार हेतु धारित" – इसमें व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त निवेश शामिल है।

ग) "बिक्री के लिए उपलब्ध"– इसमें उक्त (क) एवं (ख) से इतर निवेश शामिल है।

निवेश का वर्गीकरण अभिग्रहण के समय किया गया है :

5.3 निवेश अभिग्रहण की लागत का निर्धारण :

क) प्रतिभूतियों के अभिदान हेतु प्राप्त ब्रोकरेज, कमीशन एवं प्रोत्साहनों को प्रतिभूति की लागत से काटा जाता है।

ख) प्रतिभूतियों की प्राप्ति हेतु प्रदत्त ब्रोकरेज, कमीशन इत्यादि को राजस्व व्यय माना जाता है।

ग) बैंक द्वारा निवेश लेनदेन के बारे में निपटान तिथि का अनुसरण किया जाता है।

5.4. निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक निर्धारित आय मुद्रा बाजार तथा डेरिवेटिव्स एशोसिएसन (एफ आई एम ए डी ए) के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक द्वारा निपटान तारीख का अनुसरण किया जाता है :

क) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)

i) परिपक्वता तक धारित वर्ग के अंतर्गत निवेश अभिग्रहण लागत पर किया गया है।जब बही मूल्य अंकित मूल्य / प्रतिदेय मूल्य से अधिक होता है तो प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित कर दिया जाता है।

ii) ग्रामीण आधारभूत विकास निधि, अल्पकालीन सहकारी ग्रामीण पुन:वित्त निधि, मध्यम लघु माइक्रो उद्दम पुन:वित्त निधि, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक लि., ग्रामीण आवास विकास निथि, राष्ट्रीय आवास बैंक लि. माइक्रो फाइनेन्स विकास एवं इक्विटी निधि, नाबार्ड में (शेयर के रूप में वर्गीकृत) में किए गए निवेशों का मूल्यांकन वहन लागत के आधार पर किया गया है।

iii) प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में किए गए निवेश का मूल्यांकन वहन लागत के आधार पर किया जाता है।

iv) उद्यम पूंजी में निवेश का मूल्यांकन वहन लागत के आधार पर किया जाता है।

ख) "व्यापार के लिए धारित" एवं "बिक्री के लिए उपलब्ध"

क	**सरकारी प्रतिभूतियों** **1. केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ** **2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ**	**एफ आई एम एम डी ए द्वारा** प्रकाशित कीमत पर। एफ आई एम एम डीए/भा. रि. बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार आधार प्रतिफल वक्र पर उपयुक्त कीमत लागत अंतर को जोड़ते हुए परिपक्वता प्रतिफल के **आधार पर।**
ख	बट्टाकृत लिखत (ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर एवं जमा प्रमाण पत्र)	वहन लागत पर
ग	**बॉन्ड एवं डिबेंचर**	**एफ आई एम एम डी ए/आर बी आई के दिशा निर्देशों के अनुसार आधारभूत प्रतिफल वक्र पर उपयुक्त ऋण विस्तृति को जोड़ते हुए परिपक्वता तक प्रतिफल (वाई टी एम) होने के आधार पर।**
घ	**इक्विटी** **i) कोट की गई** ii) कोट नहीं की गई	 **बाजार मूल्य पर** **अंतिम तुलन पत्र (एक वर्ष से अधिक पूराना नहीं) के अनुसार विश्लेषित मूल्य पर, अन्यथा प्रति कंपनी 1 रूपए पर।**
ङ	अधिमानी शेयर	यदि कोट किया गया है तो बाजार मूल्य पर अथवा एफ आई एम एम डी ए/भा.रि. बैंक के दिशानिर्देशानुसार आधार अर्जन वक्र पर उपयुक्त कीमत लागत अंतर (मार्क अप) को जोड़ते हुए परिपक्वता प्रतिफल के आधार पर
च	प्रतिभूति प्राप्ति/उद्यम पूंजी निधि	एफ आई एम डी ए/भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशानुसार शुद्ध आस्ति मूल्य (एन ए वी) पर
छ	म्यूचुअल फंड	यदि कोट किया हुआ है तो बाजार मूल्य पर तथा कोट नहीं किया गया है तो पुनर्खरीद मूल्य/शुद्ध आस्ति मूल्य (एन ए वी) पर

5.5 व्यापार के लिए धारित श्रेणी से प्रतिभूतियों का स्थानांतरण भा.रि. बैंक के दिशा निर्देशानुसार निदेशक मंडल के अनुमोदन से किया जाता है ।

5.6. व्यापार के लिए धारित एवं बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी की प्रत्येक स्क्रिप मासिक आधार पर अथवा यथा प्रावधान इससे भी कम अंतराल पर बाजार के लिए चिह्नित की जाती है। प्रत्येक श्रेणी के तहत शुद्ध मूल्य ह्रास यदि है तो इसका प्रावधान किया जाता है एवं शुद्ध मूल्य वृद्धि ,यदि कोई है तो इसे अनदेखा किया जाता है।

5.7. लागत एवं अंकित मूल्य में अंतर होने के कारण शून्य कूपन बॉन्ड से प्राप्त आय का निर्धारण समय के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

5.8. किसी भी श्रेणी में निवेश की बिक्री पर हुए लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया जाता है । किन्तु परिपक्वता तक धारित श्रेणी में निवेश की बिक्री पर हुए लाभ की स्थिति में वर्ष के अंत में लाभ के बराबर राशि का विनियोजन प्रारिक्षत पूँजी खाता में किया जाता है। प्रतिभूतियों की बिक्री पर अधिशेष/घाटे का हिसाब करने के लिए भारित औसत (वेटेड एवरेज) पद्धित अपनाई जाती है।

5.9. बिक्रय हेतु धारित श्रेणी में धारण अवधि का हिसाब करने के लिए प्रथम आओ प्रथम पाओ (एफ आई एफ ओ) पद्धति लागू की गई है ।

5.10. सभी निवेश उपयुक्त प्रावधानीकरण/आय के अवनिर्धारण (डिरिकॉगनिशन) के अध्यधीन है। यह गैर निष्पादित निवेश (एनपीआई) वर्गीकरण हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानकों के अनुरूप है। अनर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यह्रास/प्रावधान को अन्य अर्जक प्रतिभूतियों से संबंधित अधिमूल्यन के बदले समंजित नहीं किया गया है।

5.11. व्यापार अथवा वायदा व्यापार के व्युत्पन्न लेनदेन किया जाता है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुसरण में मूल्यांकन किया जाता है ।

5.12. रेपो और रिवर्स रेपो लेनदेन के हिसाब के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विहित मानक पद्धित का बैंक द्वारा अनुपालन किया जाता है ।

6. आस्ति पुनर्निर्धारण कंपनी (एआरसी)/ प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को बेची गई वित्तीय आस्तियां

6.1 यदि वित्तीय आस्तियां ए आर सी/ए सी को शुद्ध बही मूल्य से ऊंची कीमत पर बेची गई है तो अतिरिक्त प्रावधान का प्रत्यावर्तन नहीं किया गया है बल्कि उसे ए आर सी/ए सी को बेची गई अन्य वित्तीय आस्तियों से हुई कमी को पूरा करने के लिए उपयोग में लाया गया है। यदि बिक्री शुद्ध बही मूल्य से कम कीमत पर हुई है तो उपलब्ध अधिशेष (यदि हो) को समायोजित करने के बाद उस कमी को लाभ और हानि खाते के नामे लिखा गया है।

6.2 आस्ति पुर्ननिमाण कंपनी प्रतिभूतिकरण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का निर्धारण बैंक खाते में ऐसे विक्रय के लिए उस आस्ति पुर्ननिमाण कंपनी/प्रतिभूतिकरण कंपनी द्वरा सृजित न्यास द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद के मोचन मूल्य से कम कीमत पर उस ऐसी वित्तीय आस्तियों के शुद्ध मूल्य की कीमत पर किया गया है।

6.3 बैंक बही में प्रतिभूति प्राप्तियों को गैर एस एल आर में निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है और तदनुरूप गैर एस एल आर के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मूल्यांकन, वर्गीकरण और अन्य मानदंड लागू किए गए हैं।

6.4 एआरसी/एस सी को बेची गई बट्टा कृत आस्तियों के मामले में नकदी आगम को आय माना गया है ।

7. अग्रिम

7.1. अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक आस्तियों के आधार पर किया गया है तथा उन पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप प्रावधान किया गया है ।

7.2. अनर्जक आस्ति का उल्लेख प्रावधानों और ऋण गारंटी संस्थाओं से प्राप्त दावे के रूप में किया गया है । अर्जक आस्तियों हेतु प्रावधानों को अन्य देयताएं प्रावधान के अंतर्गत दिखलाया गया है ।

7.3 अर्जक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान अन्य देयता एवं प्रावधान शीर्ष के तहत प्रदर्शित है ।

7.4. अग्रिमों को पुनर्गठन एवं तत्संबंधी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिदेश के अनुरूप किया गया है ।

8. अचल आस्तियां और मूल्यहास

8.1. परिसर (इसमें पट्टे पर लिया गया परिसर भी शामिल हैं) और अन्य अचल आस्तियां तथा चल रहे पूंजीगत कार्य को परंपरागत लागत पर लिया गया है । पुनर्मूल्यांकित की स्थिति में यह पुनर्मूल्यांकित राशि के रूप में उल्लिखित है और बढ़ी हुई कीमत को पुनर्मूल्यांकित प्रारक्षित में जमा किया गया है ।

8.2 पट्टे पर ली गई आस्तियों को पट्टे की अवधि के लिए परिशोधन किया गया है ।

8.3. कंप्यूटर और स्वचालित टेलर मशीन (ए टी एम) के अतिरिक्त अन्य आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची के अंतर्गत, 5% अवशिष्ट मूल्य रखने के बाद किया गया है ।

प्रत्येक वर्ष पुनर्मूल्यांकित प्रारक्षित से सामान्य प्रारक्षित को आस्ति के पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्य हास राशि के बराबर राशि अंतरित की गई है ।

8.4. कंप्यूटरों, स्वचालित टेलर मशीन (ए टी एम) एवं सॉफ्टवेयरों पर मूल्यहास का हिसाब उसकी अभिग्रहण तिथि से आनुपातिक आधार पर सीधी रेखा पद्धित से 33.33 प्रतिशत की दर से भा.रि.बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार किया गया ।

8.5. अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर यदि कोई अनर्जक हानि हुई है, तो उसे अनर्जक आस्तियों पर लेखांकन मानक ए.एस 28 के अनुरूप चिह्नित किया गया है ।

9. सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन

ए.एस-12 के अनुसार प्राप्त सरकारी अनुदान/ सहायकी को बही मूल्य तक पहुंचाने के संबंध में आस्तियों के सकल मूल्य में कटौती के रूप में किए गए अनुदान/दिखाकर तुलन पत्र प्रस्तुत किया गया है । लाभ एवं हानि खाते में अनुदान/सहायकी को मूल्यहास अस्तियों के उपयोगी जीवन काल पर मूल्यहास प्रभार में कटौती के द्वारा किया गया है ।

राजस्व प्रकृति से प्राप्त किए सरकारी अनुदान सहायकियों को लाभ एवं हानि खाते में उसी वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त संबंधित लागत, यदि कोई हो, तो उसमें कटौती करते हुए स्वीकृत किया गया है, अन्यथा उपयुक्त को संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यदि प्राप्त हो, अन्य आय के अंतर्गत दर्शाया गया है ।

10. कर्मचारियों की सुविधाएं

10.1 कर्मचारियों के लाभों की पहचान “कर्मचारी लाभ” के अंतर्गत ए.एस-15 के अनुसार की गई है ।

10.2 कर्मचारियों को दी जाने वाली अल्पावधिक सुविधाओं अर्थात अवकाश किराया रियायत एवं चिकित्सा सहायता की माप लागत पर की गई है ।

10.3 कर्मचारियों को दी जाने वाली दीर्घावधिक सुविधाएं तथा सेवानिवृत्ति के बाद की सुविधाएं जैसे आनुतोषिक, पेंशन और छुट्टी नकदीकरण की माप वार्षिक तृतीय पक्ष बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पूर्वानुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति द्वारा बट्टा आधार पर की गई है ।

10.4 जिन कर्मचारियों ने भविष्य निधि योजना का विकल्प दिया है उनका निर्धारित अंशदान एक मान्यता प्राप्त न्यास में डाल दिया जाता है । जिन्होंने पेंशन का विकल्प दिया है, उनकी पेंशन निधि का अंशदान बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित होता है ।

10.5 तुलन पत्र में दीर्घावधि कर्मचारी सुविधाएं वर्तमान दायित्वों को दर्शाती हैं जिन्हें अतीत के गैर मान्यता प्राप्त सेवा लागत के लिए समायोजित (यदि कुछ है तो) किया हुआ है और जैसे कि योजना आस्ति के उचित मूल्य से कम करके (जहां भी लागू होना योग्य है) लाभ हानि लेखा में मान्यता प्राप्त स्तर तक बीमांकिक लाभ हानि के रूप में दर्शाया गया है ।

10.6 पेंशन सुविधा सहित दीर्घावधि कर्मचारी सुविधाओं से संबंधित संक्रमणकालीन देयता को पांच वर्ष में सीधी रेखा आधार पर एक व्यय के रूप में दर्शाया गया है ।

10.7 भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुरूप सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प की सुविधा दुबारा देने और उपादान सीमा बढ़ोत्तरी विवेकपूर्ण नियामक आचरण संबंधी व्यय में पांच वर्ष के लिए परिशोधन किया जा रहा है ।

11. कराधान

कर के हिसाब के अंतर्गत आय पर कर का प्रावधान ए एस 22 के अनुसार चालू एवं आस्थगित करों दोनों के लिए किया गया है ।

12. प्रावधान, आकस्मिक देयता और आकस्मिक आस्तियां

प्रावधान, आकस्मिक देयता और आकस्मिक आस्तियों पर ए एस 29 के अनुसार बैंक निम्नांकित को मान्यता देता है :

(क) प्रावधानों को तभी चिह्नित किया जाता है तब पूर्ववर्ती घटना के परिणाम स्वरूप कोई वर्तमान दायित्व रहता है और यह संभव है कि आर्थिक सुविधाओं से युक्त संसाधनों का कोई प्रवाह किसी दायित्व के लिए जरूरी हो और जब दायित्व की मात्रा के लिए एक विश्वसनीय आकलन किया जा सके।

(ख) आकस्मिक देयता मान्यता प्राप्त/पिछले घटना के संभव दायित्व है, जोकि अस्तित्व में नहीं है और पूरी तरह बैंक के नियंत्रण में एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं की घटना/ गैर घटना की पुष्टि करता है। आकस्मिक देयता मान्यता प्राप्त /खुलासा अतीत की घटनाओं से एक वर्तमान दायित्व है, क्योंकि दायित्व या दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान व्यवस्थित करने के लिए आर्थिक लाभ समाविष्ट संसाधनों का बहिर्वाह के सुदूर संभावना से मान्यता प्राप्त नहीं है ।

(ग) आकस्मिक आस्तियां वित्तीय विवरण में मान्यता प्राप्त नहीं है ।

13. शुद्ध लाभ

निम्नलिखित के लेखांकन के बाद ही शुद्ध लाभ किया गया है :

(क) कराधान का प्रावधान

(ख) मानक आस्तियों पर प्रावधान करना

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक विवेकपूर्ण मानकों के अनुसार अनर्जक आस्तियों एवं मूल्यह्रास पर प्रावधान

(घ) अन्य सामान्य तथा आवश्यक प्रावधान करना ।

31.03.2016 को यह अनुसूची– 17 का अंश है

पि. श्रीनिवास
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संजय आर्य
कार्यपालक निदेशक

के.वी राममूर्ती
कार्यपालक निदेशक

अर्णव राय
निदेशक

ए. के. डोगरा
निदेशक

प्रत्यूष सिन्हा
निदेशक

रेणुका मुट्टू
निदेशक

एस.सूर्यनारायण
निदेशक

संजय कुमार
महाप्रबंधक एवं सीएफओ

परिशिष्ट में दी गई समसंख्यक तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट अनुसार

मेसर्स रामामूर्ती (एन) एंड कंपनी	**मेसर्स नंदी एंड एसोसिएटस**	**मेसर्स पी.सी.बिंदल एंड कं**	**मेसर्स एस.पी.एम.आर एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
एफआरएन 002899एस	एफआरएन 309090ई	एफआरएन 003824एन	एफआरएन 007578एन
सी. ए. सुरेंद्र नाथ भारती	**सी. ए. सौमेन नंदी**	**सी.ए. समीत गुप्ता**	**सी. ए. प्रमोद कुमार माहेश्वरी**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
एम.सं.: 023837	एम.सं.:059828	एम.सं.: 093783	एम.सं.: 085362

दिनांक : 17.05.2016

स्थान : कोलकाता

अनुसूची 18 :

टिप्पणियां जो 31 मार्च 2016 को को समाप्त वर्ष का लेखा का अंश है

1. विदेशी शाखाओं, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों के शेष की पुष्टि/समाधान, नास्ट्रो खातों, देय ड्राफ्ट, समाशोधन अंतर, अंतर कार्यालय समायोजन आदि का कार्य निरंतर प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में, वित्तीय विवरणों पर लंबित समाशोधन/उपरोक्त का सामांजस्य समग्र प्रभाव, यदि कोई हो पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव होने की संभावना नहीं है।

2 .1 **पूंजी**

क)

₹ करोड़ में

विवरण	बासेल-III समाप्त वर्ष		बासेल-II समाप्त वर्ष	
	31.03.2016	**31.03.2015**	**31.03.2016**	**31.03.2015**
I) आम इक्विटी टीयर 1 पूंजी अनुपात (%)	7.74	7.52	लागू नहीं	लागू नहीं
ii) टीयर 1 पूंजी अनुपात (%)	7.93	7.52	7.23	7.77
iii) टीयर 2 पूंजी अनुपात (%)	2.15	3.05	3.23	3.65
iv) कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%)	10.08	10.57	10.46	11.42
v) बैंक की इक्विटी पूंजी में भारत सरकार की हिस्सेदारी का प्रतिशत	82.00%	82.00%	82.00%	82.00%
vi) जुटाई गई इक्विटी पूंजी की राशि (रूपये रु करोड़ में)	0	300.00	0	300.00
vii) जुटाई गई टीयर 1 पूंजी की राशि; जिनमें से	150	शून्य	150	शून्य
क) -पीएनसीपीएस:	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) -पीडीआई	150	शून्य	150	शून्य
viii) जुटाई गई टीयर 2 पूंजी की राशि; जिसमें से (रूपये करोड़ में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क) ऋण पूंजी लिखत :	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) अधिमान शेयर पूंजी लिखत :	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ख) वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, बैंक को पूंजी निवेश के लिए भारत सरकार से 30.03.2016 को रु480 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। 31.03.2016 तक, बैंक द्वारा इसका रखरखाव शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग एलोट्मेंट के रुप में किया जा रहा है । बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पत्र सं. DBR.No.BP. 12716/21.01.002/2015-16 दिनांक 06.04.2016 के माध्यम से दी गई अनुमति के अनुसार इस राशि को 31.03.2016 तक सामान्य इक्विटी टियर1 (सीईटी1) पूंजी निधि के रुप में माना है।

ग) वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, बैंक ने सितम्बर, 2015 में प्रत्येक रु10.00 लाख के अंकित मूल्य के बेसल अनुपालित गैरपरिवर्तनीय बेमीयादी बॉण्ड (कुल 1500) जारी करके रु. 150.00 करोड़ की अतिरिक्त टियर1 पूंजी जुटाई है।

2.2 निवेश ₹ करोड़

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
1 निवेशों का मूल्य	44934.03	43440.04
i) निवेशों का कुल मूल्य		
क) भारत में	44934.03	43440.04
ख) भारत से बाहर	शून्य	शून्य
ii) मूल्यह्रास का प्रावधान	210.64	194.55
क) भारत में	210.64	194.55
ख) भारत से बाहर	शून्य	शून्य

₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
iii) निवेशों का शुद्ध मूल्य	44723.38	43245.49
क) भारत में	44723.38	43245.49
ख) भारत से बाहर	शून्य	शून्य
2 निवेशों पर मूल्यह्रास विषयक प्रावधानों का उतार-चढ़ाव		
i) आरंभिक शेष	194.55	251.16
ii) जोड़ : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	123.49	69.98
iii) घटाव : वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान का बट्टाखाताकरण / प्रतिलेखन	107.40	126.59
iv) अंतिम शेष	210.64	194.55

क) भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. DBR.BP.BC.No. 31/21.04.018/2015-16 दिनांक 16 जुलाई, 2015 के अनुसार, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण में हुई कमी से निपटने के लिए नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी के पास रखी गई कुल रु3819.02 करोड़ (पिछले वर्ष रु3357.62 करोड़) की जमाराशि को निवेश से हटा कर तुलन पत्र के अनुसूची11 के तहत अन्य आस्तियां के उप शीर्ष अन्य के अन्तर्गत शामिल किया गया है । अब तक इन्हें निवेश के अन्तर्गत ही शामिल किया जाता है। इन जमाराशियों से अर्जित ब्याज को अर्जित ब्याज अन्य के तहत शामिल किया गया है। पिछले ऐसे अर्जित ब्याज को अर्जित ब्याज निवेश पर आय के अन्तर्गत शामिल किया गया था । स्पष्टीकरण में किये गये उपर्युक्त परिवर्तन का 31 मार्च, 2016 को समाप्त तिमाही और वर्ष या दर्शायी गई पिछली अवधि में बैंक के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

ख) भारत सरकार की उदय (उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंश योजना) योजना के अनुसार, ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2015-16 के दौरान बिजली वितरण कंपनियों के परिचालन एवं वित्तीय टर्न एराउंड हेतु बैंकों ने गैरएसएलआर राजस्थान सरकार के एसडीएल बॉन्ड रु231.78 करोड़ का अंशदान दिया है तथा जयपुर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम के डिस्कॉम बॉन्ड के रूप में रु150 करोड़ का अंशदान दिया है । आरबीआई परिपत्र सं. DBR.BP.BC.No.11637/21.04.132/2015-16 दिनांक 17.03.2016 के अनुसार और इसके बाद परिपत्र सं. DBR.BP.BC.No. 14186/21.04.132/2015-16 दिनांक 11.05.2016 द्वारा स्पष्टीकरण देते हुए बताया गया है कि डिस्कॉम बॉन्ड को गैरएसएलआर एसडीएल बॉन्ड के रूप में 31 मार्च, 2017 तक रूपांतरित कर दिया जाएगा । रूपांतरित ना होने के मामले में उसे एनपीए के रूप में पुनर्संरचना की तारीख से एनपीए के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा और उसके लिए प्रावधान किया जाना है।

2.2.1 रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के रूप में):

₹ करोड़ में

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31.03.2016 तक बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
क) सरकारी प्रतिभूतियाँ	84.94 (15.00)	251.64 (1929.00)	22.70 (262.78)	0.00 (584.00)
ख) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
प्रत्यावर्तित रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
क) सरकारी प्रतिभूतियाँ	36.48 (25.00)	371.96 (8700.00)	6.86 (474.77)	0.00 (140.00)
ख) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

कोष्ठक में विगत वर्ष के आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़े हैं

2.2.2 गैर-एस एल आर निवेश संविभाग

(i) गैर-एस एल आर निवेशों के जारीकर्ता संघटन ₹ करोड़ में

क्र.सं	जारीकर्ता	राशि	निजी नियोजन की सीमा	निम्न श्रेणी की प्रतिभूतियों में निवेश की सीमा	अश्रेणीकृत प्रतिभूतियों की सीमा	असूचीगत प्रतिभूतियों की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1100.17	1100.17	0.00	150.00	168.11
		(1282.75)	(1282.75)	(0.00)	(0.00)	(14.66)
2	वित्तीय संस्थाएं	383.82	383.82	0.00	0.00	9.63
		(3357.62)	(3357.62)	(0.00)	(0.00)	(3357.62)
3	बैंक	5789.19	5789.19	0.00	64.30	68.15
		(5570.54)	(5570.54)	(0.00)	(36.97)	(40.82)
4	निजी कंपनियां	1096.01	1096.01	0.00	0.00	104.31
		(1491.52)	(1491.52)	(0.00)	(20.00)	(53.70)
5	अनुषंगी/संयुक्त उद्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
6	अन्य (एमएफ/सीपी/सीडी)	555.96	555.96	0.00	231.78	550.96
		(74.78)	(74.78)	(0.00)	(0.00)	(59.38)
7	मूल्यह्रास/एनपीआई हेतु	210.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	प्रावधान	(194.55)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	कुल (1 से 6) - (7)	**8714.51**	**8925.15**	**0.00**	**446.08**	**901.16**
		(11582.66)	**(11777.21)**	**(0.00)**	**(56.97)**	**(3526.18)**

कोष्ठक में विगत वर्ष के आंकड़े दिए गए हैं

(ii) गैर निष्पादित गैर-एसएलआर निवेश: ₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
आरंभिक शेष	199.55	181.70
वर्ष के दौरान वृद्धि	35.90	59.28
वर्ष के दौरान कमी	68.75	41.44
अंतिम शेष	166.69	199.54
किए गए कुल प्रावधान	**128.55**	**110.63**

2 .2.3 **परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी की बिक्री एवं अंतरण**

(क) वर्ष के दौरान, 449.49 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 257.48 करोड़ रुपए) की बही मूल्य की प्रतिभूति को एचटीएम श्रेणी से बिक्री की गई.

(ख) वर्ष के प्रारम्भ में (अर्थात13.04.2015) बैंक ने रु.1859.05 करोड़ (बही मूल्य रु.1861.73 करोड़) मूल्य के अंकित मूल्य वाले केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों को और रु.1260.90 करोड़ (बही मूल्य रु.1264.72 करोड़) अंकित मूल्य वाले राज्य सरकार की प्रतिभूतियों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) को बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) वर्ग में अंतरित कर दिया है तथा इसी प्रकार बैंक ने रु1585.79 करोड़ (बही मूल्य रु1680.75 करोड़) के अंकित मूल्य वाले राज्य सरकार की प्रतिभूतियों को एएफएस से एचटीएम वर्ग में अंतरित कर दिया है । यह निदेशक मंडल के अनुमोदन से किया गया है।

(ग) वर्ष के आरम्भ में, एचटीएम श्रेणी (मुक्त हस्तांतरण को छोड़कर) के निवेश से 5% बही मूल्य से कम की प्रतिभूतियों को बिक्री एवं हस्तांतरण नहीं किया गया।

2.2.4 **विदोशी मुद्रा से संबंधित लेनदेन**

बांग्लादेश (बीडीटी 23,03,236.26 जो भारतीय रूपये 15.80 लाख के बराबर है) की मुद्रा को छोड़कर प्रत्येक मुद्रा में तुलन पत्र की तारीख पर पुनर्मूल्यन कर विदेशी मुद्रा डीलर एसोसिएशन (एफईडीएआई) द्वारा घोषित क्लोजिग स्पोट दर के अनुसार मौद्रिक संपत्ति और देयताएं, बकाया वायदा विनिमय संविदा को छोड़कर, हाजिर दरों की अनुपलब्धता के कारण अनुमानिक मूल्य आंका गया है ।

2 .3 **व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स)**

2 .3.1 **वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप**

₹ करोड़ में

क्र.सं.	विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
(i)	स्वैप करार के आनुमानिक मूलधन	शून्य	शून्य
(ii)	प्रतिपक्षों करार के तहत अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहने पर हुई हानि	शून्य	शून्य
(iii)	स्वैप करने पर बैंक द्वारा मांगे गए संपार्श्विक	शून्य	शून्य
(iv)	स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का सकेंद्रीकरण	शून्य	शून्य
(v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	शून्य	शून्य

2.3.2 विनिमय व्यापारकृत ब्याज दर व्युत्पन्नी

₹ करोड़ में

क्र.सं.	विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
(i)	वर्ष के दौरान बकाया विनिमय व्यापार संबंधी ब्याज दर व्युत्पन्नों का आनुमानिक मूलधन (लिखतवार)	शून्य	शून्य
(ii)	31 मार्च, बकाया विनिमय व्यापारकृत ब्याज दर व्युत्पन्नों का आनुमानिक मूलधन (लिखितवार)	शून्य	शून्य
(iii)	बकाया अल्प प्रभावी विनिमय व्यापारकृत ब्याज दर व्युत्पन्नों का आनुमानिक मूलधन (लिखतवार)	शून्य	शून्य
(iv)	बकाया एवं अल्प प्रभावी विनिमय व्यापारकृत ब्याजदर व्युत्पन्नों का चिह्नित बाजार मूल्य (लिखतवार)	शून्य	शून्य

2.3.3 **व्युत्पन्नों में जोखिम निवेशों का प्रकटीकरण :**

क. गुणात्मक प्रकटीकरण

क) बैंक ने व्यापार (एरबीट्रेज) और बचाव के उद्देश्य से मुद्रा वायदे में व्युत्पन्नी लेनदेन किया है।

ख) व्युत्पन्नी लेनदेनों के जोखिम प्रबंधन संगठन के तीन कार्य क्षेत्र हैं, अर्थात –

i) लेनदेनों के लिए फ्रॉन्ट ऑफिस;

ii) जोखिम प्रबंधन एवं रिपोर्टिंग के लिए मिड-ऑफिस और

iii) निपटान, सुलह एवं लेखांकन के लिए बैक ऑफिस

ग) मिड – ऑफिस द्वारा जोखिम उपाय, रिपोटिंग एवं निगरानी कार्य किए जाते हैं। निदेशक मंडल बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आर एम सी बी ओ डी) के माध्यम से व्युत्पन्नी लेनदेन समेत बैंक के समग्र जोखिम उपाय, निगरानी एवं रिपोर्टिंग कार्य के पर्यवेक्षण के लिए सर्वोच्च इकाई है। बैंक आंतरिक जोखिम प्रबंधन समिति, एलको, परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओ आर एम सी) तथा निवेश विषयक आंतरिक समिति (आई सी आई) के माध्यम से जोखिम प्रबंधन की आंतरिक रूप से निगरानी करता है।

घ) बोर्ड ने एकीकृत ट्रेजरी नीति का अनुमोदन किया जिसमें ऋण जोखिम, परिचालनात्मक जोखिम एवं व्युत्पन्नी लेनदेन संबंधी विपणन जोखिम से बचाव करने / उसे कम करने हेतु अंतर्निहित बचाव उपायों की पहचान की गई है। ग्राहकों से संबंधित व्युत्पन्नी लेनदेन काउंटरपार्टी बैंकों से समान रकम एवं समान अवधि के लिए दुतरफा आधार पर प्रारक्षित है तथा ऐसे लेनदेन के लिए बैंक को कोई बाजार जोखिम नहीं होता है। हालांकि समीक्षाधीन वर्ष में बैंक ने अपने पोर्टफोलियों के बचाव हेतु किसी व्युत्पन्नी उत्पाद का इस्तेमाल नहीं किया है।

ङ) यह नीति बचाव एवं गैर-बचाव लेनदेनों, आय पहचान के लिए लेखांकन तथा विशिष्ट संविदाओं के लिए मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करती है। आय निर्धारण विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव के अनुसार ए एस-11 तथा समय-समय पर भा. रि. बैंक / एफ ई डी ए आई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। एकीकृत ट्रेजरी नीति भी ऋण जोखिम कम करने के लिए विभिन्न सीमाएँ निर्धारित करती है, जैसे-ग्राहक स्तर की सीमाएँ, व्यापार सदस्य स्तर की सीमाएँ, शुद्ध मुक्त स्थिति सीमाएँ।

ख) परिमाणात्मक प्रकटीकरण

₹ करोड़ में

		31.03.2016 को समाप्त वर्ष		31.03.2015 को समाप्त वर्ष	
क्र.सं.	विवरण	मुद्रा	ब्याज दर	मुद्रा	ब्याज दर
		व्युत्पन्नी	व्युत्पन्नी	व्युत्पन्नी	व्युत्पन्नी
(i)	व्युत्पन्न (आनुमानिक मूलधन की राशि)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क) हेजिंग हेतु	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) व्यापार हेतु	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बाजार स्थिति के लिए चिह्नित (1)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क) आस्ति (+)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) देयता (-)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	ऋण निवेश (2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100* पीवी 01)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क) बचाव व्युत्पन्नों पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) व्यापार व्युत्पन्नों पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	वर्ष के दौरान देखी गई 100* पीवी 01 का अधिकतम एवं न्यूनतम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क) हेजिंग पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) व्यापार पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2.4 आस्ति गुणवत्ता

2.4.1 अनर्जक आस्तियां

₹ करोड़ में

क्र.सं.	विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
(i)	शुद्ध अग्रिम का शुद्ध अनर्जक आस्ति (%)	9.04%	6.22%
(ii)	अनर्जक आस्तियों (सकल) में उतार-चढ़ाव		
क)	आरंभिक शेष	6552.91	7118.01
ख)	वर्ष के दौरान वृद्धि	5011.05	4087.17
ग)	वर्ष के दौरान कमी	2092.95	4652.27
घ)	अंतिम शेष	9471.01	6552.91
(iii)	शुद्ध अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव		
क)	आरंभिक शेष	4081.38	4664.11
ख)	वर्ष के दौरान वृद्धि	2919.68	3308.86
ग)	वर्ष के दौरान कमी	890.35	3891.59
घ)	अंतिम शेष	6110.71	4081.38
(iv)	अनर्जक आस्तियों के प्रावधान में उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों के प्रावधान को छोड़कर)		
क)	आरंभिक शेष	2430.68	2399.24
ख)	वर्ष के दौरान योग	1769.17	792.12
ग)	वर्ष के दौरान कमी	848.10	760.68
घ)	अंतिम शेष	3351.75	2430.68

2.4.2 खातों का विवरण

पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण (31.03.2016 तक की स्थिति)

₹ करोड़ में

क्रम सं.	पुनर्गठन के प्रकार		सीडीआर तंत्र के तहत					एसएमई ऋण पुनर्गठन तन्त्र के तहत					अन्य					कुल				
	आस्ति का वर्गीकरण / ब्योरा		मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वित्तीय वर्ष के दौरान अप्रैल तक पुनर्गठित खाता (प्रारम्भिक शेष)	उधारकर्ताओं की संख्या	43	3	6	0	52	342	51	1920	2	2315	2063	201	6012	5	8281	2448	255	7938	7	10648
		बकाया राशि	4583.31	307.22	366.66	0	5257.18	111.26	64.89	108.08	0.01	284.24	3781.40	453.63	391.58	0.10	4626.71	8475.97	825.74	866.32	0.11	10168.14
		उस पर प्रावधान	379.59	23.34	11.70	0	414.63	3.59	2.16	1.41	0	7.16	143.84	28.27	4.18	0	176.29	527.02	53.77	17.29	0	598.08
2	वर्ष के दौरान नये पुनर्गठित	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	93	4	0	0	97	4	1	0	0	5	97	5	0	0	102
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0	0.00	22.54	1.69	0	0	24.23	937.63	384.25	0.00	0	1321.88	960.17	385.94	0	0	1346.11
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0	0.00	1.00	0.08	0	0	1.08	0.00	0.00	0.00	0	0.00	1.00	0.08	0	0	1.08
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	8	-4	-4	0	0	83	-26	-57	0	0	91	-30	-61	0	0
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0	0	21.20	-20.76	-0.44	0	0	2.90	-1.21	-1.69	0	0	24.10	-21.97	-2.13	0	0
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0	0	1.07	-1.05	-0.02	0	0	0.15	-0.06	-0.09	0	0	1.22	-1.11	-0.11	0	0
4	वित्तीय वर्ष के अन्त में पुनर्गठित अग्रिम जिसमें उच्च प्रावधान रुक गया है और अथवा अतिरिक्त जोखिम भारित किया गया है उसे अगले वित्त वर्ष के आरम्भ पुनर्गठित मानक अग्रिम के रुप में प्रदर्शित करने आवश्यकता न हो	उधारकर्ताओं की संख्या	0				0	0				0	0				0	0				0
		बकाया राशि	0				0	0				0	0				0	0				0
		उस पर प्रावधान	0				0	0				0	0				0	0				0

पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण (31.03.2016 तक की स्थिति)

₹ करोड़ में

क्रम सं.	पुनर्गठन के प्रकार		सीडीआर तंत्र के तहत					एसएमई ऋण पुनर्गठन तन्त्र के तहत					अन्य					कुल				
	आस्ति का वर्गीकरण																					
	ब्योरा		मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों का निम्नकरण	उधारकर्ताओं की संख्या	-18	12	6	0	0	-38	-1	39	0	0	-93	63	30	0	0	-149	74	75	0	0
		बकाया राशि	-1631.65	956.93	674.71	0	0	-22.37	-13.04	35.41	0	0	-638.54	607.37	31.17	0	0	-2292.56	1551.26	741.29	0	0
		उस पर प्रावधान	-27.88	22.87	5.01	0	0	-1.14	0.36	0.78	0	0	-3.61	3.08	0.53	0	0	-32.63	26.31	6.32	0	0
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों को बट्टे खाता में डालना	उधारकर्ताओं की संख्या	1	1	4	0	6	41	11	396	2	450	349	113	1011	1	1474	391	125	1411	3	1930
		बकाया राशि	0.00	25.70	312.41	0	338.11	5.27	10.24	18.75	0.01	34.27	381.91	267.32	158.62	0.03	807.88	387.18	303.26	489.78	0.04	1180.26
		उस पर प्रावधान	323.21	23.03	11.70	0	357.94	0.11	0.59	0.21	0	0.91	80.92	27.89	1.02	0	109.83	404.24	51.51	12.93	0	468.68
7	वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक पुनर्गठित खाते (लेखाबंदी आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	24	14	8	0	46	364	39	1559	0	1962	1708	126	4974	4	6812	2096	179	6541	4	8820
		बकाया राशि	2951.66	1238.45	728.96	0	4919.07	127.36	22.54	124.30	0	274.20	3701.48	1176.72	262.44	0.07	5140.71	6780.50	2437.71	1115.70	0.07	10333.98
		उस पर प्रावधान	28.50	23.18	5.01	0	56.69	4.41	0.96	1.96	0	7.33	59.46	3.40	3.60	0	66.46	92.37	27.54	10.57	0	130.48

*मानक पुनर्गठित अग्रिम के आंकड़े को छोड़कर उच्च प्रावधानीकरण या जोखिम भार को आकृष्ट नहीं करता है (यदि लागू हो तो)

1. बैंक प्रबंधन द्वारा प्रमाणित संकलित और छूट सहित हैं।
2. मानक आस्ति रु10 लाख से अधिक और एन पी ए रु 1 करोड़ से अधिक 31.03.2016 तक एन पी वी पद्धति द्वारा पुनर्गठित आस्ति पर आर्थिक मात्रा का त्याग किया गया। शेष आस्तियों के लिए आर्थिक त्याग बकाया शेष कर 5 प्रतिशत की दर से किया गया।
3. आरबीआई परिपत्र सं. डीबीआर.एनओ.बीपी.बीसी.27/21.04.018/2015-16 दिनांक 2 जुलाई 2015 के अनुसरण में ऋणों के पुनर्गठन के बाद उन ऋणों के उचित मूल्य के निर्धारण में क्षरण के मात्रा का सटीक आकलन करने हेतु मजूदा नगदी प्रवाह के शुद्ध मान की संगणना के लिए बट्टे की दर का हिसाब किये जाने के तरीका बदल दिया गया। तदनुरूप 31 मार्च 2016 की समाप्ती पर उचित मूल्य के लिए प्रावधान को कम करके रूपये 467.61 करोड़ किया गया है।

2.4.3 आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकर्ता/पुनर्गठन कंपनी को बेची गई आस्तियों/वित्तीय आस्तियों का ब्योरा ₹ करोड़ में

	विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
क)	खातों की संख्या	10	शून्य
ख)	एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (कुल प्रावधान)	357.35	शून्य
ग)	कुल प्रतिफल	386.90ा	शून्य
घ)	विगत वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किए गए अतिरिक्त प्रतिफल	3.40	शून्य
ङ)	शुद्ध बही मूल्य पर कुल लाभ (हानि)	(+) 32.95	शून्य

विवरण	अंतर्निहित रूप में बैंक द्वारा बेचा एनपीए के समर्थन से		अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं / अंतर्निहित रूप में गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचा एनपीए के समर्थन से		कुल	
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
सुरक्षा निवेश प्राप्तियों का बही मूल्य	255.77	शून्य	शून्य	शून्य	255.77	शून्य

2.4.4 खरीदी/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्योरा

क) खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा ₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की सं.	शून्य	शून्य
(ख) कुल बकाया	शून्य	शून्य
2. (क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की सं.	शून्य	शून्य
(ख) कुल बकाया	शून्य	शून्य

ख) बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा ₹ करोड़ में

	विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
1.	वर्ष के दौरान बेचे गए खातों की सं.	10	शून्य
2.	कुल बकाया	608.56	शून्य
3.	प्राप्त कुल प्रतिफल	386.90	शून्य

2.4.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान ₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
मानक आस्तियों पर प्रावधान	636.32	1060.09

2.4.6 परिसंपत्तियां गुणवत्ता की समीक्षा (एक्यूआर) पर भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुपालन करते हुए, 31 दिसम्बर, 2015 और 31 मार्च, 2016 को समाप्त दो तिमाहियों में वर्गीकरण करके, बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों और आईआरएसी मानदंडों के अनुसार अग्रिमों के वर्गीकरण और प्रावधानीकरण किया है।

2.4.7 आरबीआई के पत्रांक डीबीआर.एनओ.बीपी. 13018/21.04.048/2015-16 दिनांक 12.04.2016 के अनुपालन में, बैंक ने रु 41.14 करोड़ का प्रावधान किया है, जो पंजाब राज्य सरकार द्वारा लिया गया 548.60 करोड़ रुपए के खाद्य ऋण जिसका मौजूदा बकाया निवेश दिनांक 31.03.2016 को 7.5% था ।

2.5 व्यवसाय अनुपात ₹ करोड़ में

	विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
(I)	कार्यशील निधियों के सापेक्ष ब्याज–आय का प्रतिशत	7.92%	8.43%
(ii)	कार्यशील निधियों के सापेक्ष गैर–ब्याज आय का प्रतिशत	1.17%	1.42%
(iii)	कार्यशील निधियों के सापेक्ष परिचनलागत लाभ का प्रतिशत	1.44%	1.99%
(iv)	आस्तियों पर प्रतिलाभ	-0.22%	0.21%
(v)	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा + अग्रिम) (₹ करोड़ में)	12.37	11.53
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ / हानि (₹ लाख में)	12.09	15.98

2.6 आस्ति देयता प्रबंधन

आस्तियों एवं देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता–ढांचा*

₹ करोड़ में

आस्तियां/ देयताएं	1 दिन	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 माह तक	3 माह से अधिक व 6 माह तक	6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा	2122.18	3055.03	2110.22	1709.77	6019.23	7633.31	11174.80	20771.50	11930.87	49874.38	**116401.28**
	(1413.17)	*(2079.53)*	*(1425.33)*	*(1674.73)*	*(5655.58)*	*(5914.02)*	*(9876.22)*	*(21526.62)*	*(11192.06)*	*(48060.35)*	***(108817.60)***
अग्रिम	632.06	409.85	303.43	732.58	3743.80	4930.84	4362.13	12822.54	10486.72	29636.24	**68060.20**
	(337.70)	*(3981.69)*	*(204.50)*	*(171.10)*	*(2892.05)*	*(3059.69)*	*(3952.02)*	*(27344.75)*	*(9684.68)*	*(15134.86)*	***(66763.04)***
निवेश	2.62	74.01	164.82	302.23	3333.09	1598.75	1618.34	4430.78	5384.02	27814.72	**44723.38**
	(2.94)	*(133.76)*	*(49.14)*	*(262.91)*	*(4584.55)*	*(1111.40)*	*(1924.75)*	*(2697.77)*	*(7223.08)*	*(28612.81)*	***(46603.11)***
उधार	0.86	0.00	0.00	0.00	100.00	334.90	134.90	604.31	12.53	1725.00	**2912.51**
	(4.92)	*(260.00)*	*(324.00)*	*(0.00)*	*(300.00)*	*(210.41)*	*(200.76)*	*(812.19)*	*(369.62)*	*(1579.84)*	***(4061.73)***
विदेशी मुद्रा आस्तियां	213.48	2235.22	34.47	88.17	1073.18	1145.81	954.26	364.26	0.00	19.02	**6127.87**
	(160.01)	*(923.32)*	*(113.90)*	*(84.62)*	*(729.87)*	*(892.90)*	*(1036.89)*	*(0.00)*	*(0.00)*	*(17.94)*	***(3959.45)***
विदेशी मुद्रा देयताएं	188.09	1289.80	466.81	25.59	1704.81	1108.49	941.55	387.10	14.03	0.00	**6126.27**
	(185.88)	*(401.91)*	*(111.75)*	*(33.09)*	*(1337.73)*	*(874.89)*	*(984.08)*	*(17.89)*	*(11.92)*	*(0.00)*	***(3959.14)***

** उपर्युक्त प्रकटीकरण बैंक प्रबंधन द्वारा समेकित एवं प्रमाणित किया गया है।*
कोष्ठक में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष की स्थिति दर्शाते हैं।

2.7 निवेश

2.7.1 स्थावर संपदा क्षेत्र में निवेश*

₹ करोड़ में

	श्रेणी	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
क)	**प्रत्यक्ष निवेश**		
i)	**आवासीय बंधक** आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्ण रूप से जमानाती उधार जिसे उधारकर्ता द्वारा दखल किया गया है या किया जाएगा अथवा किराया पर है	7632.64	6498.93
	जिनमें से, व्यक्तिगत आवास ऋण जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों में शामिल होने योग्य है।	4495.48	3845.73
ii)	**वाणिज्यिक स्थावर संपदा** वाणिज्यिक स्थावर संपदाओं (कार्यालय भवन, खुदरा स्थल, बहु उद्देशीय वाणिज्यिक परिसरों, बहु किराएदारी वाणिज्यिक परिसरों, औद्योगिक अथवा मालगोदाम स्थल, होटल, जमीन अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण इत्यादि समेत गैर निधि आधारित (एनएफबी सीमाएं) पर बंधक द्वारा जमानती ऋण।	272.40	376.88
iii)	बंधक आधारित जमानती में निवेश (एमबीएस) तथा अन्य प्रतिभूति आधारित निवेश		
क.	आवासीय	शून्य	शून्य
ख.	वाणिज्यिक स्थावर सम्पदा	शून्य	शून्य
ख)	**अप्रत्यक्ष निवेश** राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित एवं गैर निधि आधारित निवेश	3322.76	3227.12
	स्थावर संपदा क्षेत्र में कुल निवेश	11227.80	10102.93
	*(बैंक प्रबंधन द्वारा समेकित एवं प्रमाणित)		

2.7.2 पूंजी बाजार में निवेश*

₹ करोड़ में

	विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर एवं इक्विटी म्यूचुअल फंड जिनकी कॉरपस निधि केवल कारपोरेट ऋणों में निवेशित नही है, में किए गए प्रत्यक्ष निवेश।	121.51	141.65
(ii)	शेयरों / बोन्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या गैर-जमानती व्यक्तियों को शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बान्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों एवं इक्विटीमूलक म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश हेतु अग्रिम।	शून्य	शून्य
(iii)	किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटीमूलक म्यूचुअल फंड की इकाइयां प्राथमिक प्रतिभूतियों के रूप में ली जाती है।	1.65	2.61
(iv)	शेयरों को संपार्श्विक प्रतिभूति या परिवर्तनीय बॉन्ड या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटीमूलक म्यूचुअल फंड की इकाइयों द्वारा प्रतिशत सीमा तक अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम अर्थात् जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉन्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटीमूलक म्यूचुअल फंड की इकाइयों द्वारा अग्रिम पूर्ण प्रारक्षित नहीं है।	शून्य	शून्य
(v)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती एवं गैर जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों एवं बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां।	शून्य	11.25
(vi)	शेयरों/बॉन्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या संसाधनों की उन्नति हेतु नई कंपनियों की इक्विटी के पक्ष के प्रोमोटरों के योगदान की पूर्ति हेतु बेजमानती आधार पर कंपनियों को संस्वीकृत ऋण।	शून्य	शून्य
(vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गम के पक्ष में कंपनियों को तात्कालिक ऋण।	शून्य	शून्य
(viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटीमूलक म्यूचुअल फंड के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा ली गई लिखित वचनबद्धताएं।	शून्य	शून्य
(ix)	मार्जिन व्यापार हेतु स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण।	शून्य	शून्य
(x)	उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत एवं अपंजीकृत-दोनों) हेतु सभी निवेश	68.66	72.66
	पूंजी बाजार के कुल निवेश	**191.85**	**228.17**

*(बैंक प्रबंधन द्वारा समेकित एवं प्रमाणित)

बैंक ने 19.97 करोड़ रुपए राशि के, दो कंपनियों के शेयरों के कर्ज को इक्विटी में रूपांतरण द्वारा रणनीति कर्ज के पुनर्गठन के रूप में अधिग्रहण किया है, जिसे पूंजी बाजार जोखिम सीमा से छूट दी गई है ।

2.7.3 जोखिम श्रेणी के अनुसार देशी ऋण जोखिम

बैंक ने 31 मार्च 2016 को विभिन्न देशों के अपने ऋण जोखिम का विश्लेषण किया है तथा वैसा ऋण जोखिम बैंक की कुल आस्तियों के 1% की थ्रेसहोल्ड सीमा से कम होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग निर्देशों के अनुसार इस निवेश के लिए कोई प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

₹ करोड़ में

जोखिम श्रेणी	31.03.2016 को ऋण जोखिम (शुद्ध)	31.03.2016 को किए गए प्रावधान	31.03.2015 को ऋण जोखिम (शुद्ध)	31.03.2015 को किए गए प्रावधान
नगण्य	159.31	0.00	129.33	0.00
कम	15.02	0.00	29.55	0.00
सामान्य	3.32	0.00	6.59	0.00
उच्च	0.00	0.00	0.00	0.00
बहुत अधिक	0.00	0.00	0.00	0.00
नियंत्रित	0.00	0.00	0.00	0.00
ऋण बाह्य	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**177.65**	**0.00**	**165.47**	**0.00**

2.7.4 बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्ता सीमा (एस बी एल)/ समूह उधारकर्ता सीमा (जी बी एल) का विवरण:

₹ करोड़ में

क्रम सं.	उधारकर्ता का नाम	ऋण जोखिम की उच्चतम सीमा		स्वीकृत सीमा		बकाया	
		31.03.2016	31.03.015	31.03.2016	31.03.015	31.03.2016	31.03.015
(क)	एकल उधारकर्ता						
(i)	सीमप्लेक्स इंफ्रास्टक्चर लि.	शून्य	942.08	शून्य	1,025.00	शून्य	782.81
(ख)	समूह उधारकर्ता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

** बैंक की वर्तमान उधार नीति के अनुसरण में, निवेश की उच्चतम सीमा को भंग करना, निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 30.05.2014 को आयोजित उनके बैठक में अनुमोदित किया गया था ।

2.7.5 गैर-जमानती अग्रिम :

₹ करोड़ में

विवरण	2015-16	2014-15
अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे अधिकारों, अनुज्ञापत्रों, प्राधिकारी आदि पर किए गए प्रभार की एवज में अग्रिम बकाया की कुल राशि	133.31	141.83
ऐसे अमूर्त समपार्श्विक प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	186.65	200.47

2.8 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाया गया दण्ड

क) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के धारा 35ए और आरबीआई निदेश सं. 3158 / 09.39.00 (नीति) 2009-10 दिनांक 19.11.2009 के तहत वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया रु.0.05 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।

3. भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के संदर्भ में लेखांकन मानकों (ए एस) के अनुसार प्रकटीकरण

3.1. ए एस 5-इस अवधि में शुद्ध लाभ अथवा हानि, पूर्ववर्ती अवधि की मदें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

वर्ष के दौरान लेखांकन नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। प्रबंधन की राय में पूर्व अवधि के मदों का प्रभाव महत्वहीन है।

3.2 ए एस 9-राजस्व मान्यता

राजस्व का निर्धारण अनुसूची 17 में प्रकटीकरण लेखांकन नीति के अनुसार किया गया है ।

3.3 ए एस 10-अचल आस्तियां के लिए लेखांकन

3.3.1 अचल आस्तियां प्रकटीकरण लेखा अनुसूची 17 में लेखांकन नीतियों के अनुसार किया गया है।

3.3.2 वर्ष के दौरान, बैंक ने बाहरी स्वतंत्र मूल्य निर्धारकों से अपनी अचल संपत्ति अनुसूची के आधार पर परिसर का पुनर्मूल्यांकन किया है। पुनर्मूल्यांकन से 346.67 करोड़ रुपए के अधिशेष हुआ है, जिसे "प्रारिक्षत और अधिशेष" के तहत "पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित" में जमा कर दिया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार 45 को टीयर 1 पूंजी में गणना की गई है।

3.4 **ए एस-12 सरकारी अनुदान**

वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकार से रू 0.45 करोड़ के निम्नांकित सब्सिडी / अनुदान / प्रोत्साहन प्राप्त हुआ:

(रू करोड़ में)

क्रमांक	ब्योरे	2015 - 16		2014 - 15	
		राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
1.	सरकारी अनुदान / सब्सिडी	0.45	0.00	0.62	0.15

3.5 **ए एस -15 कर्मचारी लाभ**

कर्मचारी लाभ का लेखा संबंधी प्रकटीकरण [एएस 15 के अनुसार (संशोधित)]

₹ करोड़ में

क)	बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	पेंशन	उपदान	अन्य लाभ *
	वर्ष के प्रारंभ तक बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	3543.16	466.66	159.11
	ब्याज लागत	263.75	34.20	12.45
	चालू सेवा लागत	428.75	27.84	42.51
	प्रदत्त लाभ	492.54	78.25	6.96
	बाध्यताओं पर बीमांकित हानि / (लाभ)	698.09	14.40	-44.79
	वर्ष के अंत तक बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	4441.21	464.84	162.32
ख)	**योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन**			
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्ति का उचित मूल्य	3445.40	476.59	157.69
	योजना आस्ति पर अपेक्षित प्रतिलाभ	306.64	42.32	14.00
	नियोजक का अंशदान	967.68	34.10	1.61
	प्रदत्त लाभ	492.54	78.25	6.96
	बाध्यताओं पर बीमांकित हानि / (लाभ)	27.31	-33.51	0.0031
	वर्ष के अंत तक बाध्यताओं का उचित मूल्य	4254.49	441.24	166.35
ग)	**पूर्ववर्ती वर्ष के अंत तक बाध्यताओं का वर्तमान आकलित मूल्य**			
	वर्ष के अंत तक योजना आस्ति का उचित मूल्य	4254.49	441.24	166.35
	तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निधि रहित शुद्ध देयता	-186.72	-23.60	4.03
घ)	**लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त व्यय**			
	चालू सेवा लागत	428.75	27.84	42.51
	ब्याज लागत	263.75	34.20	12.45
	योजना आस्ति पर अपेक्षित प्रतिफल	306.64	42.32	14.00
	वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ) / हानि	670.78	47.91	-44.79
	लाभ और हानि लेखा में निर्धारित कुल व्यय	1056.64	67.63	-3.83
ङ)	**तुलन पत्र की तिथि को मुख्य बीमांकिक अनुमान (भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त)**			
	बट्टादर	8.00%	8.00%	8.00 %
	योजना आस्तियों पर प्रतिफल की प्रत्याशित दर	8.90%	8.88%	8.88%
	प्रयोग की गई पद्धति	**परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति**		

* अन्य लाभों में अर्जित छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी, अस्वस्थता छुट्टी एवं एल एफ सी शामिल है।

नोट : उपर्युक्त विवरण बीमा आकलनकर्ता (एक्चुअरी) की रिपोर्ट पर आधारित है।

3.6 **ए एस 17 -खंड रिपोर्टिंग**

बैंक के परिचालनों को दो प्रमुख व्यावसायिक खंडों में विभाजित किया गया है ट्रेजरी परिचालन और बैंकिंग परिचालन प्रासंगिक सूचना विहित प्रपत्र में नीचे दी गई है ।

भाग क: व्यवसाय खंड

₹ करोड़ में

व्यवसाय खंड	ट्रेजरी परिचालन		बैंकिंग परिचालन						कुल	
			कार्पोरेट / थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन			
विवरण	31.03.16 को समाप्त वर्ष	31.03.15 को समाप्त वर्ष	31.03.16 को समाप्त वर्ष	31.03.15 को समाप्त वर्ष	31.03.16 को समाप्त वर्ष	31.03.15 को समाप्त वर्ष	31.03.16 को समाप्त वर्ष	31.03.15 को समाप्त वर्ष	31.03.16 को समाप्त वर्ष	31.03.15 को समाप्त वर्ष
राजस्व	4037	4235	4649	5064	2468	2439	19	18	11173	11756
परिणाम	1243	1301	1106	1427	887	909	19	18	3255	3655
अनावंटित व्यय									1433	1227
परिचालन लाभ									1812	2428
आयकर									(429)	198
असाधारण										
लाभ / हानि									-	-
शुद्ध लाभ / (हानि)									**(282)**	**256**
अन्य सूचना									-	-
खंड आस्तियाँ	46823	43385	47059	46986	21001	19777	-	-	114883	110148
अनावंटित आस्तियाँ									14548	12879
कुल आस्तियाँ									**129431**	**123026**
खंड देयताएँ	44764	41395	44973	44829	20067	18869	-	-	109804	105093
अनावंटित										
देयताएँ									13308	9521
कुल देयताएँ									**123112**	**123026**

भाग ख : भौगोलिक खंड – चूँकि बैंक की विदेश में कोई शाखा नहीं है, इसलिए भौगोलिक खंड में रिपोर्ट अप्रयोज्य है।

3.7 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (ए एस-18) (प्रबंधन द्वारा संकलित)

3.7.1 संबधित पार्टियों के नाम एवं बैंक के साथ उनका संबंध:

सहयोगी:

क्रम.सं.	नाम	
1.	असम ग्रामीण बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
2.	बंगीय ग्रामीण विकास बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
3 .	मणिपुर ग्रामीण बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
4.	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

क्रम.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री पी. श्रीनिवास	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2.	श्री संजय आर्य	कार्यपालक निदेशक
3.	श्री के. वी. राममूर्ती	कार्यपालक निदेशक (कार्यग्रहण 29.08.2015)
4.	श्री दीपक नारंग	कार्यपालक निदेशक (सेवानिवृत्त 31.03.2015)
5.	श्री संजीब पति	निदेशक
6.	श्री ए.के.डोगरा	निदेशक
7.	श्रीमती रेणुका मुद्द	निदेशक
8.	श्री एस.सूर्यनारायण	निदेशक
9.	श्री अर्णव राय	निदेशक

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार :

क्रम संख्या	नाम	के रिश्तेदार :
1.	श्रीमती नीरा आर्य	श्री संजय आर्य की धर्मपत्नी

3.7.2 संबंधित पार्टी के प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

मदें / संबंधित पार्टी	एसोसिएटस		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार		कुल	
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
उधारी	2053.00	1470.00	0.410	शून्य	शून्य	शून्य	2053.41	1470.00
जमा	1197.48	4348.42	0.34	0.76	0.04	0.30	1197.86	4349.48
जमा राशि का नियोजन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अग्रिम	2053.00	1470.00	शून्य	0.11	शून्य	शून्य	2053.00	1470.11
निवेश: सामान्य शेयर सामान्य शेयर	शून्य	शून्य	कुल 400	कुल 200	शून्य	कुल 100	कुल 400	कुल 200 कुल 100
आरआरबी के शेयर	3.85	3.85	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3.85	3.85
बॉण्डस	64.30	36.97	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	64.30	36.97
गैरवित्त पोषित प्रतिबद्धता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उठाए गए लीजिंग / एचपी व्यवस्था	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रदान की गई लीजिंग / एचपी व्यवस्था	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अचल संपत्तियों की खरीद	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अचल संपत्तियों की बिक्री	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ब्याज का भुगतान	150.66	316.70	0.00	0.03	शून्य	शून्य	150.66	316.73
प्राप्त ब्याज	60.49	150.50	0.02	0.00	शून्य	0.03	60.51	150.53
प्रदान की जानेवाली सेवाएँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्राप्त होनेवाली सेवाएँ:								
- पारिश्रमिक#	शून्य	शून्य	0.63	0.89	शून्य	शून्य	0.63	0.89
- बैठक शुल्क			0.15	0.06			0.15	0.06
प्रबंधन संविदा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के लिए अदा किए गए पारिश्रमिक:

क्रम संख्या	नाम	पद	मद	वर्ष 31.03.2016 को समाप्त होने वाला वर्ष (रू मे रु)	वर्ष 31.03.2015 समाप्त हो गया (रू में रु)
1.	श्री पी श्रीनिवास	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	वेतन और भत्ते	22,03,783.15	5,06,301.00
2.	श्री संजय आर्य	कार्यपालक निदेशक	वेतन और भत्ते	24,58,617.85	21,16,054.00
4.	श्री के वी रामामूर्ती	कार्यपालक निदेशक	वेतन और भत्ते	10,04,250.00	0.00
5.	श्री दीपक नारंग	सेवा निवृत्त कार्यपालक निदेशक	वेतन और भत्ते	5,50,000.00	21,94,130.00
6.	संजीब पति	निदेशक	वेतन और भत्ते	7,80,822.38	6,52,171.00

नकदी आधार पर कार्यनिष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन राशि सहित ।

नोट : क) संबंधित पार्टियों की / से किसी बकाया राशि का बट्टाखाता / प्रतिलेखन नहीं किया गया ।

(ख) संबंधित पार्टियों के बकाया के संबंध के कोई प्रावधान अपेक्षित नहीं है ।

3 .8 पट्टा (एएस 19) (प्रबंधन द्वारा संकलित)

क) पट्टा किराए का निर्धारण संबंधित वर्ष में लाभ और हानि खाते के व्यय के रूप में की जाती है ।

ख) परिचालित पट्टे के लिए भविष्य में भुगतानयोग्य पट्टा किराया (प्रबंधन द्वारा संकलित एवं प्रमाणित)

(रु. करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	तक	
		31.03.2016	**31.03.2015**
क	1 वर्ष से अधिक नहीं	66.98	58.92
ख	1 वर्ष से अधिक किंतु 5 साल से अधिक नहीं	228.20	201.66
ग	5 वर्ष से अधिक	182.84	182.16
	कुल	**478.01**	**442.74**
लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित राशि		83.37	76.85

i) भावी पट्टा किराया एवं किराए में वृद्धि का निर्धारण सहमत शर्तो पर होता है ।

ii) शर्त की समाप्ति पर सामान्यतया बैंक को पूर्व निर्धारित आगामी अवधि के लिए पट्टे को बढाने का विकल्प रहता है ।

3.9 20 प्रति शेयर आय (ए एस 20)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
इक्विटी शेयर धारकों के लिए कराधान के बाद उपलब्ध शुद्धलाभ / हानि (₹ करोड़ में)	(281.96)	255.95
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	83,95,15,951	67,77,93,389
प्रति शेयर (रूपये) मूल एवं हल्की आय (₹)	(3.36)	3.78
प्रति शेयर (रूपये) सामान्य मूल्य (₹)	10.00	10.00

3 .10 ए एस 21 समेकित वित्तीय विवरण / ए एस 23 समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेश का लेखा

बैंक की कोई सहायक संस्था नहीं है और इसलिए ए एस 21 और ए एस 23 लागू नहीं होता ।

3 .11 ए एस 22 आय पर करों का लेखा

(क) वर्ष के दौरान आयकर के प्रावधान नीचे दी गई है : (रु. करोड़ में)

ब्योरे	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
टैक्स का प्रावधान	शून्य	339. 26

(ख) आस्थगित कर आस्तियों / देयताओं के मुख्य संघटक निम्नानुसार हैं : (रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष में	31.03.2015 को समाप्त वर्ष में
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	705.36	263.61
कर्मचारी लाभ	0.78	143.03
अन्य वस्तुएं	355.51	120.58
स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास	15.25	शून्य
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	333.82	शून्य
आस्थगित कर देयताएँ	85.01	72.03
अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास	शून्य	शून्य
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (VIII) के तहत विशेष आरक्षित	76.14	72.03
आस्ति वसूली कंपनी को आस्तियों की बिक्री पर हुई हानि	8.91	शून्य

(ग) इस बैंक ने रु. 333.82 करोड़, रु.147.90 करोड़ और रु.14.24 करोड़ की आस्तिगत कर आस्तियों की पहचान की है। इसका कारण है समय का अंतराल और इस अंतराल का कारण है डूबे हुए और संदिग्ध ऋणों के लिए कटौती के बाद भी क्रमश: अधिक प्रावधान किया जाना, मियादी ऋण पर ब्याज निधियन और खाद्य ऋणों के लिए प्रावधान। यह आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान के अंतर्गत किया गया है। इससे पहले इसकी पहचान नहीं की गई थी।

3.12 **ए एस 28 - आस्तियों की हानि**

स्थायी आस्तियों की कोई उल्लेखनीय हानि नहीं हुई है। अतः प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

3.13 **ए एस 29 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियॉ**

लेखा के अंश वाले नोट के उपर्युक्त स्थानों पर महत्वपूर्ण प्रावधानों में परिवर्तन का उल्लेख किया गया है ।

4. अतिरिक्त प्रकटीकरण

4.1 प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय

'लाभ एवं हानि लेखा में व्यय' शीर्ष के तहत दिखाए गए 'प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं' का विश्लेषण इस प्रकार है : (₹ करोड़ में)

विवरण	को समाप्त वर्ष	
	31.03.2016	**31.03.2015**
निवेश पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान	(1.09)	(70.43)
अनर्जक आस्तियों (ऋण एवं अग्रिम) हेतु प्रावधान	1769.17	844.87
पुनर्गठित मानक आस्तियों सहित मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	423.77	325.82
आयकर (आस्तिगत कर सहित) हेतु किए गए प्रावधान	(428.73)	*339.26
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ		
- कर्मचारियों के लाभ हेतु प्रावधान (ए एस-15)	913.74	628.37
- गैर-निष्पादित निवेश के लिए प्रावधान	44.01	20.11
- अस्थिर (फ्लोटिंग) प्रावधान	(52.76)	(52.75)
- अन्य प्रावधान	273.18	136.70
कुल	**2093.75**	**2171.95**

*पिछले वर्षों के संबंध में 78.85 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान के उलट सहित वर्ष के दौरान आयकर के लिए प्रावधान ।

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं.आरबीआई / 2014-15 / 535 डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.83 / 21.04.048 / 2014-15 दिनांक 01.04.2015 के अनुसरण में धोखाधड़ी/ संदिग्ध धोखाधड़ी के संबंध में बैंक ने 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान रु62.38 करोड़ का एक प्रावधान बना दिया है (हर वर्ष रु2.09 करोड़) और आरबीआई के पररिपत्र सं.आरबीआई / 2015-16 / 376 डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.92.21./04.048/2015-16 दिनांक 18.04.2016 के अनुसार रु53.74 करोड़ राजस्व और अन्य प्रारक्षित के लिए डेबिट किया गया है। इसे डेबिट द्वारा लाभ एवं हानि खाते में अगले वित्त वर्ष की तिमाहियों में रिवर्स कर दिया है ।

4.2 **अस्थायी प्रावधान (काउंटर साइक्लिकल प्रावधानीकरण बफर)**

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	को समाप्त वर्ष	
		31.03.2016	31.03.2015
क)	अस्थायी प्रावधान खाते में शेष राशि	52.76	105.51
ख)	वर्ष के दौरान किए गए अस्थायी प्रावधानों की मात्रा	0.00	0.00
ग)	लेखांकन के लिए वर्ष के दौरान किए गए ड्रा डाउन	52.76	52.75
घ)	अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष	0.00	52.76

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.संख्या.बीपी.2/21.04.048/2015-16 दिनांक 01 जुलाई, 2015 के खंड 6.5(ए)(ए)(ii) अनुसार बैंक ने 1 अप्रैल, 2015 तक धारित रु52.76 करोड़ के अपने काउंटर साइक्लिकल/फ्लोटिंग प्रावधान का आस्ति पुनःसंरचना कंपनी को शुद्ध बही मूल्य के निम्न आस्तियों की बिक्री के कारण हुई हानि के समायोजन के लिए अपनी काउंटरसाइक्लिकल / अस्थायी प्रावधान का 50% का उपयोग किया है ।

4.3 **रिजर्व से आहरण द्वारा कमी**

आरबीआई परिपत्र सं. आरबीआई/2014-15/535 डीबीआर सं.बीपी.बीसी.83/21.04.048/2014-15 दिनांक 01.04.2015 के अनुसार बैंक ने धोखाधड़ी/संभावित धोखाधड़ी हेतु प्रावधान के एवज में राजस्व आरक्षित से रु53.74 करोड़ आहरित किया है ।

4.4 **शिकायतों का प्रकटीकरण:**

क) ग्राहक शिकायतें:

क्रम सं.	विवरण	संख्या
(क)	वर्ष के प्रारंभ तक लंबित शिकायतों की संख्या	517
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	47131
(ग)	वर्ष के दौरान निवारित शिकायतों की संख्या	47176
(घ)	वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या	472

ख)बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय

क्रम सं.	विवरण	संख्या
(क)	वर्ष के प्रारंभ तक अकार्यान्वित अधिनिर्णयों	0
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय	2
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों	1
(घ)	वर्ष के अंत तक अकार्यान्वित अधिनिर्णयों	1

4.5. बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र (एल ओ सी) का प्रकटीकरण

क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान क्रेताओं को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बैंक ने रू. 827.25 करोड़ (विगत वर्ष में रु. 5187.84 करोड़) की राशि के 510 (विगत वर्ष में 378) एल ओ सी जारी किए।

ख) 31.03.2016 तक रू. 388.46 करोड़ (विगत वर्ष में रु. 312.71 करोड़) के कुल 237 (विगत वर्ष में 212) बकाया एल ओ सी है।

4.6. प्रावधान कवरेज अनुपात (पी सी आर)

31.03.2016 तक बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात (पी सी आर) 53.36% है।

4.7. बैंकएश्योरेंश व्यवसाय :

₹ करोड़ में

विवरण	को समाप्त वर्ष	
	31.03. 2016	31.03. 2015
जीवन बीमा व्यवसाय	2.87	2.62
गैर-जीवन बीमा व्यवसाय	3.29	3.25
म्यूचुअल फंड	शून्य	शून्य
अन्य	0.06	0.11

4.8 जमा, अग्रिम, जोखिम एवं एन पी ए का सर्केन्द्रीकरण

4.8.1 जमा का सर्केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	को समाप्त वर्ष	
	31.03.2016	31.03.2015
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशि	4923.14	5380.65
बैंक के कुल जमाओं के सापेक्ष बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं के जमा का प्रतिशत	4.23%	4.94%

4.8.2 अग्रिमों का सर्केद्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	को समाप्त वर्ष	
	31.03.2016	31.03.2015
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं का कुल अग्रिम	11662.22	11767.46
बैंक के कुल अग्रिम के सापेक्ष बीस बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिम का प्रतिशत	16.33%	17.04%

4.8.3 निवेशों का सर्केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	को समाप्त वर्ष	
	31.03.2016	31.03.2015
बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ग्राहकों का कुल निवेश	15262.61	16225.81
ऋणकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल निवेश की तुलना में बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ग्राहकों के निवेश का प्रतिशत	19.48%	15.08%

4.8.4 **एन पी ए का सर्केन्द्रीकरण :**

₹ करोड़ में

विवरण	को समाप्त वर्ष	
	31.03.2016	**31.03.2015**
शीर्ष चार एन पी ए खातों का कुल निवेश	1713.79	933.79

4.9 क्षेत्रवार एन पी ए

₹ करोड़ में

क्रम सं.	क्षेत्र	31.03.2016 को समाप्त वर्ष			31.03.2015 को समाप्त वर्ष		
		कुल बकाया अग्रिमों	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम करने के लिए सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिमों	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम करने के लिए सकल एनपीए का प्रतिशत
क.	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र						
1.	कृषि और संबद्ध गतिविधियां	9460.65	1126.96	11.91	8594.61	1322.96	15.39
2.	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण के पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम	4428.16	989.71	22.35	5962.15	862.28	14.46
3.	सेवाएं खुदरा	6044.90	881.18	14.57	6381.97	883.43	13.84
	खुदरा व्यापार	2866.04	567.28	19.79	2539.47	487.81	19.21
	अन्य	3178.86	313.90	9.87	3842.50	395.62	10.30
4.	व्यक्तिगत ऋण	6074.33	188.68	3.11	5478.72	162.54	2.97
	उप कुल (क)	**26008.04**	**3186.53**	**12.25**	**26417.45**	**3231.21**	**12.23**
ख.	**गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
1.	कृषि और संबद्ध गतिविधियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	**उद्योग**	25690.72	5180.25	20.16	24020.93	2627.17	10.93
	- लौह एवं इस्पात	4751.18	2413.21	50.79	5005.35	758.99	15.16
	- पावर	9335.32	166.38	1.78	9484.11	-	-
	- अन्य	11604.22	2600.66	22.41	9531.47	1868.18	19.60
3.	सेवाएं	11769.29	883.15	7.50	10656.21	460.82	4.32
	- एनबीएफसी	6183.99	-	0.00	6010.08	-	-
	- अन्य की तुलना एनबीएफसी वित्त और बैंकिंग	3293.34	-	-	3255.86	2.10	7.31
	- अन्य	2291.96	883.15	38.53	1420.27	458.72	32.30
4.	व्यक्तिगत ऋण	6578.03	221.08	3.36	6572.24	233.54	3.55
	उप कुल (ख)	**44038.04**	**6284.48**	**14.27**	**41249.38**	**3321.53**	**8.05**
ग.	**खाद्य ऋण (एफसीआई)**	**1365.92**	**शून्य**	**शून्य**	**1403.05**	**शून्य**	**शून्य**
	उपकुल (सी)	**1365.92**	**शून्य**	**शून्य**	**1403.05**	**शून्य**	**शून्य**
	कुल (ए+बी+सी)	**71412.00**	**9471.01**	**12.63**	**69069.88**	**6552.74**	**9.49**

4.10 **एनपीए का संचरण**

₹ करोड़ में

विवरण	को समाप्त वर्ष	
	31.03.2016	**31.03.2015**
1 अप्रैल, 2015/2014 की स्थिति के अनुसार सकल एनपीए	6552.91	7118.01
वर्ष के दौरान योग (नये एन पी ए)	5011.65	4087.17
उप–योग (क)	11563.96	11205.18
घटाव:		
(i) उन्नयन	348.93	2655.01
(ii) वसूलियाँ (उन्नयित खातों से की गई वसूलियों के अतिरिक्त)	541.42	1236.58
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते	586.56	708.99
(iv) ऊपर के (iii) के अतिरिक्त बट्टे खाते	62.86	51.69
(v) 31 मार्च, 2016 तक आस्तियों की बिक्री	553.18	51.69
उप–योग (ख)	2092.95	4652.27
31 मार्च, 2016/2015 को सकल एन पी ए (क–ख)	9471.01	6552.91

4.11 **तकनीकी बट्टेखाते डालने का स्टॉक एवं तत्पश्चात् वसूली**

₹ करोड़ में

विवरण	को समाप्त वर्ष	
	31.03.2016	**31.03.2015**
1अप्रैल, 2015 को प्रारम्भिक खाते का तकनीकी एवं बट्टे खाते	3281.48	2650.10
जोड़: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टेखाते	586.56	708.99
उप–योग (क)	3868.04	3359.09
घटाव: वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी एवं विवेकपूर्ण बट्टेखाते में वसूली (ख)	154.37	77.81
31 मार्च 2016/2015 शेष राशि	3713.67	3281.48

4.12 **विदेशी आस्तियाँ, एन पी ए एवं राजस्व :**

₹ करोड़ में

विवरण	को समाप्त वर्ष	
	31.03.2016	**31.03.2015**
कुल आस्तियाँ (नोस्ट्रो रकम)	61.93	23.45
कुल एन पी ए	शून्य	शून्य
कुल राजस्व	7.49	2.47

4.13 ऑफ बैलेंस शीट एसपीवी प्रायोजित (लेखांकन मानकों के अनुसार समेकित किया जाना आवश्यक है)

₹ करोड़ में

31.03.2016 को समाप्त वर्ष प्रायोजित एस पी वी का नाम		31.03.2015 को समाप्त वर्ष प्रायोजित एस पी वी का नाम	
घरेलू	विदेशी	घरेलू	विदेशी
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.14. अपरिशोधित पेंशन और ग्रेच्युटी देयताएं

बैंक की किसी प्रकार की अपरिशोधित पेंशन और ग्रेच्युटी देयताएं नहीं है ।

4.15 क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप

वर्ष 2015-16 साथ ही साथ वर्ष 2014-15 में बैंक ने किसी भी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप को आरंभ नहीं किया है ।

4.15 अंतः समूह ऋण जोखिम

₹ करोड़ में

क्रम सं.	अंतः समूह ऋण जोखिम का विवरण	तक	
		31.03.2016	31.03.2015
1	अंतः समूह ऋण जोखिम की कुल राशि	शून्य	शून्य
2	शीर्ष 20 अंतः समूह ऋण जोखिम की कुल राशि	शून्य	शून्य
3	उधारकर्ताओं / ग्राहकों पर बैंक के कुल जोखिम से अंतः समूह ऋण जोखिम का प्रतिशत।	शून्य	शून्य
4	यदि कोई है तो उस पर नियामक कार्रवाई और अंतः समूह ऋण जोखिम की सीमा के उल्लंघन का विवरण।	शून्य	शून्य

4.16 **शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईएएफ) के जमाकर्ता के हस्तांतरण**

₹ करोड़ में

विवरण	तक	
	31.03.2016	31.03.2015
डीईएएफ को अंतरित आरंभिक शेष राशि	43.73	--
जोड़ : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि	14.16	43.73
घटाव : दावों की ओर डीईएएफ द्वारा प्रतिपूर्ति राशि	--	--
डीईएएफ को अंतरित अंतिम शेष राशि	57.89	43.73

4.17 **अनहेज्ड विदेशी मुद्रा जोखिम**

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार होनेवाली हानि एवं ईबीआईडी पर विचार करते हुए वृद्धिशील प्रावधान/अपेक्षित पूंजी का हिसाब किया गया है । बैंक द्वारा 31 मार्च, 2016 तक आन-हेज्ड विदेशी मुद्रा निवेश, वृद्धिशील प्रावधान एवं पूंजी अपेक्षा निम्नप्रकार उपलब्ध कराया गया है :

₹ करोड़ में

वृद्धिशील प्रावधान (मौजूदा आस्ति प्रावधान मानक के उपर)	उधारकर्ताओं के आन-हेज्ड विदेशी मुद्रा निवेश वृद्धिशील अपेक्षित पूंजी
1.11	0.32

4.18 **चलनिधि कवरेज अनुपात***

4.18.1 **प्रकटीकरण**

₹ करोड़ में

		31.03.2016 को समाप्त वर्ष		31.03.2015 को समाप्त वर्ष	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता तरल संपत्ति					
1.	**कुल उच्च गुणवत्ता तरल संपत्ति (एचक्यूएलए)**		**21762.03**		**19542.76**
	नकदी बाह्य प्रवाह				
2.	**छोटे व्यवसाय के ग्राहकों, जिनमें से खुदरा जमा और जमा:**	**89599.63**	**5251.08**	**82700.08**	**4880.35**
(i)	स्थिर जमा	74177.73	3708.89	67793.25	3389.66
(ii)	घटाव स्थिर जमा	15421.90	1542.19	14906.83	1490.69
3.	**असुरक्षित थोक निधीकरण, जिनमें से :**	**11578.57**	**7176.74**	**10475.77**	**6602.90**
(i)	परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षों)	142.37	35.59	शून्य	शून्य
(ii)	गैर परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षों)	11436.20	7141.15	11436.20	6602.90
(iii)	असुरक्षित ऋण	0.00	0.00	शून्य	शून्य
4.	**सुरक्षित थोक निधीकरण**	1729.00	0.00		शून्य
5.	**अतिरिक्त आवश्यकताओं, जिनमें से**	**12313.31**	**1800.99**	**3312.61**	**587.83**
(i)	व्युत्पन्न जोखिम और अन्य जमानत के आवश्यकताओं से संबंधित बाह्य प्रवाह	0.00	0.00	शून्य	शून्य
(ii)	ऋण उत्पादों पर धन की हानि से संबंधित बाह्य प्रवाह	0.00	0.00	शून्य	शून्य
(iii)	क्रेडिट और तरलता की सुविधायें	6049.59	1160.28	3312.61	587.83
6.	अन्य संविदात्मक दायित्वों के निधीकरण	**5918.97**	**295.95**	**336.33**	**336.33**
7.	अन्य दल के निधीकरण के दायित्वों	**344.75**	**344.75**	**4525.52**	**226.28**
8.	कुल नकदी बाह्य प्रवाह		14228.81		12633.69
नकदी अंतर्वाह प्रवाह					
9.	सुरक्षित ऋण (जैसे रेपो रिवर्स)	0.00	0.00	311.33	शून्य
10.	पूरी तरह से प्रदर्शन कर जोखिम से अंतर्वाह प्रवाह	4719.22	4418.17	560.25	280.13
11.	अन्य नकदी अंतर्वाह प्रवाह	1415.48	827.63	2714.35	2414.35
12.	**कुल नकदी अंतर्वाह प्रवाह**		5245.80	3585.93	2694.48
					कुल समायोजित मूल्य
21.	**कुल एचक्यूएलए**		21762.03		19542.76
22.	**कुल शुद्ध नकदी बाह्य प्रवाह**		8983.01		9939.21
23.	**चलनिधि कवरेज अनुपात (%)**		242.26		196.62

₹ करोड़ में

वित्त वर्ष 201516 की चार तिमाहियों तक एलसीआर	
समाप्त तिमाही	एलसीआर (%)
जून, 2015	210.63
सितंबर, 2015	209.56
दिसंबर, 2015	212.44
मार्च, 2016	242.26

* उपर्युक्त प्रकटीकरण बैंक प्रबंधन द्वारा अनुपालित एवं प्रमाणित किया गया है।

4.18.2 **एलसीएआर के गुणात्मक प्रकटीकरण**

भार रहित उच्च गुणवत्ता चनिधि आस्ति (एचक्यूएलएएस) का प्रयाप्त सतर बनाए रखना सुनिश्चित करना चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) मानक का उद्देश्य है । इसे पर्यवेक्षक द्वारा विहित अत्यंत महत्वपूर्ण चलनिधि संकट परिदृश्य में 30 दिनों के केलेंडर दिवस के बीच चनिधि अपेक्षा को पूरा करने के लिए परिवर्तित किया जा सकता है । बैंक ने उसे कार्यान्वित किया है और 1 जनवरी, 2015 से उसे हिसाब कर रहा है ।

संकट कालीन परिदृश्य में 30 केलेंडर दिवस में एचक्यूएलए के अनुपात के रूप में शुद्ध नकदी बाहरी प्रवाह में एलसीआर की गणना की जाती है ।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को 31.03.2016 तक एलसीआर का न्यूनतम 70% निर्वाह करना है ।

बैंक का एलसीआर 242.26% में निर्धारित किया गया , जोकि नियामक द्वारा निर्धारित न्यूनतम अपेक्षा है ।

4.19 क) पंजीकरण औपचारिकता रु2.57 करोड़ के मामले में लंबित है, डब्ल्यूडीभी 31.03.2016 को रु2.37 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष रु 2.11 करोड़ रुपये)

ख) परिसर में पट्टे संपत्ति 76.90 करोड़ रुपए (शुद्ध परिशोधन) 31.03.2016 तक (विगत वर्ष रु 75.87 करोड़)

5. बैंक के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, कुछ आपूर्तिकर्ताओं / सेवाओं जो सूक्ष्म और लघु के संबंध में सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम विकास अधिनियम 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006) के तहत जिनका पंजीकरण हुआ है, एमएसएमईडी द्वारा अपेक्षित सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम के संबंध में जानकारी ।

₹ करोड़ में

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष 31.03.2016	विगत वर्ष 31.03.2015
1	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को अप्रदत मूल राशि और उस पर ब्याज मूल राशि : ब्याज :	शून्य	शून्य
2	एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियुक्त दिन से परे के लिए खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई राशि	शून्य	शून्य
3	भुगतान करने में हुए विलंब की वजह से उक्त अवधि के लिए देय ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान भुगतान कर दिया है लेकिन नियत दिन से परे) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज जोड़ने के बगैर ।	शून्य	शून्य
4	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित की गई ब्याज की राशि और बकाया शेष।	शून्य	शून्य
5	देय शेष ब्याज की राशि और अगले वर्षो में देय, उक्त तारीख तक, एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 23 के तहत प्रतिबंध के उद्देश्य से कटौती किए जाने वाले व्यय के रूप में छोटे उद्यमों को देय ब्याज और किए गए वास्तविक भुगतान ।	शून्य	शून्य

6. पिछले वर्ष के आंकड़े को पुनः समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया जहां भी चालू वर्ष के आंकड़े से तुलना की गई ।

31.03.2016 तक यह अनुसूची का एक भाग है ।

पि.श्रीनिवास
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संजय आर्य
कार्यपालक निदेशक

के.वी राममूर्ती
कार्यपालक निदेशक

अर्णव राय
निदेशक

ए. के. डोगरा
निदेशक

प्रत्यूष सिन्हा
निदेशक

रेणुका मुट्टू
निदेशक

एस.सूर्यनारायण
निदेशक

संजय कुमार
महाप्रबंधक एवं सीएफओ

परिशिष्ट में दी गई समसंख्यक तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट अनुसार

मेसर्स रामामूर्ती (एन) एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002899एस

सी. ए. सुरेंद्र नाथ भारती
भागीदार
एम.सं.: 023837

मेसर्स नंदी एंड एसोसिएटस
सनदी लेखाकार
एफआरएन 309090ई

सी. ए. सौमेन नंदी
भागीदार
एम.सं.:059828

मेसर्स पी.सी.बिंदल एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन 003824एन

सी.ए. समित गुप्ता
भागीदार
एम.सं.: 093783

मेसर्स एस.पी.एम.आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 007578एन

सी. ए. प्रमोद कुमार माहेश्वरी
भागीदार
एम.सं.: 085362

दिनांक : 17.05.2016
स्थान : कोलकाता

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण		(₹ '000 में)			
		समाप्त वर्ष			
		31 मार्च 2016		31 मार्च 2015	
क	परिचालनगत क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
	कर के पश्चात शुद्ध लाभ	(2,819,588		2,559,922	
	योग : आयकर	-		2,200,000	
	घटाव : वसूलीयोग्य एमएटी	-		2,200,000	
	जोड़ : आस्थगित कर आस्तियां	(4,287,300)		1,981,100	
	कर पूर्व लाभ	(7,106,888)		4,541,022	
	समायोजन के लिए				
	स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास	1,027,575		1,057,196	
	घटाव : पुनर्मूल्यन अरक्षिति से निकाली गयी राशि	(160,786)		(148,223)	
	स्थायी आस्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि (शुद्ध)	380		5,802	
	निवेश हेतु मूल्यह्रास/प्रावधान (शुद्ध)	(10,892)		(704,252)	
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(4,237,700)		3,258,200	
	एन. पी. ए अग्रिमों के लिए प्रावधान	17,691,700		8,448,700	
	अन्य प्रावधान (शुद्ध)	7,494,441		10,716,885	
	अधीनस्थ बॉन्डों पर ब्याज	2,228,461		2,332,475	
	परिचालनगत आस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तनों के पहले परिचालनगत लाभ	**16,926,291**		**29,507,805**	
	परिचालनगत आस्तियों एवं देयताओं में शुद्ध परिवर्तन हेतु समायोजन				
	निवेश में ह्रास/(वृद्धि)	(14,767,993)		17,012,716	
	अग्रिमों में ह्रास/(वृद्धि)	(30,663,349)		(18,403,941)	
	जमाओं में वृद्धि/(ह्रास)	75,836,775		(26,921,097)	
	उधार में वृद्धि/(ह्रास)	(8,492,233)		(3,985,063)	
	अन्य आस्तियों में ह्रास/(वृद्धि)	(6,817,636)		(34,926,817)	
	अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/(ह्रास)	(8,471,026)		(9,296,488)	
	राजस्व प्रारक्षित में वृद्धि/(ह्रास)	(376,679)		42,153	
	अन्य प्रारक्षित में वृद्धि/(ह्रास)	1,812		-	
		23,175,962		**(46,970,732)**	
	परिचालनगत क्रियाकलापों से एकत्रित नकदी	**-**		**-**	
	कर (चुकाया गया)/वापसी	1,100,000		(1,060,000)	
	परिचालनगत क्रियाकलापों (क) से शुद्ध नकदी		24,275,962		(48,030,732)
ख	**निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	अचल आस्तियाँ (शुद्ध)	(896,326)		(449,783)	
	निवेश क्रियाकलापों (ख) से शुद्ध नकदी		**(896,326)**		**(449,783)**
ग	**वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	शेयर पूंजी जारी करके	4,800,000		(5,152,321)	
	शेयर प्रिमीयम	-		8,152,321	
	अधीनस्थ बॉन्ड जारी करके	(3,000,000)		-	
	अधीनस्थ बॉन्डों पर ब्याज	(2,228,461)		(2,332,475)	
	वित्तीय क्रियाकलापों (ग) से शुद्ध नकदी		**(428,461)**		**667,525**
घ	**नकदी में शुद्ध वृद्धि और नकदी तुल्य (क+ख+ग)**		**22,951,175**		**(47,812,990)**
	वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी तुल्य				
	हाथ में नकदी	5,030,200		4,336,022	
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशि	53,125,812		58,361,750	
	बैंको में शेष राशि एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	2,149,402	60,305,414	45,420,632	108,118,404
	वर्ष के अन्त में नकदी एवं नकदी तुल्य				
	हाथ में नकदी	5,588,093		5,030,200	
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशि	55,116,373		53,125,812	
	बैंको में शेष राशि एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	22,552,123	83,256,589	2,149,402	60,305,414

टिप्पणी : नकदी प्रवाह अप्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर तैयार किया गया है।

यह **31.03.2016** को नकदी प्रवाह विवरणी का एक भाग है

पि. श्रीनिवास
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संजय आर्य
कार्यपालक निदेशक

के.वी राममूर्ती
कार्यपालक निदेशक

अर्णव राय
निदेशक

ए. के. डोगरा
निदेशक

प्रत्यूष सिन्हा
निदेशक

रेणुका मुट्टू
निदेशक

एस.सूर्यनारायण
निदेशक

संजय कुमार
महाप्रबंधक एवं सीएफओ

परिशिष्ट में दी गई समसंख्यक तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट अनुसार

मेसर्स रामामूर्ती (एन) एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002899एस

सी. ए. सुरेंद्र नाथ भारती
भागीदार
एम.सं.: 023837

मेसर्स नंदी एंड एसोसिएटस
सनदी लेखाकार
एफआरएन 309090ई

सी. ए. सौमेन नंदी
भागीदार
एम.सं.:059828

मेसर्स पी.सी.बिंदल एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन 003824एन

सी.ए. समीत गुप्ता
भागीदार
एम.सं.: 093783

मेसर्स एस.पी.एम.आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 007578एन

सी. ए. प्रमोद कुमार माहेश्वरी
भागीदार
एम.सं.: 085362

दिनांक : 17.05.2016
स्थान : कोलकाता

स्तंभ 3 प्रकटीकरण 31 मार्च 2016 बासेल 3 नियमों के तहत

सारणी डीएफ1: आवेदन की गुंजाइश

बैंकिंग समूह के प्रमुख के नाम जिसके लिए यह ढांचा लागू होता है :

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

(1) गुणात्मक प्रकटीकरण :

क. समेकन के लिए विचार समूह संस्थाओं की सूची.

निगमन संस्था/ देश का नाम	लेखा समेकन संभावना के अंतर्गत क्या उक्त संस्था समाहित है (हां/नहीं)	समेकन की विधि के बारे में बताएं	नियामक समेकन संभावना के अंतर्गत क्या उक्त संस्था समाहित है (हां/नहीं)	समेकन की विधि के बारे में बताएं	समेकन की विधि में अंतर के लिए कारणों की व्याख्या करें	समेकन की केवल संभावना के अंतर्गत अगर समेकित है तो तत्संबंधी कारण की व्याख्या
शून्य						

* बैंक का कोई सहायक नहीं है इस लिए समेकन की आवश्यकता नहीं है।

ख. लेखांकन और समेकन के नियामक दायरे के तहत दोनों समेकन के लिए माना जाता है।

निगमन संस्था/देश का नाम	संस्था की प्रमुख गतिविधि	कुल बैलेंस शीट इक्विटी (जैसा कि कानूनी इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में कहा गया है)	कुल इक्विटी में बैंक की हिस्सेदारी का प्रतिशत	संस्था की पूंजी उपकरणों में बैंक के निवेश का विनियामक उपचार	कुल बैलेंस शीट परिसंपत्ति (जैसा कि कानूनी इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में कहा गया है)
शून्य					

लेखांकन की संभावना का समेकन और नियामक की संभावना का समेकन दोनों के तहत समेकन के लिए किसी प्रकार की समूह संस्थाओं पर विचार नहीं किया गया। बैंक के चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं जो पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना के लिए सहयोगियों के रूप में माने जाते हैं ।

(2) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

ग. समेकन के लिए विचार समूह संस्थाओं की सूची:

निगमन संस्था/देश का नाम (जैसा कि 1(क) में उल्लेख किया गया है)	इकाई की प्रमुख गतिविधि	कुल बैलेंस शीट इक्विटी (जैसा कि कानूनी इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में कहा गया है)	कुल बैलेंस शीट संपत्ति (जैसा कि कानूनी इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में कहा गया है)
शून्य			

घ. सभी सहायक कंपनियों में कुल कमी पूंजी की राशि जिसे नियामक संभावना के समेकन में शामिल नहीं किया गया है अर्थात् उसमें कटौती की गई है :

निगमन के लिए सहायक कंपनियों/ देश का नाम	इकाई की प्रमुख गतिविधि	कुल बैलेंस शीट इक्विटी (जैसा कि कानूनी इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में कहा गया है)	कुल इक्विटी में बैंक की हिस्सेदारी का प्रतिशत	पूंजी की कमी
शून्य				

ङ. बीमा संस्थाओं में बैंक के हितों की कुल राशि (अर्थात् मौजूदा बही मूल्य) जो जोखिम भारित हैं :

निगमन के लिए बीमा संस्थाओं/ देश का नाम	इकाई की प्रमुख गतिविधि	कुल बैलेंस शीट इक्विटी (जैसा कि कानूनी इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में कहा गया है)	मताधिकार का अनुपात/कुल इक्विटी के अनुपात में बैंक की हिस्सेदारी का प्रतिशत	जोखिम भारित विधि बनाम पूर्ण कटौती विधि का उपयोग कर पूंजी नियामक पर मात्रात्मक प्रभाव.
लागू नहीं				

च. बैंकिंग समूह के भीतर धन का अंतरण अथवा विनियामक पूंजी पर किसी तरह का प्रतिबंध या बाधाएं : बैंक की कोई भी सहायक संस्था नहीं है इसलिए प्रयोज्य नहीं होगा ।

सारणी: डी एफ-2 :
पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण :

वर्तमान और भविष्य के कार्य कलापों के समर्थन करने में बैंक द्वारा पूंजी पर्याप्तता का आकलन।

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नियामक मानदंडों को पूरा करने के लिए बैंक के जोखिम प्रोफाइल पर विचार करते हुए पूंजी अपेक्षा को प्रभावी ढंग से व्यवस्था करने के संबंध में और समग्र पूंजी पर्याप्तता के मूल्यांकन हेतु बैंक ने पूंजी अनुकूलन पर ध्यान देते हुए अपने व्यवसाय में एक पूर्ण परिभाषित उत्कृष्ट जोखिम प्रबंधन संरचना की है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के तहत 31 सितंबर 2015 से बैंक को सीईटी 1 के रुप में पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) 0.625% समेत सीईटी 1 अनुपात 6.125% का निर्वाह करना अपेक्षित है। इसके बाद बैंक को टियर 1 अनुपात में 7.625% और सीसीबी 0.625% समेत कुल सीआरएआर में 9.625% का निर्वाह करना जरुरी है।
- बैंक ने बासेल-III पूंजी विनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम परिमाण तथा सभी विनियामक सीमा का अनुपालन किया है। स्टेंडअलोन आधार पर बैंक की पूंजी पर्याप्तता अनुपात 31.03.2016 तक सीईटी अनुपात में 7.74%,टीयर-1 अनुपात 7.93%, टीयर-2 अनुपात 2.15% तथा सीआरएआर 10.08% है।
- बैंक जमाकर्ताओं एवं सामान्य लेनदारों को वित्तीय और आर्थिक, व्यापारिक क्षति से उत्पन्न होने, व्यवसाय आदि के मूल्य में वाले नुकसान की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पूंजी निर्वाह करता हैं।
- बासेल – III मानकों के तहत, बैंक द्वारा सीआरएआर की गणना के लिए निम्नलिखित विधियों को अपनाया गया है।
  - ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण।
  - परिचालनगत जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण।
  - बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि विधि।
- बैंक के पास आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) है जो सभी प्रकार के जोखिम दस्तावेजों की व्यापक समीक्षा, पुष्टि करने के लिए पर्याप्त पूंजी विनियोजन करता है। सभी प्रकार के और उचित पूंजी आवंटन को पुष्ट करने के लिए एक अच्छी तरह से पारिभाषित इसकी प्रगामी प्रक्रिया जहां बैंक विपरीत परिस्थितियों में पूंजी आवश्यकताओं की गणना करता है। यह एक सकारात्मक प्रक्रिया है जहा बैंक विपरीत परिस्थितियों में पूंजी आवश्यकताओं की गणनाक रताहै ।यहए कस ाकारात्मकप्र क्रियाहै ज ाहाँबैंकप्र तिकूलप ारिस्थितियोंक ाअ वधिके द ौरानप ारिचालनज ारीर खनेके क मर्ोअ पनीप ूंजीज ारुरतों और उसके महत्व और संसाधनों को पूरा करने का प्रयत्न करता है। पूंजी स्तर की अपेक्षा के निर्धारण के लिए संस्थान की जोखिम प्रोफाइल के अनुरुप भौतिक जोखिमों की पहचान की जाती है और उसे तय करके अंतिम रुप दिया जाता है।
- बासेल – III के चरण में सुचारु रुप से परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए उचित संक्रमणकालीन व्यवस्था पूंजी आदि के घटकों को न्यूनतम बासेल –III पुंजी अनुपात, पूर्ण नियामक समायोजन पूरा करने के लिए प्रदान किया गया है।
- बैंक की पूंजीगत रणनीति की प्रक्रिया, बैंक का वास्तविक पूंजीगत स्थिति का निर्धारण और भविष्य जोखिम लेने की क्षमता और व्यवसाय अनुमान के आधार पर पूंजीकोष जुटाने के लिए उपलब्ध विकल्प के साथ हेडरुम व्यवस्था।

  2015-16 में व्यापार प्रक्षेपण के आधार पर, बैंक के निदेशक मंडल के अनुमोदन से बैंक पूंजी जुटाता है।

टियर – 1 पुंजी में वृद्धि करने के लिए, भारत सरकार ने मार्च, 2016 में रु. 480/- करोड़ की राशि तक पूंजी सहायता उपलब्ध कराई है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान टीयर – 1 पूंजी बढ़ाने के लिए :

- बैंक ने रु. 480/- करोड़ राशि भारत सरकार से 30.03.2016 को पूंजी सहायता प्राप्त की। बैंक द्वारा उसे "शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन" के रुप में 31.03.2016 तक रखा जा रहा है। बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र सं. डीबीआर. सं.बीपी 12716/21.01.002/2015-16, दिनांक 06.04.2016 के अनुसार उक्त राशि को आम इक्विटी टीयर – 1 (सीईटी – 1) पूंजी निधि के भाग के रुप में 31.03.2016 तक विचार कर रहा है।
- बैंक ने सितंबर, 2015 में बासेल – III अनुपालित गैर अपरिवर्तनीय, बेमियादी बांड (1500 संख्या में) अंकित मूल्य प्रत्येक रु.10.00/- लाख के रु.150.00 करोड़ की अतिरिक्त टीयर-1 पूंजी भी उठाई है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण (रुपए करोड़ में)

क) आरड्ब्लूए के 9 % की दर से ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएं ● मानक दृष्टिकोण के अध्याधीन संविभाग : ● ऋण जोखिम प्रतिभूतिकरण :	 5224.03 0.00
ख) बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता : ● मानकीकृत अवधि दृष्टिकोणः - ब्याज दर जोखिम : - विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित) : - इक्विटी जोखिम :	 547.17 2.25 76.16
ग) परिचालन जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता : ● आधार संकेतक दृष्टिकोण :	 577.19
घ) आम इक्विटी टीयर 1 अनुपात (सीईटी) % टीयर 1 पूंजी अनुपात % कुल पूंजी अनुपात %	7.74 7.93 10.08

सारणी डी एफ-3

ऋण जोखिम: सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) अपने तुलनपत्र में वास्तविक वित्तीय स्थिति के प्रदर्शन के लिए बैंक ने अपने अग्रिम संविभाग के लिए विवेकाधिकार मानदंड के लिए आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के साथ विगत अतिदेय और अनर्जक (लेखांकन के उद्देश्य से) के तहत परिभाषा को अपनाया है ।

अनर्जक आस्ति

भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देश के अनुसरण में बैंक ने अपने अग्रिम को अर्जक और अनर्जक ऋण (एनपीएल) में वर्गीकृत किया है । एक ऋण या अग्रिम को निम्नप्रकार की स्थिति में एनपीए माना जाएगाः

1. यदि किसी मीयादी ऋण पर मिलने वाला ब्याज और/या मूल ऋण की किस्तें 90 दिनों से अधिक की अवधि बीत जाने के बावजूद मिलनी बंद हो जाएं।
2. यदि कोई ओवरड्राफ्ट / कैश केडिट (ओडी/सीसी) खाता 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अनियमित (आउट ऑफ़ ऑर्डर) हो जाए
3. बिल खरीद और बिल बट्टा के मामले में यदि कोई बिल 90 दिनों से अधिक अवधि तक अतिदेय हो जाए
4. अल्पावधि फसलों के मामले में यदि मूल ऋण की किस्त या उस पर ब्याज, फसल के दो मौसम से अधिक अवधि तक अतिदेय हो जाए,
5. दीर्घावधि फसलों के मामले में यदि मूल ऋण या उसका ब्याज, फसल के एक मौसम से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो जाए ।

खाता को अक्षम तभी माना जाएगा जब बकाया शेष स्वीकृत सीमा/ आहरण शक्ति से अधिक होकर 90 दिनों से अधिक के लिए रहती हो । जब मूल परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से कम है, लेकिन क्रमशः 90 दिनों के लिए ऋण खाते में तुलनपत्र की तारीख तक राशि जमा नहीं की जाती है अथवा उक्त अवधि के दौरान ब्याज प्रभार करने के लिए पर्याप्त धन राशि नहीं है उक्त खाते को अक्षम माना जाएगा ।

बैंक द्वारा तय की गई नियत तिथि पर ऋण सुविधा के तहत बैंक को देय राशि से संबंधित अतिदेय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है ।

पुनः भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत अनर्जक आस्ति को अवमानक, संदिग्ध और हानि आस्ति में वर्गीकृत किया गया है ।

- एक अवमानक परिसंपत्ति वह है जो 12 महीनों के बराबर अथवा उससे कम अवधि के लिए एनपीए के रुप में बनी रहती है ।
- एक संदिग्ध परिसंपत्ति वह है जो 12 महीनों से अधिक अवधि के लिए एनपीए के रुप में बनी रहती है ।
- हानि आस्ति वह होती है जिसे बैंक या उनके आंतरिक या बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण के दौरान हानि की पहचान की गई है, लेकिन राशि पूरी तरह से बट्टे खाते में नहीं डाली गयी है ।

गैर-निष्पादित निवेश

प्रतिभूतियों के संबंध में,जिसमें ब्याज / मूलधन बकाया है और बैंक को प्रतिभूतियों से आय नहीं प्राप्त होती है और निवेश के मूल्य पर ह्रास के लिए उपयुक्त प्रावधान किया गया है।

गैर निष्पादित अग्रिम (एनपीए) की तरह गैर निष्पादित निवेश (एनपीआई) एक ऐसा निवेश है जिसमें

1. ब्याज / किस्त (परिपक्वता आय सहित) बकाया है और 90 दिनों से अधिक तक चुकाया नहीं गया हो ।
2. यथोचित परिवर्तन सहित यही बात तरजीही शेयरों पर भी लागू होती है, जहां निश्चित लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है ।

3. इक्विटी शेयरों के मामले में, यदि किसी भी कंपनी के शेयरों में निवेश किया गया है और उस कम्पनी का अद्यतन तुलन पत्र उपलब्ध नहीं होने पर भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के अनुसार उसका मूल्य प्रति कम्पनी रू 1/- माना जाता है और उन इक्विटी शेयरों को गैर निष्पादित निवेश समझा जायेगा ।

4. जारीकर्ता द्वारा लिया गया ऋण यदि बैंक के खाते में गैर निष्पादित हो जाता है तो जारीकर्ता द्वारा जारी प्रतिभूति को गैर निष्पादित निवेश समझा जाता है और ऐसे निवेश को गैर निष्पादित आस्ति समझा जाता है ।

5. अग्रिम प्रकृति के डिबेंचरों / बांडों में निवेश, निवेश पर लागू होने योग्य गैर निष्पादित निवेश (एनपीआई) के मानदंडों के अधीन हैं ।

नीति और प्रक्रिया

अपनी ऋण नीति के रूप में, बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन पद्धति का सुदृढ़ ढांचा बना रखा है और विभिन्न जोखिम प्रबंधन नीतियों जैसे ऋण नीति, संपार्श्विक प्रबंधन नीति और तनाव परीक्षण नीति आदि विकसित की है। नीतियों का मुख्य उद्देश्य प्रबंधन की उम्मीद के अनुसार परिचालन को सुनिश्चित करना है और शीर्ष प्रबंधन की रणनीति को परिचालन स्तर पर सार्थक दिशाओं में ले जाना है।

नीतियाँ बड़े ऋण जोखिम पर विवेकपूर्ण सीमा, ऋण संपार्श्विक, पोर्टफोलियो प्रबंधन, ऋण समीक्षा तंत्र, जोखिम निगरानी और मूल्यांकन के प्रावधान व विनियामक / कानूनी अनुपालन के मानकों को निर्धारित करने के लिए है।

बैंक सकेंद्रित जोखिम का अध्ययन निम्न प्रकार से करता है :

(क) एकल और समूह उधारकर्ताओं के जोखिम ऋण सीमा को तय करके (ख) ग्रेड सीमा निर्धारण करके (ग) उद्योगवार जोखिम सीमा तय करके और (घ) अंचल में ऋण की भौगोलिक वितरण का विश्लेषण करके. सभी अंचल को चार खंडों अर्थात् उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। बैंक ने सभी शाखाओं/आंचलिक कार्यालयों में उधार खाते की रेटिंग को समझने के लिए रेटिंग/स्कोरिंग मॉडल संचालित किया है जो ऋण लेने और तदनुसार कार्यान्वित सॉफ्टवेयर के साथ जुड़े ऋण जोखिम को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन में ऋण जोखिम की पहचान, मूल्यांकन, माप, निगरानी और नियंत्रण शामिल हैं।

ऋण जोखिम की पहचान और समीक्षा की प्रक्रिया में, बैंक ने ऋण जोखिम के वर्गीकरण मानकों को विकसित करने और उसे परिष्कृत करने पर अधिक बल दिया है ताकि काउंटर पार्टी जोखिम की समीक्षा की जा सके और विभिन्न वर्गो में वर्गीकृत जोखिम जैसे वित्तीय, व्यापार, उद्योग, परियोजना एवं प्रबंधन जोखिम आदि को ध्यान में रखकर किया गया है, जिनमें प्रत्येक के लिए अलग से अंक बनाए गए है।

ऋण जोखिम की माप के तहत ऋण जोखिम की सीमा निश्चित की जाती है ताकि पोर्टफोलियो को बेहतरीन ढंग से स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त हो सके जैसे कंपनियों, कंपनी समूहों, उद्योगों, जमानती के प्रकार और भूगोल विविध आयामों के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। बेहतर जोखिम प्रबंधन और ऋण जोखिम की एकाग्रता से बचाने के लिए, बैंक में व्यक्तिगत और समूह उधारकर्ता, उद्योग ऋण जोखिम सीमा और पूंजी बाजार, अचल संपत्ति जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विवेकपूर्ण निवेश से संबंधित मानक आंतरिक मार्गदर्शन निर्धारित किए गए हैं। बैंक ऋण सुविधा की मंजूरी के लिए अच्छी तरह से परिभाषित बहुस्तरीय विवेकाधिकार संरचना का पालन करता है।

बैंक का ऋण जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलू जैसे मूल्यांकन, कीमत निर्धारण, ऋण अनुमोदन प्राधिकारी, प्रलेखीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी, ऋण समीक्षा, ऋण सुविधाओं का नवीकरण, ऋण के संबंध में विभिन्न समस्याओं का निराकरण, ऋण समीक्षा तंत्र आदि के संबंध में प्रक्रिया और नियंत्रण करता है ।

नियमित अंतराल पर बड़े-बड़े उद्योगों के पोर्टफोलियो का विश्लेषण किया जाता है ताकि बैंक के ऋण पोर्टफोलियो पर उद्योग विशेष या क्षेत्र विशेष के प्रभाव का अध्ययन किया जा सके और तत्कालीन बाजार की स्थिति का भी अध्ययन किया जा सके। पोर्टफोलियो के विश्लेषण के अंतर्गत विभिन्न पहलू शामिल हैं जैसे आस्ति की गुणवत्ता; निवेश के मानदंड का अनुपालन, जोखिम का स्तर जैसे अल्प,अधिक,और तदनुरूपी प्रतिफल और एनपीए स्तर आदि ।

बैंक ने अपनी बोर्ड अनुमोदित तनाव परीक्षण नीति बनाई है, जिसमें तर्कसंगत दबावपूर्ण व्यापार स्थिति के संबंध में संभाव्य अतिसंवेदनशीलता के मूल्यांकन के लिए विभिन्न तकनीक का प्रयोग शामिल है। उक्त नीति के अनुरूप बैंकिंग बही में नकदी जोखिम, ब्याज दर जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम, ऋण जोखिम, पूंजी पर्याप्तता पर प्रभाव और बैंक की लाभप्रदता पर प्रभाव से संबंधित यह परीक्षण छमाही आधार पर किया जाता है । बैंक की यह पूंजी समय समय पर विश्लेषित ऐसी तनाव स्थितियों में पर्याप्त पाई गई ।

बड़े उधारकर्ता खातों के लिए बैंक जोखिम वर्गीकरण बदलाव (रिस्क टेकिंग माइग्रेशन) पर विश्लेषण करता है । यह भारतीय रिज़र्व बैंक/बैंक के बोर्ड द्वारा निर्धारित ऋण जोखिम के मानदंड की छमाही समीक्षा भी करता है । बैंक ने उधारकर्ता खातों की रेटिंग के लिए सॉफ्टवेयर आधारित ऋण जोखिम रेटिंग मॉडल भी तैयार किया है।

इसके अतिरिक्त बैंक ने बोर्ड के अनुमोदन से ऋण जोखिम कम करने की तकनीक एवं संपार्श्विक प्रबंधन की नीति भी लागू की है जिसके अंतर्गत बैंक के हित के संरक्षण के लिए प्रतिभूतियों का पूरा ब्यौरा और इन प्रतिभूतियों के प्रशासन से संबंधित ब्यौरे का उल्लेख किया गया है। ये प्रतिभूतियाँ ऋण जोखिम कम करने के उपाय पर काम करती है।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

(रुपए करोड़)

	निधि आधारित	गैर निधि आधारित	कुल
(ख) कुल सकल ऋण जोखिम	71412.00	6873.14	78285.14
(ग) ऋण जोखिम का भौगोलिक वितरण			
विदेश में	शून्य	शून्य	शून्य
देश में	71412.00	6873.14	78285.14

(घ) उद्योग के प्रकार ऋण जोखिम वितरण

(रुपए करोड़ में)

कोड	उद्योग के नाम	निधि आधारित बकाया	गैर निधि आधारित बकाया
1	कोयला	0.00	0.00
2	खनन सहित कोयला	84.39	0.32
3	लौह एवं इस्पात	4751.18	291.01
4	धातु उत्पाद	74.90	0.08
5	सभी इंजीनियरिंग	1369.23	115.51
5.1	इसमें से इलैक्ट्रॉनिक्स	28.60	4.94
5.2	इसमें से अन्य को	1340.63	110.57
6	बिजली	0.00	0.00
7	कपड़ा	1510.41	124.74
7.1	इसमें से सूती कपड़ा	304.42	116.50
7.2	इसमें से जूट कपड़ा	42.27	2.32
7.3	इसमें से अन्य कपड़ा	1163.72	5.93
8	खाद्य संसाधन	1766.30	64.24
8.1	इसमें से चीनी	18.74	0.12
8.2	इसमें से चाय	478.47	5.82
8.3	इसमें से वनस्पति तेल और वनस्पति	54.92	0.16
8.4	इसमें से अन्य	1214.17	58.15
9	तंबाकू और तंबाकू उत्पाद	334.05	1.39
10	कागज और कागज उत्पाद	122.91	20.21
11	रबड़ और रबड़ उत्पाद	190.64	26.70
12	मूलभूत सुविधाएं	13241.12	1565.11
12.1	इसमें से बिजली	9335.32	442.04
12.2	इसमें से दूरसंचार	803.86	2.71
12.3	इसमें से सड़क और बंदरगाह	1950.98	942.15
12.4	इसमें से अन्य मूलभूत सुविधाएं	1150.96	178.21
13	सीमेंट	1056.74	43.45
14	चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	204.32	3.73
15	रत्न और आभूषण	426.40	71.46
16	निर्माण	1757.28	75.80
17	पेट्रोलियम	137.60	94.25
18	ट्रकों सहित ऑटोमोबाइल	605.65	1.01
19	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	14.46	0.51
20	रसायन, रंजक, पेंट्स आदि	1149.36	91.16
20.1	इसमें से उर्वरक	194.51	0.00
20.2	इसमें से पेट्रो रसायन	473.79	81.36
20.3	इसमें से ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स	481.06	9.80
21	एनबीएफसी	6183.99	0.19
22	अन्य उद्योग	1185.21	3514.75
23	अवशिष्ट अन्य अग्रिम (सकल अग्रिमों का बकाया)	35245.86	767.52
24	**कुल**	**71412.00**	**6873.14**

निम्नलिखित उद्योगों में 31.03.2016 तक निधि आधारित और गैर निधि आधारित ऋण जोखिम कुल निधि एवं गैर निधि आधारित ऋण जोखिम का 5% से अधिक था ।

निधि आधारित (एफबी) ऋण जोखिम			गैर निधि आधारित (एनएफबी) ऋण जोखिम		
क्र.सं	**उद्योग का नाम**	**कुल एफ बी का %**	**क्र.सं**	**उद्योग का नाम**	**कुल एन एफ बी का %**
1	बिजली	13.07	1	सड़क और पोर्ट	13.71
2	एनबीएफसी	8.66	2	बिजली	6.43
3	लौह एवं इस्पात	6.65			

(ङ) आस्तियों का अवशिष्ट सांविदिक परिपक्वता का अलग अलग विवरण (रु. करोड़ में)

	दिन 1	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 महीने तक	3 महीनों से अधिक और 6 महीने तक	6 महीनों से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
अग्रिम	632	410	303	732	3744	4931	4362	12822	10487	29637	68060
निवेश	3	74	165	302	3333	1599	1618	4431	5384	27814	44723
विदेशी मुद्रा आस्तियां	214	2235	35	88	1073	1146	954	364	00	19	6128

(च) अनर्जक आस्तियों की राशि (सकल) (रु.करोड़ में)

श्रेणी	राशि
अव-मानक	2506.56
संदिग्ध – 1	3161.30
संदिग्ध – 2	3333.25
संदिग्ध – 3	436.89
हानि	33.01
कुल	**9471.01**

(छ) शुद्ध एनपीए 6110.71

(ज) एनपीए अनुपात (%)

(क) सकल अग्रिमों के लिए सकल एनपीए	13.26
(ख) शुद्ध अग्रिमों के लिए शुद्ध एनपीए	9.04

(झ) विशिष्ट एवं आम प्रावधानों में उतार चढ़ाव

(रू करोड़)

प्रावधानों में उतार चढ़ाव	विशिष्ट प्रावधान	सामान्य प्रावधान
क) 1 अप्रैल 2015 को प्रारंभिक शेष	2430.68	1060.09
ख) 31 मार्च 2016 तक किया गया प्रावधान	1769.17	18.76
ग) पुनरांकन खाते / अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टे खाते डालना	649.42	-
घ) अन्य समायोजन	198.68	442.53
ङ) 31 मार्च 2016 की समाप्ति तक इति शेष (क+ख-ग-घ)	3351.75	636.32

	(रू करोड़)
(ञ) आय विवरण में प्रत्येक्ष रुप से उल्लिखित अपलिखित एवं वसूली की राशि	110.00

	(रू करोड़)
(ट) गैर निष्पादित निवेश की राशि	166.69

	(रू करोड़)
(ठ) गैर निष्पादित निवेश के लिए रखे गए प्रावधान की राशि	128.55

(ड) निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधानों में उतार चढ़ाव

	(रू करोड़)
क) 1 अप्रैल 2015 को प्रारंभिक शेष	83.91
ख) 31 मार्च 2016 तक किया गया प्रावधान	-
ग) पुनरांकन खाते / अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टे खाते डालना	1.82
घ) 31 मार्च 2016 की समाप्ति पर इति शेष (i + ii - iii)	82.09

ढ) विशिष्ट और सामान्य प्रावधानों का उद्योग प्रकार वितरण

(रु.करोड़ में)

क्र. स.	उद्योग का नाम	31 मार्च 2016 तक			31 मार्च 2016 को समाप्त तिमाही	
		सकल एनपीए	विशिष्ट प्रावधान	सामान्य प्रावधान	बट्टे खाते	विशिष्ट प्रावधान
1	कोयला	-	-	-	-	-
2	खनन सहित कोयला	17.99	0.14	0.14	-	-
3	लौह एवं इस्पात	2413.21	794.45	8.34	-	314.34
4	धातु उत्पाद	3.99	1.38	0.25	-	0.26
5	सभी इंजीनियरिंग	320.24	92.14	3.64	-	10.33
5.1	इसमें से इलैक्ट्रॉनिक्स	13.73	6.77	0.04	-	1.66
5.2	इसमें से अन्य को	306.51	85.37	3.61	-	8.68
6	बिजली	-	-	-	-	-
7	कपड़ा	761.28	186.75	2.15	-	116.29
7.1	इसमें से सूती कपड़ा	10.83	13.51	0.80	-	10.14
7.2	इसमें से जूट कपड़ा	7.22	1.95	0.08	-	0.26
7.3	इसमें से अन्य कपड़ा	743.23	171.29	1.26	-	105.89
8	खाद्य संसाधन	319.68	113.28	5.22	-	19.23
8.1	इसमें से चीनी	18.74	2.56	0.04	-	(0.04)
8.2	इसमें से चाय	20.78	5.23	1.80	-	1.84
8.3	इसमें से वनस्पति तेल और वनस्पति	34.75	24.54	0.07	-	12.21
8.4	इसमें से अन्य	245.41	80.95	3.31	-	5.23
9	तंबाकू और तंबाकू उत्पाद	41.91	19.36	0.98	23.50	(25.06)
10	कागज और कागज उत्पाद	7.50	2.68	0.37	-	0.12
11	रबड़ और रबड़ उत्पाद	32.45	12.65	0.42	-	(0.95)
12	मूलभूत सुविधाएं	932.27	323.96	48.71	-	117.71
12.1	इसमें से बिजली	166.38	41.52	36.01	-	25.10
12.2	इसमें से दूरसंचार	17.91	0.12	1.75	-	0.07
12.3	इसमें से सड़क और बंदरगाह	424.89	179.10	8.71	-	30.40

(रु. करोड़ में)

क्र. स.	उद्योग का नाम	31 मार्च 2016 तक			31 मार्च 2016 को समाप्त तिमाही	
		सकल एनपीए	विशिष्ट प्रावधान	सामान्य प्रावधान	बट्टे खाते	विशिष्ट प्रावधान
12.4	इसमें से अन्य मूलभूत सुविधाएं	323.09	103.22	2.24	-	62.13
13	सीमेंट	355.24	112.65	2.59	-	51.25
14	चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	55.14	21.13	0.39	-	1.55
15	रत्न और आभूषण	80.00	31.15	1.12	-	16.03
16	निर्माण	238.69	17.51	3.48	-	0.60
17	पेट्रोलियम	28.05	12.13	0.41	-	0.42
18	ट्रकों सहित ऑटोमोबाइल	5.42	2.01	2.35	-	0.12
19	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	8.57	4.87	0.01	-	(11.00)
20	रसायन, रंजक, पेंट आदि	232.32	128.79	2.32	-	28.30
20.1	इसमें से उर्वरक	0.63	0.24	0.77	-	(0.01)
20.2	इसमें से पेट्रो रसायन	2.59	25.27	0.58	-	1.46
20.3	इसमें से ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स	229.10	103.29	0.97	-	26.85
21	एनबीएफसी	-	-	27.45	-	0.00
22	अन्य उद्योग	289.60	167.44	9.90	248.43	21.86
23	अवशिष्ट अन्य अग्रिम (सकल अग्रिमों का बकाया)	3327.46	1269.20	120.24	-	(63.57)
24	**कुल**	9471.01	3313.66	224.11	271.93	597.86

(ण) सकल एनपीए, विशिष्ट प्रावधान और सामान्य प्रावधान का भौगोलिक दृष्टि से वितरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	वैदेशिक	घरेलू	कुल
सकल एनपीए	-	9471.01	9471.01
विशिष्ट प्रावधान	-	3313.66	3313.66
सामान्य प्रावधान	-	224.11	224.11

सारणी डीएफ-4

ऋण जोखिमः मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण
मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पोर्टफोलियो के लिए

बेसल मानदंडों पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक सीआरएआर के गणना के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त निम्न घरेलू बाह्य केडिट रेटिंग एजेंसियों (ईसीआरए) के बाहरी रेटिंग का उपयोग कर रहा है :

1. केयर (सीएआरई), 2. क्रिसिल (सीआरआईएसआईएल), 3. ईक्रा (आईसीआरए), 4. भारतीय रेटिंग (पहले फिच इंडिया के नाम से प्रसिद्ध), 5. ब्रिकवर्क (बीआरआईसीकेडब्ल्यूओआरके) और स्मेरा (एसएमईआरए)

इक्रा (ईसीआरए) द्वारा समनुदेशित रेटिंग का उपयोग निम्न निवेश के लिए किया जाता है :

- अल्पावधि ऋण (एसटीएल) अर्थात् एक वर्ष से कम के संविदात्मक परिपक्वता निवेश (नकदी ऋण, ओवर ड्राफ्ट एवं परिक्रामी (रिवॉल्विग) ऋणों को छोड़कर) हेतु समनुदेशित अल्पावधि रेटिंग पर विचार किया गया है ।
- दीर्घावधि ऋण (टीएल) अर्थात् एक वर्ष से अधिक के संविदात्मक परिपक्वता और घरेलू नकद ऋण, ओवर ड्राफ्ट और परिक्रामी ऋण के लिए दीर्घावधि रेटिंग पर विचार किया गया है ।

सावर्जनिक क्षेत्र में उपलब्ध रेटिंग को इस विषय पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों द्वारा परिकल्पित मैपिंग प्रक्रिया के अनुसार ही मैप्ड किया जाता है ।

नए पूंजी पर्याप्तता ढांचा के अनुसार जोखिम भारिता की गणना के उद्देश्य से बैंक बाह्य रेटिंग का उपयोग कर रहा है । बैंक एक आंतरिक रेटिंग मॉडल का उपयोग करते हुए आंतरिक रुप से अपने ग्राहकों की भी रेटिंग करता है ।

मात्रात्मक प्रकटीकरण :

नीचे दी गई सारणी, तीन प्रमुख जोखिम बकेटों में विशिष्ट प्रावधान के निवल ऋण निवेशों (निधि एवं गैर निधि दोनों के लिए) के लिए बैंक के सकल बकाया राशि को स्पष्ट कर रहा हैः

(रू करोड़)

मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यधीन जोखिम कम करने के बाद निवेश राशि के लिए निम्नांकित तीन मुख्य जोखिम खंडों तथा वे जिनकी कटौती होनी है, में बैंक का बकाया (श्रेणीकृत एवं अश्रेणीकृत)	• 100 जोखिम भार से कम • 100 जोखिम भार • 100 जोखिम भार से अधिक	39097.64 17695.51 11794.01

सारणी डीएफ-5

ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क. ऋण जोखिम कम करने के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा में निम्नांकित मदें शामिल हैं :

- **वे नीतियाँ और पद्धति और इसका एक संकेत कि वह कहाँ तक इनका उपयोग तुलनपत्र तैयार करते समय करता है।**

- **संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन के लिए नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ।**

नियामक अपेक्षाओं के अनुरूप बैंक ने निम्नांकित प्राथमिक उद्देश्य से ऋण जोखिम कम करने की तकनीक एवं संपार्श्विक प्रबंधन पर नीति बनाई है । (क) बेसेल-II एवं -III के मानदंडों / भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ऋण जोखिम को कम करना तथा उपयुक्त संपार्श्विकों के निर्धारण के प्रति जागरूकता बढ़ाना , (ख) बेसेल-II एवं -III के मानदंडों/ भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्ग निर्देशों के दृष्टिकोण के अनुरूप पूंजी प्रभार की गणना में ऋण जोखिम को कम करने के लाभ को अनुकूलतम बनाना। इस नीति में संपार्श्विकों का मूल्यांकन भी किया गया है। इस नीति में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है जिससे जोखिमों के विरूद्ध संपार्श्विकों के पूर्ण समंजन (उपयुक्त काट छाँट के बाद) की अनुमति मिलती है और यह संपार्श्विक मूल्य को आरोपित करते हुए जोखिम राशि को प्रभावी ढंग से कम करते हुए मिलती है ।

- **बैंक द्वारा लिए गए संपार्श्विक के मुख्य प्रकारों का वर्णनः**

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत बैंक द्वारा ऋण जोखिम न्यूनीकरण के रूप में निर्धारित संपार्श्विकों के सामान्य प्रकार हैं : (क) बैंक जमा (ख) एनएससी / केवीपी (ग) जीवन बीमा पॉलिसी ।

- **गारंटीकर्ता काउंटरपार्टी के मुख्य प्रकार तथा उनकी साख योग्यताः**

सीआरएआर की संगणना हेतु बैंक द्वारा न्यूनीकरण के लिए मान्य गारंटियां निम्नांकित हैः

- केंद्रीय सरकार गारंटी
- राज्य सरकार गारंटी
- सीजीटीएमएसई
- ईसीजीसी

- **अपनाए गए न्यूनीकरण के अंतर्गत जोखिम सकेंद्रण विषयक सूचना (बाजार अथवा साख):**

बैंक द्वारा न्यूनीकरण (मिटिगेशन) के लिए प्रयुक्त संपार्श्विक आसानी से वसूली योग्य वित्तीय प्रतिभूतियाँ हैं और बाजार की अस्थिरता का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऋण जोखिम न्यूनीकरण के संदर्भ में संकेंद्रण जोखिम के लिए फिलहाल कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

(रू करोड़)

ख) अलग अलग प्रकटीकृत ऋण जोखिम पोर्टफोलियो हेतु कुल निवेश (बाद में जहाँ लागू होने योग्य, ऑन एंड ऑफ बैलेसशीट नेटिंग) जो काट छाँट के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक समर्थित हैं	68587.17
ग) अलग अलग प्रकटीकृत प्रत्येक पोर्टफोलियो हेतु कुल निवेश (बाद में जहाँ लागू होने योग्य है, ऑन ऐंड ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग) जो गारंटी द्वारा/ऋण व्युत्पन्नों द्वारा समर्थित है (भा.रि.बैंक द्वारा विशेष रूप से जब भी अनुमति दी गई है)	3011.04

सारणी डीएफ 6

निवेशों का प्रतिभूतीकरणः मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण :

बैंक ने किसी भी प्रतिभूतीकरण गतिविधि की शुरूआत नहीं की है ।

मात्रात्मक प्रकटीकरण : शून्य

सारणी डीएफ 7
व्यापार बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोखिम को संभाव्य हानि के रूप में परिभाषित किया जाता है जिससे बैंक को बाजार को प्रभावित करने वाली वस्तुओं में परिवर्तन/गतिमयता जैसे ब्याज दर, विदेशी मुद्रा विनिमय दर, इक्विटी मूल्यों तथा वस्तु मूल्य में उतार चढ़ाव से हानि हो सकती है। बैंक के निवेश से व्यापार बही (एएफएस तथा एचएफटी दोनों श्रेणियों) में निवेश (ब्याज संबंधित लिखतों एवं शेयरों) तथा विदेशी मुद्रा से जोखिम उत्पन्न हो सकता है । बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य है उपार्जन एवं इक्विटी पर होने वाली हानि के प्रभाव को कम करना।

बैंक में बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित आस्ति देयता प्रबंधन नीति को लागू किया है । उद्योग की उत्तम परंपरा के अनुरूप जोखिम प्रबंधन एवं इसकी रिपोर्टिंग मानदंडों पर आधारित होती है जैसे कि आशोधित अवधि, अधिकतम अनुमत निवेश, शुद्ध खुली स्थिति सीमा, अंतर सीमा, जोखिम पर मूल्य(वीएआर) इत्यादि।

मात्रात्मक प्रकटीकरण (रू करोड़)

(ख) निम्नलिखित के लिए पूंजी आवश्यकता	
• ब्याज दर जोखिम :	547.17
• इक्विटी स्थिति जोखिम :	76.16
• विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम :	2.25

सारणी डीएफ 8
परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

आंतरिक प्रक्रिया अपर्याप्त होने अथवा आंतरिक प्रक्रिया में व्यक्तियों तथा प्रणाली या बाहरी घटनाओं से हुई चूक से उत्पन्न हानि संबंधी जोखिम परिचालन जोखिम है । परिचालन जोखिम में विधिक जोखिम शामिल होता है किंतु रणनीतिक जोखिम एवं साख जोखिम शामिल नहीं है।

बैंक ने बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति का निर्माण किया है । बोर्ड द्वारा अपनाई गई समर्थित नीतियों के परिचालन जोखिम से संबंधित ये बातें हैं: (क) सूचना प्रणाली सुरक्षा, (ख) अपने ग्राहकों को जानें (केवाईसी) , (ग) काले धन को वैध बनाने के विरूद्ध (एएमएल) तथा (घ) आईटी व्यवसाय निरंतरता तथा आपदा वसूली नीति आदि ।

बैंक द्वारा अपनाए गए परिचालन जोखिम प्रबंधन में संगठनात्मक ढाँचा एवं परिचालन जोखिम प्रबंधन से संगठनात्मक ढाँचा एवं परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए विस्तृत प्रक्रिया अपनाई गई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य है दैनिंदन जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया में परिचालनगत जोखिम प्रबंधन पद्धित को मजबूती से एकाकार करना। यह काम जोखिम की प्रभावी पहचान करके, समीक्षा करके, उसकी मॉनिटरिंग करते हुए और नियंत्रण कायम करके/परिचालनगत जोखिम को कम करके और परिचालनगत जोखिम निवेश तथा तथ्यात्मक परिचालनगत जोखिम की सूचना समय रहते देकर किया गया है। बैंक में परिचालन जोखिम को व्यापक एवं सुव्यवस्थित आंतरिक नियंत्रण ढाँचा के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है।

पूंजी प्रभार की गणना

भा.रि. बैं. द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुरूप बैंक ने परिचालन जोखिम हेतु पूंजी निर्धारण के लिए आधारभूत संकेतक दृष्टिकोण अपनाया है । इस दृष्टिकोण के अन्तर्गत जोखिम भारित आस्तियों तक पहुंचने के लिए औसतन तीन वर्षो का सकल आय लिए जाने का विचार किया गया है। तदनुसार, 31.03.2016 तक परिचालन जोखिम हेतु रू 577.19 करोड़ पूंजी की आवश्यकता थी।

सारणी डीएफ 9
बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आई आर आर बी बी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) ब्याज दर जोखिम का तात्पर्य है, आंतरिक और बाहरी कारणों से बैंक की शुद्ध ब्याज आय तथा आस्ति एवं देयता के मूल्य में उतार चढ़ाव । आंतरिक कारकों में बैंक की आस्ति एवं देयता की संरचना, गुणवत्ता, परिपक्वता, ब्याज दर तथा जमा राशियों की पुनर्मूल्यन अवधि, उधार राशि, ऋण की राशि एवं निवेश शामिल होता है। बाहरी कारकों में शामिल हैं सामान्य आर्थिक स्थितियाँ। ब्याज की बढ़ती या घटती दर बैंक के तुलनपत्र पर अपना असर डालती हैं। ब्याज दर में जोखिम बैंक के तुलन पत्र में आस्ति और देयता दोनों के लिए प्रचलित है।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (ए एल सी ओ) आवधिक रूप से जोखिम और प्रतिफल, निधियन और अभिनियोजन, बैंक की उधार एवं जमा दर का निर्धारण तथा बैंक के निवेश क्रिया कलापों की निगरानी एवं नियंत्रण का काम करती है ।

बैंक, जोखिम दृष्टिकोण पर उपार्जन एवं अवधि अंतराल की विधि के जरिए बदलती ब्याज दर से जुड़े जोखिम की पहचान करता है ।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(ख) प्रबंधन पद्धति के अनुसार आईआरआरबीबी की माप के लिए बढ़ती घटती दर जोखिम पर अर्जन और आर्थिक मूल्य (या प्रबंधन द्वारा उपयोग किया गया संबधित माप) में अर्जन वृद्धि (कमी) का आधार निम्नलिखित है:

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम

(रू करोड़)

विवरण	स्थिति	कुल
1. जोखिम पर उपार्जन (ई ए आर)	200 बीपीएस की वृद्धि	8.55
	200 बीपीएस की कमी	-8.55
2. जोखिम पर इक्विटी का आर्थिक मूल्य	200 बीपीएस की वृद्धि	278.27
	200 बीपीएस की कमी	-278.27

टेबल डीएफ़-10

काउंटरपार्टी क्रेडिट जोखिम से संबंधित निवेश के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम एक लेन देन करने के लिए प्रतिपक्ष लेन देन के नकदी प्रवाह के अंतिम निपटान से पहले डिफ़ॉल्ट और डेरिवेटिव और प्रतिभूतियों वित्तपोषण लेनदेन के लिए जोखिम का प्राथमिक स्रोत है हो सकता है कि जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है।

लेन देन का बाजार मूल्य सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है यानी ऋण जोखिम के लिए जोखिम एकतरफा है और केवल उधार बैंक हानि के जोखिम का सामना कर रहा है, जहां एक ऋण के माध्यम से ऋण जोखिम के लिए एक बैंक के जोखिम के विपरीत, प्रतिपक्ष केडिट जोखिम प्रकृति में द्विपक्षीय है लेन देन के लिए प्रतिपक्ष और अंतर्निहित बाजार कारकों के आंदोलन के साथ समय के साथ बदलती या तो प्रतिपक्ष केडिट जोखिम के लिए बैंकों को जोखिम अपनी काउंटरपार्टी केडिट रिस्क पॉलिसी के अंतर्गत कवर किया जाता है. बैंकों तदनुसार केवाईसी मानदंडों, संतोषजनक निपटने, पार्टी के लिए किसी भी व्युत्पन्न उत्पादों को विस्तार देने से पहले पार्टी की ऋण पात्रता और लेन देन में अपेक्षित ऋण जोखिम न्यूनीकरण के स्तर का फैसला किया ।

गुणात्मक प्रकटीकरण

(रू करोड़)

विवरण	अनुमानित राशि	मौजूदा ऋण निवेश
अग्रिम अनुबंध	11327.45	90.07

स्तंभ-3 प्रकटीकरण 31 मार्च 2016
बेसल के नियमों के तहत

टेबल डीएफ11

31.03.2016 तक पूंजी संरचना (रुपए करोड़ में)

बासेल-III नियामक समायोजन के संक्रमण के दौरान इस्तेमाल किये जानेवाले आम प्रकटीकरण टेम्पलेट (अर्थात् 1अप्रैल, 2013 से 31 दिसंबर, 2017 तक)			पूर्व बासेल - III उपचार के अधीन राशि	संदर्भ सं
सामान्य इक्विटी टीयर 1: लिखत एवं आरक्षित				
1.	सीधे जारी विशेषक सामान्य शेयर पूंजी एवं संबंधित अधिक स्टॉक (शेयर प्रिमियम)	3398.34	-	ए1+ए4 +बी1
2.	आमदनी प्रतिधारित	-	-	
3.	अन्य संचित व्यापक आय (एवं अन्य प्रारक्षित)	2412.28	-	बी2+बी3
4.	सी ई टी 1 के चरणबद्ध तरीके से हट कर जारी पूंजी (यह केवल गैर संयुक्त स्टॉक कम्पनियों पर लागू)	-	-	
	सार्वजनिक क्षेत्र 1 जनवरी 2018 तक पूंजी प्रदत्त करेगी	-	-	
5.	अनुषंगी एवं तृतीय पक्ष द्वारा जारी आम शेयर पूंजी (राशि सी ई टी 1 समूह में अनुमत)	-	-	
6.	**सामान्य इक्विटी टीयर 1 विनियामक समायोजन पूर्व पूंजी :**	**5810.62**	-	
	सामान्य इक्विटी टीयर 1पूंजी : विनियामक समायोजन			
7.	विवेकपूर्ण मूल्य निर्धारण समायोजन	0.00	-	
8.	सुनाम (कुल कर देयताएं से संबंधित)	0.00	-	
9.	बंधक सेवाएं अधिकार के अलावा अमूर्त	3.28	0.82	एल 2
10.	आस्थगित कर आस्तियॉं	**164.29**	22.53	एम 3
11.	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित	0.00	-	
12.	प्रत्याशित हानि के लिए प्रावधानों में कमी	0.00	-	
13.	प्रतिभूति बिक्री पर लाभ	0.00	-	
14.	ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य देयताएं में लाभ	0.00	-	
15.	वर्णित लाभ पेंशन निधि कुल देयताएं	0.00	-	
16.	अपने शेयरों में निवेश (अगर पहले से ही रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र पर चुकता पूंजी गोलबंद नही की गयी)	0.00	-	
17.	आम इक्विटी में पारस्परिक प्रतिधारिता	0.00	-	
18.	बैंकिंग की पूंजी में निवेश, वित्तीय और बीमा संस्थाओं विनियामक समेकन दायरे से बाहर हैं, जहॉं बैंक जारी शेयर पूंजी का 10% से अधिक का मालिक नहीं है जहां, पात्रता कुल शॉर्ट पोजिशन के (प्रारंभिक राशि 10% सीमा से ऊपर)	0.00	-	
19.	बैंकिंग के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश, विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं कि वित्तीय और बीमा संस्थाओं, पात्रता कुल शॉर्ट पोजीशन की (प्रारंभिक राशि 10% सीमा से ऊपर)	0.00	-	
20.	बंधक सेवाएं अधिकार (प्रारंभिक राशि 10% सीमा से ऊपर)	0.00	-	
21.	अस्थायी मतभेद से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियॉं (प्रारंभिक राशि 10% से ऊपर सीमा, संबंधित कर देयताएं का कुल)	0.00	-	
22.	प्रारंभिक राशि 15% सीमा से अधिक	0.00	-	

23	जिसमें से: वित्तीय संस्थाओं के आम स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0.00	-	
24	जिनमें से: बंधक सेवाएं अधिकार	0.00	-	
25	जिसमें से: अस्थायी मतभेद से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर संपत्ति	0.00	-	
26.	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26क + 26ख + 26ग + 26घ + 26घ + 26ङ)	16.68	-	
26.क	जिसमें से : असमेकित गैर वित्तीय सहायक कंपनियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	0.00	-	
26.ख	जिसमें से : अधिकांश स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में कमी जिसे बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है	0.00 0.00	- -	
26.ग	जिसमें से : असमेकित बीमा सहायक की इक्विटी पूंजी में निवेश	0.00	-	
26.घ	जिसमें से : अपरिशोधित पेंशन फंड व्यय	0.00	-	
	आम इक्विटी टीयर 1 में लागू विनियामक समायोजन के पूर्व बेसल-III उपचार के अधीन राशियों के संबंध में	0.00	-	
	जिसमें से : वर्तमान अवधि में परिचालन हानि	0.00	-	सी1
26.ङ	डीटीए स्वीकरण और सीईटी–1 में महत्वपूर्ण निवेश के कारण नियामक समाशोधन	0.00	0.00	
27	आम इक्विटी टीयर 1 में विनियामक समायोजन अपर्याप्त अपर टीयर 1 और टियर 2 के कटौती को कवर करने के कारण लागू	0.00	0.00	
28	**आम इक्विटी टीयर 1 में कुल विनियामक समायोजन**	**150.89**	-	
29	**आम इक्विटी टीयर 1 पूंजी (सी ई टी 1) (628)**	**5659.73**	-	
अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी : लिखत				
30	सीधे जारी योग्यता अतिरिक्त टीयर 1 लिखत के साथ साथ संबंधित स्टॉक अधिशेष (31+32)	150.00	-	डी4
31	जिनमें से : लेखा मानक में लागू वर्गीकृत इक्विटी (बेमीयादी संचयी अधिमान शेयर)	0.00	-	
32	जिनमें से : लेखा मानक में लागू वर्गीकृत देयताएं (बेमीयादी ऋण लिखत)	150.00	-	डी4
33	अतिरिक्त टीयर 1से अलगअलग खेपो में सीधे जारी पूंजी लिखत	0.00	-	
34	अतिरिक्त टीयर 1 लिखत सहायको द्वारा जारी और तृतीय पक्ष द्वारा धारित (एवं सी ई टी 1 लिखत जो पॉचवें पंक्तिमें नहीं जोड़ा गया) (अनुमति राशि समूह एटी1)	0.00	-	
35	जिसमें से : सहायको द्वारा खेप में जारी लिखत	0.00	-	
36.	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी विनियामक समायोजन से पूर्व	150.00	-	
अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन :				
37	अपने अतिरिक्त टीयर 1 लिखत में निवेश	0.00	-	
38	अतिरिक्त टीयर 1 लिखत में पारस्परिक प्रतिधारिता	12.00	-	जे1
39	बैंकिंग की पूंजी में निवेश, वित्तीय और बीमा संस्थाओं विनियामक समेकन दायरे से बाहर हैं जहॉ बैंक जारी शेयर पूंजी का 10% से अधिक का मालिक नहीं है जहां, पात्रता कुल शॉर्ट पोजिशन के (प्रारंभिक राशि 10% सीमा से ऊपर)	0.00	-	
40	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश जो, विनियामक समेकन के दायरे (पात्रता कुल शॉर्ट पोजिशन) से बाहर हैं	0.00	-	

41	राष्ट्रीय उल्लेखित विनियामक समायोजन (41क + 41ख)	0.00	-	
41क	असमेकित बीमा सहायक कंपनियों द्वारा अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में निवेश	0.00	-	
41ख	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में कमी मुख्यतः स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं जो बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है	0.00	-	
	अतिरिक्त टीयर 1 के लिए लागू विनियामक समायोजन पूर्व बेसल 3 उपचार के अधीन राशियों के संबंध में	0.82	-	
	जिसमें से: अमूर्त बंधक सेवाएं अधिकार के अलावा (कुल कर देयता संबंधित)	0.82	-	एल 3
	जिसमें से: आस्थगित कर आस्तियॉ	0.00	-	
	जिसमें से: पेंशन फंड व्यय के लिए अपरिशोधित खर्च	0.00	-	
	जिसमें से: वर्तमान अवधि में परिचालित हानि	0.00	-	
	जिसमें से: पीएंसीपीएस की चरणबद्ध	0.00	-	
	जिसमें से: एसोसिएट्स (आरआरबी) के गैर आम इक्विटी पूंजी साधन में निवेश	0.00	-	
42	अतिरिक्त टीयर 1 के कारण अपर्याप्त टीयर 2 के लिए कटौती को कवर करने के लिए लागू विनियामक समायोजन	0.00	- -	
43	**अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी के लिए कुल विनियामक समायोजन**	**12.82**	**-**	
44	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी1)**	**137.18**	-	
44क	**पूंजी पर्याप्तता के लिए गणना अतिरिक्त टियर 1 पूंजी**	**137.18**	-	
45	**टियर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी1 + एटी1) (पंक्ति 29 + पंक्ति 44ए)**	**5796.91**	-	
टियर 2 पूंजी: लिखत और प्रावधान				
46	सीधे योग्यता टियर 2 लिखत के साथ साथ संबंधित स्टॉक अधिशेष जारी	500.00	-	डी 5
47	टियर 2 से बाहर होने के अधीन सीधे जारी पूंजी लिखत	895.00	-	डी 5
48	सहायक कंपनियों द्वारा जारी टियर 2 लिखत (पंक्ति 5 या 34 में सीईटी 1 और एटी 1 लिखत जो पंक्ति 5 या 34 में समाहित नहीं है) और तीसरी पार्टियों द्वारा धारित है (समूह टियर 2 में अनुमत राशि)	0.00	-	
49	जिनमें से : सहायक कंपनियों द्वारा जारी उपकरण समापन का विषय है	0.00	-	
50	प्रावधान और पुनर्मूल्यांकन आरक्षित	545.03	-	टेम्पलेट संदर्भ. सं.-50
51	**नियामक समायोजन से पहले टियर 2 पूंजी**	**1940.03**	-	
	टीयर 2 पूंजी: विनियामक का समायोजन:			
52	टियर 2 उपकरणों में स्वयं के निवेश	0.00	-	
53	टियर 2 उपकरणों में पारस्परिक प्रतिधारिता	0.00	-	
54	बैंकिंग पूंजी, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं में निवेश बाहरी विनियामक समेकन, कुल पात्र खरीद से अधिक बिक्री की गुंजाइश है, जहां संस्था की सामान्य शेयर पूंजी (10 सीमा से अधिक राशि) में बैंक का अपना 10 से अधिक जारी नही किया गया हो।	0.00	-	
55	बैंकिंग पूंजी, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं में महत्वपूर्ण निवेश जो बाहरी विनियामक समेकन से बाहर है (पात्र अल्पकालीन स्थिति का शुद्ध)	0.00	-	
56	राष्ट्रीय विशिष्ट नियामक समायोजन (56क+56ख)	367.49	-	

56क	जिनमें से : सहायक कंपनियों के असमेकित टियर 2 पूंजी में निवेश	57.49	-	
56ख	जिनमें से : बहुमत स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं की टियर 2 पूंजी में कमी, जिनकों बैंक द्वारा समेकित नहीं किया गया।	0.00	-	
	पूर्व बेसल-III प्रबंध के अनुसार राशि के संदर्भ में टियर 2 पर विनियामक समायोजन लागू होगा।	310.00	-	
	जिनमें से : टीयर 2 बांड चरण से बाहर	310.00	-	
57	**टीयर 2 पूंजी के लिए कुल नियामक समायोजन**	**367.49**	-	
58	**टियर 2 पूंजी (टी 2)**	**1572.54**	-	
58क	**पूंजी पर्याप्तता के लिए गणना टियर 2 पूंजी**	**1572.54**	-	
58ख	टियर 2 पूंजी के रूप में गिना अत्यधिक अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी	0.00	-	
58ग	**पूंजी पर्याप्तता पंक्ति के लिए कुल टीयर 2 पूंजी स्वीकार्य (58ए+पंक्ति 58बी)**	**1572.54**	-	
59	**कुल पूंजी (टीसी= टी1+ टी2) (पंक्ति 45+पंक्ति 58सी)**	**7369.45**	-	
60	**कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियों (60ए+60बी+60सी)**	**-**	-	
60क	जिनमें से : कुल ऋण जोखिम भारित परिसंपत्तियों	58044.81	-	
60ख	जिनमें से : कुल ऋण जोखिम भारित परिसंपत्तियों	7819.76	-	
60ग	जिनमें से : कुल परिचालन जोखिम भारित परिसंपत्तियों	7214.87	-	
पूंजी अनुपात				
61	आम इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित परिसंपत्तियों का प्रतिशत के रुप में)	7.74	-	
62	टियर 1 (जोखिम भारित परिसंपत्तियों का प्रतिशत के रूप में)	7.93	-	
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित परिसंपत्तियों का प्रतिशत के रूप में)	10.08	-	
64	विशिष्ट बफर आवश्यकता (न्युनतम सीईटी – 1 आवश्यकता सहित पूंजी परिवर्तन और काउंटर आवर्ति बफर आवश्यकता जो जोखिम आस्तियों के प्रतिशोध के रुप में व्यक्त है।	6.125	-	
65	जिनमें से : पूंजी संरक्षण बफ़र आवश्यकता			
66	जिनमें से : बैंक को विशिष्ट रुप से काउंटर आवर्ती प्रतिरोधक की आवश्यकता	0.625	-	
67	जिनमें से : जी एसआईबी बफ़र आवश्यकता	0.00	-	
68	बफ़र्स को पूरा करने के लिए उपलब्ध आम इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित परिसंपत्तियों का प्रतिशत के रूप में)	0.00 1.61	- -	
राष्ट्रीय न्यूनतम (अगर बेसल-III से अलग) सीसीबी अपेक्षा समेत				
69	राष्ट्रीय आम इक्विटी टियर 1 का न्यूनतम अनुपात (अगर बेसल -III के न्यूनतम से अलग)	6.125	-	
70	राष्ट्रीय टियर 1 का न्यूनतम अनुपात (अगर बेसल -III के न्यूनतम से अलग)	7.625	-	
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी का न्यूनतम अनुपात (अगर बेसल -III के न्यूनतम से अलग)	9.625	-	
कटौती के लिए प्रारंभिक से कम की राशि (जोखिम भार से पहले)				
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश	0.00	-	
73	वित्तीय संस्थाओं के आम स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0.00	-	
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता का शुद्ध)	0.00	-	
75	अस्थायी मतभेद से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर संपत्ति (संबंधित कर देयता का शुद्ध)	0.00	-	

टियर 2 में प्रावधानों को शामिल किए जाने पर लागू उच्चतम सीमा					
76	मानकीकृत दृष्टिकोण (पिछले कैप के आवेदन करने हेतु) से निवेश जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल किए जाने पात्रता हेतु प्रावधान	545.03		-	टेम्पलेट संदर्भ. सं.-50
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधानों को शामिल किए जाने पर उच्चतम सीमा	725.56		-	
78	आंतरिक मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण (पिछले कैप के आवेदन करने हेतु) से निवेश जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल किए जाने पात्रता हेतु प्रावधान ।	0.00		-	
79	आंतरिक मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टीयर 2 में उच्चतम सीमा शामिल करने हेतु प्रावधान बाहरी व्यवस्था के अंतर्गत पूंजी उपकरणों (मात्र 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2022 तक लागू)	0.00		-	
80	चरणबद्ध तरीके से हटाने की व्यवस्था के अंतर्गत सीईटी 1 लिखतों पर वर्तमान उच्चतम सीमा	लागू नहीं			
81	उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 से हटाई गई राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा पर अतिरिक्त)	लागू नहीं			
82	चरणबद्ध तरीके से हटाने की व्यवस्था के अंतर्गत एटीआई 1 लिखतों पर वर्तमान उच्चतम सीमा	लागू नहीं			
83	उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 से हटाई गई राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा पर अतिरिक्त)	लागू नहीं			
84	चरणबद्ध तरीके से हटाने की व्यवस्था के अंतर्गत टी 2 लिखतों पर वर्तमान उच्चतम सीमा	लागू नहीं			
85	उच्चतम सीमा के कारण टी 2 से हटाई गई राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा पर अतिरिक्त)	लागू नहीं			

टेम्पलेट के लिए नोट :

टेम्पलेट की पंक्ति संख्या	विवरण	₹ करोड़
10	संचित हानि के साथ जुड़े आस्थगित कर	164.29
	आस्थगित कर आस्तियाँ (संचित हानि के साथ जुड़े लोगों को छोड़कर) आस्थगित कर दायित्व का शुद्ध	0.00
	कुल पंक्ति के रूप में संकेत 10	**164.29**
19	यदि बीमा सहायक कंपनियों में निवेश को पूंजी से पूरी तरह नहीं घटाया गया है और इसके बजाय, कटौती को 10 सीमा के अंतर्गत विचाराधीन रखने पर बैंक की पूंजी के परिणाम में वृद्धि होगी।	0.00
	जिसमें से : टियर 1 पूंजी में आम इक्विटी की वृद्धि	0.00
	जिसमें से : टियर 1 पूंजी में अतिरिक्त वृद्धि	0.00
	जिसमें से : टियर 2 पूंजी में वृद्धि	0.00
26ख	यदि असमेकित गैर वित्तीय सहायक संस्थाओं की शेयर पूंजी में निवेश को घटाया नहीं गया है तो इस कारण जोखिम बढ़ता है ।	0.00
	(i) टियर 1 पूंजी में आम इक्विटी की वृद्धि	0.00
	(ii) जोखिम भारित परिसंपत्तियों में वृद्धि	0.00
44क	पूंजी पर्याप्तता हेतु गणना नहीं की गई अत्यधिक अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में अंतर जैसा कि पंक्ति 44 रिपोर्ट की गई है और स्वीकार्य अतिरिक्त टियर 1 पूंजी जो 44 क में उल्लिखित है।	0.00
	जिनमें से: अतिरिक्त टियर 1 पूंजी जिसे पंक्ति 58ख के तहत टियर 2 पूंजी के रूप में माना गया है	0.00
50	टियर 2 पूंजी में शामिल योग्य प्रावधानों	545.03
	टियर 2 पूंजी में शामिल योग्य मूलांकन 3 रिजर्व	0.00
	पंक्ति की कुल 50	**545.03**
58क	पूंजी पर्याप्तता हेतु गणना नहीं की गई अत्यधिक अतिरिक्त टीयर 2 पूंजी (टीयर 2 पूंजी में अंतर जैसा कि पंक्ति 58 में उल्लिखित और 58क में उल्लिखित टी 2)	0.00

टेबल डीएफ 12

पूंजी की संरचना समाधान अपेक्षा (चरण1)

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र 31.03.2016 तक	समेकन के नियामक दायरे के तहत तुलन पत्र 31.03.2016 तक
नियामक समेकन और लेखांकन के बीच कोई अंतर नहीं है			
क	**पूंजी और देयताएं**		
i	चुकता पूंजी	839.51	839.51
	शेयर एप्लिकेशन राशि लंबित आवंटन	480.00	480.00
	आरक्षित और अधिशेष	4999.67	4999.67
	अल्पसंख्यक हित	-	-
	कुल पूंजी	**6319.18**	**6319.18**
ii	**जमा**	116401.28	116401.28
	जिनमें से बैंकों से जमा	2439.65	2439.65
	ग्राहकों की जमा राशि	40809.62	40809.62
	अन्य जमा	73132.01	73132.01
iii	**उधार राशियां**	**2912.51**	**2912.51**
	जिनमें से		
	भारतीय रिजर्व बैंक से	-	-
	बैंकों से	0.86	0.86
	अन्य संस्थाओं और एजेंसियों से	2911.65	2911.65
	अन्य	-	-
	पूंजी लिखत	-	-
iv	अन्य देनदारियां और प्रावधान	**3798.78**	**3798.78**
	कुल	**129431.75**	**129431.75**

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र 31.03.2016 को	समेकन के नियामक दायरे के तहत तुलन पत्र 31.03.2016 को
नियामक समेकन और लेखांकन के बीच कोई अंतर नहीं है			
ख)	**आस्तियां**		
i)	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और जमा शेष	6070.45	6070.45
	बैंक के बैलेंस एवं मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	2255.21	2255.21
ii)	निवेश:	**44723.38**	**44723.38**
	जिनमें से		
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	36240.66	36240.66
	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों	0.00	0.00
	शेयर	222.71	222.71
	डिबेंचर और बांड	2087.88	2087.88
	सहायक कंपनियों / संयुक्त उद्यम / एसोसिएट्स	0.00	0.00
	अन्य (वाणिज्यिक पत्रों, म्युचुअल फंड आदि)	6172.13	6172.13
iii)	ऋण और उधार	**68060.20**	**68060.20**
	जिनमें से		
	बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	520.61	520.61
	ग्राहकों के लिए ऋण एवं अग्रिम	67539.59	67539.59
iv)	स्थायी संपत्तियाँ	**1210.92**	**1210.92**
v)	अन्य सम्पत्तियाँ	**7111.59**	**7111.59**
	जिनमें से		
	सद्भावना और अमूर्त आस्तियां		
	आस्थगित कर संपत्ति	620.30	620.30
vi)	समेकन पर सद्भावना	0.00	0.00
vii)	लाभ और हानि खाते में नामे शेष	0.00	0.00
	कुल परिसंपत्तियां	**129431.75**	**129431.75**

डीएफ-12 : पूंजी की संरचना समाधान आवश्यकताएँ (चरण 2)

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय विवरणियों में तुलन पत्र 31.03.2016 को	नियामक दायरों के समेकन के तहत तुलन पत्र 31.03.2016 को	संदर्भ सं.
क)	**पूंजी और देयताएं**			
I)	चुकता इक्विटी पूंजी	839.52	839.52	ए
	क) जिनमें से सीईटी1 के लिए पात्र राशि	839.52	839.52	ए1
	ख) जिनमें से एटी 1 के लिए पात्र राशि	0.00	0.00	ए2
	जिनमें से एटी 1 से कटौती की गई राशि	0.00	0.00	ए3
	शेयर एप्लीकेसन मुद्रा	480.00	480.00	
	जिनमें से सीईटी1 के लिए पात्र राशि	480.00	480.00	ए4
	आरक्षित और अधिशेष	4999.67	4999.67	बी
	जिनमें से सीईटी1 के लिए पात्र राशि : शेयर प्रीमियम	2078.82	2078.82	बी1
	जिनमें से सीईटी1 के लिए पात्र राशि : सांविधिक आरक्षित राजस्व प्रारक्षित और पूंजी प्रारक्षित	1996.18	1996.18	बी2
	जिनमें से टीयर 2 के लिए पात्र राशि: पुनर्मूल्यांकन आरक्षित 55% की दर से बट्टाकृत	416.10	416.10	बी3
	जिनमें से पूंजी जो सशर्त नहीं है	508.57	508.57	बी4
	लाभ और हानि खाते में शेष	0.00	0.00	
	जिनमें से : सीईटी से कटौती	0.00	0.00	
	जिनमें से : एटी 1 से कटौती	0.00	0.00	
	कुल पूंजी	**6319.18**	**6319.18**	
ii)	**जमाराशियां**	116401.28	116401.28	
	जिनमें से			
	बैंकों से जमा	2439.65	2439.65	
	ग्राहकों की जमा राशि	40809.62	40809.62	
	अन्य जमा	73152.01	73152.01	
iii)	**उधार :**	2912.51	2912.51	डी
	जिनमें से भारतीय रिजर्व बैंक से	0.00	0.00	डी 1
	जिनमें से बैंकों से	0.86	0.86	
	अन्य एजेंसियों और संस्थानों से	2911.65	2911.65	डी 2
	जिनमें से पूंजी लिखत	2375.00	2375.00	डी 3
	एटी 1 के लिए पात्र राशि	150.00	150.00	डी 4
	टीयर 2 के लिए पात्र राशि	1395.00	1395.00	डी 5
	बासेल-III के अनुसार विनियामक पूंजी जो कि पूंजी के रूप में योग्य नहीं है	830.00	830.00	डी 6
	जिनमें से अन्य	0.00	0.00	डी 7
	अन्य उधार	830.00	830.00	डी 8
iv)	अन्य देयताएं और प्रावधान	**3798.78**	**3798.78**	ई
	जिनमें से सद्भावना संबंधित डीटीएलएस	0.00	0.00	
	जिनमें से अमूर्त संपत्ति संबंधित डीटीएलएस	0.00	0.00	
	कुल पूंजी और देयताएं	**129431.75**	**129431.75**	

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय विवरणियों में तुलन पत्र 31.03.2016 को	नियामक संभावनाओं के समेकन के तहत तुलन पत्र 31.03.2016 को	संदर्भ सं.
ख)	**आस्तियां**			
I)	आरबीआई के पास नकद और जमा शेष	6070.45	6070.45	
	बैंकों के पास शेष और अल्प सूचना पर राशि	2255.21	2255.21	
	कुल	**8325.66**	**8325.66**	
ii)	निवेश:	**44723.38**	**44723.38**	एफ
	जिनमें से			
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	36240.66	36240.66	जी
	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों	0.00	0.00	एच
	शेयर	222.71	222.71	आई
	डिबेंचर और बांड	2087.88	2087.88	जे
	जिनमें से : एटीआई की पारस्परिक प्रतिधारिता	15.00	15.00	जे1
	जिनमें से : टीयर 2 की पारस्परिक प्रतिधारिता	0.00	0.00	जे2
	जिनमें से : अन्य बैंकों की गैर आम इक्विटी पूंजी लिखतों में निवेश	57.49	57.49	जे3
	सहायक कंपनियों / संयुक्त उद्यम / एसोसिएट्स	0.00	0.00	
	अन्य (वाणिज्यिक पत्रों, म्यूचुअल फंड आदि)	6172.13	6172.13	के
iii)	ऋण और अग्रिम	**68060.20**	**68060.20**	
	जिनमें से			
	बैंकों को ऋण और अग्रिम	520.61	520.61	
	ग्राहकों कि दिए गए ऋण और अग्रिम	67539.59	67539.59	
iv)	स्थायी आस्तियां	**1210.92**	**1210.92**	एल
	जिनमें से अमूर्त आस्तियां	4.10	4.10	एल 1
	जिनमें से सीईटी1 से कटौती	3.28	3.28	एल 2
	जिनमें से एटीआई से कटौती	0.82	0.82	एल 3
v)	अन्य आस्तियां	**7111.59**	**7111.59**	एम
	जिनमें से			
	क) सद्भावना और अमूर्त आस्तियां	0.00	0.00	एम 1
	ख) आस्थगित कर आस्तियां (डी टी एल का निबल)	620.31	620.31	एम 2
	जिनमें से सीईटी से कटौती	164.29	164.29	एम 3
	जिनमें से एटीआई से कटौती	-	-	एम 4
vi)	समेकन पर सद्भावना	-	-	एम 5
	कुल आस्तियां	**129431.75**	**129431.75**	

बासेल - III आम प्रकटीकरण सांचा का सारांश (योग किए गए कॉलम के साथ)
पूंजी संरचना सारणी - डीएफ 11

आम इक्विटी टियर - 1 पूंजी : लिखत और आरक्षित			
क्रम सं.	विवरण	बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई नियामक पूंजी के घटक	स्टेप 2 से समेकन की नियामक संभावना के तहत संदर्भ सं./तुलन पत्र के पत्रों पर आधारित स्रोत
1	सीधे आम शेयर योग्यता (और गैर संयुक्त शेयर कंपनियों के लिए बराबर) पूंजी के साथ साथ संबंधित स्टॉक अधिशेष जारी	3398.34	ए1+ए4+बी1
2	बरकरार कमाई	0.00	
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य आरक्षित)	2412.28	बी2+बी3
4	सीईटी1 से अलग प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी के शर्ताधीन (गैर संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए ही लागू)	0.00	
5	आम शेयर पूंजी सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए और तीसर पक्ष द्वारा आयोजित (समूह सीईटी1 में अनुमति दी गई राशि)	0.00	
6	नियामक समायोजन से पहले आम इक्विटी टीयर 1 पूंजी	5810.62	
7	विवेकाधिकार मूल्यांकन समायोजन	0.00	
8	सद्‌भावना (संबंधित कर देयता का शुद्ध)	0.00	

सारणी डी एफ13: नियामक पूंजी के लिए सांचे की प्रमुख विशेषताएं

सीरीज 1 : आईपीडीआई (बासेल-II)

1	जारीकर्ता	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
2	युनिक पहचानकर्ता (जैसे सीयूएसआईपी,आईएसआईएन या प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई695ए09095
3	लिखत के शासी कानून	लागू भारतीय कानूनों और नियामक आवश्यकताओं
	विनियामक उपचार	पूंजी लिखत
4	संक्रमणकालीन बेसल-III के नियम	अयोग्य
5	संक्रमणकालीन के बाद बासेल-III के नियमों	अयोग्य
6	एकल/समूह/समूह और एकल में योग्य	एकल
7	लिखत का प्रकार	टीयर 1 पूंजी लिखत
8	नियामक पूंजी में मान्यता प्राप्त राशि (रु करोड़ में, 31.3.2016 तक)	0.00
9	प्रति लिखत का मूल्य	प्रति शेयर रु10.00 लाख
10	लेखा वर्गीकरण	उधारी
11	जारी करने की मूल तारीख	05-12-2012
12	बेमीयादी या दिनांकित	सतत
13	मूल परिपक्वता की तारीख	आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से 05-12-2022
14	पर्यवेक्षी अनुमोदन के पूर्व जारीकर्ता की मांग के शर्ताधीन	हां
15	वैकल्पिक मांग दिनांक, आकस्मिक मांग दिनांक और मोचन राशि	आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से 05-12-2022
16	परवर्ती मांग दिनांक, यदि लागू हो कूपन/लाभांश	लागू नहीं कूपन
17	निश्चित या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर
18	कूपन दर और किसी भी संबंधित सूचकांक	9.27 % (वार्षिक)
19	एक लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	लागू नहीं
20	पूरी तरह से विवेकाधीन, आंशिक रूप से विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य
21	अस्तित्व हेतु उठए गए चरण या अन्य प्रोत्साहन का मोचन करना	हां
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, पूरी तरह या आंशिक रूप से	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण के दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक रूपांतरण	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय हैं, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार उल्लिखित करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हैं, तो जारीकर्ता का लिखत किसमें रूपांतरण हुआ, उल्लिखित करें	लागू नहीं
30	अवलिखित की विशेषता	नहीं
31	यदि अवलिखित, अवलिखित के उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि अवलिखित, पूरी तरह या आंशिक रूप से	लागू नहीं
33	यदि अवलिखित, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अवलिखित अस्थायी है, इसे पूरा करने के तंत्र का व्योरा	लागू नहीं
35	परिसमापन में परतंत्रता पदानुक्रम की स्थिति (लिखत को अविलम्ब वरिष्ठ को उल्लेखित करें)	बैंक के अन्य उधारकर्ताओं और अधीनस्थ ऋण जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैर अनुपालित संक्रमण विशेषताएं	हां
37	यदि हाँ, गैर अनुपालित विशेषता को उल्लेखित करें	पूर्णत: अवमान्यताकृत हानि अवशोषी विशेषता हानि नहीं है।

सीरीज 1: आईपीडीआई बासेल - III

1	जारीकर्ता	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
2	युनिक पहचानकर्ता (जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई 695ए08014
3	लिखत के कानूनी शासी	भारतीय कानून
	विनियामक उपचार	पूंजी साधन
4	संक्रमणकालीन बेसल-III के नियम	अयोग्य
5	उत्तर संक्रमणकालीन बेसल-III के नियम	अयोग्य
6	एकल / समूह / समूह और एकल में योग्य	एकल
7	लिखत का प्रकार	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी लिखत
8	नियामक पूंजी में मान्यता प्राप्त राशि (रू करोड़ में, 31.03.2016 को)	150.00
9	लिखत के सम मूल्य	रू 10.00 लाख प्रति बॉण्ड
10	लेखा वर्गीकरण	उधारी
11	जारी करने की मूल तारीख	29.09.2015
12	सतत या दिनांकित	सतत
13	मूल परिपक्वता की तारीख	लागू नहीं
14	जारीकर्ता के कॉल बशर्ते पूर्व पर्यवेक्षी के अनुमोदन हो	जारीकर्ता की कॉल, जो विवेकाधीन है, उसे आबंटन की निधि से पाँचवी वर्षगांठ पर अथवा उसके बाद किसी वर्षगांठ तिथिक ो लागू किया जा सकता जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है।
15	वैकल्पिक कॉल तारीख, आकस्मिक कॉल तारीख और मोचन राशि	लागू नहीं
16	यदि लागू हो तो अनुवर्ती कॉल तारीख	आबंटन की तिथि से प्रथम वर्षगांठ की समाप्ति पर आबंटन की प्रत्येक वर्षगांठ तिथि
	कूपन / लाभांश	कूपन
17	मीयादी या फ्लोटिंग लाभांश / कूपन	मीयादी
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूचकांक	11.95% (वार्षिक)
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	लागू नहीं
20	पूरी तरह से विवेकाधीन, आंशिक रूप से विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य
21	बढ़ाने का अस्तित्व या अन्य प्रोत्साहन का मोचन करना	लागू नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण उत्प्रेरित	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, पूरी तरह या आंशिक रूप से	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण के दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक रूपांतरण	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को उल्लिखित करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है, तो लिखत के जारीकर्ता के ब्योरा दें	लागू नहीं
30	मूल्यहासन की विशेषताएं	हां
31	यदि अवलिखित, अवलिखित उत्प्रेरित	पीओएनवी ट्रिगर इवेन्ट या सीईटी1ट्रिगर इवेन्ट,जो लागू हो।
32	यदि अवलिखित, पूरी तरह या आंशिक रूप से	पीओएनवी ट्रिगर/सीईटी 1 ट्रिगर जो लागू हो, के उत्पन्न होने पर पूर्णता या आंशिक
33	यदि अवलिखित, स्थायी या अस्थायी	दोनों
34	यदि अस्थायी अवलिखित, अवलिखित तंत्र का का ब्योरा दें	आरबीआई के दिशा निर्देशानुसार
35	परिसमापन में परतंत्रता पदानुक्रम की स्थिति (लिखत को अविलम्ब वरिष्ठ को उल्लिखित करें)	बैंक के सभी जमाकर्ताओं, उधारकर्ताओं और सामान्य जमाकर्ताओं और अधीनस्थ ऋणों के दावों के अधीनस्थ
36	गैर अनुपालित संक्रमण विशेषताएं	हां
37	यदि हाँ, गैर अनुपालित विशेषताएं को उल्लिखित करें	लागू नहीं

सीरीज 1: अपर टीयर 2 अधीनस्थ ऋण

1	जारीकर्ता	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
2	युनिक पहचानकर्ता (जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी , आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई 695ए09061
3	लिखत के कानूनी शासी	भारतीय कानून
	विनियामक उपचार	पूंजी साधन
4	संक्रमणकालीन बेसल III के नियम	टीयर 2
5	उत्तर संक्रमणकालीन बेसल III के नियम	अयोग्य
6	एकल / समूह / समूह और एकल में योग्य	एकल
7	लिखत के प्रकार	टियर 2 पूंजी लिखत
8	नियामक पूंजी में मान्यता प्राप्त राशि (रू करोड़ में, 31.03.2016 को)	345.00
9	लिखत के सममूल्य	रू 10.00 लाख प्रति बॉण्ड
10	लेखा वर्गीकरण	उधारी
11	जारी करने की मूल तारीख	18.06.2007
12	असंचयी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता की तारीख	18.06.2022
14	जारीकर्ता के कॉल बशर्ते पूर्व पर्यवेक्षी के अनुमोदन हो	हां
15	वैकल्पिक कॉल तारीख, आकस्मिक कॉल तारीख और मोचन राशि	18.06.2017
16	अनुवर्ती कॉल की तारीख, यदि लागू हो	नहीं
	कूपन / लाभांश	कूपन
17	मीयादी या फ्लोटिंग लाभांश / कूपन	मीयादी
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूचकांक	10.65 (10वें वर्ष के अंत तक कॉल विकल्प प्रयोग नहीं किया जाता है तो 50 बीपीएस की वृद्धि करें)
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	लागू नहीं
20	पूरी तरह से विवेकाधीन, आंशिक रूप से विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य
21	बढ़ाने का अस्तित्व या अन्य प्रोत्साहन का मोचन करना	हां
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण उत्प्रेरित	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, पूरी तरह या आंशिक रूप से	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण के दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक रूपांतरण	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को उल्लिखित करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है, तो लिखत के जारीकर्ता के व्योरा दें	लागू नहीं
30	मूल्यहासन की विशेषताएं	नहीं
31	यदि अवलिखित, अवलिखित उत्प्रेरित	लागू नहीं
32	यदि अवलिखित, पूरी तरह या आंशिक रूप से	लागू नहीं
33	यदि अवलिखित, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलिखित, अवलिखित तंत्र का का व्योरा दें	लागू नहीं
35	परिसमापन में परतंत्रता पदानुक्रम की स्थिति (लिखत को अविलम्ब वरिष्ठ को उल्लिखित करें)	बैंक के अन्य लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैर अनुपालित संक्रमण विशेषताएं	हां
37	यदि हाँ, गैर अनुपालित विशेषताएं को उल्लिखित करें	हानि अवशोषी विशेषता नही

लोअर टीयर 2 अधीनस्थ ऋण

क्र.सं.	लोअर टीयर 2 अधीनस्थ ऋण	सीरीज-III
1	जारीकर्ता	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
2	युनिक पहचानकर्ता (जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई 695ए09038
3	लिखत के कानूनी शासी	भारतीय कानून
	विनियामक उपचार	पूंजी लिखत
4	संक्रमण बेसल III के नियम	टीयर 2
5	उत्तर संक्रमण बेसल III के नियम	अयोग्य
6	एकल / समूह / समूह और एकल में योग्य	एकल
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 पूंजी लिखत
8	नियामक पूंजी में मान्यता प्राप्त राशि (रू. करोड़ में, 31.03.2016 को)	0.00
9	लिखत के सममूल्य	रू 10.00 लाख प्रति बॉण्ड
10	लेखा वर्गीकरण	उधारी
11	जारी करने की मूल तारीख	29.03.2006
12	असंचयी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता की तारीख	29.04.2016
14	जारीकर्ता के कॉल बशर्ते पूर्व पर्यवेक्षी का अनुमोदन हो	नहीं
15	वैकल्पिक कॉल दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक और मोचन राशि	नहीं
16	अनुवर्ती कॉल दिनांक, यदि लागू हो	लागू नहीं
	कूपन / लाभांश	कूपन
17	मीयादी या फ्लोटिंग लाभांश / कूपन	मीयादी
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूचकांक	8.00% (अर्द्ध वार्षिक)
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	लागू नहीं
20	पूर्णतः विवेकाधीन, आंशिक विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य
21	बढ़ाने का अस्तित्व या अन्य प्रोत्साहन का मोचन करना	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, पूर्णतः या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक रुपांतरण	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, रुपानंतरण लिखत का प्रकार स्पष्ट करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हैं, तो रुपान्तरण लिखत के जारीकर्ता को स्पष्ट करें	लागू नहीं
30	मूल्यहासन की विशेषता	नहीं
31	यदि अवलेखन है तो, अवलेखन का उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्यहास है तो, पूर्णतः या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि मूल्यहास है तो, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्यहास हैं तो, आलेख तंत्र का विवरण दें	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थ पदानुक्रम में स्थिति (लिखत के ठीक पूराने लिखत के प्रकार को स्पष्ट करें)	बैंक के अन्य लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैर अनुपालित संक्रमित विशेषताएं	हां
37	यदि हां, तो गैर अनुपालित विशेषताए बतलाएं	हानि रहित अवशोषक विशेषताएं

क्र.सं.	लोअर टीयर 2 अधीनस्थ ऋण	सीरीज-IV	सीरीज-V
1	जारीकर्ता	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
2	युनिक पहचानकर्ता (जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई 695ए09046	आईएनई 695ए09053
3	लिखत के कानूनी शासी	भारतीय कानून	भारतीय कानून
	विनियामक उपचार	पूंजी लिखत	पूंजी लिखत
4	संक्रमण बेसल 3 के नियम	टीयर 2	टीयर 2
5	उत्तर संक्रमण बेसल 3 के नियम	अयोग्य	अयोग्य
6	एकल / समूह / समूह और एकल में योग्य	एकल	एकल
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 पूंजी लिखत	टीयर 2 पूंजी लिखत
8	नियामक पूंजी में मान्यता प्राप्त राशि (रू.करोड़ में, 31.03.2016 तक)	0.00	20.00
9	लिखत के सममूल्य	रू 10.00 लाख प्रति बॉण्ड	रू 10.00 लाख प्रति बॉण्ड
10	लेखा वर्गीकरण	उधारी	उधारी
11	जारी करने की मूल तारीख	16.08.2006	27.03.2007
12	असंचयी या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता की तारीख	16.08.2016	27.04.2017
14	जारीकर्ता के कॉल बशर्ते पूर्व पर्यवेक्षी के अनुमोदन हो	नहीं	नहीं
15	वैकल्पिक कॉल की तारीख,आकस्मिक कॉल की तारीख और मोचन राशि	नहीं	नहीं
16	अनुवर्ती कॉल की तारीख, यदि लागू हो	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन / लाभांश	कूपन	कूपन
17	मीयादी या फ्लोटिंग लाभांश / कूपन	मीयादी	मीयादी
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूचकांक	9.25% (अर्द्ध वार्षिक)	10.10% (वार्षिक)
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	लागू नहीं	लागू नहीं
20	पूर्णतः विवेकाधीन, आंशिक विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	बढ़ाने का अस्तित्व या अन्य प्रोत्साहन का मोचन करना	नहीं	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, पूर्णतः या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण दर	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक रूपांतरण	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो,रूपांतरण लिखत का प्रकार स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हैं, तो रूपांतरण लिखत के जारीकर्ता को स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
30	मूल्यहास की विशेषता	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेख है तो, अवलेख का उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि मूल्यहास है तो, पूर्णतः या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि मूल्यहास है तो, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्यहास हैं तो, आलेख तंत्र का विवरण दें	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थ पदानुक्रम में स्थिति (लिखत के ठीक पूराने लिखत के प्रकार को स्पष्ट करें)	बैंक के अन्य लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	बैंक के अन्य लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैर अनुपालित संक्रमित विशेषताएं	हां	हां
37	यदि हां, तो गैरअनुपालित विशेषताए बतलाएं	हानि रहित अवशोषक विशेषताएं	हानि रहित अवशोषक विशेषताएं

क्र.सं.	लोअर टीयर 2 अधीनस्थ ऋण	सीरीज-VI	सीरीज-VII
1	जारीकर्ता	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (जैसे सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी अवस्थापन के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनइ695ए09079	आईएनई695ए09087
3	लिखत के कानूनी शासी	भारतीय कानून	भारतीय कानून
	विनियामक उपचार	पूंजी लिखत	पूंजी लिखत
4	संक्रमित बेसल 3 के नियम	टीयर 2	टीयर 2
5	उत्तरसंक्रमित बेसल 3 के नियम	अयोग्य	अयोग्य
6	एकल / समूह / समूह और एकल में योग्य	एकल	एकल
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 पूंजी लिखत	टीयर 2 पूंजी लिखत
8	नियामक पूंजी में मान्य राशि (रु. करोड़ में, 31.03.2016 तक)	100.00	120.00
9	लिखत का सममूल्य	रु. 10.00 लाख प्रति बॉण्ड	रु. 10.00 लाख प्रति बॉण्ड
10	लेखा वर्गीकरण	उधार	उधार
11	जारी करने की वास्तविक तारीख	25.03.2009	28.12.2011
12	असंचयी या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता की तारीख	25.03.2019	28.12.2021
14	जारीकर्ता के कॉल बशर्ते पूर्व पर्यवेक्षी के अनुमोदन हो	नहीं	नहीं
15	वैकल्पिक कॉल की तारीख, आकस्मिक कॉल की तारीख और मोचन राशि	नहीं	नहीं
16	अनुवर्ती कॉल की तारीख, यदि लागू हो	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन / लाभांश	कूपन	कूपन
17	मीयादी या अस्थिर लाभांश / कूपन	मीयादी	मीयादी
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूचकांक	9.30 (वार्षिक)	9.20 (वार्षिक)
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	लागू नहीं	लागू नहीं
20	पूर्णतः विवेकाधीन, आंशिक विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	बढ़ाने का अस्तित्व या अन्य प्रोत्साहन का मोचन करना	नहीं	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, पूर्णतः या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण दर	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक रूपांतरण	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, रूपांतरण के लिखत का प्रकार स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हैं, तो रूपांतरण लिखत के जारीकर्ता को स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
30	मूल्यह्रास की विशेषता	नहीं	नहीं
31	यदि मूल्यह्रास है तो मूल्यह्रास का उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि मूल्यह्रास है तो, पूर्णतः या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि मूल्यह्रास है तो, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्यह्रास हैं तो, आलेखित तंत्र का विवरण दें	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थ पदानुक्रम में स्थिति (लिखत के ठीक पुराने लिखत के प्रकार को स्पष्ट करें)	बैंक के अन्य लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	बैंक के अन्य लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैरअनुपालित संक्रमित विशेषताएं	हां	हां
37	यदि हां, तो गैरअनुपालित विशेषताए बतलाएं	हानि रहित अवशोषक विशेषताएं	हानि रहित अवशोषक विशेषताएं

सीरीज-VIII लोअर टीयर 2 अधीनस्थ ऋण

1	जारीकर्ता	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (जैसे सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी अवस्थापन के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनइ695ए09103
3	लिखत के कानूनी शासी	भारतीय कानून
	विनियामक उपचार	पूंजी लिखत
4	संक्रमित बेसल 3 के नियम	टीयर 2
5	उत्तरसंक्रमित बेसल 3 के नियम	योग्य
6	एकल / समूह / समूह और एकल में योग्य	एकल
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 पूंजी लिखत
8	नियामक पूंजी में मान्य राशि (रु. करोड़ में, 31.03.2016 तक)	500.00
9	लिखत का सममूल्य	रु. 10.00 लाख प्रति बॉण्ड
10	लेखा वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की वास्तविक तारीख	25.06.2013
12	असंचयी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता की तारीख	25.06.2023
14	जारीकर्ता के कॉल बशर्ते पूर्व पर्यवेक्षी के अनुमोदन हो	लागू नहीं
15	वैकल्पिक कॉल की तारीख, आकस्मिक कॉल की तारीख और मोचन राशि	लागू नहीं
16	अनुवर्ती कॉल की तारीख, यदि लागू हो	लागू नहीं
	कूपन / लाभांश	कूपन
17	मीयादी या अस्थिर लाभांश / कूपन	मीयादी
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूचकांक	8.75% (वार्षिक)
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	लागू नहीं
20	पूर्णतः विवेकाधीन, आंशिक विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य
21	बढ़ाने का अस्तित्व या अन्य प्रोत्साहन का मोचन करना	नहीं
22	असंचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, पूर्णतः या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक रुपांतरण	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, रुपानंतरण के लिखत का प्रकार स्पष्ठ करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हैं, तो रुपान्तरण लिखत के जारीकर्ता को स्पष्ट करें	लागू नहीं
30	मूल्यह्रास की विशेषता	हां
31	यदि मूल्यह्रास है तो मूल्यह्रास का उत्प्रेरक	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय पीओएनवी ट्रिगर की घटना पर
32	यदि मूल्यह्रास है तो, पूर्णतः या आंशिक	पूरी तरह या आंशिक रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय पीओएनवी ट्रिगर की घटना पर
33	यदि मूल्यह्रास है तो, स्थायी या अस्थायी	स्थायी/अस्थायी रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय पीओएनवी ट्रिगर की घटना पर

क्र.सं.	लोअर टीयर 2 अधीनस्थ ऋण	सीरीज -VIII
34	यदि मूल्यहास अस्थायी है, तो इसे पुरा करने का तंत्र का आलेख	भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के साथ पीओएनपी पर बैंक निम्न में से कोई भी कार्रवाई कर सकता है (क) अस्थायी / स्थायी बट्टे खाते में डालने के मामले में, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र से पूंजी नहीं दिया गया हो। (ख) स्थायी बट्टे खाते में डालने के मामले में, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र से पूंजी दिया गया हो।
35	परिसमापन में परतंत्रता पदानुक्रम की स्थिति (लिखत के ठीक पूराने लिखत के प्रकार को स्पष्ट करें)	अन्य लेनदारों और बैंक के जमाकर्ताओं का दावा के अधीनस्थ ।
36	गैर अनुपालित संक्रमण की विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर अनुपालित विशेषताएं उल्लेखित करें	लागू नहीं

टेबल डीएफ-14
विनियामक पूंजी लिखत का नियम और उसकी शर्ते

लिखत	नियम और शर्ते	
बासेल-II शर्त के तहत अभिनव बेमियादी ऋण लिखत (आईपीडीआई) सीरीज-1 बेमियादी ऋण लिखत (पीडीआई) सीरीज-I गैरजमानती, गैर परिवर्तनीय, अधीनस्थ बेमियादी ऋण लिखत टियर 1 बांड	आबंटन की तारीख	05.12.2012
	मोचन की तिथि	05.12.2022 भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के साथ
	कार्यकाल (महीनों)	सतत
	निर्गमित का आकार (रु. करोड़ में)	300.00
	कुपन दर (वार्षिक)	9.27%
	रेटिंग	क्रिसिल द्वारा ए और केयर द्वारा ए -
	विशेष विशेषताएं : पूट और स्टेपअप अप विकल्प नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बाद बैंक द्वारा 10 वर्षों के बाद।	
बासेल-III शर्त के तहत बेमियादी ऋण लिखत (पीडीआई) सीरीज-1 गैरजमानती, गैर परिवर्तनीय, अधीनस्थ बेमियादी ऋण लिखत टियर 1 बांड	आबंटन की तारीख	29.05.2015
	मोचन की तिथि	सतत
	कार्यकाल (महीनों)	सतत
	निर्गमित का आकार (रु. करोड़ में)	150.00
	कूपन दर (वार्षिक)	11.95%
	रेटिंग	आईएनडीए
	विशेष विशेषताएं : **पूट का विकल्प नहीं। जारीकर्ता काल, जो विवेकाधिकार है, उसे आवंटन की तारिख से 5 वीं वर्षगांठ या उसके बाद किसी वर्षगांठ की तारिख को उपयोग किया या नहीं किया जा सकता है।**	
अपर टियर 2 बांड, सीरीज-I गैरजमानती, प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय अधीनस्थ **अपर टियर 2 बांड**	आवंटन की तारीख	18.06.2007
	मोचन की तिथि	18.06.2022
	कार्यकाल (महीने)	180 (महीने)
	निर्गमित का आकार (रु. करोड़ में)	575.00
	कूपन दर (वार्षिक)	10.65%
	रेटिंग	केयर द्वारा ए-और इक्रा द्वारा ए-
	विशेष विशेषताएं : 1. पूट का विकल्प नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बाद बैंक द्वारा 10 वर्षों के बाद। 2. वृद्धि का विकल्प: बैंक अगर 10 साल के बाद कॉल विकल्प का प्रयोग नहीं करता है, तो 5 वर्ष की शेष अवधि के दौरान 50 बीपीएस का बांड स्टेपअप विकल्प लेगा। 3. परिपक्वता पर आवधिक ब्याज और मूलधन के भुगतान पर लॉकईन क्लाज, यदि सीआरएआर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक सीआरएआर के नीचे है तो। 4. भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं।	

लिखत	नियम और शर्तें	
लोअर टियर 2 बांड, सीरीज -III गैरजमानती, प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर 2 बांड	आवंटन की तारीख	29.03.2006
	मोचन की तिथि	29.04.2016
	कार्यकाल (महीनें)	121
	निर्गमित का आकार (रु. करोड़ में)	100.00
	कूपन दर (वार्षिक)	8.00%
	रेटिंग	केयर द्वारा ए+और इक्रा द्वारा ए+
	प्रमुख विशेषताएं : 1. सामान्य वनीला बांड बिना किसी प्रमुख विशेषता के अर्थात क्रय या विक्रय विकल्प आदि । 2. भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं ।	
लोअर टियर 2 बांड, सीरीज -IV गैरजमानती, प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर 2 बांड	आवंटन की तारीख	16.08.2006
	मोचन की तिथि	16.08.2016
	कार्यकाल (महीने)	120
	निर्गमित का आकार (रु. करोड़ में)	200.00
	कूपन दर (वार्षिक)	9.25%
	रेटिंग	केयर द्वारा ए+और इक्रा द्वारा ए+
	प्रमुख विशेषताएं : 1. सामान्य वनीला बांड बिना किसी प्रमुख विशेषता के अर्थात् क्रय या विक्रय विकल्प आदि । 2. भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं ।	
लोअर टियर 2 बांड, सीरीज-V गैरजमानती, प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर 2 बांड	आवंटन की तारीख	27.03.2007
	मोचन की तिथि	27.04.2017
	कार्यकाल (महीनें)	121
	निर्गमित का आकार (रु. करोड़ में)	100.00
	कूपन दर (वार्षिक)	10.10%
	रेटिंग	केयर द्वारा ए+और इक्रा द्वारा ए+
	प्रमुख विशेषताएं : 1. सामान्य वनीला बांड बिना किसी प्रमुख विशेषता के अर्थात् क्रय या विक्रय विकल्प आदि । 2. भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं ।	

लिखत	नियम और शर्तें	
लोअर टियर 2 बांड, सीरीज-VI गैरजमानती, प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर 2 बांड	आवंटन की तारीख	25.03.2009
	मोचन की तिथि	25.03.2019
	कार्यकाल (महीने)	120
	निर्गमित का आकार (रु. करोड़ में)	250.00
	कूपन दर (वार्षिक)	9.30%
	रेटिंग	केयर द्वारा ए+और इक्रा द्वारा ए+
	प्रमुख विशेषताएं : 1. सामान्य वनीला बांड बिना किसी प्रमुख विशेषता के अर्थात् क्रय या विक्रय विकल्प आदि । 2. भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं ।	
लोअर टियर 2 बांड, सीरीज -VII गैरजमानती, प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर 2 बांड	आवंटन की तारीख	28.12.2011
	मोचन की तिथि	28.12.2021
	कार्यकाल (महीने)	120
	निर्गमित का आकार (रु. करोड़ में)	200.00
	कूपन दर (वार्षिक)	9.20%
	रेटिंग	केयर द्वारा ए+और क्रिसिल द्वारा एए-
	प्रमुख विशेषताएं : 1. सामान्य वनीला बांड बिना किसी प्रमुख विशेषता के अर्थात् क्रय या विक्रय विकल्प आदि । 2. भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं ।	
लोअर टियर 2 बांड, सीरीज-VIII गैरजमानती, प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर 2 बांड	आवंटन की तारीख	25.06.2013
	मोचन की तिथि	25.06.2023
	कार्यकाल (महीने)	120
	निर्गमित का आकार (रु. करोड़ में)	500.00
	कूपन दर (वार्षिक)	8.75%
	रेटिंग	क्रिसिल द्वारा एए- एवं ब्रिकवर्क द्वारा एए-
	प्रमुख विशेषताएं : 1. गैर इक्विव पूंजी लिखत के लिए लागू लिखत के अधीन हानि अवशोषी विशेषताएं सुविधाओं के अधीन है। 2. ट्रिगर घटना के घटित होने पर जिसे गैर व्यवहार्यता के प्वाइंट (पीओएनवी) कहा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक के विकल्प पर लिखत को या तो स्थायी रूप से बट्टे खाते में डाला जा सकता है या अस्थायी रूप से बट्टे खाते में डाला जा सकता है। 3. सभी जमाकर्ताओं एवं बैंक के आम उधारकर्ताओं और जमाकर्ताओं के अधीनस्थ दावे, टीयर पूंजी में समावेश हेतु योग्य लिखतों में निवेशकों के दावे की तुलना में उक्त लिखत में निवेशकों के दावे पहले होंगे।	

टेबल डीएफ-15
पारिश्रमिक हेतु प्रकटीकरण अपेक्षा

गुणात्मक एवं मात्रात्मक प्रकटीकरण : अप्रयोग्य

टेबल डीएफ-16
इक्विटी – बैंकिंग बुक पोजिशन हेतु प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण	इक्विटी जोखिम के संबंध में सामान्य मात्रात्मक प्रकटीकरण

- निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन के संबंध में आरबीआई के दिशानिर्देश के अनुसरण में, निवेश को खरीद की तारीख पर "व्यापार के लिए धारित" (एचटीएफ), " बिक्री के लिए उपलब्ध" (एएफएस), "परिपक्वता तक धारित" (एचटीएम) वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। जिन निवेशों को परिपक्वता तक बैंक धारीत करना चाहता है, उन्हें एचटीएम प्रतिभूतिओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आरबीआई के दिशानिर्देश के अनुसरण में एचटीएम वर्ग के तहत इक्विटी निवेश को पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्य से बैंकिंग बुक के रुप में वर्गीकृत किया गया है।

- आरबीआई के दिशानिर्देश के अनुसार अनुषंगियों की इक्विटी और संयुक्त उद्यम मे निवेश को एचटीएम वर्गीकृत करने की जरुरत है। इन्हें नीतिगत उद्देश्य से नीतिगत सम्पर्क अथवा नीतिगत व्यावसाय बनाए रखने के लिए धारित किया जाता है।

- एचटीएम वर्ग के तहत वर्गीकृत निवेश को उनकी अधिग्रहण लगत में लिया जाता है और मार्केट तक मार्ग नहीं किया गया है। उपलब्ध इक्विटी निवेश के मूल्य में अस्थायी के अलवा किसी भी अवनति को उपलब्ध कराया गया है। आरबीआई के दिशानिर्देश के अनुसार एचटीएम वर्ग के तहत इक्विटी निवेश की बिक्री पर किसी तरह की हानि को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किया गया है, शुद्ध कर और सांविधिक प्रारक्षित को "पूंजी प्रारक्षित" में विनियोजित किया गया है।

गुणात्मक प्रकटीकरण

क्रम सं.	विवरण	(रुपए करोड़ में)
1	बैंकिंग बुक में इक्विटी निवेश	
	क) तुलन पत्र में निवेश के संबंध में प्रकट मूल्य	3.85
	ख) निवेशों का उचित मूल्य	3.85
	आरबीआई के दिशानिर्देश के अनुसार एक सुसंगत आधार पर आरआरबी में निवेश को केरिंग लागत में मूल्यांकित किया जाए (अर्थात बही मूल्य)	
2	राशि समेत निवेश का प्रकार और प्रकृति, जिसे निम्नप्रकार वर्गीकृत किया जाए:	
	क) सार्वजनिक रूप से किया गया व्यापार	शून्य
	ख) व्यक्तिगत रुप से धारित (गैर सूचीबद्ध)	3.85
3	संचयी वसूल लाभ (बिक्री से हुई हानि और रिपोर्टिंग अवधि में परिसमापन)	शून्य
4	कुल गैर वसूली लाभ (हानि)*	शून्य
5	कुल अव्यक्त पूनर्मूल्यांकित (हानि)**	शून्य
6	उपर्युक्त टियर I और टियर II पूंजी में शामिल राशि	शून्य
7	समुचित इक्विटी समूह द्वारा अलग हुई पूंजी अपेक्षा, बैंक की संगत प्रणाली के साथ सकल राशि और इक्विटी निवेश के प्रकार, बशर्ते कि किसी पर्यवेक्षी संक्रमण अथवा नियामक पूर्वी अपेक्षा के लिए प्रावधान किया गया हो।	बासेल - III मानदंडो के तहत एसोशिएट्स में निवेश 250% की दर से जोखिम भारित है।

* गैर वसूली लाभ (हानि) को तुलन पत्र में स्वीकृत किया गया है, इसे लाभ एवं हानि खाते में दिखाया नहीं गया।

** गैर वसूली लाभ (हानि) को तुलन पत्र में स्वीकृत नहीं किया गया है और इसे लाभ एवं हानि खाते से भी दिखाया नहीं गया।

टेबल डीएफ-17

लेखा आस्तियों बनाम लिवरेज अनुपात एक्सपोजर उपाय

क्रम सं.	विवरण	(रुपए करोड़ में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	129431.75
2	बैंकिंग वित्तीय बीमा अथवा वाणिज्यिक संस्थायों निवेश के लिए समायोजन जिसे लेखा उद्देश्य हेतु समेकित किया गया है लेकिन नियामक समेकन के संभावनायों से बाहर है।	लागू नही
3	परिचालन लेखा ढांचा के अनुसार तुलन पत्र में स्वीकृत प्रत्ययी आस्ति हेतु समायोजन, लेकिन जिसे लिवरेज अनुपात निवेश उपाय से बहिर्भुत है।	0.00
4	व्युत्पन्न वित्तीय लिखत समायोजन	0.00
5	प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन के लिए समायोजन (अर्थात रेपो और उसी प्रकार जमानती उधार)	0.00
6	तुलन पत्र में बाहर निवेश ऋण के बराबर राशि	5320.06
7	अन्य समायोजन	(163.70)
8	लिवरेज अनुपात निवेश	**134588.11**

टेबल डीएफ-18

लिवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट

क्रम सं.	विषय	(रुपए करोड़ में)
	बैलेंस शीट में निवेश	
1	तुलन पत्र में निवेश की मदें (डेरिवेटिव्स और एसएफटी को छोड़ कर, लेकिन संपार्शिक को मिलाकर)	127331.75
2	(बासेल - III टियर - 1 पूंजी के निर्धारण में घटाई गई आस्ति की राशि)	(163.70)
3	कुल तुलन पत्र में निवेश (डेरिवेटिव्स और एसएफटी की छोड़ कर) (लाइन 1 और 2 का कुल जोड़)	**127168.05**
	डेरिवेटिव्स निवेश	
4	सभी डेरिवेटिव्स लेनदेन के साथ शामिल प्रतिस्थापन लागत (अर्थात योग्य नकद परिवर्तन मार्जिन)	0
5	सभी डेरिवेटिव्स लेनदेन के साथ शामिल पीएफई के लिए एड-आन राशि	0
6	उपलब्ध कराये गये डेरिवेटिव्स संपार्शिक हेतु सकल जहां परिचालन लेखा ढांचा के अनुसरण में तुलन पत्र की आस्ति से घटाया गया।	0
7	(डेरिवेटिव्स लेनदेन में उपलब्ध कराया गया नगद परिवर्तन मार्जिन हेतु प्राप्य आस्तियों को घटाना)	0
8	(सीसीपी लेग ऑफ क्लाइंट-क्लियर व्यापार निवेश की छूट)	0
9	लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव्स की अनुमानित राशि के लिए प्रभावित समायोजन	0
10	(लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव्स के लिए प्रभावित अनुमानित आफसेट एड-आन कटौती का समायोजन)	0
11	**कुल डेरिवेटिव्स निवेश (लाइन 4 से 10 का जोड़)**	**0**
	प्रतिभूतियां वित्तपोषण लेनदेन निवेश	
12	बिक्री लेखा लेनदेन के लिए समायोजन के बाद सकल एसएफटी आस्तियां (नोटिंग की स्वीकृति के बगैर)	2100.00
13	(सकल एसएफटी आस्तियों का कुल देय नगद और प्राप्य नगद राशि)	0
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर निवेश	0
15	एजेंट लेनदेन निवेश	0
16	**कुल प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन निवेश (लाइन 12 से 15 का जोड़)**	**2100.00**
	तुलन-पत्र में बाह्य अन्य मदो में निवेश	
17	तुलन-पत्र में बाह्य अन्य मदो में निवेश की सकल अनुमानित राशि	11714.96
18	(क्रेडिट के बराबर राशि में परिवर्तन के लिए समायोजन)	(6394.90)
19	**तुलन-पत्र में बाह्य मदें (लाइन 17 से 18 का जोड़)**	**5320.06**
	पूंजी और कुल निवेश	
20	**टियर -1 पूंजी**	**5796.92**
21	**कुल निवेश (लाइन 3,11,16 और 19 का जोड़)**	**134588.11**
	लिवरेज अनुपात	
22	**बासेल-III लिवरेज अनुपात**	**4.31**

इस पृष्ठ को जानबूझकर रिक्त रखा गया है।

THIS PAGE HAS BEEN

KEPT BLANK INTENTIONALLY

Annual Report
2015-16

Company Secretary, Compliance Office & Secretary to the Board of Directors

Bikramjit Shom

Registrar & Share Transfer Agent:

Link Intime India Pvt. Ltd.
C-13 Pannalal Silk Mills Compound
L B S Road, Bhandup (W)
Mumbai – 400078

Statutory Central Auditors:

M/s. Ramamoorthy (N) & Co.
M/s. P. C. Bindal & Co.
M/s. S P M R & Associates
M/s. Nundi & Associates

Registered Office Address:

United Bank of India
United Tower
11 Hemanta Basu Sarani
Kolkata - 700001

Website
www.unitedbankofindia.com
E-mail
investors@unitedbank.co.in

BRIEF HISTORY OF THE BANK

United Bank of India has a chequered history. A small bank, Comilla Banking Corporation Ltd (Estd. in 1914) was amalgamated with three other banks viz. Comilla Union Bank Ltd. (Estd. in 1922), Hooghly Bank Ltd. (Estd. in1932) and Bengal Central Bank Ltd. (Estd. in 1918) to become United Bank of India on 18th December 1950.The bank was headquartered at 4, Clive Ghat Street (now N.C. Dutta Sarani), Kolkata-700 001 which later shifted to its present location at 11, Hemanta Basu Sarani ,Kolkata700 001.

The Bank was nationalized along with 13 other Banks on July 19, 1969. Subsequently, Cuttack Bank Ltd., Tezpur Industrial Bank Ltd., Hindustan Mercantile Bank Ltd. and Narang Bank of India Ltd. were merged with the Bank.

United Bank of India has grown from strength to strength. Starting from a network of 174 branches and a business of Rs.259 crore in 1969 at the time of nationalization, the Bank, at present, has 2011 branches/offices with a total business of over Rs 1.87 lac crore. As the branches operating in the then east Pakistan were closed in the aftermath of 1971 war with Pakistan, the Bank spread its international presence by establishing representative office in Dhaka, Bangladesh in 2010 and later at Yangoan, Myanmar. The Bank’s international operations are supported by wide network of Correspondent relationships opened with overseas Banks.

United Vision

To emerge as a dynamic, techno savvy, customer- centric, progressive and financially sound premier bank of our country with pan India presence, sharply focused on business growth and profitability, with due emphasis on risk management in an environment of professionalism, trust and transparency, observing highest standards of corporate governance and corporate social responsibilities, meeting the expectations of all its stakeholders as well as the aspirations of its employees.

Essentially, Pursuit of Excellence is going to be core philosophy and driving force for the bank.

PERFORMANCE HIGHLIGHTS

- Total Business of the Bank increased to Rs 187813 Crore as on 31.03.2016.
- Total Deposits increased by Rs 7583 Crore.
- CASA share improved to 41.92% as on 31st March 16.
- Operating Profit at Rs 245.32 crore for Q4 16 and Rs 1811.80 Crore for FY 16.
- Net Profit at Rs.(413.04) crore in Q4 FY16 and Rs (281.95) crore for FY 16.
- Net lnterest lncome (Nll) at Rs 405.45 crore for Q4 16 and Rs 2280.56 Crore for FY 16.
- Gross NPA at Rs.9471.01 crore as on 31.03.2016.
- NIM at 2.01% for FY16.
- CRAR (Basel Ill) at 10.08% with Tier 1 at7.93% as on 31st Mar,2016

PERFORMANCE AT A GLANCE

Amount in ` Crore

Parameters	2013-14	2014-15	2015-16
No. of Branches	2001	2004	2011
Capital	1354.75	839.52	1319.52
Equity	554.75	839.52	839.52
PNCPS	800	0	0
Share Application Money (pending allottment)	0	0	480.00
Reserve & Surplus	3927.91	4988.52	4999.67
Capital Adequacy			
Basel II	11.46%	11.42%	10.46%
Basel III	9.81%	10.57%	10.08%
Gross Profit	2061.74	2427.94	1811.80
Net Profit	-1213.44	255.99	-281.95
Total Deposit	111510	108818	116401
Average Deposit	106010	105410	109138
Per Cent Increase	20.75%	-0.57%	3.54%
Gross Advances	67982	69070	71412
Average Gross Advances	72208	65920	66784
Per Cent Increase	18.45%	-8.71%	1.31%
Total Business	179492	177888	187813
Per Cent Increase	5.36%	-0.89%	5.58%
Investments	44876	46798	44934
Advances to Priority Sector	28950	28561	29809
Per Cent of Net Credit / ANBC	40.10%	40.48%	41.16%
Total Staff	16499	15192	14981
Business Per Employee	10.67	11.51	12.37

MESSAGE TO SHAREHOLDERS

Dear Shareholders,

I present the Annual Report of your Bank for the year 2015-16, when the Banking industry in general and the public sector banks in particular are passing through a tumultuous phase plagued by languishing economy, subdued corporate & manufacturing sector and omnipresent asset woes aggravated further by fresh regulatory puritanism. United Bank of India could not avoid the heat either.

Economy:

When we dissect the events of last 15 months in the banking and economy space to give a perspective to the predicaments, we find both global and local factors responsible for this ongoing economic unrest.

The global recovery has weakened further amidst increasing financial turbulence in the developed markets. The US initiated quantitative easing which was followed up later by EU and Japan. The objective was to whip up inflation by lowering the rate of interest. The expectations from the exercise were not met as neither consumption increased nor investment. The money pumped into the system merely bloated up debt and pushed up asset prices. The emerging market economies were no better; some countries like Brazil and Russia are already sunk in abysmal recession. In Brazil, consumption dropped by 8 per cent and investment by 10 per cent accounting for depletion of GDP to the tune of 3.8 per cent. China has climbed down consistently creating fears of another bubble burst. The Yuan dropped to 16 month low while exports shrunk by 25 per cent. Fears of further softening of the Chinese economy, devaluation of equity market and depreciation of Yuan will constantly keep the global economy on the edge of the precipice.

Thankfully in India, the economy has maintained its growth around 7 per cent though different sectors followed their individual growth patterns. Industrial production has not shown much improvement in spite of vigorous Government intervention and substantial value additions. The monsoon last year was deficient affecting food grain productions, though we expect a much better monsoon this time around. Exports have been falling month on month for almost a year now. Service sectors maintained its trajectory acting somewhat as a succor to the otherwise stressed economy. Almost unidirectional attention of the Reserve Bank of India (RBI) to rein inflation helped to keep it on a tight leash which enabled the regulator to ease monetary policy.

There was some weakening in inflation since the beginning of the year and as predicted by Indian Meteorological Dept. (IMD) the trend should continue if the monsoon is normal this year. This will help in price stabilization of agricultural produces. Falling international commodity prices, mainly of oil and metals, have already dampened Wholesale Price Index (WPI) and the RBI is hopeful that inflation will further ease with better liquidity management.

India's economic growth may slow down to 7.4% in FY17 from 7.6% in FY16, mainly due to slowdown in public investment, squeezing corporate balance sheets and declining exports, the Asian Development Bank said.

Banks in India are under tremendous stress primarily due to asset quality issues having cascading effects on profitability and capital adequacy.

With differentiated banks like Payments Banks and Small Finance Banks already in place, the RBI is likely to further explore more such boutique banks like Custodian Banks or banks for whole-sale or long-term financing.

Performance of the Bank:

Your Bank has been going through a rough time for last couple of years and the trend continued in 2015-16 as well, although ebbing away to a substantial extent. The business compulsions have propelled the Bank to reorient its business strategies and reshape its business mix to make it purposeful and commensurate to the size of the Bank.

Performance Indicators:

- Total Business stood at Rs.1,87,813 crore as on 31.03.2016 registering a modest growth of 5.58%.
- Total deposits increased by Rs 7,583 crore (6.97%) to Rs.1,16,401 crore. The growth was largely in low cost Savings Bank deposits while the Bank refrained from accepting any bulk deposit at preferential rate;
- Current Accounts-Savings Accounts (CASA) one of the Bank's strongholds grew from Rs.45,755 crore to Rs.48,791 crore (6.64%) y-o-y remaining consistent at over 41% of total deposits.
- The advances saw a muted growth of just about 3.40%.
- Operating profit of the Bank came down to Rs.1,812 crore for FY-16 from last years' Rs.2,428 crore largely due to fall in treasury income and other income components. Despite consecutive rate cut announcements by the RBI, market yields persisted at an elevated level almost throughout the financial year till the very fag end which prevented the Bank from booking profit. However we are hopeful that this year there will be ample opportunities for the Bank to book substantial profit.
- Under challenging conditions primarily contributed by rising Non Performing Assets (NPA) on the back of Asset Quality Review (AQR) conducted by the RBI and slippages of some bigger corporate accounts, having its cascading effects on all other operating and financial parameters, the Bank had to book a net loss of Rs.282 crore as against a profit of Rs.256 crore last year;
- Net Interest Income was at Rs.2,281 crore in 2015-2016 compared to Rs.2,491 crore last year due to reduction of Base Rate.

- Gross NPA of the Bank was at Rs. 9,471.01 crore (13.26% of total advances) and the Net NPA at Rs. 6,111 crore (9.04% of total advances).
- The total NPA recovery and upgradation for FY-16 was Rs. 2,093 crore with cash recovery of Rs. 541.42 crore resulting in overall reduction of NPA to the tune of Rs.890.35 crore.
- NIM was at 2.01% in FY – 2016.
- CRAR under Basel III was 10.08% with Tier-I at 7.93% as on 31st March 2016.

Business Initiatives:

- In 2016-17 the Bank's focus areas for lending would be in the MSME and retail segments. The Bank will strive to achieve all its targets given under Mudra Scheme, Standup India scheme and strengthen its retail channels – particularly housing, education and vehicle loan segments. The Bank has established 180 dedicated MSME hubs across the country apart from its existing retail hubs.
- Capital is scarce and so costly. In 2016-17 the focus will also be in conservation and strengthening of capital position. While making advances, the Bank will endeavour to avoid sectors which are capital guzzlers and concentrate on government guaranteed schemes. Bank will also augment its resources to ensure wealth generation for the future.
- Bank has been constantly upgrading its products and services through technological improvisation and streamlining of processes and systems. Some of the mentionable developments are launching of e-kiosk, online SB Account opening facility, Immediate Payment Services (IMPS) based 24X7 fund transfer facility through Internet Banking and Mobile & Internet based Wallet services. E-Kiosk is almost a branch unto itself providing all services 24/7 that a retail customer may need day in and day out.
- Bank jointly with Kotak Securities Ltd. has launched its share trading product - **"U-Connect Trio"** which enables the customer to open 3-in-1 account i.e. Bank Account, Demat Account & Share trading Account and trade seamlessly on the net from the comfort of their home.
- Bank has organized special camps for issuance of Kisan Credit Cards (KCC) to bring in more number of new farmers under the KCC-net. In line with the Government guidelines Bank has issued 3.60 lakh Rupay based ATM cards to KCC holders, which is 93% of all eligible KCC holders.
- Bank has so far set up 14 RSETIs in the states of West Bengal, Assam and Tripura for imparting training to the potential entrepreneurs from the financially weak sections of the society.
- The Bank is the Convener of State Level Bankers' Committee (SLBC) in the States of West Bengal & Tripura. The Bank is entrusted with Lead Bank responsibility in 34 districts spread across four states – 10 districts in West Bengal, 12 in Assam, 4 in Manipur and 8 in Tripura.
- Bank is revamping its existing traditional network architecture from Point-to-Point to next generation Multi Protocol Level Switching (MPLS) technology and also upgrading network bandwidth for higher availability & better performance. Bank has implemented Wide Area Network (WAN) optimization solution in all Branches to improve network performance for smooth functioning of bandwidth rich banking application.
- For better recovery, Bank started to participate in Community Based Recovery Mechanism (CBRM) with the assistance from State Rural Livelihood Mission (SRLM) which has placed Bank Sakhi/ Bank Mitra at branches.
- The bank has taken various initiatives to optimize customer satisfaction like prompt services, innovating new products/ services and reducing turnaround time (TAT). In order to facilitate quicker, fair and non–discriminatory redressal mechanism, Bank has introduced a portal styled as Comprehensive Complaint Management System (CCMS).

CSR:

- Bank has extended financial assistance approved in earlier financial year, to 71 social welfare activities involving a total sum of Rs.2.13 crore.

Awards:

- Your Bank has been awarded Certificate of Recognition for maximum coverage of sub service areas in a state for the State of Tripura as SLBC Coordinator, for maximum coverage of sub service areas in district by a Bank for the District of Bankura as Lead District Manager, for maximum percentage achivements of identified household coverage for the state of West Bengal as SLBC convenor and for securing third rank in total deposit mobilised in PMJDY accounts, by Cooch Behar Branch.

Skill Development:

- Skill development, particularly soft skills, has become imperative to survive in the service sector. To ensure a stronger future, Bank has started a unique induction training programme wherein the newly joined officers are given classroom training and on-the-job training simultaneously for 16 weeks before their permanent posting.
- The Bank has a Mentoring Process in which the experienced executives guide the new recruits.
- Bank signed Memorandum of Understanding (MOU) with National Institute of Information Technology Ltd. (NIIT) and Institute of Finance, Banking and Insurance (IFBI) for a 3 years training programme for the Single Window Operators (SWO).
- For continuously updating the knowledge base of existing officers and providing them with a platform for exchange of views on various aspects of banking and finance, the Bank has initiated an online training module by the name 'Quest'.

I express my sincere gratitude to the Central Government for their continuous support, Reserve Bank of India for guiding the Bank in its most trying time, SEBI and Stock Exchanges, Bank's valued customers and shareholders who were omnipresent with encouragements during the rain and sun and each and every member of the UBI-family, as we dearly refer to our workforce, for their undeterred efforts to bring glories to this great institution.

This is going to be my last AGM. I personally wish the very best to this Bank and all its constituents.

P. Srinivas
Managing Director & CEO

DIRECTORS' REPORT

The Board of Directors have pleasure in presenting the 66th Annual Report of the Bank along with the Audited Balance Sheet, Profit and Loss Account and the report on Business and Operations for the year ended March 31, 2016 (FY – 2015-16).

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

I. ECONOMIC ENVIRONMENT

Global Economy:

After the crisis of 2008 many countries had partly recovered though on weak foundations. Those foundations have crumbed for a variety of reasons and some of the countries are already in recession and some others on its threshold. While there is a high degree of disturbance, confusion and uncertainty and some would like to characterize the current situation as a newer version of VUCA (volatility, uncertainty, complexity and ambiguity).

The recovery after 2008 was heavily dependent on government funding. The US invented quantitative easing which was later on followed by EU and Japan. The objective was to control the inflation by lowering the rate of interest. These expectations were not achieved because neither consumption nor investment increased. The money pumped into the economy merely bloated up debt and pushed up asset prices.

Some countries in EU could not progress with 'over-valued' euro and crumbled under its pressure. Portugal, Ireland, Greece, Italy, Spain, had to be bailed out and with the austerity measures adopted by them growth has become difficult. Even France and Germany find the going tough in spite of the negative interest rate initiated by the European Central Bank. Unemployment in EU is over 9 per cent. Further pressures will mount if Britain leaves EU.

The emerging market economies are no better; some countries, like Brazil and Russia are already deep in recession. Of the BRICS countries only China and India have high positive growth though China has climbed down considerably creating fears of bubble burst. The yuan dropped to 16 month low and exports shrunk 25 per cent. Fears of further weakening of the Chinese economy, its falling equity market and the depreciation of its currency loom large over global economic prospects. In January 2015, capital outflows from China triggered sell-offs across both Advanced Economies (AEs) and Emerging Market & Developing Economies (EMDEs), exacerbating currency declines and heightening volatilities. Apart from uncertain recovery prospects in the AEs, the major reason behind such turbulence is the real prospect of a chinese slowdown. Global economic performance post GFC has been largely supported by Chinese growth and demand, particularly for commodities (oil, industrial metals, etc.), needed to support the huge infrastructure build-up. In fact, China is said to be now taking steps to cut down excess capacities in sectors like steel and coal mining over the next few years. The scope for further activity in this sector, therefore, looks diminished at this juncture. Simultaneously, the financial health of banks and local bodies, which had funded this huge expenditure, is being called into question. Corporate profits in India have declined and investment in private sector will take time to recover.

The situation in many countries is similar to that before the last recession. Retail sales are down; factory orders are down; corporate profits are down; commodity prices are down; exports are down. But their central banks have little room to manage. Interest rates are already negative with high debt-overhang. That has created fears that recession may be round the corner.

Indian Economy:

The economy has been steadily moving at more than 7 per cent though different sectors have their own momentum. Industrial production has not shown much improvement in spite of substantial value addition. The monsoon last year was deficient and food grains production was negatively affected. Services sector kept its pace. Exports have been falling every month for more than a year now. Inflation was down to less than 5.5 per cent which prompted the RBI to ease monetary policy. Most parameters are positive and indicate a positive trend in future.

Agriculture

More than foodgrains, however, it is the non-food grains sector which is gaining more importance in terms of its contribution to GDP and food consumption. For instance, India is now the largest producer of milk with about 18.5 per cent of world production and accounts for 1 percent of our GDP.
The Union Budget for 2016-17 allocates much larger funding to agricultural development with emphasis on irrigation and crop insurance. This was necessary not only to improve the incomes of farmers but also to keep inflation in check.

Industry

Some of the industries are in recovery mode. Car production was the highest so far and increased nearly 5 per cent in March. Some of the other industries like steel have been stagnating due to decline in world demand and fall in international prices.
Corporate balance sheets reflect the stressed conditions. Profits have declined in spite of positive consumer sentiments.

Investment

Since FY11 when investment in private sector peaked at Rs.3.1 trillion, it has been steadily declining. There were reasons. First, there is

underutilization of capacity to the extent of 20 per cent; second, with lower profits and volatile market which made IPOs difficult, companies had to depend more on debt the repayment of which has become difficult for business borrowers and has become an issue with PSU banks and Government. The value of expected investment stalled projects rose in Jan-March 2016 to 8.4 percent of GDP. Had this investment fructified GDP growth would have been 2 per cent higher.
The 'Make in India' has created some interest in foreign investment particularly in defence industries. Foreign Direct Investment in India was $31.6 billion in the first 11months of 2015-16 about a fifth more than in the same period previous year.

The Stock Market

The market has become volatile for a variety of reasons. In fact the international events influence domestic markets much more than domestic factors. The policy stance of US Federal Reserve, the slowdown in China or the chaotic situation in the Middle East have much greater impact than even the earnings by companies in India.

FII investment for the most part was negative. In the first three months of 2015 investment in March was mostly cancelled off by disinvestment in the rest of the months.

Inflation

There was some weakening of inflation since the beginning of this year. This trend may continue if, as predicted by IMD, the monsoon this year is normal. That will stabilize prices since agriculture has been the starting point of inflation. International commodity prices, mainly of oil and metals, have been falling which have dampened WPI. The RBI is hopeful that inflation will ease with better management of liquidity.

External Trade

The slowing down of the world economy has decreased export of almost every country. A reversal has not yet come through. India's merchandise exports dropped from the $350 billion target by more than 15 per cent. But India has an advantage in services exports which partly covered the trade gap. Besides, imports also declined and consequently the current account deficit (CAD) dropped to 1.3 per cent of GDP.

The Prospects

Most estimates about growth rate in FY 2016-17 by different institutions are in the range of 7.4 - 7.8 per cent. There is also agreement that if the Government goes in for genuine reforms and improvement in governance, investment would be high and growth will cross 8 per cent. The last budget, it was expected, would open the economy further. That did not happen. GST and 'Entry and Exit' Policy are critical and every effort needs to be made to implement them as early as possible.

The Government is committed to low interest rate regime. It is expected that with low interest rates investment in the private sector, which is currently in retreat, will increase and generate growth and employment. Government has taken necessary initiatives for rate reduction as much for the financial market as for the RBI to cut the policy rate of interest.
The Government has lowered the Government-regulated interest rates.

Lower interest rate however is no guaranty that capex will increase because investment depends on a variety of other factors. Since 2011 investment in the private sector has been declining in spite of the drop in interest rates. But as a long term strategy a low interest regime is undoubtedly desirable.

In US, EU or Japan interest rate is near zero or negative over a number of years. But neither consumption nor investment has revived. India is investment hungry and if the right reforms are initiated and easy entry and exit are ensured there would be investment resurgence which is critical for high growth and employment.

MONETARY AND BANKING DEVELOPMENTS

On 5th April the RBI announced its first bimonthly policy for the year 2016-17 with a cut in repo rate by 25 bps. Important announcements were also made to ensure efficient liquidity management. The stock market did not react favorably since the 25 bps cut was already factored in. Some banks however have reduced interest rates based on marginal cost norms prescribed by RBI.

Entire banking industry in India is under deep stress due to high ratio of stressed assets. This is particularly true of public sector banks which have to recover over Rs.3 trillion of loans. Corporate Debt Restructuring (CDR) has not delivered desired result and as a better alternative Strategic Debt Restructuring (SDR) has been introduced, but its full impact is yet to come.
RBI is expected to come out with guidelines on Large Exposures Framework and Enhancing Credit Supply through Market Mechanism. The Reserve Bank will also undertake revision of the guidelines on the securitization framework in the light of the BCBS revisions to the securitization framework which is to be implemented by January 2018.

In addition to recently licensed differentiated banks such as payments banks and small finance banks, the Reserve Bank would explore the possibilities of licensing other differentiated banks such as custodian banks and banks concentrating on whole-sale and long-term financing.

FINANCIAL PERFORMANCE

Bank's performance during the year was delimited by setting of priorities for gaining desired results in the fields of asset quality and recovery of bad assets. The main performance indicators of growth, profitability, efficiency, productivity, and solvency are as under:

The Bank has registered an Operating Profit of Rs.1811.80 crore during the financial year 2015-16 compared to Rs.2427.94 crore in the financial year 2014-15, registering a decline of Rs.616.14 crore (25.37%). Net profit of the bank for the year 2015-16 stands at Rs.(-281.96) crore compared to a Net Profit of Rs.255.99 crore in FY 2014-15. **Gross Profit per Employee decreased from Rs.15.98 lakh as on Mar'15 to Rs. 12.09 lakh as on Mar'16.**

Key Financial Ratios (%)	March 2015	March 2016
Cost of Funds	6.38	6.16
Yield on Funds	8.44	7.99
Cost of Deposits	6.88	6.58
Yield on Advances	10.80	9.93
Yield on Investments	8.04	8.02
Spread as a % of AWF	2.07	1.89
Net Interest Margin (NIM)	2.21	2.01
Operating Expenses to AWF*	1.50	1.61
Return on Avg. Assets (RoAA)	0.21	(-)0.22
Return on Equity	5.16	(-)6.01
Business per Employee (Rs. In Crore)	11.53	12.37
Net Profit per Employee (Rs. In Lakh)	1.69	(-)1.88
Book Value	59.20	50.14

*AWF – Average Working Fund

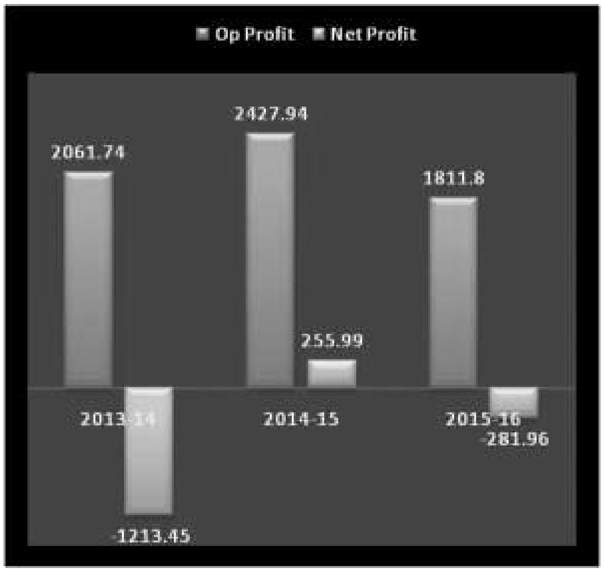

Income and Expenditure Analysis

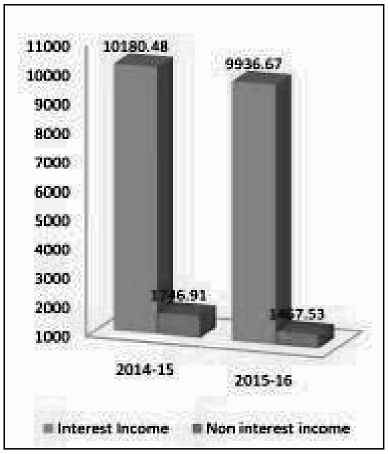

Interest income of the Bank reached Rs.9936.67 crore in 2015-16 compared to Rs.10180.48 crore earned during the year 2014-15. Interest income being a direct function of growth in advances and the rate of interest charged. Bank cut its Base Rate twice during the year 2015-16 to pass on the benefit of rate cut made by RBI. Non-interest income decreased by Rs.279.38 crore (15.99%) from Rs. 1746.91 crore in the financial year 2014-15 to Rs.1467.53 crore in the financial year 2015-16. The Yield on Advances declined to 9.93% as at March 2016 compared to 10.80% as at March 2015.

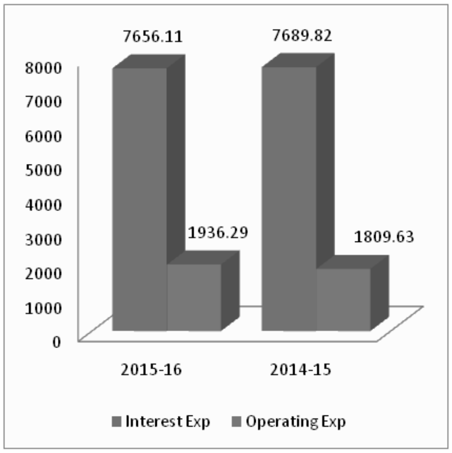

Interest Expenditure declined by Rs.33.71 crore to Rs.7656.11 crore in 2015-16 compared to Rs.7689.82 crore in 2014-15. Lower interest expenditure was ensured by slashing of the rate of interest on retail term deposits in all the brackets. The Cost of Deposit came down from 6.88% in 2014-15 to6.58% in 2015-16. The Bank contained its increase in operating expenses at 7.00% amounting to Rs.126.66 crore.

BUSINESS GROWTH

Deposits

Deposits of the Bank reached Rs. 116401 crore as on 31st March, 2016 registering a Y-o-Y growth of 6.97%. Bank's Savings deposits grew by 10.86 per cent to reach a level of Rs.40810 crore as on March 31, 2016. Share of CASA deposits to total deposits stood at 41.92% as on March 31, 2016. Bank's retail term deposit stood at Rs.61822 crore with a growth of 8.28%. Share of Bulk Deposits and deposits at preferential rate in total deposits further declined to reach at 4.97% and 1.31% respectively.

The Bank's customer acquisition campaign resulted in growth of customer base of the Bank from 3.60 crore as at March 2015 to **3.93 crore** as at March 2016.

Advances

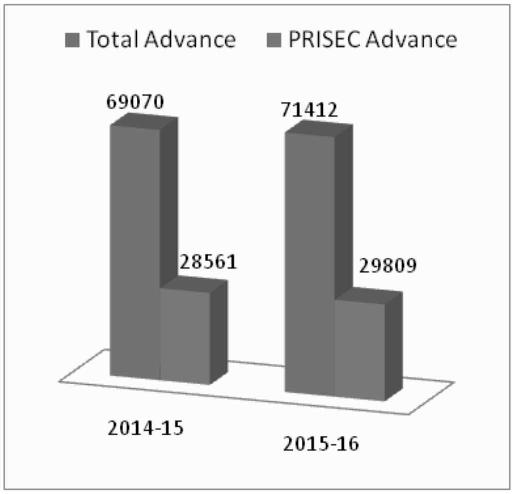

The total credit portfolio of the Bank has started looking up. Gross Advances of the Bank increased by Rs.2342 crore (3.39%) and reached Rs.71412 crore as on March 31, 2016. **Credit deposit** ratio stood at 61.35% as on March 2016. Bank achieved the PRISEC Advance target of 40% of ANBC. Intensive marketing of retail credit products brought considerable growth in Retail Advances supported by increase in Housing Loan.

Bank's non-food credit increased from Rs.67667 crore to Rs.70046 crore, while food credit came down from Rs.1403 crore as on March 31, 2015 to Rs.1366 crore at the end of March, 2016.

Total Business

The total business of the Bank reached Rs.187813 crore at the end of the current financial year 2015-16. The total business of Rs.187813 crore consists of Rs.116401 crore of deposit and Rs.71412 crore of advance with a CD Ratio of 61.35%.

Productivity, as measured by **business per employee,** increased from Rs.11.51 crore as on 31.03.2015 to **Rs12.37 crore** as on 31.03.2016.

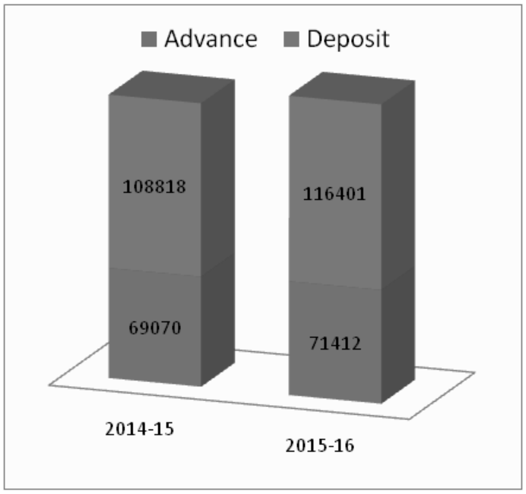

RETAIL LENDING OPERATIONS

Retail Credit has been one of the thrust area of the Bank during the FY 2015-16. Bank has laid special emphasis on sanctioning Retail Loans with focus on Housing Loan and Mortgage Loan which are the major contributors to growth under Retail Credit & comprised 65.03% of total Retail Credit portfolio of the Bank.

Performance:

During the FY 2015-16, lending under Retail Credit has witnessed a positive growth of Rs. 601.41 Crore from Rs. 12050.95 Crore as on 31st March, 2015 to Rs. 12652.36 Crore as on 31st March, 2016, registering a Y-o-Y growth of 4.99%.

The growth during the period has primarily resulted on account of the Housing loan segment which has clocked a positive growth from Rs.5092.74 Crore as on 31.03.2015 to Rs.5969.67 Crore as on 31.03.2016 registering an impressive growth of 17.22%.

Special Initiatives Undertaken:

- Bank has given special emphasis for tie-up with reputed builders to boost up growth in Housing loan. Many upcoming housing projects of reputed builders have been tied up and Bank's name is being published in their brochure for enhancement of visibility in the home loan market.
- Bank has made tie-up with reputed educational institutions to boost up growth in Education Loan segment.
- A special loan scheme for the brightest and most talented students studying in premier educational institutes of India was offered with various extra special benefits and reduced rate of interest. The list of such institutes was also widened to offer these benefits to a larger section of students.

- Credit Guarantee coverage initiated for the students availing loan under Education loan scheme.
- New products in the name of United Affordable Housing Loan scheme under Prime Minister Awas Yojana launched with subsidy coverage for the Economically Weaker Sections and Low Income Groups and Roof Top Solar Lighting scheme has been launched to popularize it as a part of Housing loan.
- United Two Wheeler Loan Scheme for Salaried, Professional and Self employed and Businessmen and Agriculturists and Bank Mitras has been launched during the financial year.
- Bank has integrated with Vidya Lakshmi Portal in consonance with the Govt guidelines to enable students to apply Online and avail Education loan with ease.
- Bank is a member of Interest Subvention Scheme of Govt. providing Interest Subvention to eligible education loan borrowers as per guidelines of Govt. of India.
- Interest rate of retail loan schemes have been modified to make them more competitive and attractive.
- The online application facility for Retail Loans like Housing and Education was a major success during the FY 2015-16 as many applicants are now actively using this hassle free system for availing such Loans. Online Education Loan applications are being provided with In principle sanction instantly.
- SMS facility has been introduced for facilitating Housing, Car and Two Wheeler loans.
- Wide publicity has been given in respect of retail loan products mainly, Housing, Mortgage and Car loan by displaying advertisement in prime locations of city and urban areas, banners in and around branch premises and by advertisement in FM Radio / TV channel.
- Bank's official Facebook Page has been launched which features latest information on Bank's products / services and offerings and emerged as a major marketing tool for retail products.
- Marketing effort has been intensified with a dedicated marketing team consisting of qualified marketing officials to market retail products of the Bank.

Retail Hubs

Bank has established Retail Hubs for faster appraisal and professional approach in processing of loan proposals, thereby making loan sanctioning process hassle free and reducing Turn Around Time (TAT). During FY 2015-16, 24 Retail Hubs functioning in 23 Regions of the Bank sanctioned 6955 retail credit proposals amounting to Rs.1028.83 Crore as against 5373 proposals amounting to Rs.756.93 Crore during the FY 2014-15

TREASURY AND INTERNATIONAL OPERATIONS

The investment portfolio of the Bank increased from Rs.43440 Cr as on 31.03.2015 to Rs.44934 Cr as on 31.03.2016 registering a growth of 3.44%. The SLR investment portfolio increased from Rs.35020 Cr as on 31.03.2015 to Rs.36009Cr as on 31.03.2016 .

Portfolio modified duration increased to 4.66 as at March 2016 compared to 4.62 a year ago. The modified duration of the Available for Sale (AFS) portfolio has also increased to 3.73 as at March 2016 from 3.59 as at March 2015.

The Bank had earned a total trading profit of Rs.824Cr from domestic segment of Treasury during the year 15-16.The average return on investment during the year 15-16 was 8.28% and Yield on Investment during the year 15-16 was 8.02% .

Foreign exchange Business turnover of the bank aggregated to Rs.15089.59 Cr comprising of Rs.3606.59 Cr under Exports, Rs.4430.40 Cr under Imports and Rs.7052.60 Cr under remittances during the year ended 31.03.2016.

Outstanding export credit of the bank stood at Rs.1207.27crore as at 31.03.2016.Bank earned exchange profit of Rs.135 Cr during the year 2015-16 against Rs 97 Cr during 2014-15 .

The bank's overseas presence covered two countries namely Myanmar and Bangladesh with one Representative Office each at Dhaka, Bangladesh and Yangoan, Myanmar. Indo-Myanmar trade is routed through our Bank. Twenty five (25)banks of Bangladesh maintain thirty eight(38) Vostro accounts in USD and EUR and fifteen(15) banks of Myanmar maintain Twenty three(23) Vostro accounts in EUR, USD, INR & SGD with our Bank. Global IME bank Ltd., Nepal is maintaining Vostro accounts in INR & USD with our Bank.

The bank's International operations are well supported by a wide network of more than 616 correspondent relationships and 18 Nostro accounts opened with overseas banks in 8 currencies maintained abroad.

OTHER SERVICES

Merchant Banking Division managed Bank's issue of Basel-III compliant Additional Tier-I bonds for Rs.150 Crore on 29.09.2015. Bank holds certificate of Registration issued by SEBI on Banker to an Issue, Debenture Trustee and Merchant Banker under which it continues to discharge defined duties and responsibilities as per regulatory norms.

GOVERNMENT BUSINESS

Under **Government Business**, the Bank undertakes the following types of Government Business Activities like:

- Collection of Central Government Revenue viz. Direct and Indirect Taxes (CBDT, CBEC and Customs) through physical mode by Authorised branches and through e-mode (Internet Banking) by all branches of the Bank.
- Collection of State Revenues and Taxes (Sales Tax, VAT, Professional Tax etc), both on line and off line.
- Mobilization of Govt deposits as also Social Security Scheme under PMJDY (PPF, SCSS, Sukanya Samriddhi Account, Savings Bond, Inflation Index Bond, Sovereign Gold Bond, Atal Pension Yojana etc.)
- Handling of Govt Fund (Departmentalized Ministries' Accounts, State Govt Treasury Operation)
- Payment of School Teachers' Salary and all types of pension (Central Govt, State Govt and different autonomous organizations).

The Bank has been authorized to act as Point of Presence (POP) by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) and 1094 Branches have been registered as Point of Preference-Service Provider (POP-SP) in Central Recordkeeping Agency, NSDL system for implementation of subscribers' registration process in National Pension System (NPS) for all citizens of India.

The Bank has also been authorized to act as Aggregator by PFRDA and 1400 branches of the Bank have been registered as NPS lite Collection Centres (NL-CCs) in Central Recordkeeping Agency, NSDL system for implementation of subscribers' registration process in NPS lite / Swavalamban Yojana for unorganized sector and economically disadvantaged people. The Bank has registered 8356 subscribers from unorganized section of the society under NPS/ NPS lite / Swavalamban Yojana.
A new Social Security Scheme namely Atal Pension Yojana (APY), has been introduced by the Govt. of India on June, 2015 especially a defined pension scheme for the unorganized sectors of the society between the age group (18-40) years to secure their old age income by way of monthly pension ranging between Rs.(1000-5000) on attaining 60 years of age.
All our branches are authorized to enroll subscribers under this new pension scheme. Nearly 35000 subscribers are enrolled into this scheme during this year. This scheme replaced the existing Swavalamban Scheme.

Central Pension Processing Centre (CPPC) set up at H.O. is handling disbursement of Pension to more than 1.04 lac Central Civil, Telecom, Postal, Political, Railway and Defence Pensioners.

To facilitate dissemination of relevant information to the Pensioners, “Pensioners' Charter” has been displayed in Bank's website and also in all pension disbursing branches. Bank has also introduced the Digital Life Certificate facility for the pensioners where they can submit their yearly life certificate digitally without visiting the branch, if their account is seeded with AADHAAR.

On-line pension grievance redressal mechanism is available on Bank's website. Pensioners' pay-slip are also available in the website of the Bank.

Turnover in respect of Government Business handled by the Bank and Agency Commission earned on such business during the financial year amounted to Rs.42,693.21 Crore and Rs.42.93 Crore respectively. Agency commission earned from Government business during financial year 2015-16 was as follows:

BUSINESS TYPE	**Turn Over Commission (TOC) Earned (Rs. crore)**
	2015 - 16
TAX	2.32
PENSION	19.92
SCHOOL SALARY	12.69
TREASURY	6.60
PPF,SCSS, SSA, APY, BOND & SDS	0.75
DMA	0.65
TOTAL	**42.93**

ASSET QUALITY AND RISK MANAGEMENT

The problem of piling up of bad loans starting due to economic downturn when a slowdown in demand and stalled projects made it difficult for borrowers to repay debt, got bigger in size with the Intensive Asset Quality Review (AQR) conducted by the Reserve Bank of India in a bid to start a long overdue clean-up of stressed assets held by the banks. Besides, banks were required to ensure that they are all broadly on the same page in terms of recognition and provisioning, even though each one had flexibility on individual cases.
Despite constant follow up with the recalcitrant borrowers, monitoring of stressed assets and tough measures in hard account, the Bank was not able to contain further growth in NPA level which reached a level of Rs9471crore i.e13.26% of gross advances.
The major steps taken by the Bank for recovery of stressed assets during the year were a liberalized limited period offer of one time settlement (OTS)

for NPAs with outstanding balance below Rs.5 lac. To create general awareness among the public the Bank took the initiative by putting up silent road shows and peaceful demonstrations before the establishments of defaulting borrowers.

Asset Quality

The Bank has been complying with RBI guidelines relating to Income Recognition, Asset Classification and Provisioning in percentage terms, gross NPA Ratio of the Bank stood at 13.26% as on 31.03.2016 as against 9.49% at the end of the previous year. In absolute terms Gross NPA stood at Rs9471crore as on 31.03.2016. The Net NPA ratio of the Bank stood at 9.04% as on 31.03.2016 against 6.22% as on 31.03.2015. In absolute terms, the Net NPA stood at Rs.6111crore as on 31.03.2016. The fresh slippages during the FY 2015-16 increased to Rs5011crore as against Rs.4087crore during the FY 2014-15. The cash recovery during the year was Rs.541crore and the upgradation during the year was Rs349crore. The provision coverage ratio of the Bank stood at 53.36% as on 31.03.2016 as against 58.50% as on 31.03.2015. The recovery in technically written off accounts was Rs110 crore during the year 2015-16.

The Bank has a comprehensive Recovery Policy duly approved by the Board covering all avenues for recovery and reduction of NPAs like One time settlement (OTS), sale of charged assets, sale to Asset Reconstruction companies (ARC) etc. The Bank came out with liberalized guidelines during the year for recovery of small value NPA accounts having outstanding balance below Rs.5 lac. The Bank preferred to go for sale of NPA to the tune of Rs.553 crore to ARCs during the FY 2015-16.

CAPITAL & RESERVES

Net Worth of the Bank was assessed at Rs.4685.14 crore as on March 31, 2016. Total paid-up capital of the Bank was Rs.839.52 crore and reserves and surplus was Rs.4999.67 crore. The Government shareholding in the Bank stood at 82% at March 2016.

Composition of Capital	March 2016		March 2015	
	Basel-III Norms	Basel-II Norms	Basel-III Norms	Basel-II Norms
Risk Weighted Assets	73079	69249	66798	65882
Tier 1 Capital	5797	5008	5021	5117
Of which CET1 Capital	5660	NA	5021	NA
Tier 1 Ratio (%)	7.93	7.23	7.52	7.77
Of which CET1 ratio (%)	7.74	NA	7.52	NA
Tier 2 Capital	1572	2235	2034	2404
Tier 2 Ratio (%)	2.15	3.23	3.05	3.65
Total Capital	7369	7243	7055	7521
CRAR (%)	10.08	10.46	10.57	11.42

Capital Adequacy Ratio under Basel-III norms assessed at 10.08% with Tier-1 Ratio at 7.93% and CET1 ratio at 7.74% as at March 2016. Capital Adequacy Ratio under Basel-II norms assessed at 10.46% with Tier-1 Ratio at 7.23% as at March 2016. The Bank has adequate headroom available under both Tier-1 and Tier-2 options to raise capital to support business growth momentum.

Risk Management

The Bank has an Integrated Risk Management system to ensure that the risks assumed by it are within the defined risk appetites and are adequately compensated. To address the various risks to which the Bank is exposed to, the Bank has a robust Risk Management Architecture in the Bank comprising Risk Management Structure, Risk Management Policies and Risk Management Implementation and Monitoring Systems.

Risk Management Structure:

The overall responsibility of setting the Bank's risk appetite and effective risk management rests with the Board of Directors, apex level management of the Bank. Bank has constituted a Board level Committee named as Risk Management Committee of Board of Directors (RMCBOD) to monitor the implementation of the Risk Management systems of the Bank. There are other internal committees of Top Executives like Credit Risk Management

Committee (CRMC), Operational Risk Management Committee (ORMC) and Asset Liability Management Committee (ALCO) to supervise various risk management functions and activities of the Bank.

Bank's Asset Liability Management Committee (ALCO) is a decision making unit responsible for the strategic management of interest rate and liquidity risks. ALCO met 12 times during the year to review various issues namely interest rates scenario, product pricing for both deposits and advances, desired maturity profile of the incremental assets and liabilities, demand for Bank funds, fixation of Bank's Base Rate, cash flows of the Bank, profit planning and overall balance sheet management.

The Operational Risk Management Committee (ORMC) has the responsibility of monitoring the operational risk of the Bank and the responsibility of evaluating and taking necessary steps for mitigation of operational risk by designing and maintaining an explicit operational risk management process. It also ensures that the norms, policies and guidelines laid down in Operational Risk Management Policy are strictly adhered to. ORMC met 8 times to discuss various issues from operational risk point of view.

The Credit Risk Management Committee (CRMC) monitors various credit risk aspects relating to credit policy, procedures and to analyse, manage and control credit risk on a bank wide basis . The Committee met 7 times during the year to discuss various issues from operational risk point of view.

Risk Management Policies:
To address various risks like credit risk, market risk, operational risk, liquidity risk, forex risk and other Pillar-2 risks, the Bank has formulated various risk management policies to identify, manage and mitigate such risks that the Bank is exposed to. The major policies formulated and approved by the Board of Directors of the Bank to address such risks are Lending Policy, Policy on ICAAP, Operational Risk Management Policy, Business Line Mapping Policy, Asset Liability Management Policy, Investment Policy, Disclosure Policy, Credit Audit Policy, Stress Testing Policy, and Policy on Credit Risk Mitigation Technique & Collateral Management etc.

Credit Risk:
To address the Credit risk, Bank has formulated a Lending Policy which lays down policy guidelines for Credit Management covering all areas of operation where credit Risk is involved. The policy enables the Bank to enhance the risk management capabilities by undertaking lending decisions guided by the policy framework for a steady and healthy growth in its loan portfolio.

The Bank has set various prudential limits to individual borrowers, group borrowers, entry level exposure norms, substantial exposure limits, benchmark financial ratios, borrower standards, exposure limits/ceilings to industries, sensitive sectors, rating category etc in alignment with RBI directives. The Board has reviewed such limits during the year.

During the year, analysis of various exposure norms has been undertaken on half yearly basis to ensure Bank's various exposures are within the exposure limits/ceilings fixed by RBI/ Bank's Board.

Bank has made its loan appraisal function independent of Risk Rating function. Internal risk rating of loan accounts is carried through a software based rating model to assess the credit proposal and rating of a borrower.

During the year, Bank conducted the credit portfolio analysis on quarterly interval, to study the impact of a particular industry / sector on the credit portfolio of the Bank and adopt strategies to improve the quality of credit portfolio and reduce the potential adverse impact of concentration risk.

During the year, Bank has also undertaken the rating migration analysis of its borrowers on half yearly interval to analyze the stability rate, up gradation rate, down gradation rate and default rate for a one year, two years, three years and four years time horizons and appropriate corrective actions are initiated to protect the portfolio quality.

Market Risk:
For management of Market Risk, the Bank has given emphasis on measuring, monitoring and managing liquidity, interest rates, foreign exchange and equity risk of the Bank. The Market Risk in trading book is monitored and managed as per appropriate control mechanism in place. Market position, funding patterns, duration, counterparty limits and various sensitive parameters are also monitored by the Bank on regular basis. The advanced Risk Management tools such as Value at Risk (VaR), Earnings at Risk (EaR), Net Overnight Open Position Limits (NOOPL) and modified duration limits are used in managing Market Risk.

The Bank measures and monitors liquidity risk for all items of balance sheet through structural liquidity statements and stock ratios on regular basis. The Bank also monitors its Interest rate risk through interest rate sensitivity gap reports.

The Bank has formulated and reviewed its Investment Policy to set operating guidelines for its treasury functions. The Bank has also put in place an Asset Liability Management Policy to address the liquidity risk, interest rate risk etc. These policies comprise management practices, procedures, prudential risk limits, review mechanisms and reporting systems etc. These policies are reviewed periodically in line with changes in financial and market conditions.

Bank has an “Integrated Treasury Management System (ITMS)” software to monitor its investment and treasury portfolio on an ongoing basis along with automated computation of capital charge for Market Risk as well as strengthening the internal control system of investment portfolio of the Bank.

Operational Risk:

The Bank has framed an Operational Risk Management Policy for managing the Operational Risk in an effective manner. The Bank has also formulated Business Line Mapping Policy for mapping various products, activities, and income into different business lines.

Bank's Operational Risk Management Committee (ORMC) has the responsibility of monitoring the operational risk of the Bank. ORMC also reviews the operational risk loss event data, new products, process and systems adopted by the Bank and provides suggestions for taking corrective/preventive measures to strengthen the internal systems and procedures.

Basel-II and Basel-III Compliance:

In line with guidelines of the Reserve Bank of India, the Bank has successfully migrated to Basel-II framework w.e.f 31st March 2009 by adopting Standardized Approach (SA) for Credit Risk, Basic Indicator Approach (BIA) for Operational Risk and Standardized Duration Approach (SDA) for Market Risk for computing the capital adequacy ratio.

The Bank has also followed Basel-III capital regulation norms w.e.f 1st April 2013 in line with RBI guidelines. The Bank has been computing the Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) on both under Basel-III and Basel-II norms at quarterly interval.

To comply with Pillar 2 guidelines of RBI, the Bank has formulated a Policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) for the assessment of all material risks the Bank is exposed to and the risk management processes which are put in place to manage and mitigate those risks and also to evaluate its capital adequacy commensurate with such risks.

In line with the ICAAP policy, the Bank prepares the ICAAP Document on yearly basis and submits to RBI after internal validation and approval by the Board of Directors of the Bank. The ICAAP document of the Bank for 2015-16 has been submitted to RBI.

The Bank has reviewed its capital requirement both under Basel-II and Basel-III norms and taken necessary steps for strengthening its capital base. The Bank also reviewed its ICAAP on quarterly basis for monitoring both risks and capital requirement of the Bank.

In line with RBI guidelines and as per the Stress Testing Policy of the Bank, the Bank conducted Stress Testing analysis on quarterly interval on various risks like Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Forex Risk, Credit Risk, Market Risk, and Operational Risk and assessed the impact on capital adequacy and profitability.

For skill development in Risk Management area, the Bank also nominates its officers on regular basis for various trainings/seminars on Risk Management conducted by reputed institutions like CAFRAL, NIBM, IBA, IDRBT, CAB etc.

PRIORITY SECTOR ADVANCES

Bank's lending to the Priority Sector has reached to Rs.29809 crore as at 31st March 2016 which is 41.16% of ANBC. After issuance of revised guidelines on Priority Sector Lending by Reserve Bank of India, with an objective to surpass the stipulated targets, Bank has given special thrust on financing Small & Marginal Farmers, Micro segment under MSME apart from exploring other potential avenues of increasing PRISEC advances like engaging Collateral Management Companies for Pledge Financing, financing large size units of Dairy, Poultry units, vegetable and flower production under controlled condition (Green House/ Poly House), Plantation etc.

Agriculture Lending:

Bank has disbursed Rs.7401 crore during the FY 2015-16 against a target of Rs.7698 crore recording an achievement of target to the tune of 96%. Lending to Agriculture Sector stands at Rs.12605 crore as on 31st March 2016 which is about 17.40% of ANBC against the stipulated target of 18% of ANBC. Lending to Small & Marginal Farmers stands at Rs.5477 crore which is 7.56% of ANBC against the stipulated target of 7% of ANBC for the year 2015-16.

Lending to Weaker Section:

Lending to weaker section reached to Rs.7733 crore as on 31 March 2016 which is 10.68% of ANBC against the stipulated target of 10%.

Lending to Minority Community:

Bank's lending to Minority Communities reached to Rs.4474 crore at the end of March 2016 which is 15% of PSL conforming to the stipulation.

Kisan Credit Card:

Bank has organized several special camp for issuance of Kisan Credit Cards to bring more number of new farmers under KCC net as per revised scheme. Bank has issued 94799 fresh KCCs during 2015-16 with credit limits of Rs.538 crore. Total number of outstanding KCCs as on 31st March 2016 stands at 559923 with aggregate outstanding balance of Rs.2266.56 crore. In line with the Government guidelines on issuance of Rupay based ATM enabled cards to all the KCC holders, Bank has issued 3.60 lakh ATM cards to the KCC holders till 31.03.2016 which is 93% of eligible KCC holders (excluding illiterate, unwilling and NPA KCC holders).

Self Help Group:

Bank has credit linkages with 87015 SHGs with an outstanding balance of Rs.366.62 crore as on 31st March 2016. Bank has been implementing NRLM programme for SHGs by providing initial credit limit of Rs.1.25 lakh on 1st grading of SHGs as per the decision of SLBC, West Bengal. Bank has started participating in Community Based Recovery Mechanism (CBRM) with the assistance from State Rural Livelihood Mission (SRLM) which has placed Bank Sakhi/ Bank Mitra at the branches.

Corporate Social Responsibility:

As part of corporate social responsibility, Bank has undertaken the following activities:

United Bank Rural Self-Employment Training Institute (UBRSETI)
Bank has so far set up 14 RSETIs in the states of West Bengal, Assam and Tripura to impart training to the potential entrepreneurs from the financially weak sections of the society. RSETIs have been actively engaged themselves in number of special training programmes, as directed by the government like PMEGP, MGNREGA etc.

During the FY 2015-16, these institutes have imparted training to 11333 rural youths/women, of which 55% trainees have been settled by establishing own economic venture. Out of the total self employed trainees about 75% belong to women and weaker sections communities. These institutes are providing post training hand holding support to the trainees including arrangement of loan from our bank branches to enable them to set up their own ventures.

FLCC

Bank has also set up 38 Financial Literacy Centre (FLCs) in the states of West Bengal, Assam, Tripura and Manipur to extend financial literacy and credit counseling services to the poorer section of the society. In the Financial Year 2015-16, these FLCs are conducting regular outreach programmes which include Outdoor Activities for imparting financial literacy.

United Bank Socio-Economic Development Foundation (UBSEDF)

United Bank Socio Economic Development Foundation (UBSEDF) was established on 30th March 2007 with the objective of promoting and carrying out social and economic developmental activities and rendering assistance to weaker and under privileged section of the society in terms of decision taken by the Board of Directors of the Bank. Bank has extended financial assistance in 71 various welfare activities involving a total sum of Rs.213.00 Lakh towards its CSR activities till 31.03.2016. During the financial year 2015-16, focus was on extending assistance to the proposals under Swachh Bharat Mission/ Swachh Vidyalaya Campaign. In the year, Bank has disbursed Rs.20.59 Lakh for 5 projects for implementation by the respective organizations towards cause of the society.

MSME ADVANCES

Performance of the MSME sector of the loan is furnished below:

	FY 2013-14		FY 2014-15			FY 2015-16		
Category	No. of a/cs	O/s Amt.	No. of a/cs	O/s Amt.	Growth (Y-o-Y)	No. of a/cs	O/s Amt.	Growth (Y-o-Y)
Micro	234888	7259	221214	8287.12	14.16	240877	7,491.53	-9.60
Small	14807	4225	14235	4057.59	-3.96	16632	3,506.50	-13.58
MSE	249695	11484	235449	12344.71	7.49	257509	10,998.03	-10.91
Medium	372	600	332	604.42	0.74	774	886.91	46.74
MSME	250067	12084	235781	12949.13	7.16	258283	11,884.94	-8.22

Advances under MSME of the Bank has decreased from Rs.12949crore as on 31-03-2015 to Rs.11885crore as on 31-03-2016.

MSME target could not be achieved due to i) Amendment of PRISEC guidelines by RBI thereby reclassification of Agro processing units to Agriculture from MSME ii) General economic slowdown iii) Withdrawal of CGTMSE guarantee coverage.

Strategies to attain MSME target.

Initiatives to increase flow of credit to MSME sector :
- Keeping in view the MSME target of Rs.14000 Crore for this financial year and the corresponding NPA, our entire attempt is focused on building a quality MSME asset portfolio by credit linkage to quality MSME entrepreneurs/ units, recovery in NPA accounts and preventing fresh slippages.

- To reduce the turnaround time and to create quality asset portfolio a Centralised MSME - Loan Processing Centre (MSME-LPC) has been set up at Head Office. The MSME-LPC will process and sanction the eligible MSME loan proposals of Rs 1.00 Cr and above received from all the locations across country.
- The Regions have been given quarterly and annual MSME targets for Branches under their control. MSME specialized branches and branches having potentiality of MSME advance including those located in close proximity to industrial area / clusters have been advised to focus on procuring new business from the entrepreneurs. Regular follow up in this regard is being done on weekly basis from Head Office.
- Bank considers MSME as one of the thrust areas of the lending and Bank has re-designated 100 additional branches as MSME Specialized Branches and the total number of MSME Specialized Branches now stands at 180 from 87.
- Regular interface with the MSME Associations / Tie up with NSIC and participation in their promotional programmes / workshops / seminars and EDP programmes.
- CGTMSE guarantee coverage for the Bank, which was discontinued from October'2014 has now been restored w.e.f. 01.04.2016 based on Differential Rate Structure of Annual Service Fee (ASF).
- Under Capacity Building approach, Officers dealing with MSME loans and faculty members at Staff Training College (s) are provided training on regular basis for hassle free and dedicated service to MSME entrepreneurs.
- Bank has adopted cluster based approach for MSME financing.
- Bank has encouraged collateral free loan to MSE sector up to Rs. 10.00 lac.

LEAD BANK DIVISION

The Lead Bank Scheme was introduced by Reserve Bank of India in December 1969. The Lead Bank Scheme envisages assignment of lead roles to individual banks (both in public sector and private sector) for the districts allotted to them. The lead bank acts as a leader for coordinating the efforts of all credit institutions in the allotted districts to increase the flow of credit to agriculture, small-scale industries and other economic activities included in the priority sector in the rural and semi-urban areas, with the district being the basic unit in terms of geographical area.

The Bank is the Convener of State Level Bankers' Committee (SLBC) in the States of West Bengal & Tripura. The Bank is entrusted with Lead Bank responsibility in 34 districts spread over four states; 10 districts in West Bengal, 12 districts in Assam, 4 districts in Manipur and 8 districts in Tripura.

As Lead Bank of the State, the bank remained actively involved in formulation and finalization of Annual credit Plan (ACP) for the State and has drawn up suitable action plan for implementation of different socio economic activities keeping close liaison with Reserve Bank of India, NABARD and State Government Authorities.

The year 2015-16 had been eventful for the Bank as SLBC Convener for both West Bengal & Tripura.

The SLBC meeting organized in Tripura State have been attended regularly by dignitaries like Mr. Yashpal Singh, Chief Secretary, Government of Tripura, Dr. G.S.G. Ayyangar , Principal Secretary, Finance, RD & Agriculture, Government of Tripura, General Manager, Reserve Bank of India and Senior Executives of Line Department of the State.

Dr. Amit Mitra, Hon'ble Finance Minister of Govt. of West Bengal, Regional Director, RBI, CGM, NABARD, Director, DFS, MoF, GoI and the Pricipal Secretaries of Line Departments of the State have regularly attended at the SLBC meetings in the State of West Bengal during the year 2015-16 to enrich the level of discussion on important issues concerning development of the State.

Under leadership of the Bank the following achievements took place during the year in the States of West Bengal & Tripura:

- In both the States under the leadership of the Bank as SLBC Convener, three Social Security Schemes viz. Pradhan Mantri Jivan Jyoti Bima Yojona (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojona (PMSBY) and Atal Pension Yojona (APY) were launched in a befitting manner on 9th May 2015. **Sri Narendra Modi, Hon'ble Prime Minister inaugurated all three Social Security Schemes on 9th May 2015 from Kolkata.**
- In both the States of West Bengal and Tripura, the roadmap for covering the villages having population more than 5000 have been allotted to member banks for opening of Brick & Mortar bank branches within 31.03.2017.
- Recognition of the contribution made as SLBC Convener of TRIPURA for securing FIRST rank in maximum coverage of Sub Service Areas under Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana.
- Recognition of the contribution made as SLBC Convener of WEST BENGAL for securing FIRST rank in maximum percentage achievements of identified household coverage under Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana.
- Recognition of the contribution made as Lead District Manager, Bankura (West Bengal) of United Bank of India for securing FIRST rank in maximum coverage of sub service areas under Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana.
- Under the Leadership of the Bank, Nagaon district of Assam & North 24 Parganas district of West Bengal have been awarded as Best Districts for implementation of PMJDY by Sri Narendra Modi, Hon'ble Prime Minister of India.

FINANCIAL INCLUSION

With the evolution of digital payment and mobile technology there are means now to deliver advanced products to the population and regions excluded. This in conjunction with large BC network of 4252 Bank Mitras established across 13250 un-banked villages equipped with the latest and

best of breed technology, has enabled the Bank to deliver various basic banking services to the excluded population right at their door step.

The highlights of achievements for implementation of Financial Inclusion under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) during the F.Y. ended 2015-16 are enumerated hereunder:

- Under PMJDY, **72.99 lakh** accounts have been opened till end of March'16.
- **Rs.4244.37 crore** deposit has been mobilized in PMJDY Accounts upto March'16.
- Out of **72.99 lakh** accounts opened**, 11.05 lakh** accounts (15.15%) are under 'Zero' balance.
- Credit linkage through Bank Mitra channel has been established in **18.78 lakh** FI customers with an outstanding amount of **Rs.337.64 crore**.
- Bank has rolled out JLG Loan module through Bank Mitras. **26510** FI customers have availed JLG loan where outstanding balance is **Rs.3434.17 lakh** as at 31st Mar'16, without any default.
- **46.97 lakh** RuPay Debit Cards have been issued.
- **21.10 Lakh** PMJDY Accounts have been Aadhaar linked.
- **20.98 Lakh** customers have been enrolled under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY).
- **3.77 Lakh** customers have subscribed for insurance cover under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY).
- Out of 385 death claims lodged under PMJJBY, **242** claims have been settled by LICI.
- Under PMSBY, as against 47 accidental insurance claims received, NIC has settled **24** cases and repudiated 5 cases.
- Our Bank has been awarded as Best Bank in West Bengal by Forum for Inclusive Financial Services (FFIFS) on 06.08.2015 under the category Highest Deposit account opened under PMJDY.
- Chamber of India Micro Small & Medium Enterprise(CMSME), New Delhi has recognized our Bank as Best Bank in 3 categories viz. Best Bank under PMJDY, Best Bank for promotional schemes under emerging Banks and Special Jury award for Turn Around Bank.

Financial inclusion initiatives rest on partnerships which bring together leadership, expertise, experience, and funding. Financial inclusion is our collective responsibility. So, Bank is collectively leveraging the digital technology for ensuring greater financial inclusion.

ORGANIZATION & SUPPORT SERVICES

BRANCH EXPANSION

As on 31.03.2016 the total number of branches of the Bank stands at 2011. The bank has 5 Extension Counters & 35 Regional offices across the country.

Population group-wise Composition of Total Branch Network

Location	Number of Branches (% of total)	
	31.03.2015	31.03.2016
Metropolitan	330 (16.47%)	330 (16.41%)
Urban	463 (23.10%)	466 (23.17%)
Semi-Urban	411 (20.51%)	415 (20.64%)
Rural	800 (39.92%)	800 (39.78%)
Total	**2004**	**2011**

Geographical location-wise Composition of Total Branch Network

Location	Number of Branches (% of total)	
	31.03.2015	31.03.2016
Eastern Region	1169 (58.33%)	1169 (58.13%)
North Eastern Region	352 (17.56%)	356 (17.70%)
Western Region	85 (4.24%)	85 (4.23%)
Northern Region	123 (6.14%)	123 (6.12%)
Southern Region	121 (6.05%)	124 (6.16%)
Central Region	154 (7.68%)	154 (7.66%)
Total	**2004**	**2011**

The Bank has 242 specialized branches, catering to the specific clientele segment.

Categories of Specialised Branches	31.03.2016
• MSME	180
• Asset Recovery Management	4
• Retail Hub	24
• MSME Loan Proc. Hub	1
• Corporate Finance Branch	4
• Service Branch	19
• Women Branch	5
• Treasury Branch	1
• Central Pension Processing Centre	1
• Cash Management Service Hub	1
T O T A L	**240**

Out of total 2011 branches as on 31.03.2016, 885 (44.01%) are located in 85 Minority Concentration Districts (MCDs) throughout the country.

CBS:

All branches are covered under Core Banking Solution (Finacle) system and deployed other applications to facilitate customer service and effective management. As part of its Business Continuity Plan (BCP), Bank conducts periodic DR (Disaster Recovery) Drills.

Network :

Bank is revamping its existing traditional network architecture from Point-to-Point to next generation MPLS technology and also upgrade network bandwidth for higher availability & better performance. Bank has deployed VSATs, ISDN, High Speed Data Connectivity using 3G as back up connectivity at Branches to provide network connectivity in the event of cable cut, failure of BSNL Exchange etc. Bank has implemented WAN optimization solution in all Branches to improve network performance for smooth functioning of bandwidth rich banking application.

Payment Systems:

All branches of the Bank and sponsored RRBs are enabled for interbank fund transfer through Next Generation RTGS and NEFT using Straight Thorough Processing (STP). RTGS/NEFT facilities are also available through Internet Banking for Retail and Corporate customers. Our Mobile Banking customer can also avail NEFT facility. The SWIFT services are seamlessly being offered for worldwide inter-bank financial communication through one 'A' Category AD Branch and 39 'B' Category AD Branches. Bank has also made strategic Business Continuity Planning (BCP) for uninterrupted delivery of services. In order to make continuous effort to improvise the system, Bank has migrated inland Letter of Credit (LC) operation using Straight Thorough Processing (STP) between SFMS & CBS.

Bank Website and Intranet:

Bank's Intranet portal is used extensively for information sharing, knowledge management and online examinations. Bank has implemented Grievance online, Housing loan, Car loan, Personal Loan on Bank's website as per directions of Ministry of Finance. These applications enable customers to make all requests online and to keep online tracking of the fate of their applications. Bank has made its Websites IPv6 compliant and DDoS protected. Bank has also setup DR site for its Websites.

Self-service Kiosk:

A new technology initiative of self-service kiosk services has been deployed in the selected branches. The services offered are Passbook printing, Cash deposit and Cheque deposit services.

Mail Messaging System:

Corporate Mail Messaging System with centralized archival solution covering all offices is in place.

SOC & IT Security:

With the growing dependence on IT systems and exponential increase in transactions through electronic delivery channels, Bank has identified Information Security as the key area for sustenance of business. RBI guidelines on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds are taken as the guiding principles for management of Information Security in the Bank. Bank is actively pursuing to mitigate gaps to fully comply with RBI guidelines. Bank has engaged professional agency for providing Anti-Phishing, Anti-Pharming, Anti-Trojan and Anti-Malware Managed Services for Bank Websites. Bank has implemented Security Operations Centre (SOC) by integrating all critical devices deployed in data center and disaster recovery center for recording and monitoring of logs. SOC provides the centralized view of Information Security status and command centre for IS Security operations.

Biometric:

Department of Financial services, Ministry of Finance directed all the Public Sector Banks to introduce biometric log-in for employees of the Bank to prevent incidences of authentication frauds. Bank has implemented Biometric Authentication Solution across all its branches.

IS AUDIT

Bank is conducting VAPT (Vulnerability Assessment & Penetration Testing) of external facing applications in certain intervals and mitigates the vulnerabilities, if any observed. Information Security (IS) audit is carried out by External agencies for its Core Banking Solution and all other applications as well as for Data Centre/Disaster Recovery Centre Infrastructure.

Electronic Passbook:

With an aim to leverage technology, the Bank has introduced electronic Passbook (United ePassbook) facility for the customers as a mobile application to view account transactions. A customer can download mobile application from Google Play Store to see transaction history and many other unique features like adding personalized remarks to transactions, creating personalized ledger, maintaining historical transactional data, receiving the account statement through e-mail.

Centralised Payment HUB

The Bank has set up a Centralised Payment HUB at Head Office to handle high volume of transaction of different payment system in a secured, efficient and reliable manner. The Centralised Payment HUB has started its operation w.e.f. 3.11.2014.

The department is catering the following services:-

- NACH Debit
- NACH Credit
- ABPS (Aadhar Bridge Payment System)
- Mandate Management System of NPCI
- DBTL (Direct Benefit Transfer to LPG Customers)
- DBT (Direct Benefit Transfer to beneficiaries for different scheme of Govt of India)
- ECS Credit as Sponsor Bank centrally at CPH, H.O. (migrated from RBI to NACH on 17.02.2015 which was earlier being processed by branches / service branch before coming on NACH platform)
- ECS Debit as Sponsor Bank including Mandate Management System migrated from RBI to NACH platform .
- AEPS (Aadhar Enabled Payment System) Reconciliation .
- CMS Payment Services
- Corporate Bulk Payment
- GePG (Government e-Payment Gateway)
- CMS Collection Services
- Indo Nepal Remittance Service
- Centralized Mandate Based Direct Debit Service
- Corporate Cash & Cheque Collection Service
- Core ASBA (Application Supported By Blocked Amount)
- Syndicate ASBA
- e-ASBA (through e-banking / Net banking platform)

MANPOWER PROFILE

The total staff strength of the bank stood at 14981 as on March 31,2016 as against 15192 last year.

Category of employees	Mar -15	Mar - 16
Total no of employees	15192	14981
Officers	7355	7687
Clerks	5428	5018
Sub - staff	2409	2276
*Excludes part time employee		

The total staff strength comprises 51.31% officers, 33.49% clerks and 15.20% Sub-Staff. Women employees numbering 3334 constitute 22.25% of the Bank's total staff strength.

For 2015-16 Bank recruited 552 Officers and 326 Clerks through IBPS. The recruitment process was initiated for filing up the vacancies to meet effectively succession planning process and man power management for smooth running of the organization.

Inter cadre and inter scale promotions were successfully conducted during FY 2015-16 and in total 885 numbers of employees were promoted to next higher cadre/scale.

Training /Human Resource Development (HRD)

First time United Bank of India has launched a Mentoring process. Top executives shall guide the newly recruited 552 POs.

Bank signed MOU with NIIT - IFBI for a period of three years to train the SWOs for induction and refresher course.

Special Training programmes were conducted with focus on creation of talent pool of officers in critical areas like Credit Risk Management, Financial Inclusion, Management Development, Fraud Analysis, Forex etc. During the year total 231 training programmes were conducted with 4999 employee participants comprising 3409 officers and 850 clerks of the Bank to attend in-house training.

As per Govt guidelines pre-promotion training for employees belonging to SC/ST candidates were conducted for 900 employees at Staff Training College, Kolkata, Regional Training Centres and other different locations. Bank has also conducted in-company training programmes during the year wherein 25 officer employees have participated. Bank had sent 1225 office employees for 71 different external training programmes. During the year Bank had sent one top executive for overseas training programme.

Establishment of HRMS Back Office

- A dedicated HRMS back office has been set up at HO to take care of all staff related payments like :
- Centralized salary payment for all branches/offices.
- Centralized TA / LFC /Medical bill processing and payment

CUSTOMER ORIENTATION

The bank has taken several initiatives to remain customer friendly by providing prompt services, bringing in diversified technology supported products/ services, quickly responding to customer queries/ suggestions and redress of customer complaints. The Code of Commitment to customers issued by BCSBI has been made available at the Bank's website and also sent to all the Branches & Regional Offices across the country in the form of printed booklet. In order to improve the quality of customer service, a Toll free contact facility at Customer services Department is provided to facilitate the customers to represent their grievances/ suggestions. The toll free facility is made available from 8 AM to 10 PM. With a view to expediting receipt and redressal of complaints/grievances from the customers, no. of toll free desks have since been increased. For ATM related issues a separate Toll free contact facility at Head Office is provided to facilitate the customers. Notably the bank has implemented online grievance redress system through the Bank's website where the customers can track the status of their complaints also.

In order to facilitate quicker and fair non–discriminatory redress of grievances, Bank has introduced a portal styled as Comprehensive Complaint Management System (CCMS) by leveraging technology. Under this system the complaints received by Branches, Regional offices and Departments at Head office are uploaded/entered by the concerned Branch/Regional Office /Head office Department on the “On line Grievance Redressal” (CCMS) Portal, available at intranet link and the status of redressal/settlement is also uploaded on real Time Basis. The complaint can be lodged on the CCMS Portal directly by the customer also which is added by the system in the outstanding data base of CCMS.

The comprehensive Complaint Management System has helped us track the status of each complaint and to take a comprehensive look with regard to the total complaints received by the Bank during the period and status thereof. The necessary follows–up measures are immediately taken up for expeditious disposal of the complaints and grievances with the concerned Branch/RO/Department of Head Office. The system enables the officials of the Customer Service Department to classify the nature of complaints with respect to the products and services to which the complaints are related. The analysis of data aims to help the bank management to take appropriate action to improve service in the areas which are found deficient. The complaints

from various sources, like those received through mails of the officers of Customer Service Department and from the Banking Ombudsman are also entered on the CCMS Portal. The consolidation of complaints from all the ends on the CCMS portal has helped the management in their analysis so as to be able to identify their nature, areas from which maximum complaints are received as also the time taken for the redressal. Such analytical study is aimed at improving the standard of customer service and identifying the areas where staff members are to be trained, products and services are to be suitably modified and communication with the customers is to be strengthened besides bringing about remedial action on systemic issues.

As per recommendations of the Damodaran Committee set up by Reserve Bank of India, our Bank has appointed a C.C.S.O. (Chief Customer Service Officer) w.e.f. 07.12.2015 to enhance the customer confidence and hasten the process of complaints redressal making it more transparent. The customers, if not fully satisfied by the redressal of their complaint by the Bank, are provided with an additional tier to escalate their grievance to CCSO (Internal Ombudsman).

To have a direct feel of the quality of customer service in Kolkata based Branches, incognito visits by the officials of Head Office were conducted which additionally covered several issues such as ambience, discipline, punctuality and matters related to preventive vigilance to safeguard the mutual interest of Bank and customers.

Besides, to educate the young officers of the Bank about its products and services and to help them render quick and improved customer service, an online application titled as 'Quest' was started in June 2015. 'Quest' is an application accessible to all the members of award staff and officers of the Bank for raising queries related to Operational Banking on the 'Intranet'. The queries are replied by the select HO officials within a deadline of 24 hours. The process of questioning and answering has been going on since inception on regular basis. The response of the officials to 'Quest' has been overwhelming and strongly positive.

In financial year 2015–16, percentage of customer complaint redressal has been 99.01%. 472 nos. of complaints were outstanding as at the end of the year out of which 4 nos. of complaints were outstanding for more than one month. 219 nos. of complaints were related to cases filed with the consumer forum. 99.40% of ADC related complaints were resolved within the stipulated period.

No complaint on the GOI Portal (CPGRAMS) was pending for redressal as on 31/03/2016.

INTERNAL CONTROL

Internal Inspection of all the operational units of the Bank is carried out on a continuous basis to ensure effectiveness of internal control mechanism and to provide high quality counsel to management on the effectiveness of risk management and internal controls including regulatory compliance by the Bank. The bank undertakes Risk Based Internal Audit (RBIA) which examines and evaluates the adequacy and effectiveness of the Bank's system of internal control.

The Audit & Inspection department at the apex level along with its extended arms of seven Regional Inspection Units (RIUs) and a team of Internal Inspectors / External Auditors(CA Firms) at field level is continuously engaged in inspection of Branches / Offices of the Bank as per Board approved Audit & Inspection Policy, for evaluating the level of implementation and adherence to the prescribed procedures and norms, and for identification, measurement and mitigation of risks involved in different functional areas. In order to align with changing scenario of the Banking System, Inspection Process is updated and necessary changes are incorporated in Audit & Inspection Policy of the Bank from time to time. To achieve these objectives, various types of Audits like Risk Based Internal Audit, Concurrent Audit, Credit Audit, Information System Audit, Snap Audit, Revenue Audit, Inspection of HO Departments and Management Audit of Regional offices are conducted.

Risk Based Internal Audit (RBIA) of branches is carried out to focus on effective Risk management and internal controls in respect of areas of potential risks and to play an important role in protecting the Bank from various risks. During the year 2015-16, Risk Based Internal Audit of 1296 branches has been completed.

Concurrent Audit by external audit firms is conducted in branches/offices to ensure accuracy, authenticity and due compliance with Internal Systems, Procedures and guidelines of the Bank. During the year 2015-16, Concurrent Audit of 512 branches have been completed covering total deposit of 53% , total advance of 86% and total business of 66% of the Bank as a whole.

Credit audit is undertaken as an effective monitoring tool by identifying the gaps in the credit delivery process at branches and suggesting ways to bridge the gaps and also monitoring the compliances. During the year 2015-16, the credit audit has covered 91% of the total credit portfolio as on 31 March, 2015 of the bank.

With the increased technology adoption by Bank, the complexities within the IT environment have given rise to considerable technology related risks. The Information System Audit of Bank's IT infrastructure is conducted to mitigate and effectively manage these technological risks.

KNOW YOUR CUSTOMER (KYC)

The Bank continues to take appropriate measures for strict adherence to KYC norms in case of all the customers and monitor transactions closely for implementation of AML (Anti Money Laundering) standards.

Steps taken to ensure compliance of KYC/AML guidelines are as follows:

- The Bank has put in place an effective AML programme by establishing appropriate procedures and ensures its strict implementation.
- Cash Transaction Reports (CTRs), Suspicious Transaction Reports (STRs),Non-Profit Organization Transaction Reports(NTRs),Cross Border Wire Transfer Reports(CWTRs) and Counterfeit Currency Note Reports(CCRs) are filed with FIUIND in prescribed formats within the time limits.
- Officially Valid Documents (OVDs) are being obtained from all the customers towards identity and address proof. These documents are being captured in CBS system.
- Risk categorization of all the customers and their profile updation is being done through the system.
- The Bank has completed the process of allotment of Unique Customer Identification Code (UCIC) to all the customers on the basis of PAN, Passport and Aadhar number.

SECURITY ARRANGEMENTS

The Bank has taken necessary steps to strengthen the security arrangement in branches by installing security gadgets from time to time in conformity to the guidelines issued by the Reserve Bank of India. Additional security gadgets / services provided at our Bank's branches are as follows:-

- In order to further strengthen the security of the branches all the branches would be equipped with CCTV surveillance system. All the currency chest branches have already been equipped with CCTV system. In addition CCTV System has also been already provided in 751 non currency chest branches. Total 835 branches have been covered with the CCTV Surveillance. Purchase order has been placed and the installation process in the remaining branches is underway.
- As a safeguard against loss of money in the event of cutting of cash safe, 90 most vulnerable branches have been supplied with a higher class of cash safe.
- As an additional safety measure all the Currency Chest branches within the jurisdiction of Kolkata Police have been brought under the Integrated Security Solution (ISS) which has a control monitor at Lal bazar Police Control Room for directly viewing of the activities inside the currency chests in case of a distress.
- In order to implement the Reserve Bank of India Clean note policy all the branches are being equipped with (1+1) pocket Desk Top Authenticator cum Sorter to help the branch to identify the Forged Indian Currency Notes (FICN) at the counter itself. This will also enable the branches to sort the currency notes in to issuable and non issuable currency notes for redistribution amongst the customers and members of public.
- During year 2015-16 the security department pursued and recovered about Rs. 86,55,608 of the insurance claim dues, for the money lost during crime against the bank at different branches, pending with the Insurance Company.
- In order to regulate and monitor visitors to the Bank's Head Office a Computerized Visitors' Management System has been installed at the Main Entrance gate of the Head Office.
- To combat the growing menace of cheque frauds, the Bank has redesigned its cheques by incorporating additional security features which include elaborate U V Bands. The number of attempts of frauds through use of fabricated/tampered cheques has come down drastically as a result of it.

PREMISES

Purchase:

- Purchase of Land at Agartala under Tripura Region from State Govt. of Tripura for Construction of Bank's own Building with Currency Chest.
- Purchase of 4BHK Flat at Neelamber Apartment, 28B Shakespeare Sarani, Kolkata-700017 and used as Office-cum-residence of Executive Director
- Purchase of 5BHK Apartment at Gujrat Vihar, New Delhi for Staff Training Centre.

Construction:

- Bank's own multi-storied building was constructed at Bank's Commercial Plot192D, Block-B, Sector-52, NOIDA, UP having total construction area of 6249.42 sft spread across Basement, Stilt, Upper Ground Floor, 1st Floor and 2nd Floor.

Upgradation:

- Renovation of the Main Entrance Lobby of Head Office for providing a Corporate Ambience.
- Renovation of Bank's Flat no.7G, 7th floor, Neelamber Apartment, 28B Shakespeare Sarani.Kolkata-700017 for usage as Office-cum-residence of Executive Director.
- Modification of existing Water Treatment Plant, its Triennial Overhauling, Annual Maintenance and its Day-to-Day Operation at Bank Officer's quarters at Shantikunj Apartment, Bansdroni, Kolkata.
- Initial Damage Assessment & Structural Audit Report of our Head Office Building in view of the frequently occurring earthquakes and preparation of estimate on Structural Repairs of our Head Office Building as per remedial actions suggested in the Structural Audit Report.
- Supply and installation of solar garden lights at 5th floor terrace garden at UBI Head Office.

Ongoing:

- Expression of Interest (EOI) obtained from Central Government Agencies / State Government Agencies / Public Sector Units for Engagement as Project Management Consultant on “Deposit Works Basis” for various Construction and Procurement Projects of United Bank of India in different parts of India .

- Installation of Photo-Voltaic Grid connected 100KWp Solar Plant at H.O. and STC, Kolkata.
- Phase-Wise conversion of normal light fittings with energy efficient LED Fittings (around 700 nos. have already been converted)
- Replacement and upgradation of old low tension Air Circuit Breakers at Head Office.
- Supply, Installation and Commissioning of Eco friendly DG sets at Bank's Officers' Quarter at Shantikunj Apartment.
- Electrical Audit of Branches.
- Overhauling and repairing of Water Treatment and Softening Plants vis-à-vis Annual Maintenance Contract for their Day-to-Day operation and maintenance for 3 (three) years installed at United Bank of India, Head Office Premises.
- Initiative taken for implementation of "SWACHH BHARAT" Mission during the Bank's 66th Foundation Day Celebration on 18-12-2015 for improved ambience at Branches and Offices. Distribution of dust-bins amongst the vendors located around H.O. and increasing their awareness towards cleaner surroundings.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

With a view to implement the Official Language Policy of the Government, 31 Officers were trained in regular Hindi of **Praveen** & **Pragya courses** at Head Office. Hindi workshops and Unicode training in Hindi were organized for the Officers & employees of the Bank in each quarter at the Staff Training College, Kolkata. The quarterly meetings of **Official Language Implementation Committee** of Head Office was held under the chairmanship of the Managing Director & CEO. Two issues of in-house Hindi magazine of the Bank were released. Inspection of different Regional Offices and department of Head Office were done to ensure implementation of Official Language.

Head Office has received First Prize from Town Official Language Implementation Committee (Bank) Kolkata for best performance in Hindi. Different regions of the Bank i.e. Patna, Paschim Medinipur, Bhubaneswar, & Mumbai and different Branches like- Nagpur, Pune, Dehradoon, Bhopal & Banaras were received **prizes** from the TOLIC for implementation of Official Language policy successfully.

REGIONAL RURAL BANKS (RRB)

Bank has sponsored 4 Regional Rural Banks - Bangiya Gramin Vikash Bank (BGVB) in West Bengal, Assam Gramin Vikash Bank (AGVB) in Assam, Tripura Gramin Bank (TGB) in Tripura and Manipur Rural Bank (MRB) in Manipur. The total network of branches stands at 1169 (including 8 non-functional Branches of MRB due to law and order problem) .

On 31.03.2016 their total Business was Rs.35213 crore with total Deposit of Rs 23678 cr & Advance of Rs.11535 crore. Total profit earned by them is Rs.97.56 crore including Rs.3.23 crore loss of MRB. Average Gross NPA was 13.61 %.

All the RRBs are now working on CBS platform and enabled to NEFT, RTGS, AEPS/ATM through Rupay Card/Nach/PFMS/NECS/PoS. They are equipped with Locker, ALM, Fixed Asset Module, Biometric Authentication & e-kyc etc like technology driven products.

United Demat

"United Demat" is a Demat Service designed to give hassle-free, fast and accurate transactions in capital market. Bank is offering Demat services to its customers since 2007-08 as Depository participant (DP) of Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

Benefits:

- Easy and convenient way to hold securities
- Immediate transfer of securities and No stamp duty on transfer of securities
- Safer than paper-shares (earlier risks associated with physical certificates such as bad delivery, fake securities, delays, thefts etc. are eliminated)
- Reduced paperwork for transfer of securities
- Automatic credit into Demat account for shares arising out of bonus/split, consolidation/merger etc.
- Direct credit of shares allotted in IPO in Demat A/c and Credit of Dividend in linked bank account
- A single Demat account can hold investments in both Equity and Debt instruments. Even Mutual Fund Units, Sovereign Gold Bonds, Insurance Policies etc can be held in Demat form in the same Demat Account.

Services available:

- Opening of Demat account
- Purchase and Sale of Securities
- Dematerialization & Rematerialization
- Pledge & Unpledge
- Freeze & Unfreeze
- Transmission & Transposition
- Redemption of Mutual Fund Units

Bank had launched its share trading product **"U-Connect-Trio"** on **14th October, 2015** in association with M/s Kotak Securities Ltd. "U-Connect Trio" offers the convenience of opening 3-in-1 account (Savings / Current Account, Demat Account & Trading A/c), wherein, Savings & Demat Account is maintained with United Bank of India while the Trading account is opened with Kotak Securities Ltd.

Customer can invest in **Equity market** as well as in **Mutual Fund schemes** online using trading platform of KSL.

ALTERNATE DELIVERY CHANNELS

Bank has always been committed to provide convenience based banking and has thus been introducing all popular and latest alternate banking channels. Bank has been regularly upgrading its systems for development of new products and in improvisation of the processes for operational convenience. The following new initiatives have been undertaken during the FY 2015-16:

- On-line SB Account opening facility.
- Platinum chip based RuPay debit card with higher limits.
- Mudra RuPay debit card.
- IMPS based 24X7 funds transfer facility through Internet Banking.
- Sovereign Gold bond application through Internet Banking.
- Hindi version of Internet & Mobile Banking.
- Self registration of Internet Banking through debit cards.
- Personalized debit card proactive issuance against expired cards.
- Instant fund transfer to other Banks customer on the basis of Mobile number only, named as UFT (United Fund Transfer)
- Mobile & Internet based Wallet services introduced, named United Wallet.

With the above roll out of new products / features, Bank is able to increase the e-mode based transactions to 53%. Bank also remained in the top 5 position in terms of ATM acquiring transactions amongst peer group.

COMPLIANCE

Based on the RBI guidelines and as part of its ongoing sound practices, the bank has also set up a Compliance Department whose role is to co-ordinate the identification of compliance issues, assess and mitigation of compliance risk. Board adopted Compliance Policy has been framed and in activity wise areas like deposit and services, advances, KYC-AML, BCSBI Codes , compliance issues are identified . Role responsibility as regards compliance functions is defined for every tier in the bank. Bank has introduced On-Line Compliance system as a part of green initiative through which all Branches are submitting the compliance, covering important areas of the guidelines from Regulator/Bank. The system facilitates a real time position of Compliance which could be monitored by RO & HO.

Further through random testing by Designated Compliance Officers of Regional Offices and Officers from Compliance Department, the Compliance status is being monitored

Under Corporate Governance, the Board of Directors periodically reviews compliance reports to ensure timely submission of regulatory returns by the different departments of the Head office to the GOI / RBI / IBA on regular basis and adherence to all applicable provisions of law, rules and guidelines.

Awards/ Accolades

- Our Bank has been awarded as Best Bank in West Bengal by Forum for Inclusive Financial Services (FFIFS) on 06.08.2015 under the category Highest Deposit account opened under PMJDY.
- Chamber of India Micro Small & Medium Enterprise(CMSME), New Delhi has recognized our Bank as Best Bank in 3 categories viz. Best Bank under PMJDY, Best Bank for promotional schemes under emerging Banks and Special Jury award for Turn Around Bank.

Corporate Governance:
The report of the Board of Directors on Corporate Governance is covered in the separate section on the subject.

Proposed Dividend:
In view of the loss incurred by the Bank for the FY 2015-16, the Board of Directors abstained from declaring any dividend.

Acknowledgement:
The Board of Directors wishes to place on record its appreciation to the patronage and cooperation received from all the stakeholders. The Board also likes to place on record the valuable guidance and excellent support extended by the Reserve Bank of India, Government of India, State Government of West Bengal, other regulatory agencies and all other state level financial institutions. The Board of Directors appreciates the commendable services of the employees at all levels.

For and on behalf of the Board of Directors

Date: 17th May 2016
Kolkata

Petluri Srinivas
Managing Director & Chief Executive Officer

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF UNITED BANK OF INDIA ON CORPORATE GOVERNANCE – 2015 – 16

1. Introduction

The Bank endeavours to attain highest standard of Corporate Governance and remains committed to its responsibilities towards all its stakeholders including customers, shareholders, employees, general public, society, patrons, the Government and regulators. The Bank has adopted the best practices in terms of disclosure, transparency, business ethics that is aimed at adding to the intrinsic value of the stakeholders of the Institution.

2. Bank's philosophy on Code of Governance

In United Bank of India, the fundamental philosophy of Corporate Governance is guided by the Bank's obligations to its responsibilities and value creation through effective management and control. The Bank's policies and practices are not only consistent with statutory requirements, but also all-encompassing to honour its commitments to take the organization to the next level.

The Bank defines Corporate Governance as a systematic process by which an organization is directed and controlled to maintain a set of well defined ethical standards and at the same time enhance its wealth generating capacity. The Board is collectively responsible for ensuring that Corporate Governance process is structured to direct Bank's actions, assets and resources to achieve this purpose while complying with Governance Codes. The Bank on one hand is extremely mindful about Shareholders' values while on the other hand responsibly upholds the needs of the economy, national priorities and corporate growth. It recognizes high standards of ethical values, financial discipline and integrity in achieving excellence in all fields of activities. The Bank seeks to proclaim corporate excellence by –

- Upholding Shareholders' values within the established principles and legal framework of the Nation;
- Clear statement of Board Processes and Board's relationship with the executive Management;
- Framing transparent corporate strategies, effective policies, efficient procedures, rigid ethical standards, strict legal responsibilities and fostering overall professional approach;
- Extending best of facilities and services to the customers;
- Proclaiming congenial environment for employees, customers and the society at large;
- Ensuring pro-active management, free from any bias.

Bank considers itself a Trustee to the Stakeholders and acknowledges the fiduciary responsibility towards them by creating and safeguarding their wealth. The fundamental drivers of sustainable performance are safety, security, respect, excellence and teamwork.

3. Board of Directors

The Board is constituted in accordance with The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as "ACT") and Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as "SCHEME").

3.1 Composition of Board of Directors as on March 31, 2016:

The Board is comprised of 3 executive and 6 non-executive directors. Executive Directors are appointed for 5 years or up to the date of their superannuation. Non-executive directors other than Government and RBI nominees are appointed for 3 years. Nominees of RBI and Government hold office at the pleasure of the Government. All directors other than Shareholder Directors are appointed by the Central Government. Shareholder Directors are elected by majority by shareholders other than the Central Government. The composition of the Board may be altered by the Central Government as and when it deems fit.

Name	Designation	DIN	Board Meetings		Attendance at last AGM	Other Directorship including this Bank	Committee Membership including this Bank
			Held	Attended			
Sri. P. Srinivas	MD & CEO	02836590	10	10	Yes	2	1
Sri. Sanjay Arya	Executive Director	03420686	10	10	Yes	1	1
Sri. K. V. Rama Moorthy	Executive Director	07034994	6	6	N.A.	1	2
Sri. A. K. Dogra	Govt. Nominee	07074297	10	7	No	2	2
Sri. Arnab Roy	RBI Nominee	02849115	8	8	No	1	1
Sri. Sanjib Pati	Workmen Director	07018133	10	10	No	1	0
Smt. Renuka Muttoo	Non official Director	07005568	10	9	No	1	2
Sri. Pratyush Sinha	Shareholder Director	07018125	10	9	Yes	1	1
Sri. S. Suryanarayana	Shareholder Director	00739992	8	8	Yes	1	2

- 'Other Directorship' excludes directorship in foreign companies, 'Committee Membership' includes membership in Audit Committee and Stakeholders' Relationship Committee in Public Limited Companies only.
- None of the Board Members is a member of 10 Board Committees or Chairman of 5 Board Committees.
- None of the Directors is related to each other.
- During 2015-16, 10 Board Meetings were held on 10.04.15, 07.05.15, 06.07.15, 03.08.15, 16.09.15, 07.11.15, 18.12.15, 28.01.16, 11.02.16 and 16.03.16
- Among the Directors Smt. Renuka Muttoo holds 100 shares, Sri. Pratyush Sinha holds 100 shares and Sri. S. Suryanarayana holds 200 shares in the Bank.
- Weblink for Directors' Familiarization – http://www.unitedbankofindia.com/uploads/BOD_new.pdf

3.2. Particulars of Change in Directorship during the year (Chronologically):

Name of Director	Designation	Joined/ Vacated	Date of Assumption/ Vacation of office
Sri. S. Suryanarayana	Shareholder Director	Joined	11.06.2015
Smt. Parvathy V Sundaram	RBI Nominee	Vacated	18.06.2015
Sri. Arnab Roy	RBI Nominee	Joined	18.06.2015
Sri K.V.Rama Moorthy	Executive Director	Joined	29.08.2015

3.3. Board Meeting Process:

The Notice of the Board Meeting is given well in advance. Usually the Meetings of the Board are held in Kolkata. The agenda and related papers are circulated well in advance to facilitate effective discussion and decision making. Considerable time is devoted by the directors to deliberation and decision making at the Board Meetings.

Company Secretary acts as the Secretary to the Board and is responsible for convening the board and committee meetings, collation of reports, preparation and distribution of agenda. The Company Secretary remains present at all Board and Board Committee Meetings and supports in Compliance, Corporate Governance principles and ensures proper recording of Minutes.

Apart from the formal Board Meetings, interactions outside the Board Meetings also take place between the Managing Director & CEO and other non-executive directors.

3.4. Director Induction Process:

The directors are provided with the requisite brochures, documents, reports, internal policies, other reading materials to enable them to acclimatize with the Bank's working environment and operational procedures and practices. Periodic presentations are made to the Board to enable them to be updated on the Bank's performance in various operational areas. Directors are also nominated to the training programmes conducted by organizations like CAFRAL, NIBM etc.

3.5. Board Evaluation Process:

All directors of the Bank apart from the Shareholder Directors are appointed by and hold office at the pleasure of the Central Government. The Shareholder Directors are elected by the minority shareholders. Accordingly, the Bank does not perform any independent Board evaluation exercise.

4. Committees of the Board

The Board Committees are formed to carry out defined roles as defined by the Board as a part of good governance practice. Minutes of the proceedings are circulated among Board members and placed at the Board Meetings for noting.

4.1 Audit Committee of the Board:

The Audit Committee of the Board of Directors of the Bank is constituted in terms of the RBI guidelines and the roles and responsibilities of the Audit Committee are prescribed by the RBI. The Bank originally formed its Audit Committee on June 26, 1995 which was reconstituted from time to time.

As per RBI requirement the meetings of the Audit Committee should ordinarily be held at least once a quarter and not less than six times a year. The Composition of the Audit Committee is as under –

Name	Designation	Member from/up to	Meetings held	Meetings attended
Sri. S. Suryanarayana	Shareholder Director (Chairman)	From 11.06.15	7	7
Sri. K. V. Rama Moorthy	Executive Director	From 29.08.15	4	4
Sri. A. K. Dogra	Government Nominee	Whole Year	9	6
Sri. Arnab Roy	RBI Nominee	From 18.06.15	7	7
Smt. Renuka Muttoo	Non-official Director	Whole Year	9	9
Smt. Parvathy V Sundaram	RBI Nominee	Up to 18.06.15	2	2
Sri. Pratyush Sinha	Shareholder Director	Up to 07.11.15	6	6

- During 2015-16, 9 meetings of the Audit Committee of the Board were held on 10.04.2015, 07.05.2015, 22.07.2015, 03.08.2015, 24.08.2015, 07.11.2015, 19.12.2015, 11.02.2016 and 16.03.2016.
- Meetings were attended by Sri Sanjay Arya, Executive Director as invitee.
- Chief Financial Officer, Chief Compliance Officer, Head of the Audit & Inspection Department and the Company Secretary remained present in Audit Committee meetings.

4.1.2. The functions of Audit Committee include the following:

- Oversight of the financial reporting process and disclosure of financial information;
- Overseeing Bank's financial reporting process and ensuring correct, adequate and credible disclosure of financial information.
- Reviewing with the Management, periodic and Annual Financial Statements.
- Reviewing efficacy of internal control system and internal audit and inspection functions;
- Reviewing the findings of investigation by the concurrent auditors, revenue auditors, internal inspectors in matters where fraud is suspected or irregularity or failure of internal control systems is observed and suggesting ways and means to strengthen control mechanisms.
- Interaction and Analysis of Bank's performance with the Statutory Central Auditors before the finalization of the periodic accounts and reports, focusing on the changes in accounting policies and practices, discussion on Audit Report and audit qualifications if any, LFAR etc;
- Monitoring Auditors' independence and performance;
- Detailed analysis of the findings in the Annual Financial Inspection (AFI) conducted by RBI, Special Audit, if any, conducted by RBI or other agency assigned by RBI.
- Review of various audit & inspection reports;
- Looking into the reasons for substantial defaults in the payments to the depositors, shareholders, stakeholders, debenture holders and creditors, if any.
- Reviewing with the management, the performance of statutory auditors, concurrent and revenue auditors and adequacy of internal control system, discussing with the auditors significant findings and follow up thereon.
- Giving special focus on the follow up on:

  a) Inter Branch Adjustment Accounts
  b) Un-reconciled long standing entries in Inter Branch Accounts & NOSTRO Accounts.
  c) Arrears in balancing of books at various branches.
  d) Frauds and
  e) Major areas of housekeeping.

4.2. Nomination Committee:

4.2.1. The Committee is constituted in terms of RBI guidelines for the purpose of determination of the prescribed 'Fit & Proper' status of the candidates elected by the requisite number of shareholders for the Directorship of the Bank as representative of the shareholders.

4.2.2. The Composition of the Committee is as under –

Name	Designation	Member from/up to	Meetings held	Meetings attended
Sri. A. K. Dogra	Government Nominee (Chairman)	Whole Year	1	1
Smt. Renuka Mutto	Non-official Director	Whole Year	1	1
Sri Sanjib Pati	Workmen Director	Whole Year	1	1

- The Committee met on 10.06.2015 for election of one Shareholder Director.

4.3. Remuneration Committee:

4.3.1. The Remuneration Committee has been formed in terms of Ministry of Finance Notification F. No. 20/1/2005 – BO-I dated March 9th 2007 to deliberate on the Performance Linked incentives of whole-time directors of Public Sector Banks, subject to achievement of broad quantitative parameters fixed under performance evaluation matrix based on the statement of intent on goals and qualitative parameters and benchmarks based on various compliance reports during the previous year.

4.3.2.Composition of the Committee and Attendance of the Director Members:

Sl. No.	Name	Directorship	Period of Membership	No. of meetings held	No. of meetings attended
1.	Sri. A. K. Dogra	Government Nominee (Chairman)	Whole Year	1	1
2.	Sri Arnab Roy	RBI Nominee	From 18.06.15	1	1
3.	Smt. Renuka Muttoo	Non -official Director	Whole Year	1	1
4.	Sri. Pratyush Sinha	Shareholder Director	Whole Year	1	1
5.	Smt. Parvathy V Sundaram	RBI Nominee	Upto 18.06.15	-	-

- The Committee met once on 22.07.15 during the financial year.

4.3.3. No Performance Linked Incentive was paid to any wholetime director during 2015-16.

4.4. Remuneration of Directors:

4.4.1. The Bank has no pecuniary relationship or transaction with its Non-Executive Directors other than payment of Sitting Fees for attending Board and Committee meetings.

4.4.2. The Wholetime Directors are paid salary and perquisites in terms of the Government of India pay-scales and extant rules and regulations of the Central Government and the Bank.

4.4.3. The salary and perquisites paid to the Wholetime Directors during 2015-16 were –

	Salary (Rs.)	Perquisites (Rs.)	PLI* (Rs.)	Total (Rs.)
Sri P. Srinivas	2203783	38728	Nil	2242511
Sri. Sanjay Arya	2458618	38940	Nil	2497558
Sri. K. V. Rama Moorthy	1004250	21899	Nil	1026149

**Performance linked incentive*

4.5 Stakeholders' Relationship Committee:

4.5.1. Composition of the Committee and Attendance of the Director Members:

Name	Designation	Member from/up to	Meetings held	Meetings attended
Sri. Pratyush Sinha	Shareholder Director (Chairman)	Whole Year	4	4
Sri. Sanjay Arya	Executive Director	Whole Year	4	4
Sri. K.V. Rama Moorthy	Executive Director	From 29.08.15	2	2
Smt. Renuka Muttoo	Non-official Director	Whole Year	4	4
Sri. S. Suryanarayana	Shareholder Director	From 11.06.15	3	3

- Company Secretary & Compliance Officer acts as the Secretary to the Stakeholders' Relationship Committee of the Board of Directors.
- The four meetings of the Committee were held on 10.04.15, 22.07.15, 02.11.15 and 28.01.16.

4.5.2. During 2015-16 the details of investors' grievances received and resolved were as under –

No. of complaints at the beginning of the year	0
No. of complaints received during the year	73
No. of complaints resolved during the year	73
No. of complaints remaining unresolved	0

5. Code of Conduct

5.1.1. All Board members are governed by the Code of Conduct prescribed by the Reserve Bank of India, and by the Bank under the Listing Regulations. All the officers in the rank of General Manager of the Bank are also governed by the Bank's Code of Conduct framed under the Listing Regulations. The code of conduct is available on the website of the Bank – www.unitedbankofindia.com.

5.1.2. All the Directors and General Managers have affirmed their compliance to the applicable Code of Conduct.

5.2. Affirmation & Disclosures:

5.2.1. There were no material, financial or commercial transactions between the Bank and the members of the Board and the Key Managerial Personnel that may have a potential conflict with the interest of the Bank at large.

5.2.2. All details relating to financial and commercial transaction where any Board member may have a pecuniary interest are placed to the Board and the concerned director does not participate in the deliberation or the decision making process.

6. General Body Meetings

6.1. Details of last three AGM:

Location	Date	Time	Special Resolution
Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata – 700027	22.06.2015	10.00 a.m.	Raising of capital up to Rs.1000 crore by way of Public Issue, Rights Issue, QIP or such other form of capital issue. **Voting pattern:** Votes for: 772521948 Votes against: 9419
Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata – 700027	18.06.2014	10.00 a.m.	Raising of capital up to Rs.1000 crore by way of Public Issue, Rights Issue, QIP or such other form of capital issue. **Voting pattern:** Votes for: 505416329 Votes against: 494725 Abstains: 225 Preferential Allotment under Chapter VII of SEBI ICDR Regulations of 8,45,07,042 equity shares at Rs.35.50 per share to LIC or funds thereof and 7,74,00,000 equity shares Government by conversion of 27477 units of PNCPS of Rs.100,000/- each. **Voting pattern:** Votes for: 505414809 Votes against: 496245 Abstains: 225
Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore Kolkata – 700027	21.06.2013	9.30 a.m.	Raising of capital up to Rs.1000 crore by way of Public Issue, Rights Issue, QIP or such other form of capital issue. **Voting pattern:** Passed by show of hand

6.2. In the General Meetings voting were scrutinized by M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Practicing Company Secretaries. In the poll processes at the venue of the meetings, one representative of the shareholders was also present as scrutinizer.

6.3. No resolution was passed through postal ballot in the last financial year.

7. Means of Communication

7.1. The Bank published its quarterly results in one English, one Bengali and one Hindi newspaper, uploaded the quarterly results on the website of the Bank and Stock Exchanges through their respective electronic filing portals.

7.2. During the year the financial results of the Bank, were published in the following newspapers:-

	English	Bengali	Hindi	Date of Publication
Quarter/ Year ended March 2015	BS*/Mint	ABP*	BS* (Hindi)	08.05.2015
Quarter ended June 2015	FE*	Ei-samay	Jansatta	04.08.2015
Qtr./H.Y. ended September 2015	FE	Aajkal	Jansatta	09.11.2015
Quarter ended December 2015	BS*/Mint	Ei Samay	Dainik Viswamitra	12.02.2016

** FE – Financial Express; BS – Business Standard; ABP – Ananda Bazar Patrika*

- *The audited financial results for the quarter/year ended March 31, 2016 will be published in accordance with the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.*

7.3. Results were uploaded on the following websites:

www.unitedbankofindia.com	www.nseindia.com	www.bseindia.com

7.4. Presentations made to the analysts/press were uploaded on the Bank's website. No presentation was made to any institutional investor during the year.

8. General Shareholder Information

8.1. Annual General Meeting:

Tuesday, June 28, 2016	10.00 a.m.	Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata – 700027

Book closure: Monday, June 20, 2016 to Tuesday, June 28, 2016 (both days inclusive)

8.2. The Financial Year: From April 1st to March 31st.

Tentative financial calendar for the FY 2016-17:

Qtr. 1	August 2016	Qtr. 2	November 2016	Qtr.3	February 2017	Qtr. 4	May 2017

8.3. Dividend: The Board of Directors has not recommended any dividend for the FY 2015-16.

8.4. Listing details:

BSE Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai – 400001	National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot – C/1, Block –G Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400051	Annual Listing Fee for 2015-16 has been paid by the Bank to BSE and NSE.

8.5. Stock Code

BSE: 533171	NSE: UNITEDBNK	ISIN: INE695A01019

8.6. Market Price Data:

Monthly high and low market prices of Bank's equity shares on BSE and NSE during 2015-16 –

Srl.	BSE Ltd.				NSE of India Ltd.			
1	10-Apr-15	31.70	28-Apr-15	27.15	10-Apr-15	31.6	28-Apr-15	27.20
2	05-May-15	28.75	27-May-15	24.20	05-May-15	28.85	27-May-15	24.10
3	23-Jun-15	25.60	12-Jun-15	21.85	02-Jun-15	25.45	12-Jun-15	21.80
4	14-Jul-15	25.00	28-Jul-15	22.50	15-Jul-15	25.20	29-Jul-15	22.70
5	03-Aug-15	26.45	25-Aug-15	20.40	03-Aug-15	26.50	25-Aug-15	20.45
6	24-Sep-15	22.85	08-Sep-15	20.40	24-Sep-15	22.90	16-Sep-15	20.00
7	23-Oct-15	23.05	01-Oct-15	21.80	23-Oct-15	23.10	01-Oct-15	21.80
8	30-Nov-15	22.80	09-Nov-15	21.00	30-Nov-15	22.50	06-Nov-15	21.00
9	01-Dec-15	23.45	11-Dec-15	21.05	15-Dec-15	23.80	11-Dec-15	21.00
10	01-Jan-16	22.25	20-Jan-16	18.30	04-Jan-16	22.10	21-Jan-16	18.30
11	11-Feb-16	19.85	11-Feb-16	16.80	11-Feb-16	22.00	12-Feb-16	16.80
12	08-Mar-16	20.50	01-Mar-16	18.00	08-Mar-16	20.60	01-Mar-16	18.00

8.7. Stock performance compared to BSE Sensex and NSE Nifty:

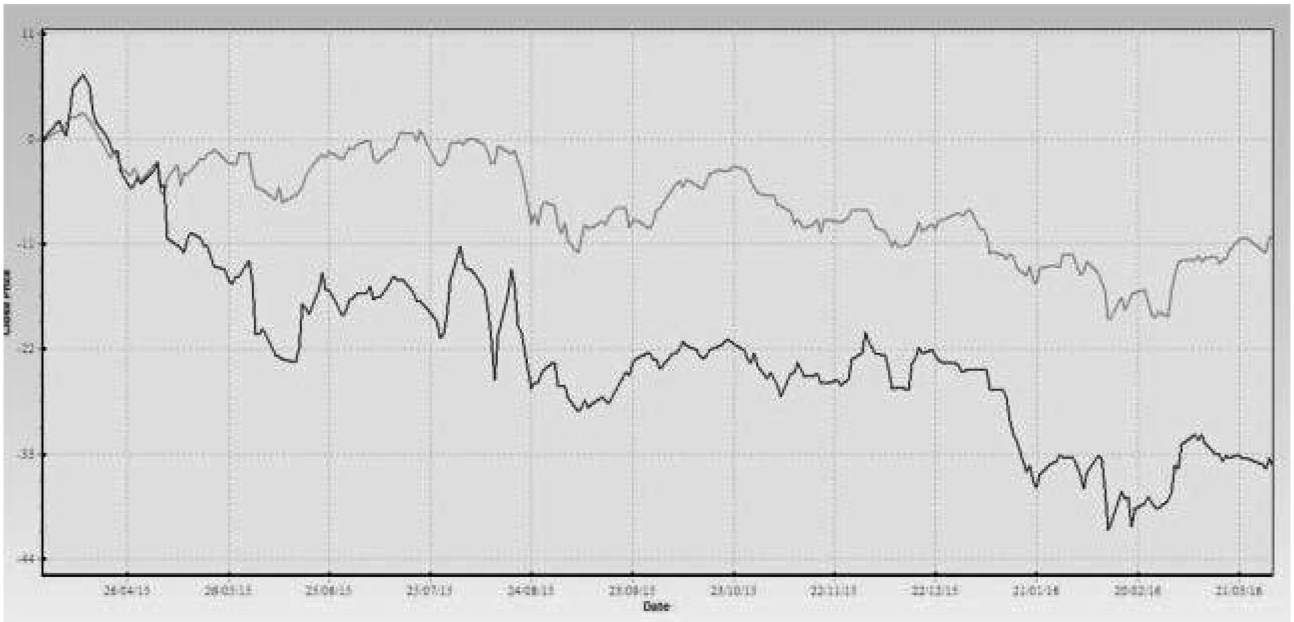

With SENSEX

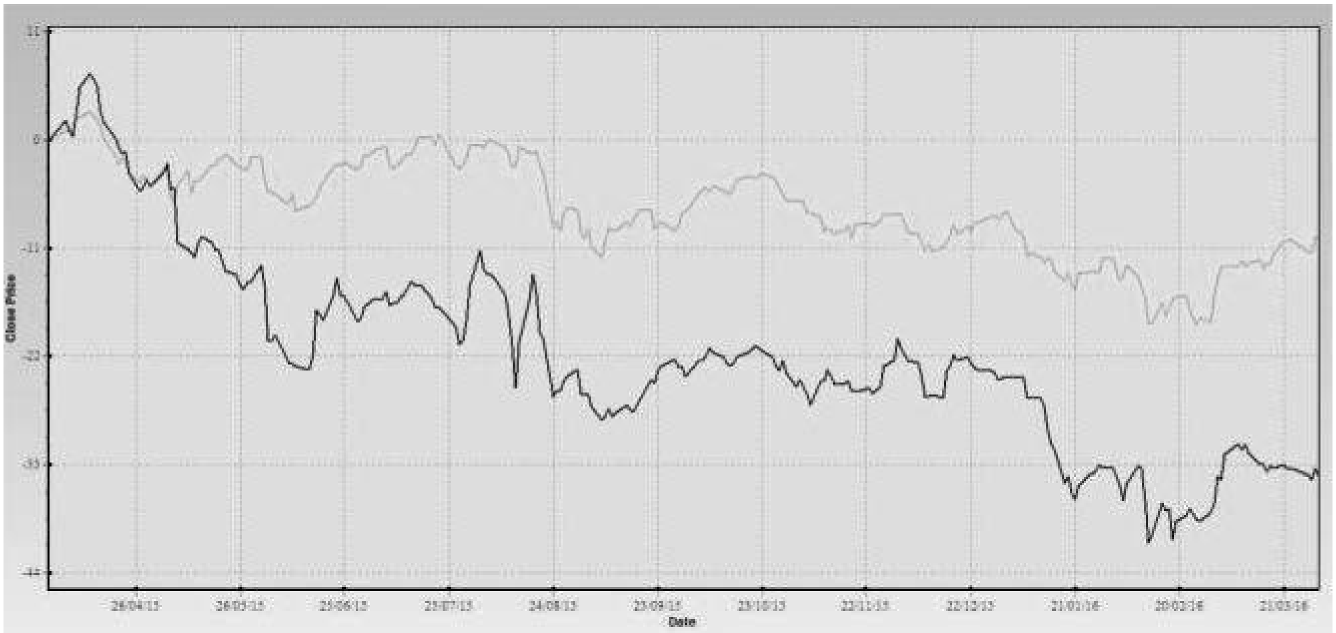

With NIFTY

8.8. Registrar & Share Transfer Agent:

M/s. Link Intime India (P) Ltd.	
Corp. Office: C-13, Pannalal Silk Mills Compound, L.B.S.Marg, Bhandup (West), Mumbai - 400078 Tel: 022 - 2594 6970	Local Office: 59C , Chowringhee Road , 3rd floor Kolkata – 700020 Tel: (033) 2289 0540 Fax: (033) 2289 0539 Email: kolkata@linkintime.co.in

8.9. Share Transfer System:

All requests for share transfers, transmission, dematerialization and rematerialisation are processed by the Bank's Registrar and Share Transfer Agent in terms of the delegated authority within the deadline of 15 days. All such transfers, transmissions, dematerializations and rematerialisations are reported to the Board/ Stakeholders' Relationship Committee.

8.10. Distribution of shareholding as on March 31, 2016:

No. of shares			No. of shareholders	Percentage of shareholders	Total shares	Percentage of total shares
Upto 5000			83758	98.671	28473771	3.392
5001	to	10000	646	0.761	4772418	0.569
10001	to	20000	267	0.315	3841037	0.456
20001	to	30000	88	0.104	2201620	0.262
30001	to	40000	40	0.047	1403374	0.167
40001	to	50000	21	0.025	966669	0.115
50001	to	100000	41	0.048	2869226	0.342
100001	and	Above	25	0.029	794987836	94.697
		Total	84886	100.000	839515951	100.000

8.10.1. Distribution of ownership:

	Category	No. of shares held	Percentage of shareholding
A.	**Promoters' Holding**		
1.	Promoters (Govt. of India)	688430610	82.003
	Sub - Total	**688430610**	**82.003**
B.	**Non - Promoters' Holding**		
3.	Institutional Investors		
	a) Mutual Funds & UTI	336000	0.040
	b) Banks/Financial Institutions,	135300	0.016
	c) Insurance Companies	101734227	12.118
	Sub - Total	**102205527**	**12.174**
C.	Others		
	a) Bodies Corporate	5210412	0.621
	b) Clearing Members	1232854	0.147
	c) Indian Public	40732408	4.852
	d) NRIs	1651879	0.197
	e) Trusts	52261	0.006
	Sub -Total	**48879814**	**5.823**
	Grand Total	**839515951**	**100.00**

8.11. Dematerialization of shares and liquidity:

As on March 31, 2016, the entire paid-up share capital is dematerialized. Trading in Bank's equity shares is permitted only in dematerialized form. Promoters' holding is held in dematerialized form. Physical holding is limited to 333 shareholders holding 24308 equity shares only.

8.12. Outstanding GDR/ADR/Warrants/convertible instruments, conversion date and likely impact:

Bank has not issued any GDR/ADR/Warrants/convertible instruments.

8.13. The Bank does not deal with commodity and hence disclosure related to commodity price risk and commodity hedging activities are not required. Part of the foreign exchange exposure in the ordinary course of business of the Bank is adequately hedged as per the policies of the Bank. Incremental provision has been made and capital provided for the unhedged foreign exchange exposure as on 31.03.16.

8.14. Plant location:

The Bank is not a manufacturing concern, hence does not operate any plant.

8.15. Address for correspondence:

United Bank of India

United Tower, 11 Hemanta Basu Sarani, Kolkata – 700001

9. Other Disclosures:

9.1. Disclosure of materially significant related party transactions having potential conflict:

There was no materially significant related party transaction having potential conflict. The related party transactions in the Bank are governed by the extant RBI guidelines in this regard. In accordance with the Listing Regulations the Bank has also framed the policy on Related Party Transactions which intends to ensure proper reporting, approval and disclosure of such transactions.

9.2. Disclosure of Pending Cases/ instances of non-compliance:

There was no instance of non-compliance reported during FY 2015-16.

However, SEBI vide Adjudication Order levied a penalty of rupees two lac under SEBI (Debenture Trustee) Regulations 1993, SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations 2008, SEBI Circular MIRSD/DPS III/Cir-11/07 dated August 6, 2007 and the Code of Conduct on account of violations while acting as a Debenture Trustee in various bond issues up to 2002.

9.3. Details of vigil mechanism/ Whistle Blower Policy:

Bank has a robust Whistle Blower Policy and all employees are encouraged to raise their concerns by way of whistle blowing. All employees have access to the Chairman of the Audit Committee.

9.4. The Bank has complied with all mandatory requirements under Clause 49 of the Listing Agreement up to 30th November 2015 and Listing Regulations from 1st December 2015 onwards. The Bank has executed fresh listing agreement with BSE and NSE as required under Listing Regulations.

9.5. Web Links:

9.5.1. The Bank does not have any material subsidiary and hence there is no need to frame any policy in this regard.

9.5.2. The weblink for Policy on Related Party Transaction is –

http://www.unitedbankofindia.com/uploads/Related_Party_Transactions_Policy.pdf

9.6. There is no non-compliance of any requirement for Corporate Governance Report from sub para (2) to (10) of Part C of Schedule V of the Listing Regulations.

9.7. The Bank being a body corporate has complied with corporate governance requirements specified in Regulations 17 to 27 subject to Regulation 15(2)(b), and clauses (b) to (i) of sub-regulation (2) of Regulation 46 of the SEBI Listing Regulations.

10. Shares held in Demat Suspense Account/ Unclaimed Suspense Account

No. of shareholders at the beginning of the year	No. of shares at the beginning of the year	No. of shareholders who approached for transfer of shares	No. of shareholders to whom shares were transferred	No. of shareholders at the end of the year	No. of shares at the end of the year
49	6407	Nil	Nil	49	6407

10.1. The voting rights in respect of shares in the Suspense Account have been frozen.

11. Non-mandatory Requirements:

11.1. The Board:

Appointment of Non-Executive Chairman by the Government is yet to take place. The meetings of the Board are chaired by the Managing Director & CEO at present.

11.2. Shareholders' Right:

The half yearly results had been published in the newspapers, uploaded on the Bank's website and on the websites of the stock exchanges and mailed/ emailed to all shareholders at their registered address/ registered email address.

11.3. Audit Qualifications:

There are no qualifications contained in the Audit Report.

11.4. Separate Post of Chairman and Managing Director & CEO:

The positions of the Chairman and Managing Director & CEO have been segregated. The appointment of Chairman is yet to take place.

For & on behalf of the Board of Directors

Sd/-
P. Srinivas
Managing Director & CEO

Dated 17th May 2016, Kolkata

UNITED BANK OF INDIA
Head Office
11, Hemanta Basu Sarani
Kolkata - 700 001

CODE OF CONDUCT DECLARATION

In accordance with the Listing Regulations and the Listing Agreements executed with BSE Ltd. and National Stock Exchange of India Ltd., I, P. Srinivas in my capacity as the Managing Director & CEO of the Bank hereby confirm that all the members of the Board and the Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance for the Financial Year 2015-16 to the Bank's Code of Conduct.

P. Srinivas
Managing Director & CEO
DIN: 02836590

Dated : 17th May 2016, Kolkata

The Board of Directors
United Bank of India
Head Office
11 Hemanta Basu Sarani
Kolkata – 700001.

CEO-CFO Certificate

We hereby certify that –

A. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year and to the best of our knowledge and belief:

1. these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

2. these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's Code of Conduct.

C. We are responsible for establishing and maintaining internal controls and for evaluating the effectiveness of the same over the financial reporting of the Bank and have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operations of internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

D. We confirm, based on our most recent evaluation, wherever applicable that:

1. There has not been any significant change in internal controls over financial reporting during the year;

2. There has not been any significant change in accounting policies during the year;

E. We further confirm that we have brought to the notice of the Auditors and Audit Committee, instances of significant fraud brought to our notice. During the year there was no case of fraud involving the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

Sd/- **Sanjay Kumar** Chief Financial Officer	Sd/- **P. Srinivas** Managing Director & CEO

Dated: May 17th, 2016
Place : Kolkata

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To
The Members of United Bank of India

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by United Bank of India for the year ended 31st March, 2016 as stipulated in Chapter IV of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 and pursuant to the Listing Agreement executed by the said Bank.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of our opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the Chapter IV of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 and pursuant to the Listing Agreement executed by the said Bank.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted upon the affairs of the Bank.

For **Ramamoorthy(N) & Co.**
Chartered Accountants
FRN 002899S

CA Surendranath Bharathi
Partner
Membership No. 023837

Nundi & Associates.
Chartered Accountants
FRN 309090E

CA Soumen Nandi
Partner
Membership No. 059828

P C Bindal & Co.
Chartered Accountants
FRN 003824N

CA Samit Gupta
Partner
Membership No. 093783

S P M R & Associates.
Chartered Accountants
FRN 007578N

CA Pramod Kr. Maheshwari
Partner
Membership No. 085362

Date: May 1 7th 2016, Kolkata

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The Members of United Bank of India

Report On The Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of **UNITED BANK OF INDIA** as at **31st March, 2016,** which comprise the Balance Sheet as at **March 31, 2016,** and Profit and Loss Account and the cash flow statement for the year ended on that date, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches and treasury operations audited by us and 670 branches/retail hubs audited by branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss Account are the returns from 35 Regional Offices, 1319 branches, 1 Staff Training Colleges, 1 Cash Management System and 1 Central Pension Processing Centre, which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 9.81% of gross advances, 36.55% of deposits, 8.95% of interest income and 36.26% of interest expenses.

Management's Responsibility For The Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with Banking Regulation Act 1949, Reserve Bank of India guidelines from time to time and accounting standards generally accepted in India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement in the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by the books of the bank and to the best of our information and according to the explanation given to us:

   (i) The Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet of the Bank containing all the necessary particulars is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March, 2016 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

   (ii) The Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of Loss, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

   (iii) The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

7. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.

8. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

   (a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

   (b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

   (c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

9. **We further report that:**

a) The Balance Sheet and Profit and Loss account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;

b) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act,1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;

c) In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

M/s. Ramamoorthy(N) & Co. Chartered Accountants FRN 002899S	**M/s. Nundi & Associates.** Chartered Accountants FRN 309090E	**M/s. P C Bindal & Co.** Chartered Accountants FRN 003824N	**M/s. S P M R & Associates.** Chartered Accountants FRN 007578N
CA Surendranath Bharathi Partner Membership No. 023837	**CA Soumen Nandi** Partner Membership No. 059828	**CA Samit Gupta** Partner Membership No. 093783	**CA Pramod Kr. Maheshwari** Partner Membership No. 085362

Date : 17.05.2016
Place : Kolkata

FORM A

Covering letter of the Annual Audit Report filed with the Stock Exchanges

1.	Name of the Company	United Bank of India
2.	Annual Financial Statement for the year ended	31st March 2016
3.	Type of Audit Observations	Un-qualified
4.	Frequency of Observation	Not Applicable

Sanjay Kumar
General Manager & CFO

S. Suryanarayana
Chairman - Audit Committee of the Board

P. Srinivas
Managing Director & CEO

M/s. Ramamoorthy(N) & Co.
Chartered Accountants
FRN 002899S

M/s. Nundi & Associates.
Chartered Accountants
FRN 309090E

M/s. P C Bindal & Co.
Chartered Accountants
FRN 003824N

M/s. S P M R & Associates.
Chartered Accountants
FRN 007578N

CA Surendranath Bharathi
Partner
Membership No. 023837

CA Soumen Nandi
Partner
Membership No. 059828

CA Samit Gupta
Partner
Membership No. 093783

CA Pramod Kr. Maheshwari
Partner
Membership No. 085362

Date : 17.05.2016
Place : Kolkata

Balance Sheet as on 31st March, 2016

and

Profit and Loss Account for the year ended

31st March, 2016

AUDITED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2016

CAPITAL & LIABILITIES

(` in thousand)

Capital & Liabilities	Schedule	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
Capital	1	839,51,60	839,51,60
Share Application Money Pending Allotment	1A	480,00,00	-
Reserves & Surplus	2	4999,66,90	4988,52,34
Deposits	3	116401,27,64	108817,59,89
Borrowings	4	2912,50,65	4061,72,98
Other Liabilities and Provisions	5	3798,78,25	4320,21,10
TOTAL :		**129431,75,04**	**123027,57,91**

ASSETS

(` in thousand)

	Schedule	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
Cash and balances with Reserve Bank of India	6	6070,44,66	5815,60,12
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	2255,21,23	214,94,02
Investments	8	44723,38,34	43245,49,49
Advances	9	68060,20,04	66763,03,55
Fixed Assets	10	1210,92,00	877,41,32
Other Assets	11	7111,58,77	6111,09,41
TOTAL :		**129431,75,04**	**123027,57,91**
Contingent Liabilities	12	11583,90,97	6450,33,61
Bills for collection		1959,97,05	2416,50,60

This is the part of Balance Sheet as on 31.03.2016

P. Srinivas
Managing Director & Chief Executive Officer

Sanjay Arya
Executive Director

K. V. Rama Moorthy
Executive Director

Arnab Roy
Director

A. K. Dogra
Director

Pratyush Sinha
Director

Renuka Muttoo
Director

S. Suryanarayana
Director

Sanjay Kumar
General Manager & CFO

As per our separate report of even date attached

M/s. Ramamoorthy(N) & Co.
Chartered Accountants
FRN 002899S

CA Surendranath Bharathi
Partner
Membership No. 023837

M/s. Nundi & Associates.
Chartered Accountants
FRN 309090E

CA Soumen Nandi
Partner
Membership No. 059828

M/s. P C Bindal & Co.
Chartered Accountants
FRN 003824N

CA Samit Gupta
Partner
Membership No. 093783

M/s. S P M R & Associates.
Chartered Accountants
FRN 007578N

CA Pramod Kr. Maheshwari
Partner
Membership No. 085362

Date : 17.05.2016
Place : Kolkata

SCHEDULE 1 - CAPITAL

(` in thousand)

		As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
AUTHORISED CAPITAL		**3000,00,00**	**3000,00,00**
Equity Share Capital	-		-
Perpetual Non Cummulative Preference Shares(PNCPS)	-		-
ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID- UP CAPITAL 839515951 (Previous Year 839515951) Equity Shares of `10/- each [(including 688430610) (Previous Year 688430610) held by GOI]		839,51,60	839,51,60
TOTAL :		**839,51,60**	**839,51,60**

SCHEDULE 1A - SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENT

		As on 31.03.2016		As on 31.03.2015
SHAPE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENT**	-	**480,00,00**	-	-
	TOTAL :	**480,00,00**		-

**Share application money pending allotment represents application received from Govt. of India which comprise of 232445520 Equity shares of face value of 10/- each fully paid up proposed to be issued at a premium of Rs. 10.65 /share.

**Equity shares are expected to be allotted against the share application money within 60days from the date of passing special resolution. The Bank has sufficient authorised capital to cover the share capital amount on allotment of above shares.

SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS

(` in thousand)

	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
I. Statutory Reserves		
Opening Balance	777,51,12	713,51,31
Add: Transfer from Profit & Loss Account	-	63,99,81
SUB-TOTAL :	**777,51,12**	**777,51,12**
II. Capital Reserves		
a) Revaluation Reserve		
Opening Balance	594,07,14	608,89,37
Addition during the period/year	346,66,97	-
Add/(Less) : Adjustment during the period/year	-	-
Less : Transfer to Profit & Loss Account	(16,07,86)	(14,82,23)
	924,66,25	**594,07,14**
b) Others		
Opening Balance	1509,64,20	1508,49,53
Add: Transfer from Profit & Loss Account	18,63,87	1,14,67
Add/(Less) : Adjustment during the period/year	18,12	-
	1528,46,19	1509,64,20
SUB-TOTAL [(a) + (b)]	**2453,12,44**	**2103,71,34**
III. Share Premium		
Opening Balance	2078,82,02	1263,58,81
Addition during the period/year	-	815,23,21
SUB TOTAL	**2078,82,02**	**2078,82,02**
IV. Revenue and Other Reserves		
a) Special Reserve I.T.		
Opening Balance	220,00,00	220,00,00
Less: Draw down	-	-
Add:Transfer from Profit & Loss Account.	-	-
SUB-TOTAL (a)	**220,00,00**	**220,00,00**
b) Revenue Reserve		
Opening Balance	-191,52,14	-386,58,41
Add: Transfer from revaluation reserve	16,07,86	14,82,23
Less: Draw down for adjustment for Assets	(53,74,65)	(10,60,70)
Add: Transfer from Profit & Loss Account	-300,59,75	190,84,74
SUB-TOTAL (b)	**-529,78,68**	**-191,52,14**
SUB-TOTAL [(a) + (b)]	**-309,78,68**	**28,47,86**
V. Balance in Profit & Loss Account	–	–
TOTAL (I + II + III+IV+V)	**4999,66,90**	**4988,52,34**

SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(` in thousand)

			As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
A	I.	**Demand Deposits**		
		i) From Banks	1188,08,43	1261,29,43
		ii) From Others	6793,33,56	7682,69,07
	II.	**Savings Bank Deposits**	**40809,62,35**	36811,10,93
	III.	**Term Deposits**		
		i) From Banks	1251,56,48	1761,02,83
		ii) From Others	66358,66,82	61301,47,63
		TOTAL :	**116401,27,64**	**108817,59,89**
B		i) Deposits of branches in India	116401,27,64	108817,59,89
		ii) Deposits of branches outside India	–	–
		TOTAL :	**116401,27,64**	**108817,59,89**

SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(` in thousand)

	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
I. Borrowings in India		
i) Reserve Bank of India	-	584,00,00
ii) Other Banks	85,53	4,91,62
iii) Other Institutions & Agencies #	2911,65,12	3472,81,36
II. Borrowings outside India	-	–
TOTAL :	**2912,50,65**	**4061,72,98**
Secured borrowings included in I&II above –		584,00,00
# Including Subordinated Debts for Tier II Capital	1925,00,00	2225,00,00
# Including IPDI for Tier 1 Capital	450,00,00	300,00,00

SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(` in thousand)

		As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
I.	Bills Payable	374,59,30	348,79,90
II.	Inter-Office Adjustments (net)	121,10,83	67,81,58
III.	Interest accrued	917,33,76	1022,39,35
IV.	Contingent Provisions against Standard Assets	636,32,00	1060,09,00
V.	Deferred Tax Liability (net)	–	–
VI.	Proposed Dividend (including Dividend Tax)	–	–
VII.	Others (including provisions)	1749,42,36	1821,11,27
	TOTAL :	**3798,78,25**	**4320,21,10**

SCHEDULE 6 - CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(` in thousand)

		As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
I.	Cash in hand (including foreign currency notes)	558,80,93	503,02,00
II.	Balances with Reserve Bank of India		
	i) In Current Account	5511,63,73	5312,58,12
	ii) In Other Accounts	–	–
	TOTAL :	**6070,44,66**	**5815,60,12**

SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(` in thousand)

	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
I. In India -		
i) Balances with Banks		
a) In Current Accounts	63,80,41	49,49,48
b) In Other Deposit Accounts	–	–
ii) Money at Call and Short Notice		
a) With Banks	2100,00,00	140,00,00
b) With other Institutions	–	–
SUB-TOTAL :	**2163,80,41**	**189,49,48**
II. Outside India -		
i) Balances with Banks		
a) in Current Accounts	91,40,82	25,44,54
b) in Other Deposit Accounts	–	–
ii) Money at Call and Short Notice	–	–
SUB-TOTAL :	**91,40,82**	**25,44,54**
TOTAL :	**2255,21,23**	**214,94,02**

SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

(` in thousand)

			As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
I.	**Investments in India (Gross)**		**44934,02,73**	**43440,04,34**
	Less : Provision for NPI, depreciation / amortisation		(210,64,39)	(194,54,85)
		NET	**44723,38,34**	**43245,49,49**
	Break-up			
	i)	Government Securities	36,240,65,99	35020,44,93
	ii)	Other Approved Securities	-	–
	iii)	Shares	222,71,08	201,56,82
	iv)	Debentures and Bonds	2087,88,41	2072,33,92
	v)	Subsidiaries and/or Joint Ventures	–	–
	vi)	Others (Mutual Fund, CP, CD, etc.)##	6172,12,86	5951,13,82
		SUB-TOTAL :	**44723,38,34**	**43245,49,49**
II.	**Investments outside India (Gross)**		–	–
		Less : Provision for depreciation	–	–
		NET	–	–
		Break-up		
	i)	Government Securities (including local authorities)	–	–
	ii)	Subsidiaries and/or Joint Ventures abroad	–	–
	iii)	Other investments	–	–
		SUB-TOTAL :	–	–
		TOTAL (I & II)	**44723,38,34**	**43245,49,49**

As per RBI circular no.DBR.BP.BC.No.31/21.04.018/2015-16 dated July 16,2015, deposits placed with NABARD/SIDBI/NHB for meeting shortfall in Priority sector Lending by should be included under Schedule 11-"Other Assets" under the sub head 'others' of the Balance sheet.

SCHEDULE 9 - ADVANCES

(` in thousand)

			As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
A.	i)	Bills Purchased and Discounted	520,61,29	399,48,52
	ii)	Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	21569,41,58	21567,02,91
	iii)	Term Loans	45970,17,17	44796,52,12
		TOTAL :	**68060,20,04**	**66763,03,55**
B.	i)	Secured by tangible assets (includes advances against Book Debt)	61133,38,00	59491,09,60
	ii)	Covered by Bank / Government Guarantees	2724,59,15	2419,23,91
	iii)	Unsecured	4202,22,89	4852,70,04
		TOTAL :	**68060,20,04**	**66763,03,55**
C. I.	Advances in India			
	i)	Priority Sector	25204,73,00	25204,29,04
	ii)	Public Sector	3545,73,00	5580 ,52,70
	iii)	Banks	8,52,00	28,74,26
	iv)	Others	39301,22,04	35949 ,47,55
		SUB-TOTAL :	**68060,20,04**	**66763,03,55**
II.	**Advances outside India**			
	i)	Due from Banks	–	–
	ii)	Due from Others	–	–
		a) Bills Purchased and Discounted	–	–
		b) Syndicated Loans	–	–
		c) Others	–	–
		SUB-TOTAL :	**–**	**–**
		TOTAL (I & II)	**68060,20,04**	**66763,03,55**

SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

(` in thousand)

		As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
I.	**Premises (Including Leasehold)**		
	At cost/revalued as on 31st March of preceding year	870,78,24	858,21,73
	Revaluation during the period/year	346,66,97	-
	Additions during the period/year	5,09,69	12,56,51
		1222,54,90	**870,78,24**
	Less:Deductions during the period/year	-	-
	Depreciation to date	(207,32,41)	(187,13,69)
	SUB-TOTAL :	1015,22,49	683,64,55
II.	**Capital Work-in-Progress**	1,65,45	4,05,27
III.	**Other Fixed Assets (including Furniture & Fixture)**		
	At cost as on 31st March of preceding year	806,10,39	783,20,54
	Additions during the period/year	80,76,11	56 ,99,93
		886,86,50	840,20,47
	Less:Deductions during the period/year	(2,85,96)	(34,10,08)
	Depreciation to date	(694,06,03)	(629,19,33)
	SUB-TOTAL :	189,94,51	176,91,06
IV.	**Intangible Assets**		
	Software		
	At cost as on 31st March of preceding year	96,07,91	94,27,33
	Additions during the period/year	2,27,56	1,80,58
		98,35,47	96,07,91
	Less: Deductions during the period/year	–	–
	Amortisation to date	(94,25,92)	(83,27,47)
	SUB-TOTAL :	4,09,55	12,80,44
	TOTAL (I+II+III+IV)	**1210,92,00**	**877,41,32**

SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

(` in thousand)

		As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
I.	Inter-Office Adjustments (net)	–	–
II.	Interest accrued	1032,48,03	1094,35,11
III.	Tax Paid in advance/Tax deducted at source (Net)	825,29,71	713,14,91
IV.	Stationery and Stamps	8,06,08	8,80,63
V.	Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	–	–
VI.	Deferred Tax Assets (Net)	620,30,00	191,58,00
VII.	Others##	4625,44,95	4103,20,76
	TOTAL	7111,58,77	6111,09,41

As per RBI circular no.DBR.BP.BC.No.31/21.04.018/2015-16 dated July 16,2015, deposits placed with NABARD/SIDBI/NHB for meeting shortfall in Priority sector Lending by should be included under Schedule 11-"Other Assets" under the sub head 'others' of the Balance sheet.

SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(` in thousand)

		As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
I.	Claims against the bank not acknowledged as debts	9,01,59	8,78,98
II.	Liability for partly paid investments	19,06,81	30,45,28
III.	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	5365,94,84	2163,68,30
IV.	Guarantees given on behalf of constituents (net of cash margin) :		
a)	In India	3157,91,27	2670,14,10
b)	Outside India	1233,27,67	422,77,49
c)	BG invoked but not paid (in India)	4,63,83	4,63,83
V.	Acceptances, endorsements and other obligations (net of cash margin)	1768,67,31	1089,68,07
V**I.**	Other items for which the Bank is contingently liable	25,37,65	60,17,56
	TOTAL :	**11583,90,97**	**6450,33,61**

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2016

(` in thousand)

		Schedule	Year Ended 31.03.2016	Year Ended 31.03.2015
I.	**INCOME**			
	Interest Earned	13	9936,67,09	10180,47,77
	Other Income	14	1467,53,32	1746,91,15
	TOTAL :		**11404,20,41**	**11927,38,92**
II.	**EXPENDITURE**			
	Interest Expended	15	7656,11,36	7689,81,55
	Operating Expenses	16	1936,29,44	1809,62,82
	Provisions and Contingencies		2093,75,49	2171,95,33
	TOTAL :		**11686,16,29**	**11671,39,70**
III.	**PROFIT**			
	Net Profit for the year/period		-281,95,88	255,99,22
	TOTAL :		**-281,95,88**	**255,99,22**
IV.	**APPROPRIATIONS :**			
	Transfer to Statutory Reserve		-	63,99,81
	Transfer to Capital Reserve		18,63,87	1,14,67
	Proposed Dividend :			
	Equity		-	-
	PNCPS		-	-
	Tax on Dividend		-	-
	Transfer to Revenue Reserve		-300,59,75	190,84,75
	Balance carried forward to Balance Sheet		, ,0	-
	TOTAL :		**-281,95,88**	**255,99,22**
	Basic & Diluted Earning per Share (Rs.)		-3.36	3.78

This is the part of Profit & Loss Account as on 31.03.2016

P. Srinivas
Managing Director & Chief Executive Officer

Sanjay Arya
Executive Director

K. V. Rama Moorthy
Executive Director

Arnab Roy
Director

A. K. Dogra
Director

Pratyush Sinha
Director

Renuka Muttoo
Director

S. Suryanarayana
Director

Sanjay Kumar
General Manager & CFO

As per our separate report of even date attached

M/s. Ramamoorthy(N) & Co.
Chartered Accountants
FRN 002899S

CA Surendranath Bharathi
Partner
Membership No. 023837

M/s. Nundi & Associates.
Chartered Accountants
FRN 309090E

CA Soumen Nandi
Partner
Membership No. 059828

M/s. P C Bindal & Co.
Chartered Accountants
FRN 003824N

CA Samit Gupta
Partner
Membership No. 093783

M/s. S P M R & Associates.
Chartered Accountants
FRN 007578N

CA Pramod Kr. Maheshwari
Partner
Membership No. 085362

Date : 17.05.2016
Place : Kolkata

SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

(` in thousand)

		Year Ended 31.03.2016	Year Ended 31.03.2015
I.	Interest / Discount on Advances/Bills	6628,43,96	7040,82,88
II.	Income on Investments	3038,73,14	2879,32,28
III.	Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	38,43,56	90,16,79
IV.	Others	231,06,43	170,15,82
	TOTAL :	**9936,67,09**	**10180,47,77**

SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

(` in thousand)

		Year Ended 31.03.2016	Year Ended 31.03.2015
I.	Commission, Exchange and Brokerage	178,44,00	202,81,05
II.	Profit on sale of Investments	825,23,75	1168,64,72
	Less : Loss on sale of Investments	(151,46)	(90,30)
III.	Profit on revaluation of Investments	-	-
	Less : Loss on revaluation of Investments	-	-
IV.	Profit on sale of land, buildings and other assets	5,08	65,25
	Less : Loss on sale of land, buildings and other assets	(1,28)	(7,23)
V.	Profit on exchange transactions	136,06,64	97,64,10
	Less : Loss on exchange transactions	-	-
VI.	Income earned by way of dividend etc., from subsidiaries, companies and/or joint ventures abroad/in India	-	-
VII.	Miscellaneous Income	329,26,59	278,13,56
	TOTAL :	**1467,53,32**	**1746,91,15**

SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

(` in thousand)

		Year Ended 31.03.2016	Year Ended 31.03.2015
I.	Interest on Deposits	7184,17,47	7253,65,70
II.	Interest on Reserve Bank of India/inter-Bank borrowings	176,03,38	82,52,74
III.	Others	295,90,51	353,63,11
	TOTAL :	**7656,11,36**	**7689,81,55**

SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

(` in thousand)

		Year Ended 31.03.2016	Year Ended 31.03.2015
I.	Payments to and Provisions for Employees	1097,42,33	1038,28,51
II.	Rent, Taxes and Lighting	148,29,48	139.94,44
III.	Printing and Stationery	23,51,00	26,41,21
IV.	Advertisement and Publicity	6,23,43	5,61,73
V.	Depreciation on Bank's property	102,75,75	105,71,96
	Less : Transfer from Revaluation Reserve	–	–
		102,75,75	**105,71,96**
VI.	Directors' fees, allowances and expenses	1,32,25	1,15,69
VII.	Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fees and expenses)	15,70,94	14,60,23
VIII.	Law Charges	9,77,05	8,15,21
IX.	Postage, Telegrams, Telephones etc.	34,53,87	23,53,71
X.	Repairs and Maintenance	22,77,59	33,87,74
XI.	Insurance	118,19,33	103,38,11
XII.	Other Expenditure	355,76,42	308,94,28
	TOTAL :	**1936,29,44**	**1809,62,82**

SCHEDULE 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2016

1. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

The accompanying financial statements are prepared on historical cost basis, except as otherwise stated, following the "Going Concern" concept and conform to the Generally Accepted Accounting Principles(GAAP) in India, applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI), applicable mandatory Accounting Standards (AS)/Guidance Notes/ pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and practices prevailing in the banking industry in India.

2. USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions for considering the reported assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of financial statements and the income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

3. RECOGNITION OF INCOME AND EXPENDITURE

3.1 The Revenues and Expenses are accounted for on accrual basis unless otherwise stated.

3.2 Income from Performing Assets is recognized on accrual basis and income from Non-Performing Assets (NPAs) is recognized on realisation. The amount realised/recovered during the year is appropriated first to income on Sub-standard Assets. Amounts realized /recovered in Doubtful and Loss Assets and Suit Filed and Decreed Accounts are first appropriated against outstanding balances.

3.3 Unrealized income on advances, classified as NPA, is reversed.

3.4 Income from Commission (except on Government Transactions and Bancassurance), exchange, brokerage, claims, locker rent and dividend on shares are accounted for on cash basis.

3.5 Performance linked incentive to whole time directors is accounted for on cash basis.

4. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

4.1. Monetary Assets and Liabilities, excluding outstanding Forward Exchange Contracts in each currency, are revalued at the Balance Sheet date at closing spot rates announced by the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI). Outstanding forward exchange contracts are revalued at the forward rates announced by FEDAI. The difference between the revalued amount and the contracted amount is recognized as profit or loss, as the case may be.

4.2. Income and expenditure items are recorded at the exchange rates prevailing on the date of transaction.

4.3. Acceptances, endorsements and other obligations including guarantees are carried at the closing spot rates announced by FEDAI.

4.4. Representative Office of the Bank has been classified as 'Integral Foreign Operation' in accordance with AS-11 on "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates".

4.5. Foreign currency transactions relating to 'Integral Foreign Operation' are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount, the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.

4.6. Foreign currency non-monetary items that are carried in terms of historical costs are reported using the exchange rates on the dates of transactions.

5. INVESTMENTS

5.1 For the purpose of disclosure in the Financial Statements, the investments are classified into six categories as stipulated in Form A of the third schedule to the Banking Regulation Act, 1949 as under:

a) Government Securities
b) Other approved securities
c) Shares
d) Debentures and Bonds
e) Subsidiaries/Joint Ventures
f) Others

5.2 The Investment portfolio of the Bank is categorized, in accordance with the RBI guidelines, into:

a) "Held to Maturity" comprising Investments acquired with an intention to hold till maturity;
b) "Held for Trading" comprising Investments acquired with an intention to trade;
c) "Available for Sale" comprising Investments not covered by (a) and (b) above.

Classification of an investment is done at the time of acquisition.

5.3 In determining acquisition cost of an investment:

a) Brokerage, Commission and Incentives received on subscription to securities, are deducted from the cost of securities;

b) Brokerage, Commission etc. paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses;

c) Interest accrued upto the date of acquisition/ sale of securities i.e., broken period interest is credited/ charged to Profit and Loss Account.

5.4. The Bank follows "Settlement Date" for accounting of investment transactions. Investments are valued as per RBI/ Fixed Income Money Market & Derivatives Association (FIMMDA) guidelines, on the following basis:

a) "Held to Maturity" (HTM)

i) Investments under "HTM" category are carried at acquisition cost. Wherever the book value is higher than the face value/redemption value, the premium is amortized over the remaining period to maturity.

ii) Investments in Rural Infrastructure Development Fund, Short Term Co-operative Rural Credit Refinance Fund, Medium Small Micro Enterprise Refinance Fund – Small Industries Development Bank of India Limited, Medium Small Micro Enterprise Risk Capital Fund – Small Industries Development Bank of India Limited, Rural Housing Development Fund-National Housing Bank Limited, Micro Finance Development and Equity Fund - National Agricultural and Rural Development Bank Limited (classified as shares) are valued at carrying cost.

iii) Investments in sponsored Regional Rural Banks are valued at carrying cost.

iv) Investment in venture capital is valued at carrying cost.

b) "Held for Trading" and "Available for Sale"

a) Govt. Securities 1. Central Govt. Securities 2. State Govt. Securities	At prices published by FIMMDA On Yield to Maturity (YTM) basis by adding appropriate mark-up on the Base Yield Curve as per FIMMDA/RBI guidelines.
b) Discounted Instruments (Treasury Bills, Commercial Paper and Certificate of Deposits)	At carrying cost
c) Bonds and Debentures	On (YTM)basis by adding appropriate Credit Spread on the Base Yield curve as per FIMMDA/RBI guidelines.
d) Equity i) Quoted ii) Un-quoted	At market price At break-up value, as per latest Balance Sheet (not more than one year old), otherwise at Re 1/ per company.
e) Preference Shares	At market price, if quoted or YTM basis by adding appropriate mark-up on the base yield curve as per FIMMDA/RBI guidelines.
f) Security Receipt/Venture Capital Fund	At Net Asset Value (NAV) as per FIMMDA/RBI guidelines.
g) Mutual Funds	At Market Price, if quoted and at re-purchase price/NAV if unquoted.

5.5 Shifting of securities from and to "HFT" category is done in accordance with RBI guidelines with the approval of Board of Directors.

5.6. The individual scrip in the "HFT" and "AFS" category are marked to market at monthly or at more frequent intervals, if required. Under each category, net depreciation, if any, is provided for while net appreciation, if any, is ignored.

5.7. Income from Zero Coupon Bonds, being the difference between cost and face value, is recognized on a time proportion basis.

5.8. Profit or Loss on sale of investments in any category is taken to Profit and Loss Account. In case of profit on sale of Investments in "HTM" category, an equivalent amount is appropriated to "Capital Reserve Account" at the end of the year. For calculating the surplus / deficit on sale of securities, weighted average method is adopted.

5.9. For the purpose of calculating holding period in case of "HFT" category, First in First out (FIFO) method is applied.

5.10. Investments are subject to appropriate provisioning/ de-recognition of income, in line with the prudential norms of RBI for "Non Performing Investment" (NPI) Classification. The depreciation/provision in respect of non-performing securities is not set off against the appreciation in respect of the other performing securities in accordance with RBI guidelines.

5.11. The derivatives transactions are undertaken for trading or hedging purposes and valuation has been done in accordance with RBI guidelines.

5.12. The Bank has adopted the Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of Repo and Reverse Repo transactions.

6. FINANCIAL ASSETS SOLD TO ASSETS RECONSTRUCTION COMPANY (ARC)/ SECURITIZATION COMPANY (SC)

6.1 In the case of financial assets sold to ARC / SC, if the sale is for a value higher than the Net Book Value (NBV), the excess provision is not reversed but utilized for meeting any shortfall on account of sale of other financial assets to ARC/SC. If the sale is at a price below the NBV the shortfall after adjusting the available surplus if any, is debited to the Profit and Loss Account.

6.2 The sale of financial assets to ARC/SC is recognized in the books of the Bank at lower of either redemption value of the Security Receipts issued by the Trust created by the ARC/SC for such sale or the net value of such financial assets.

6.3 The Security Receipts are classified as Non-SLR Investment in the books of the Bank and accordingly the valuation, classification and other norms prescribed by RBI in respect of Non-SLR Securities are applicable.

6.4 In case of written off Assets sold to ARC/ SC, the cash proceeds are recognized as income.

7. ADVANCES

7.1. Advances are classified as Performing / Non-Performing Assets and provisions thereon are made in conformity with the prudential norms prescribed by RBI.

7.2. Non-performing assets are stated net of provisions and claims received from credit guarantee institutions.

7.3 Provision held for performing assets is shown under the head "Other Liabilities and Provisions".

7.4. Restructuring of Advances and provisioning thereof have been made as per RBI guidelines.

8. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

8.1. Premises (including leasehold), other fixed assets and Capital work in progress are stated at historical cost or amount substituted for historical cost. In case of revaluation, the same are stated at the revalued amount and the appreciation is credited to "Revaluation Reserve".

8.2 Leasehold assets are amortized over the period of lease.

8.3. Depreciation on assets other than computers and Automated Teller Machines (ATMs) is provided for under written down value method, in the manner and as per the rates prescribed under Schedule II to the Companies Act, 2013 after retaining 5% residual value.

Equivalent amount of depreciation on the revalued portion of the asset is transferred to General Reserves from Revaluation Reserve each year.

8.4. Depreciation on computers, ATMs and amortization of software are accounted for on straight-line method @33.33% on pro rata basis from the date of acquisition as per RBI guidelines.

8.5. Impairment Losses, if any, on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized in accordance with AS -28 on "Impairment of Assets".

9. ACCOUNTING FOR GOVERNMENT GRANTS

In accordance with AS-12 Government Grants/subsidies received is presented in the Balance Sheet by showing the Grant/Subsidy as a deduction from the Gross Value of the assets concerned in arriving at the book value. The grant/subsidy is recognized in the Profit & Loss Account over the useful life of the depreciable assets by way of reduced depreciation charged.

Government Grant subsidies received, of revenue nature, is recognized in the Profit & Loss Account by reducing the related cost if received during the same financial year otherwise, the same is shown under "Other Income" if received after the close of the relevant financial year.

10. EMPLOYEE BENEFITS

10.1 Employee Benefits are recognized in accordance with AS-15 on "Employee Benefits".

10.2 Short term employee benefits namely Leave Fare Concession and Medical Aid are measured at cost.

10.3 Long term employee benefits and post-retirement benefits namely gratuity, pension and leave encashment are measured on a discounted basis under the Projected Unit Credit Method on the basis of annual third party actuarial valuations.

10.4 In respect of employees who have opted for Provident Fund Scheme, matching contribution is made to a recognized Trust. For others who have opted for Pension Scheme, contribution to Pension Fund is based on actuarial valuation.

10.5 Long Term employee benefits recognized in the Balance Sheet represent the present value of the obligation as adjusted for unrecognized past service cost, if any, and as reduced by the fair value of plan assets, wherever applicable and actuarial gain / loss to the extent recognized in Profit and Loss Account.

10.6 The transitional liability in respect of long term employee benefits, including pension benefits, is recognized as an expense on straight line basis over a period of five years.

10.7 In terms of RBI circular, expenditure on "Re-opening of Pension option to employees of Public Sector Banks and enhancement of Gratuity limits-Prudential Regulatory Treatment" is being amortized over a period of five years.

11. TAXATION

Provision for tax is made for both current and deferred taxes in accordance with AS-22 on "Accounting for Taxes on Income".

12. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

In accordance with AS-29 on "Provisions Contingent Liabilities and Contingent Assets," the Bank recognizes:

a) Provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

b) Contingent Liability is recognized/disclosed when a possible obligation from a past event, the existence of which is confirmed by the occurrence/non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of bank. Contingent Liability is also recognized/disclosed when there is a present obligation from past events but is not recognized because of a remote possibility of outflow of resources embodying the economic benefits to settle the obligation or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made

c) Contingent Assets are not recognized in the Financial Statements.

13. NET PROFIT

The Net Profit is arrived at after accounting for the following:

a) Provision for Taxation

b) Provision on Standard Assets

c) Provision for NPAs and Depreciation on investments as per prudential norms of RBI

d) Other usual and necessary provisions.

This is the part of Schedule - 17 as on 31.03.2016

P. Srinivas
Managing Director & Chief Executive Officer

Sanjay Arya
Executive Director

K. V. Rama Moorthy
Executive Director

Arnab Roy
Director

A. K. Dogra
Director

Pratyush Sinha
Director

Renuka Muttoo
Director

S. Suryanarayana
Director

Sanjay Kumar
General Manager & CFO

As per our separate report of even date attached

M/s. Ramamoorthy(N) & Co.
Chartered Accountants
FRN 002899S

CA Surendranath Bharathi
Partner
Membership No. 023837

M/s. Nundi & Associates.
Chartered Accountants
FRN 309090E

CA Soumen Nandi
Partner
Membership No. 059828

M/s. P C Bindal & Co.
Chartered Accountants
FRN 003824N

CA Samit Gupta
Partner
Membership No. 093783

M/s. S P M R & Associates.
Chartered Accountants
FRN 007578N

CA Pramod Kr. Maheshwari
Partner
Membership No. 085362

Date : 17.05.2016
Place : Kolkata

SCHEDULE 18

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2016

1. Confirmation/reconciliation of balances with foreign branches, SBI and other Banks, NOSTRO Accounts, Drafts Payable, Clearing Difference, Inter office adjustments, etc. are in progress on an on-going basis. Pending final clearance/adjustment of the above, the overall impact, if any, on the Financial Statements, in the opinion of the management, is not likely to be significant.

2.1 **Capital**

a)

` in crore

Particulars	Basel-III Year ended		Basel-II Year ended	
	31.03.2016	**31.03.2015**	**31.03.2016**	**31.03.2015**
i) Common Equity Tier 1 Capital Ratio (%)	7.74	7.52	NA	NA
ii) Tier 1 capital ratio (%)	7.93	7.52	7.23	7.77
iii) Tier 2 Capital ratio (%)	2.15	3.05	3.23	3.65
iv) Total Capital ratio (CRAR) (%)	10.08	10.57	10.46	11.42
v) Percentage of the shareholding of the Government of India in the Bank's equity capital	82.00%	82.00%	82.00%	82.00%
vi) Amount of equity capital raised (` in Crores)	0	300.00	0	300.00
vii) Amount of Additional Tier 1 capital raised; of which	150	NIL	150	NIL
a) -PNCPS:	NIL	NIL	NIL	NIL
b) -PDI	150	NIL	150	NIL
viii) Amount of Tier 2 capital raised; of which: (` in Crores)	NIL	NIL	NIL	NIL
a) Debt capital instrument:	NIL	NIL	NIL	NIL
b) Preference Share Capital Instruments:	NIL	NIL	NIL	NIL

b) During the Financial year 2015-16, the Bank received an amount of Rs.480 Crores from Government of India on 30.03.2016 towards capital infusion. The bank is maintaining the same as "Share Application Money pending allotment" as on 31.03.2016. Bank has considered the same amount as part of Common Equity Tier1 (CET-1) capital fund as on 31.03.2016 as per the permission of Reserve Bank of India vide letter no: DBR.No.BP.12716/21.01.002/2015-16, dated 06.04.2016.

c) During the Financial Year 2015-16, Bank raised Additional Tier-1 capital of Rs.150.00 Crores through issuance of Basel-III compliant Non Convertible Perpetual Bonds (1500 nos.) having face value of Rs.10.00 lacs each in September,2015.

2.2 Investments ` in crore

Particulars	Year ended 31.03.2016	Year ended 31.03.2015
1 Value of Investments	44934.03	43440.04
i) Gross Value of Investments		
a) In India	44934.03	43440.04
b) Outside India	0.00	0.00
ii) Provision for Depreciation	210.64	194.55
a) In India	210.64	194.55
b) Outside India	0.00	0.00

Particulars	Year ended 31.03.2016	Year ended 31.03.2015
iii) Net Value of Investments	44723.38	43245.49
a) In India	44723.38	43245.49
b) Outside India	0.00	0.00
2 Movement of provision held towards depreciation on investments		
i) Opening balance	194.55	251.16
ii) Add: Provisions made during the Year	123.49	69.98
iii) Less: Write-off/Write-back of excess provision during the year	107.40	126.59
iv) Closing balance	210.64	194.55

a) As per RBI circular no.DBR.BP.BC.No.31/21.04.018/2015-16 dated July 16, 2015, deposits placed with NABARD/SIDBI/NHB for meeting shortfall in priority sector Lending amounting to Rs.3819.02 Cr(P.Y Rs. Rs.3357.62 Cr) has been excluded from investment and included under Schedule 11 – " Other Assets" under the sub head "others" of the Balance Sheet. Hitherto these were included under "Investments". Interest income on these deposits has been included under "Interest Earned-Others". Earlier such interest income was included under "Interest Earned-Income on Investment". The above change in classification has no impact on the profit of the Bank for the quarter and year ended 31st March, 2016 or the previous period presented.

b) In accordance with UDAY(Ujwal Discom Assurance Yojna) scheme of GOI, Ministry of Power for operational and financial turnaround of Power Distribution companies during the year 2015-16, the bank has subscribed to Non SLR SDL bond of Govt of Rajasthan of Rs231.78 Crores and DISCOM Bond of Jaipur and Jodhpur Vidyut Vitran Nigam of Rs.150 Crores. As per RBI circular dated DRB.BP.BC.No.11637/21.04.132/2015-16 dated 17th March 2016 and subsequent clarification by circular No DRB.BP.BC.No.14186/21.04.132/2015-16 dated 11th May 2016, those DISCOM bond will be converted into Non SLR SDL bond by 31st March 2017.In case of non conversion those will be classified as NPA with effect from the date of restructuring and to be provided accordingly.

2.2.1 Repo transactions (in face value terms) :

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on 31.03.2016
Securities sold under Repo				
i) Government securities	84.94	251.64	22.70	0.00
	(15.00)	(1929.00)	(262.78)	(584.00)
ii) Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Securities purchased under Reverse Repo				
i) Government securities	36.48	371.96	6.86	0.00
	(25.00)	(8700.00)	(474.77)	(140.00)
ii) Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)

Figures in brackets represent Previous Year's figures.

2.2.2 Non-SLR Investments Portfolio

(i) Issuer composition of Non-SLR Investments:

` in crore

S.No.	Issuer	Amount	Extent of 'Private Placement'	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PSUs	1100.17	1100.17	0.00	150.00	168.11
		(1282.75)	(1282.75)	(0.00)	(0.00)	(14.66)
2	Fls	383.82	383.82	0.00	0.00	9.63
		(3357.62)	(3357.62)	(0.00)	(0.00)	(3357.62)

` in crore

S.No.	Issuer	Amount	Extent of 'Private Placement'	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Banks	5789.19	5789.19	0.00	64.30	68.15
		(5570.54)	(5570.54)	(0.00)	(36.97)	(40.82)
4	Private Corporates	1096.01	1096.01	0.00	0.00	104.31
		(1491.52)	(1491.52)	(0.00)	(20.00)	(53.70)
5	Subsidiaries/Joint ventures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
6	Others (MF/CP/CD)	555.96	555.96	0.00	231.78	550.96
		(74.78)	(74.78)	(0.00)	(0.00)	(59.38)
7	Provision held towards	210.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	Depreciation / NPI	(194.55)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	Total (1 to 6) - (7)	**8714.51**	**8925.15**	**0.00**	**446.08**	**901.16**
		(11582.66)	**(11777.21)**	**(0.00)**	**(56.97)**	**(3526.18)**

Figures in brackets represent Previous Year's figures.

(ii) Non-performing Non-SLR Investments:

` in crore

Particulars	Year ended 31.03.2016	Year ended 31.03.2015
Opening balance	199.55	181.70
Addition during the Year	35.90	59.28
Reductions during the Year	68.75	41.44
Closing balance	166.69	199.54
Total provisions held	**128.55**	**110.63**

2.2.3 **Sale and Transfers to/from Held to Maturity (HTM) Category**

(a) Securities having book value of Rs.499.49 Crores (Previous year: Rs.257.48 Crores) were sold during the year from HTM Category.

(b) At the beginning of the year (i.e on13.04.2015), the Bank has shifted Central Govt. Securities having face value of Rs.1859.05 Crores (Book Value Rs.1861.73 Cr) and State Govt. Securities having face value of Rs.1260.90 Crores (Book Value Rs.1264.72 Cr) scrip wise from Held to Maturity (HTM) to Available For Sale (AFS) Category and Similarly the bank has shifted State Govt. Securities having Face value of Rs.1585.79 (Book Value of Rs.1680.75 Cr) from AFS to HTM category. This was with the approval of the Board of Directors.

(c) The value of sales and transfer of securities to/from HTM Category (excluding the exempted transfer) did not exceed 5% of book value of the Investment in HTM Category at the beginning of the year.

2.2.4 **Transactions involving Foreign Exchange**

Monetary Assets and liabilities, excluding outstanding Forward Exchange Contracts in each currency, except currency of Bangladesh (BDT 23,03,236.26 equivalent INR 15.80 lacs) which is valued at notional value due to non availability of spot rates, are revalued at the balance Sheet date at closing spot rates announced by the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI).

2.**3** **Derivatives**

2.3.1 **Forward Rate Agreement/Interest Rate Swap**

` in crore

Sl. No.	Particulars	Year ended 31.03.2016	Year ended 31.03.2015
(i)	The notional principal of swap agreements	NIL	NIL
(ii)	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	NIL	NIL
(iii)	Collateral required by the Bank upon entering into swaps	NIL	NIL
(iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	NIL	NIL
(v)	The fair value of the swap book	NIL	NIL

2.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

` in crore

Sl. No.	Particulars	Year ended 31.03.2016	Year ended 31.03.2015
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the Year (instrument-wise)	NIL	NIL
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as at 31st March (instrument-wise)	NIL	NIL
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NIL	NIL
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NIL	NIL

2.3.3 **Disclosures on risk exposure in derivatives**

A) Qualitative Disclosures

a) The Bank has undertaken derivative transactions in currency futures for trading (arbitrage) & hedging purposes.

b) Risk management of derivative transactions has been segregated into three functional areas namely,

i) Front-Office for undertaking transaction;

ii) Mid-Office for risk management and reporting; and

iii) Back-Office for settlement, reconciliation and accounting.

c) The risk measurement, reporting and monitoring function is undertaken by the mid-office. The Board of Directors is the apex body to oversee the overall risk measurement, monitoring and reporting functions of the Bank including derivative transactions through Risk Management Committee of the Board (RMCBOD). The bank also internally monitors risk management through in-house Risk management Committee, Asset Liability Committee (ALCO), Operational Risk Management Committee (ORMC) and Internal Committee on Investment (ICI).

d) Identification of underlying hedge items for hedging / mitigating credit risk, operational risk and market risk arising out of derivative transactions is done in accordance with the Board approved Integrated Treasury Policy. The customer related derivative transactions are covered with counter party banks, on back to back basis for identical amounts and tenure and the bank does not carry market risk for such transactions. However, during the year under review, bank has not used any derivative product to hedge its own portfolio.

e) The Integrated Treasury Policy prescribes accounting for hedge and non-hedge transactions, income recognition and valuation procedure for outstanding contracts. The income recognition is done as per AS-11 on "The Effects of changes in Foreign exchange Rates" and the guidelines issued by RBI / FEDAI from time to time. The integrated Treasury Policy also prescribes various limits such as Client Level Limits, Trading Member Level Limits, Net Open Position Limits for credit risk mitigation.

B. Quantitative Disclosures

` in crore

		Year ended 31.03.2016		Year ended 31.03.2015	
Sl. No.	Particulars	Currency Derivatives	Interest rate Derivatives	Currency Derivatives	Interest rate Derivatives
(i)	Derivatives (Notional Principal Amount)	NIL	NIL	NIL	NIL
	a) For hedging	NIL	NIL	NIL	NIL
	b) For trading	NIL	NIL	NIL	NIL
(ii)	Marked to Market Positions (1)	NIL	NIL	NIL	NIL
	a) Asset (+)	NIL	NIL	NIL	NIL
	b) Liability (-)	NIL	NIL	NIL	NIL
(iii)	Credit Exposure (2)	NIL	NIL	NIL	NIL
(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)	NIL	NIL	NIL	NIL
	a) on hedging derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL
	b) on trading derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL
(v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the Year	NIL	NIL	NIL	NIL
	a) on hedging	NIL	NIL	NIL	NIL
	b) on trading	NIL	NIL	NIL	NIL

2.4 Asset Quality

2.4.1 Non-Performing Assets

` in crores

Sl. No.	Particulars	Year ended 31.03.2016	Year ended 31.03.2015
(i)	**Net NPAs to Net Advances (%)**	9.04%	6.22%
(ii)	**Movement of NPAs (Gross)**		
a)	Opening Balance	6552.91	7118.01
b)	Addition during the Year	5011.05	4087.17
c)	Reduction during the Year	2092.95	4652.27
d)	Closing Balance	**9471.01**	**6552.91**
(iii)	**Movement of Net NPAs**		
a)	Opening Balance	4081.38	4664.11
b)	Addition during the Year	2919.68	3308.86
c)	Reduction during the Year	890.35	3891.59
d)	Closing Balance	**6110.71**	**4081.38**
(iv)	**Movement of provisions for NPAs** (excluding provisions on standard assets)		
a)	Opening Balance	2430.68	2399.24
b)	Addition during the Year	1769.17	792.12
c)	Reduction during the Year	848.10	760.68
d)	Closing Balance	**3351.75**	**2430.68**

2.4.2 Particulars of Accounts Restructured

Disclosure of Restructured Accounts (As on 31.03.2016)

(` in crore)

Sl No	Type of Restructuring ->		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification -> / Details		Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total
1	Restructured Accounts as on April of the FY (Opening figures)*	No. of borrowers	43	3	6	0	52	342	51	1920	2	2315	2063	201	6012	5	8281	2448	255	7938	7	10648
		Amount outstanding	4583.31	307.22	366.66	0	5257.18	111.26	64.89	108.08	0.01	284.24	3781.40	453.63	391.58	0.10	4626.71	8475.97	825.74	866.32	0.11	10168.14
		Provision thereon	379.59	23.34	11.70	0	414.63	3.59	2.16	1.41	0	7.16	143.84	28.27	4.18	0	176.29	527.02	53.77	17.29	0	598.08
2	Fresh restructuring during the year	No. of borrowers	0	0	0	0	0	93	4	0	0	97	4	1	0	0	5	97	5	0	0	102
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0	0.00	22.54	1.69	0	0	24.23	937.63	384.25	0.00	0	1321.88	960.17	385.94	0	0	1346.11
		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0	0.00	1.00	0.08	0	0	1.08	0.00	0.00	0.00	0	0.00	1.00	0.08	0	0	1.08
3	Upgradations to restructured standard category during the FY	No. of borrowers	0	0	0	0	0	8	-4	-4	0	0	83	-26	-57	0	0	91	-30	-61	0	0
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0	0	21.20	-20.76	-0.44	0	0	2.90	-1.21	-1.69	0	0	24.10	-21.97	-2.13	0	0
		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0	0	1.07	-1.05	-0.02	0	0	0.15	-0.06	-0.09	0	0	1.22	-1.11	-0.11	0	0
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of borrowers	0				0	0				0	0				0	0				0
		Amount outstanding	0				0	0				0	0				0	0				0
		Provision thereon	0				0	0				0	0				0	0				0

Disclosure of Restructured Accounts (As on 31.03.2016)

(` in crore)

Sl No	Type of Restructuring ->		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification -> / Details		Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total
5	Down-gradations of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	-18	12	6	0	0	-38	-1	39	0	0	-93	63	30	0	0	-149	74	75	0	0
		Amount outstanding	-1631.65	956.93	674.71	0	0	-22.37	-13.04	35.41	0	0	-638.54	607.37	31.17	0	0	-2292.56	1551.26	741.29	0	0
		Provision thereon	-27.88	22.87	5.01	0	0	-1.14	0.36	0.78	0	0	-3.61	3.08	0.53	0	0	-32.63	26.31	6.32	0	0
6	Write-offs of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	1	1	4	0	6	41	11	396	2	450	349	113	1011	1	1474	391	125	1411	3	1930
		Amount outstanding	0.00	25.70	312.41	0	338.11	5.27	10.24	18.75	0.01	34.27	381.91	267.32	158.62	0.03	807.88	387.18	303.26	489.78	0.04	1180.26
		Provision thereon	323.21	23.03	11.70	0	357.94	0.11	0.59	0.21	0	0.91	80.92	27.89	1.02	0	109.83	404.24	51.51	12.93	0	468.68
7	Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures)*	No. of borrowers	24	14	8	0	46	364	39	1559	0	1962	1708	126	4974	4	6812	2096	179	6541	4	8820
		Amount outstanding	2951.66	1238.45	728.96	0	4919.07	127.36	22.54	124.30	0	274.20	3701.48	1176.72	262.44	0.07	5140.71	6780.50	2437.71	1115.70	0.07	10333.98
		Provision thereon	28.50	23.18	5.01	0	56.69	4.41	0.96	1.96	0	7.33	59.46	3.40	3.60	0	66.46	92.37	27.54	10.57	0	130.48

* Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable)

1. The above disclosures, including sacrifice, are as compiled and certified by the Bank's Management.
2. The quantum of economic sacrifice during the year on the restructured assets has been calculated by the NPV Method as on 31.03.2016 for Standard Assets of Rs.10 lacs and above and for NPA of Rs.1 Crores and above. For the remaining assets, economic sacrifice has been provided @ 5% of outstanding balance.
3. Pursuant to RBI circular DBR.NO.BP.BC.27/21.04.018/2015-16 dated 2nd July 2015, the method of calculating discount rate for computing net present value of future cash flows for determination of erosion in fair value of advances, on restructuring was changed. Accordingly, there is a reduction in provisioning for diminution in fair value by Rs.467.61 Crores for the year ended 31st March, 2016.

2.4.3 Details of financial assets sold to Securitization/Reconstruction Company for Asset Reconstruction

` in crore

Sl.No.	Particulars	Year ended 31.03.2016	Year ended 31.03.2015
(i)	No. of accounts	10	NIL
(ii)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	357.35	NIL
(iii)	Aggregate consideration	386.90	NIL
(iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	3.40	NIL
(v)	Aggregate gain/(loss) over net book value	(+) 32.95	NIL

Particulars	Backed by NPAs sold by the bank as underlying		Backed by NPAs sold by other banks/ financial institutions/ non-banking financial companies as underlying		Total	
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
Book value of investments in security receipts	255.77	Nil	Nil	Nil	255.77	Nil

2.4.4 Details of Non-performing financial assets purchased/sold

A) Details of Non-performing financial assets purchased

` in crore

Particulars			Year ended 31.03.2016	Year ended 31.03.2015
1.	(a)	No. of accounts purchased during the year	NIL	NIL
	(b)	Aggregate Outstanding	NIL	NIL
2.	(a)	Of these, number of accounts restructured during the year	NIL	NIL
	(b)	Aggregate Outstanding	NIL	NIL

B) Details of Non-performing financial assets sold

` in crore

	Particulars	Year ended 31.03.2016	Year ended 31.03.2015
1.	No. of accounts sold	10	NIL
2.	Aggregate Outstanding	608.56	NIL
3.	Aggregate consideration received	386.90	NIL

2.4.5 Provision on Standard Assets

` in crore

Particulars	Year ended 31.03.2016	Year ended 31.03.2015
Provision towards Standard Assets	636.32	1060.09

2.4.6 In compliance with RBI directives on the Assets Quality Review(AQR) for their classification over the two quarters ending December 31,2015 and March 31, 2016, the Bank has made the classification of Advances and provisioning as per directives of RBI and IRAC norms.

2.4.7 In compliance to RBI letter no. DBR.NO.BP.13018/21.04.048/2015-16 dated 12.04.2016., Bank has provided a sum of Rs.41.14 Crores being 7.5% of the existing outstanding exposure of Rs.548.60 Crores as on 31.03.2016 under the food credit availed by State Government of Punjab.

2.5 Business Ratios

` in crore

	Item	Year ended 31.03.2016	Year ended 31.03.2015
(I)	Interest Income as a percentage to Working Funds	7.92%	8.43%
(ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.17%	1.42%
(iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.44%	1.99%
(iv)	Return on Assets	-0.22%	0.21%
(v)	Business (Deposits plus advances) per employee (`in Crore)	12.37	11.53
(vi)	Gross Profit/(Loss) per employee (`in Lacs)	12.09	15.98

2.6 Asset Liability Management

Maturity pattern of certain items of Assets and Liabilities*

` in crore

Assets/ Liabilities	Day 1	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 28 days	29 days to 3 months	Over 3 months & up to 6 months	Over 6 months & up to 1 Year	Over 1 Year & up to 3 Years	Over 3 Years & up to 5 Years	Over 5 Years	Total
Deposits	2122.18	3055.03	2110.22	1709.77	6019.23	7633.31	11174.80	20771.50	11930.87	49874.38	**116401.28**
	(1413.17)	*(2079.53)*	*(1425.33)*	*(1674.73)*	*(5655.58)*	*(5914.02)*	*(9876.22)*	*(21526.62)*	*(11192.06)*	*(48060.35)*	***(108817.60)***
Advances	632.06	409.85	303.43	732.58	3743.80	4930.84	4362.13	12822.54	10486.72	29636.24	**68060.20**
	(337.70)	*(3981.69)*	*(204.50)*	*(171.10)*	*(2892.05)*	*(3059.69)*	*(3952.02)*	*(27344.75)*	*(9684.68)*	*(15134.86)*	***(66763.04)***
Investments	2.62	74.01	164.82	302.23	3333.09	1598.75	1618.34	4430.78	5384.02	27814.72	**44723.38**
	(2.94)	*(133.76)*	*(49.14)*	*(262.91)*	*(4584.55)*	*(1111.40)*	*(1924.75)*	*(2697.77)*	*(7223.08)*	*(28612.81)*	***(46603.11)***
Borrowings	0.86	0.00	0.00	0.00	100.00	334.90	134.90	604.31	12.53	1725.00	**2912.51**
	(4.92)	*(260.00)*	*(324.00)*	*(0.00)*	*(300.00)*	*(210.41)*	*(200.76)*	*(812.19)*	*(369.62)*	*(1579.84)*	***(4061.73)***
Foreign Currency Assets	213.48	2235.22	34.47	88.17	1073.18	1145.81	954.26	364.26	0.00	19.02	**6127.87**
	(160.01)	*(923.32)*	*(113.90)*	*(84.62)*	*(729.87)*	*(892.90)*	*(1036.89)*	*(0.00)*	*(0.00)*	*(17.94)*	***(3959.45)***
Foreign Currency Liabilities	188.09	1289.80	466.81	25.59	1704.81	1108.49	941.55	387.10	14.03	0.00	**6126.27**
	(185.88)	*(401.91)*	*(111.75)*	*(33.09)*	*(1337.73)*	*(874.89)*	*(984.08)*	*(17.89)*	*(11.92)*	*(0.00)*	***(3959.14)***

**The above disclosures are as compiled and certified by the Bank's Management.*
Figures in bracket represent Previous Year's figures.

2.7. Exposures

2.7.1 Exposure to Real Estate Sector*

` in crore

	Category	Year ended 31.03.2016	Year ended 31.03.2015
a)	**Direct Exposure**		
i)	**Residential Mortgages –**		
	Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;	7632.64	6498.93
	of which, individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances	4495.48	3845.73
ii)	**Commercial Real Estate** – Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc., including non-fund based (NFB) limits)	272.40	376.88
iii)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures –		
a.	Residential	NIL	NIL
b.	Commercial Real Estate.	NIL	NIL
b)	**Indirect Exposure**		
	Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	3322.76	3227.12
	Total Exposure to Real Estate Sector	11227.80	10102.93
	***(**The above disclosures are as compiled and certified by the Bank's Management)		

2.7.2 Exposure to Capital Market*

` in crore

	Particulars	Year ended 31.03.2016	Year ended 31.03.2015
(i)	Direct Investments in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debts.	121.52	141.65
(ii)	Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investments in shares (including IPOs /ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds	NIL	NIL
(iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security.	1.65	2.61
(iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures / units of equity-oriented mutual funds does not fully cover the advances	NIL	NIL
(v)	Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers	NIL	11.25
(vi)	Loan sanctioned to corporate against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoters contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources	NIL	NIL
(vii)	Bridge loans to companies against expected equity flows / issues	NIL	NIL
(viii)	Underwriting commitments taken up by the Bank in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds	NIL	NIL
(ix)	Financing to stock brokers for margin trading	NIL	NIL
(x)	All exposures to venture capital funds (both registered and un registered)	68.68	72.66
	Total Exposure to Capital Market	**191.85**	**228.17**

***(**The above disclosures are as compiled and certified by the Bank's Management)

Bank has acquired shares of two companies amounting to Rs.19.97 Crores by conversion of debt into equity as part of a strategic debt restructuring which are exempt from Capital Market Exposure limits.

2.7.3 Risk Category-wise Country Exposure

The Bank has analyzed its risk exposure to various countries as on 31st March, 2016 and such exposure is less than the threshold limit of 1% of the total assets of the Bank. In terms of RBI guidelines, no provision is required for this exposure.

The position of risk category-wise country exposure is given below: ` in crore

Risk Category	Exposure (net) as at 31.03.2016	Provision held as at 31.03.2016	Exposure (net) as at 31.03.2015	Provision held as at 31.03.2015
Insignificant	159.31	0.00	129.33	0.00
Low	15.02	0.00	29.55	0.00
Moderate	3.32	0.00	6.59	0.00
High	0.00	0.00	0.00	0.00
Very High	0.00	0.00	0.00	0.00
Restricted	0.00	0.00	0.00	0.00
Off Credit	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**177.65**	**0.00**	**165.47**	**0.00**

2.7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL)/ Group Borrower Limits (GBL) exceeded by the Bank

` in crore

Sl. No.	Name of the Borrower	Exposure Ceiling		Limit Sanctioned		Outstanding as on	
		31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
A	Single Borrower						
(i)	Simplex Infrastructure Ltd.	Nil	942.08	Nil	1,025.00	Nil	782.81
(B)	Group Borrower	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

*In line with Bank's extant Lending Policy, the above breach of exposure ceiling was approved by the Board of Directors' at its meeting held on 30.05.2014.

2.7.5 Unsecured Advances :

` in crore

Particulars	2015-16	2014-15
Total amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as the rights, licenses, authority, etc.	133.31	141.83
Estimated value of such intangible collateral securities	186.65	200.47

2.8 **Penalty Imposed by RBI**

a) RBI under Sec 35 A of Banking Regulation Act 1949 and RBI Directive No 3158/09.39.00 (Policy) 2009-10 dated 19/11/2009 a penalty of Rs.0.05 Crores imposed on United Bank of India for the FY 2015-16.

3. **Disclosures as per Accounting Standards (AS) in terms of RBI guidelines:**

3.1. **AS 5 - Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in the Accounting Policies**

There is no change in accounting policy during the year. The impact of prior period items is immaterial in the opinion of the management.

3.2 **AS 9 - Revenue Recognition**

Revenue is recognized as per the Accounting Policies disclosed in Schedule 17.

3.3 **AS 10 – Accounting for Fixed Assets**

3.3.1 Accounting for Fixed Assets is done as per the Accounting Policies disclosed in Schedule 17.

3.3.2 During the year Bank has revalued the premises forming part of its Fixed Assets Schedule based on the reports of external independent Valuers. The surplus arising from the revaluation amounting to Rs. 346.67 Crores is credited to " Revaluation Reserve" under " Reserves and surplus" and 45% of the same has been reckoned in Tier 1 capital as per RBI guidelines.

3.4 AS – 12 Government Grants

During the year Rs.0.45 Crores has been received in the form of subsidies/grants/incentives from RBI and State Government as below:

` in crore

Sn.	Particulars	2015 - 16		2014 - 15	
		Revenue	Capital	Revenue	Capital
1.	Government Grants/Subsidy	0.45	0.00	0.62	0.15

3.5 AS – 15 Employee Benefits

Disclosure on accounting of employee benefits [as per AS-15 (revised)]

` in crore

a)	**Change in the present value of the obligations**	**Pension**	**Gratuity**	**Other Benefits ***
	Present value of obligation as at the beginning of the Year	3543.16	466.66	159.11
	Interest cost	263.75	34.20	12.45
	Current Service cost	428.75	27.84	42.51
	Benefits Paid	492.54	78.25	6.96
	Actuarial Loss/(Gain) on Obligation	698.09	14.40	-44.79
	Present value of Obligations at the end of the Year	4441.21	464.84	162.32
b)	**Change in Fair Value of Plan Asset**			
	Fair Value of Plan assets at the beginning of the Year	3445.40	476.59	157.69
	Expected Return on Plan Asset	306.64	42.32	14.00
	Employer's contribution	967.68	34.10	1.61
	Benefits Paid	492.54	78.25	6.96
	Actuarial Loss/(Gain) on Obligations	27.31	-33.51	0.0031
	Fair Value of Obligations at the end of the Year	4254.49	441.24	166.35
c)	**Estimated Present value of Obligations as at the end of the Previous Year**			
	Fair Value of Plan Assets at the end of the Year	4254.49	441.24	166.35
	Unfunded Net Liability recognized in Balance Sheet	-186.72	-23.60	4.03
d)	**Expenses Recognized in Profit and Loss**			
	Current Service Cost	428.75	27.84	42.51
	Interest Cost	263.75	34.20	12.45
	Expected return on Plan Asset	306.64	42.32	14.00
	Net Actuarial (Gain)/Loss recognized in the Year	670.78	47.91	-44.79
	Total Expenses recognized in Profit and Loss Account	1056.64	67.63	-3.83
e)	**Principal actuarial assumptions at the Balance Sheet Date (expressed as weighted average)**			
	Discount Rate	8.00%	8.00%	8.00 %
	Expected rate of return on Plan Assets	8.90%	8.88%	8.88%
	Method Used	**Projected Unit Credit Method**		

* Other Benefits include Privilege Leave, Casual leave, Sick Leave and LFC/LTC.
Note: The above statement is based on the report of the Actuary.

3.6 AS 17 - Segment Reporting

The Banks operations are classified into two primary business segments viz. "Treasury Operations" and "Banking Operations". The relevant information is given hereunder in the prescribed format:

Part A: Business Segments

` in crore

Business Segments	Treasury Operations		Banking Operations: Corporate/Wholesale Banking		Banking Operations: Retail Banking		Banking Operations: Other Banking Operations		Total	
Particulars	**Year ended 31.03.16**	**Year ended 31.03.15**	**Year ended 31.03.16**	**Year ended 31.03.15**	**Year ended 31.03.16**	**Year ended 31.03.15**	**Year ended 31.03.16**	**Year ended 31.03.15**	**Year ended 31.03.16**	**Year ended 31.03.15**
Revenue	4037	4235	4649	5064	2468	2439	19	18	11173	11756
Result	1243	1301	1106	1427	887	909	19	18	3255	3655
Unallocated expenses									1443	1227
Operating Profit									1812	2428
Income Taxes									(429)	198
Extraordinary										
profit/loss									-	-
Net Profit / (loss)									**(282)**	**256**
Other Information									-	-
Segment Assets	46823	43385	47059	46986	21001	19777	-	-	114883	110148
Unallocated Assets									14548	12879
Total Assets									**129431**	**123026**
Segment Liabilities	44764	41395	44973	44829	20067	18869	-	-	109804	105093
Unallocated										
Liabilities									13308	9521
Total Liabilities									**123112**	**123026**

Part B: Geographical Segment – Since the Bank does not have any overseas branch, reporting under geographical segment is not applicable.

3.7 Related Party Disclosures (AS-18) (*As Compiled by the management)*

3.7.1 Names of the related parties and their relationship with the Bank:
Associates:

Sl. No.	Name	
1.	Assam Gramin Vikash Bank	Regional Rural Bank
2.	Bangiya Gramin Vikash Bank	Regional Rural Bank
3 .	Manipur Rural Bank	Regional Rural Bank
4.	Tripura Gramin Bank	Regional Rural Bank

***Key Management Personnel**:*

Sl. No	Name	Designation
1.	Mr.P.Srinivas	Managing Director & Chief Executive Officer
2.	Mr. Sanjay Arya	Executive Director
3 .	Mr. K. Venkata Rama Moorthy	Executive Director (Join on 29.08.2015)
4 .	Mr. Deepak Narang	Executive Director (retired on 31.03.2015)
5.	Mr. Sanjib Pati	Director
6.	Mr. A.K. Dogra	Director
7.	Smt. Renuka Mutto	Director
8.	Mr. S. Suryanarayana	Director
9.	Mr. Arnab Roy	Director

Relatives of Key Management Personnel:

Sl. No	Name	Relative of:
1.	Smt. Neera Arya	Wife of Mr. Sanjay Arya

3.7.2 Related Party Disclosures

(` in crore)

Items/Related Party	Associates		Key Management Personnel		Relatives of Key Management Personnel		Total	
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
Borrowings	2053.00	1470.00	0.410	Nil	NIL	Nil	2053.41	1470.00
Deposit	1197.48	4348.42	0.34	0.76	0.04	0.30	1197.86	4349.48
Placement of deposits	NIL	NIL	NIL	Nil	NIL	Nil	Nil	Nil
Advances	2053.00	1470.00	NIL	0.11	NIL	Nil	2053.00	1470.11
Investments : Equity Shares Equity Shares	NIL	NIL	400 Nos	200 Nos	NIL	100Nos	400 Nos	200 Nos 100Nos
Shares of RRB	3.85	3.85	NIL	NIL	NIL	NIL	3.85	3.85
Bonds	64.30	36.97	NIL	NIL	NIL	NIL	64.30	36.97
Non-funded commitments	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	Nil	NIL	Nil
Leasing/HP arrangements availed	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	Nil	NIL	Nil
Leasing/HP arrangements provided	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	Nil	NIL	Nil
Purchase of fixed assets	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	Nil	NIL	Nil
Sale of fixed assets	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	Nil	NIL	Nil
Interest paid	150.66	316.70	0.00	0.03	NIL	Nil	150.66	316.73
Interest received	60.49	150.50	0.02	0.00	NIL	0.03	60.51	150.53
Rendering of services	NIL	NIL	NIL	Nil	NIL	Nil	NIL	Nil
Receiving of services :								
- Remuneration#	NIL	NIL	0.63	0.89	NIL	Nil	0.63	0.89
- Sitting Fees			0.15	0.06			0.15	0.06
Management contracts	NIL	NIL	NIL	Nil	NIL	Nil	NIL	Nil

#Remuneration Paid to Key Management Personnel:

Sl. No	Name	Designation	Item #	Year ended 31.03.2016 (in `)	Year ended 31.03.2015 (in `)
1.	Mr.P.Srinivas	Managing Director & Chief Executive Officer	Salary and emoluments	22,03,783.15	5,06,301.00
2.	Mr. Sanjay Arya	Executive Director	Salary and emoluments	24,58,617.85	21,16,054.00
3.	Mr. K.V. Rama Moorthy	Executive Director	Salary and emoluments	10,04,250.00	0.00
4.	Mr. Deepak Narang	Retired Executive Director	Incentive	5,50,000.00	21,94,130.00
5.	Sanjib Pati	Director	Salary and emoluments	7,80,822.38	6,52,171.00

Including performance linked incentive on cash basis.

Note: (a) No amount has been written off/written back in respect of dues from/to related parties.

(b) No provision is required in respect of dues to related parties.

3.8 Leases (AS-19) (As compiled by the Management)

a) Lease rent paid for operating leases are recognized as an expense in the Profit & Loss Account in the year to which it relates.

b) Future Lease Rent Payable for operating lease: (As compiled and certified by Management)

(` in crore)

Sl. No.	Particulars	As At	
		31.03.2016	31.03.2015
a.	Not later than 1 year	66.98	58.92
b.	Later than 1 year but not later than 5 years	228.20	201.66
c.	Later than 5 years	182.84	182.16
	Total	**478.01**	**442.74**
Amount charged to Profit & Loss Account		83.37	76.85

i) Future lease rents and escalation in the rent are determined on the basis of agreed terms.

ii) At the expiry of the initial lease term, generally the bank has an option to extend the lease for a further pre-determined period.

3.9 AS 20 - Earnings per Share

Particulars	Year ended	
	31.03.2016	31.03.2015
Net Profit/(Loss) after tax available for Equity Share Holders (` in crore)	(281.96)	255.95
Weighted Average number of Equity Shares	83,95,15,951	67,77,93,389
Basic and Diluted Earnings per Share (`)	(3.36)	3.78
Nominal Value per Share (`)	10.00	10.00

3.10 AS 21 - Consolidated Financial Statements/AS-23-Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements

The Bank does not have any subsidiary and as such, AS-21 and AS-23 are not applicable.

3.11 **AS 22 - Accounting for Taxes on Income**

(a) Provision for Tax during the year is given below: (` in crore)

Particulars	Year ended	
	31.03.2016	31.03.2015
Provision for Tax	Nil	339.26

(b) The major components of Deferred Tax Assets/Liabilities are as follows: (` in crore)

Particulars	Year ended	
	31.03.2016	31.03.2015
Deferred Tax Assets	705.36	263.61
Employees benefits	0.78	143.03
Other items	355.51	120.58
Depreciation on Fixed Assets	15.25	Nil
Provision on NPA	333.82	Nil
Deferred Tax Liabilities	85.05	72.03
Depreciation on fixed assets	Nil	Nil
Special Reserve u/s.36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961	76.14	72.03
Loss on Sale of Assets to ARC	8.91	Nil

(c) The bank has recognized Deferred Tax Assets of Rs. 333.82 Cr., Rs. 147.09 Cr and Rs. 14.24 Cr. on account of timing difference arising out of excess provision over & above the deduction for bad and doubtful debts, Funded Interest Term Loan and provision on Food Credit respectively under the provision of Income Tax acts 1961. Hitherto the same was not recognized.

3.12 **AS 28 - Impairment of Assets**

In the opinion of the Bank, there is no indication of any material impairment of fixed assets and consequently no provision is required.

3.13 **AS 29 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets**

Movements in significant Provisions and Contingent Liabilities have been disclosed at the appropriate places in the Notes forming part of the accounts.

4. **Additional Disclosures**

4.1 **Provisions and Contingencies**

The break-up of 'Provisions and Contingencies' shown under the head "Expenditures in Profit and Loss Account" is as under:

(` in crore)

Particulars	Year ended	
	31.03.2016	**31.03.2015**
Provisions for depreciation on Investment	(1.09)	(70.43)
Provision towards NPA(Loans and Advances)	1769.17	844.87
Provision towards Standard Assets including Restructured Standard Asset	(423.77)	325.82
Provision made towards Income Tax (Including Deferred Tax)	(428.73)	*339.26
Other Provisions and Contingencies		
- Provision for Employee Benefit (AS-15)	913.74	628.37
- Provision for Non -Performing Investments	44.01	20.11
- Floating Provision	(52.76)	(52.75)
- Provision for Others	273.18	136.70
Total	**2093.75**	**2171.95**

*Provision made towards Income Tax during the year includes reversal of excess provision of `78.85 Crores relating to previous years.

Pursuant to RBI Circular No RBI/2014-15/535 DBR.No.BP.BC.83/21.04.048/2014-15 dated 01.04.2015, the Bank has made a provison of Rs.62.38Crores (PY Rs.2.09 Crores) during the year ended 31st March 2016 in respect of frauds/suspected frauds and balance unprovided amount of Rs.53.74 Crores has been debited to Revenues & Other Reserves in terms of RBI circular No. RBI/2015-16/376DBR No.BP.BC.92.21/04.048/2015-16 dated 18th April 2016.The same will be reversed by debit to the Profit and Loss account in subsequent quarters in the next financial year.

4.2 **Floating Provisions (Countercyclical provisioning buffer)**

(` in Crores)

	Particulars	Year ended	
		31.03.2016	**31.03.2015**
a)	Opening Balance in the floating provisions account	52.76	105.51
b)	The quantum of floating provisions made during year	0.00	0.00
c)	Accounting for draw down made during the year	52.76	52.75
d)	Closing balance in the floating provisions account	0.00	52.76

In terms of clause 6.5(A)(a)(ii) of Reserve Bank of India's (RBI's) Master Circular No.DBR.No.BP.2/21.04.048/2015-16 dated 1st July,2015, the Bank has utilized its countercyclical/floating provisions held as at 1st April,2015 of Rs.52.76 Crores for adjustment of loss arising out of sale of assets, below the net book value, to Assets Reconstruction Company.

4.3 **Draw Down from Reserves**

Pursuant to RBI Circular No RBI/2014-15/535 DBR.No.BP.BC.83/21.04.048/2014-15 dated 01.04.2015, the Bank has drawn Rs.53.74 from Revenue Reserve against provision for Fraud/suspected fraud.

4.4 **Disclosure of complaints**

a) Customer Complaints

SI.No.	Particulars	Nos
(a)	Complaints pending at the beginning of the Year	517
(b)	Complaints received during the Year	47131
(c)	Complaints redressed during the Year	47176
(d)	Complaints pending at the end of the Year	472

b) Awards passed by the Banking Ombudsman

SI.No.	Particulars	Nos
(a)	Unimplemented Awards at the beginning of the Year	0
(b)	Awards passed by the Banking Ombudsman during the Year	2
(c)	Awards implemented during the Year	1
(d)	Unimplemented Awards at the end of the Year	1

4.5 **Disclosure of Letter of Comforts (LoCs) issued by the Bank**

a) During the current financial year the Bank has issued 510 nos LoCs (Previous Year 378) amounting to Rs.827.25 Crores (Previous Year Rs.5187.84 Crores) for providing Buyers Credit facility.

b) There are 237 nos (Previous Year 212) of outstanding LoCs as on 31.03.2016 amounting to Rs.388.46 Crores (Previous year Rs.312.71 Crores).

4.6 **Provision Coverage Ratio (PCR)**

The provision coverage ratio (PCR) for the Bank as on 31st March 2016 is 53.36 %.

4.7 **Bancassurance Business**

(` in crore)

Particulars	Year ended	
	31.03. 2016	31.03. 2015
Life Insurance Business	2.87	2.62
Non - Life Insurance Business	3.29	3.25
Mutual Funds	NIL	NIL
Others	0.06	0.11

4.8 **Concentration of deposits, Advances, Exposures and NPAs**

4.8.1 **Concentration of Deposits**

(` in crore)

Particulars	Year ended	
	31.03.2016	31.03.2015
Total Deposits of twenty largest depositors	4923.14	5380.65
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	4.23%	4.94%

4.8.2 **Concentration of Advances**

(` in crore)

Particulars	Year ended	
	31.03.2016	31.03.2015
Total Advances to twenty largest borrowers	11662.22	11767.46
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	16.33%	17.04%

4.8.3 **Concentration of Exposures**

(` in crore)

Particulars	Year ended	
	31.03.2016	31.03.2015
Total Exposure to twenty largest borrowers / Customers	15262.61	16225.81
Percentage of Exposure to twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the Bank on borrowers / customers	19.48%	15.08%

4.8.4 **Concentration of NPAs**

(` in crore)

Particulars	Year ended	
	31.03.2016	31.03.2015
Total Exposure to top four NPA accounts	1713.79	933.79

4.9 **Sector - wise NPAs**

(` in crore)

Sl. No.	Sector	31.03.2016			31.03.2015		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advance in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advance in that sector
A.	**Priority Sector**						
1.	Agriculture and Allied activities	9460.65	1126.96	11.91	8594.61	1322.96	15.39
2.	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	4428.16	989.71	22.35	5962.15	862.28	14.46
3.	Services - Retail Trade - Others	6044.90 2866.04 3178.86	881.18 567.28 313.90	14.57 19.79 9.87	6381.97 2539.47 3842.50	883.43 487.81 395.62	13.84 19.21 10.30
4.	Personal Loans	6074.33	188.68	3.11	5478.72	162.54	2.97
	Sub -Total(A)	***26008.04***	***3186.53***	***12.25***	***26417.45***	***3231.21***	***12.23***

(` in crore)

Sl. No.	Sector	31.03.2016 Outstanding Total Advances	31.03.2016 Gross NPAs	31.03.2016 Percentage of Gross NPAs to Total Advance in that sector	31.03.2015 Outstanding Total Advances	31.03.2015 Gross NPAs	31.03.2015 Percentage of Gross NPAs to Total Advance in that sector
B.	**Non -Priority Sector**						
1.	Agriculture and Allied activities	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
2.	**Industry**						
	- Iron & Steel	25690.72	5180.25	20.16	24020.93	2627.17	10.93
	- Power	4751.18	2413.21	50.79	5005.35	758.99	15.16
	- Others	9335.32	166.38	1.78	9484.11	-	-
		11604.22	2600.66	22.41	9531.47	1868.18	19.60
3.	Services	11769.29	883.15	7.50	10656.21	460.82	4.32
	- NBFC	6183.99	-	0.00	6010.08	-	-
	- Banking & Finance Other than NBFC	3293.34	-		3255.86	2.10	7.31
	- Others	2291.96	883.15	38.53	1420.27	458.72	32.30
4.	Personal Loans	6578.03	221.08	3.36	6572.24	233.54	3.55
	Sub -Total(B)	***44038.04***	***6284.48***	***14.27***	***41249.38***	***3321.53***	***8.05***
C.	**Food Credit (FCI)**	1365.92	Nil	Nil	1403.05	Nil	Nil
	Sub-Total (C)	***1365.92***	***Nil***	***Nil***	***1403.05***	***Nil***	***Nil***
	Total (A+B+C)	***71412.00***	***9471.01***	***12.63***	***69069.88***	***6552.74***	***9.49***

4.10 **Movement of NPAs**

(` in crore)

Particulars	Year ended 31.03.2016	Year ended 31.03.2015
Gross NPAs as on 1st April, 2015 /2014	6552.91	7118.01
Additions (Fresh NPAs) during the Year	5011.05	4087.17
Sub -total (A)	11563.96	11205.18
Less:		
(I) Upgradations	348.93	2655.01
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded a/cs)	541.42	1236.58
(iii) Technical/Prudential Write- offs	586.56	708.99
(iv) Write -offs other than those under (iii) above	62.86	51.69
(v) Sale of Assets upto 31st March 2016	553.18	-
Sub -total (B)	2092.95	4652.27
Gross NPAs as on 31st March, 2016 /2015 (A -B)	**9471.01**	**6552.91**

4.11 **Stock of technical write-offs and recoveries made thereon**

(` in crore)

Particulars	Year ended	
	31.03.2016	**31.03.2015**
Opening balance of Technical/Prudential written -off accounts as at April 1, 2015	3281.48	2650.10
Add: Technical/Prudential write -offs during the year	586.56	708.99
Sub - total (A)	3868.04	3359.09
Less: Recoveries made from previously technical/prudential written-off accounts during the year (B)	154.37	77.81
Clos ing balance as at March 31, 2016 /2 015	**3713.67**	**3281.48**

4.12 **Overseas Assets, NPAs and Revenue**

(` in crore)

Particulars	Year ended	
	31.03.2016	**31.03.2015**
Total Assets (Nostro balance)	61.93	25.45
Total NPAs	NIL	NIL
Total Revenue	7.49	2.47

4.13 **Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)**

(` in crore)

Year Ended 31.03.2016 Name of the SPV sponsored		Year Ended 31.03.2015 Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas	Domestic	Overseas
NIL	NIL	NIL	NIL

4.14. **Unamortised Pension and Gratuity Liabilities**

The bank does not have any unamortised Pension and Gratuity Liabilities

4.15 **Credit Default Swaps**

The Bank has not undertaken any Credit Default Swaps in the year 2015-16 as well as in the year 2014-15.

4.15 **Intra-Group Exposures**

(` in crore)

Sl No.	Particulars of Intra Group Exposures	As on	
		31.03.2016	**31.03.2015**
1	Total amount of intra-group exposures	Nil	Nil
2	Total amount of top -20 intra -group exposures	Nil	Nil
3	Percentage of intra- group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	Nil	Nil
4	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	Nil	Nil

4.16 **Transfer of Depositor Education and Awareness Fund (DFAF)**

(` in crore)

Particulars	As at	
	31.03.2016	31.03.2015
Opening balance of amounts transferred to DEAF	43.73	--
Add : Amounts transferred to DEAF during the year	14.16	43.73
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	-	--
Closing balance of amounts transferred to DEAF	57.89	43.73

4.17 **Unhedged Foreign Currency Exposure**

The incremental provision/Capital requirement is arrived by considering likely loss & EBID of the borrowers as per RBI guidelines.The Unhedged Foreign Currency Exposures, Incremental provisions and capital requirements that are provided by the bank as on 31 Mar 2016 are given below:

(` in crore)

Incremental Provisioning (over and above extant standard asset provisioning)	Incremental Capital requirement for Unhedged foreign currency exposures of borrowers
1.11	0.32

4.18 **Liquidity Coverage Ratio***

4.18.1 **Disclosure**

(` in Crore)

		31.03.2016		31.03.2015	
		Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)
High Quality Liquid Assets					
1.	**Total High Quality Liquid Assets (HQLA)**		21762.03		19542.76
Cash Outflows					
2.	**Retail deposits and deposits from small business customers, of which:**	89599.63	5251.08	82700.08	4880.35
(i)	Stable deposits	74177.73	3708.89	67793.25	3389.66
(ii)	Less stable deposits	15421.90	1542.19	14906.83	1490.69
3.	**Unsecured wholesale funding, of which:**	11578.57	7176.74	10475.77	6602.90
(i)	Operational deposits (all counterparties)	142.37	35.59	Nil	Nil
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	11436.20	7141.15	11436.20	6602.90
(iii)	Unsecured debt	0.00	0.00	Nil	Nil
4.	**Secured wholesale funding**	1729.00	0.00		Nil

(` in Crore)

		31.03.2016		31.0 3.2015	
		Total Unweighted Value (average)	**Total Weighted Value (average)**	**Total Unweighted Value (average)**	**Total Weighted Value (average)**
5.	**Additional requirements, of which**	12313.31	1800.99	3312.61	587.83
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	Nil	Nil	Nil	Nil
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	Nil	Nil	Nil	Nil
(iii)	Credit and liquidity facilities	6049.59	1160.28	3312.61	587.83
6.	Other contractual funding obligations	5918.97	295.95	336.33	336.33
7.	Other contingent funding obligations	344.75	344.75	4525.52	226.28
8.	**Total Cash Outflows**		**14228.81**		12633.69
Cash Inflows					
9.	Secured lending (e.g. reverse repos)	0.00	0.00	311.33	Nil
10.	Inflows from fully performing exposures	4719.22	4418.17	560.25	280.13
11.	Other cash inflows	1415.48	827.63	2714.35	2414.35
12.	**Total Cash Inflows**		**5245.80**	3585.93	2694.48
					Total Adjusted Value
21.	**TOTAL HQLA**		21762.03		19542.76
22.	**Total Net Cash Outflows**		8983.01		9939.21
23.	**Liquidity Coverage Ratio (%)**		242.26		196.62

LCR as on last four quarters of the FY: 2015-16	
Quarter Ended on	**LCR (%)**
June, 2015	210.63
September, 2015	209.56
December, 2015	212.44
March, 2016	242.26

* The above disclosures are as compiled and certified by the Bank's Management.

4.18.2 **Qualitative Disclosure around LCR**

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) standard aims to ensure that a Bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLAs) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by supervisor. Bank has implemented and is computing LCR since 1st January, 2015.

LCR is calculated as a ratio of HQLA to net cash outflow under stress scenario over the next 30 calendar days.

As per RBI guideline, Bank is required to maintain minimum 70% LCR as on 31.03.2016.

LCR of the Bank is assessed at 242.26% which is well above the minimum requirement as prescribed by the regulator.

4.19 a) Registration formalities are pending in case of two properties consisting of Rs.2.57 Crores, WDV as on 31.03.2016 Rs.2.37 Crores (Previous Year Rs.2.11Crores).

b) Premises include leased properties amounting to Rs.76.90 Crores (net of amortization) as at 31st March 2016(Previous Year Rs.75.87Crores).

5. Based on information available with the bank, there are few suppliers/services who are registered as Micro,Small or Medium Enterprise under the Micro,Small and Medium Enterprise development act 2006 (MSMED ACT, 2006)information in respect of micro and small enterprises as required by MSMED.

Sr. No.	Particulars	Current Year 31.03.2016	Previous Year 31.03.2015
1	Principal amount and interest due thereon remaining unpaid to any supplier as at the end of each accounting year: Principal : Interest :	 NIL NIL	 NIL NIL
2	The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of MSMED Act, 2006 along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year.	NIL	NIL
3	The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under MSMED Act, 2006.	NIL	NIL
4	The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year.	NIL	NIL
5	The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date, when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise for the purpose of disallowance as deductible expenditure under section 23 of the MSMED Act 2006.	NIL	NIL

6. Previous Year's figures have been regrouped / rearranged wherever considered necessary to make them comparable with those of the current year.

This is the part of Schedule-18 as on 31.03.2016

P. Srinivas
Managing Director & Chief Executive Officer

Sanjay Arya
Executive Director

K. V. Rama Moorthy
Executive Director

Arnab Roy
Director

A. K. Dogra
Director

Pratyush Sinha
Director

Renuka Muttoo
Director

S. Suryanarayana
Director

Sanjay Kumar
General Manager & CFO

As per our separate report of even date attached

M/s. Ramamoorthy(N) & Co.
Chartered Accountants
FRN 002899S

CA Surendranath Bharathi
Partner
Membership No. 023837

M/s. Nundi & Associates.
Chartered Accountants
FRN 309090E

CA Soumen Nandi
Partner
Membership No. 059828

M/s. P C Bindal & Co.
Chartered Accountants
FRN 003824N

CA Samit Gupta
Partner
Membership No. 093783

M/s. S P M R & Associates.
Chartered Accountants
FRN 007578N

CA Pramod Kr. Maheshwari
Partner
Membership No. 085362

Date : 17.05.2016
Place : Kolkata

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2016		(Rs.in '000)			
		For the year ended			
		31st March 2016		31st March 2015	
A	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**				
	Net Profit after Tax	(2,819,588)		2,559,922	
	Add: Income Tax	-		2,200,000	
Less:	MAT Recoverable	-		2,200,000	
	Add: Deffered Tax Assets	(4,287,300)		1,981,100	
	Profit before Tax	(7,106,888)		4,541,022	
	Adjustment for				
	Depreciation on Fixed Assets	1,027,575		1,057,196	
	Less: Amount drawn from Revaluation Reserve	(160,786)		(148,223)	
	Profit/Loss on Sale of Fixed Assets (Net)	380		5,802	
	Depreciation/Provision for Investments (Net)	(10,892)		(704,252)	
	Provision for Standard Assets	(4,237,700)		3,258,200	
	Provision for NPA Advances	17,691,700		8,448,700	
	Other Provisions (Net)	7,494,441		10,716,885	
	Interest on Subordinated Bonds	2,228,461		2,332,475	
	Operating Profit before changes in Operating Assets and Liabilities	**16,926,291**		**29,507,805**	
	Adjustment for net change in Operating Assets and Liabilities				
	Decrease/(Increase) in Investment	(14,767,993)		17,012,716	
	Decrease/(Increase) in Advances	(30,663,349)		(18,403,941)	
	Increase/(Decrease) in Deposits	75,836,775		(26,921,097)	
	Increase/(Decrease) in Borrowings	(8,492,233)		(3,985,063)	
	Decrease/(Increase) in Other Assets	(6,817,636)		(34,926,817)	
	Increase/(Decrease) in Other Liabilities & Provisions	(8,471,026)		(9,296,488)	
	Increase/(Decrease) in Revenue Reserve	(376,679)		42,153	
	Increase/(Decrease) in Other Reserve	1,812		-	
		23,175,962		**(46,970,732)**	
	Cash Generated from Operating Activities	-		-	
	Tax (Paid)/ Refund	1,100,000		(1,060,000)	
	Net Cash from Operating Activities (A)		24,275,962		(48,030,732)
B	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**				
	Fixed Assets (Net)	(896,326)		(449,783)	
	Net Cash from Investing Activities (B)		(896,326)		(449,783)
C	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**				
	Issue of Share Capital	4,800,000		(5,152,321)	
	Share Premium	-		8,152,321	
	Subordinate Bonds Issued	(3,000,000)		-	
	Interest on Subordinated Bonds	(2,228,461)		(2,332,475)	
	Net Cash from Financing Activities (C)		**(428,461)**		**667,525**
D	**Net increase in Cash and Cash equivalents (A+B+C)**		**22,951,175**		**(47,812,990)**
	Cash and Cash equivalents at the beginning of the year				
	Cash in hand	5,030,200		4,336,022	
	Balances with Reserve Bank of India	53,125,812		58,361,750	
	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	2,149,402	60,305,414	45,420,632	108,118,404
	Cash and Cash equivalents at the end of the year				
	Cash in hand	5,588,093		5,030,200	
	Balances with Reserve Bank of India	55,116,373		53,125,812	
	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	22,552,123	83,256,589	2,149,402	60,305,414

Note : The above cash flow statement has been prepared on the basis of indirect method.

This is the part of Cash Flow Statement as on 31.03.2016

P. Srinivas
Managing Director & Chief Executive Officer

Sanjay Arya
Executive Director

K. V. Rama Moorthy
Executive Director

Arnab Roy
Director

A. K. Dogra
Director

Pratyush Sinha
Director

Renuka Muttoo
Director

S. Suryanarayana
Director

Sanjay Kumar
General Manager & CFO

As per our separate report of even date attached

M/s. Ramamoorthy(N) & Co.
Chartered Accountants
FRN 002899S

CA Surendranath Bharathi
Partner
Membership No. 023837

M/s. Nundi & Associates.
Chartered Accountants
FRN 309090E

CA Soumen Nandi
Partner
Membership No. 059828

M/s. P C Bindal & Co.
Chartered Accountants
FRN 003824N

CA Samit Gupta
Partner
Membership No. 093783

M/s. S P M R & Associates.
Chartered Accountants
FRN 007578N

CA Pramod Kr. Maheshwari
Partner
Membership No. 085362

Date : 17.05.2016
Place : Kolkata

Pillar-3 Disclosure under Basel-III Norms as on 31.03.2016

Table DF-1: SCOPE OF APPLICATION

Name of the head of the Banking group to which the framework applies: United Bank of India

(i) Qualitative Disclosures:

a. List of group entities considered for consolidation.

Name of the entity/ Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes/no)	Explain the method of consoli-dation	Whether the entity is included under Regulatory scope of consolidation (yes/no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reason if consolidated under only one of the scopes of consolidation*
NIL						

* The Bank does not have any subsidiary and as such no consolidation is required.

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation.

Name of the entity/ Country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of Bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of Bank's investments in the Capital instruments of the entity	Total balance sheet assets(as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
NIL					

There are no group entities that are considered for consolidation under both the accounting scope of consolidation and regulatory scope of consolidation. The Bank has Four (4) Regional Rural Banks which are treated as associates for computation of capital adequacy ratio.

(ii) Quantitative Disclosures:

c. List of group entities considered for consolidation:

Name of the entity/country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
NIL			

d. The aggregate amount of Capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

Name of the subsidiaries/country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of Bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
NIL				

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk- weighted:

Name of the insurance entities /country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of Bank's holding in the total equity/ proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method.
Not Applicable				

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group:

Not Applicable as Bank does not have any subsidiary.

Table: DF-2:
Capital Adequacy

(i) Qualitative Disclosures:
Bank's approach to assess the adequacy of its capital to support its current and future activities.

- With a view to assess its overall capital adequacy in relation to the Bank's risk profile, to effectively manage its capital requirements and to meet the regulatory norms stipulated by RBI, the Bank has put in place a robust and well defined Risk Management Structure with due focus on capital optimization and the risk profile of its businesses.

- In line with RBI guidelines, the Bank is required to maintain CET1 ratio at 6.125% including capital conservation buffer (CCB) of 0.625% in the form of CET1 capital w.e.f 31st March 2016. Subsequent to which, the Bank is required to maintain Tier1 ratio at 7.625% and total Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) at 9.625% including CCB of 0.625%.

- Bank has complied with all the regulatory limits and minima as prescribed under Basel-III Capital regulations. Bank's Capital Adequacy Ratio on standalone basis was computed at as on 31.03.2016 with CET1 ratio of 7.74%, Tier-1 ratio of 7.93%, Tier -2 ratio of 2.15% and CRAR of 10.08% respectively.

- Bank maintains adequate capital to absorb the risk arising from financial and economic stress and also cushion the risk of loss in value of exposure, businesses etc. so as to protect the depositors and general creditors against losses.

- Under Basel-III norms, Bank has adopted the following methods for computing its CRAR :

    - Standardized Approach for Credit Risk.
    - Basic Indicator Approach for Operational Risk.
    - Standardized Duration Method for Market Risk.

- Bank has a well defined Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to comprehensively evaluate and document all types of risks and substantiate appropriate capital allocation. It's a forward looking process wherein the Bank calculates and calibrates its capital needs and resources in order to continue operations throughout a period of severely adverse conditions. The material risks are identified, measured and quantified so as to assess the level of capital required, commensurate with the institution's risk profile.

- To ensure smooth transition to Basel-III, appropriate transitional arrangements have been provided for meeting the minimum Basel-III capital ratios, full regulatory adjustments/deductions to the components of capital etc.

- Bank in its capital planning process, assesses the actual capital position of the Bank and the future required capital in terms of business planning and risk appetite and also the options available for raising capital along with the availability of headroom.
- On the basis of the business projection, Bank raises capital with the approval of the Board of Directors of the Bank.

To augment the Tier1 capital during the FY 2015-16:

- The Bank received an amount of `480 crore from Government of India on 30.03.2016 towards capital infusion. The Bank is maintaining the same as "Share Application Money pending allotment" as on 31.03.2016. Bank has considered the same amount as part of Common Equity Tier1 (CET-1) capital as on 31.03.2016 as per the permission of Reserve Bank of India vide letter no: DBR.No.BP.12716/21.01.002/2015-16, dated 06.04.2016.

- The Bank also raised Additional Tier-1 capital of `150.00 crore through issuance of Basel-III compliant Non Convertible Perpetual Bonds (1500 nos.) having face value of `10.00 lacs each in September, 2015.

Quantitative Disclosures :

(` crore)

a) Capital requirements for Credit Risk @ 9% of RWA	
• Portfolios subject to Standardised Approach:	5224.03
• Securitisation Exposures:	0.00
b) Capital requirements for Market risk:	
• Standardised Duration Approach;	
- Interest Rate Risk:	547.17
- Foreign Exchange Risk (including gold):	2.25
- Equity Risk:	76.16
c) Capital requirements for Operational Risk:	
• Basic indicator approach:	577.19
d) Common Equity Tier-1 Ratio (CET) (%)	7.74
Tier 1 Capital Ratio (%):	7.93
Total Capital Ratio (%):	10.08

Table DF-3
Credit Risk: General Disclosures

Qualitative Disclosures

(a) In order to reflect the actual financial health in its balance sheet, Bank has adopted definitions of past due and impaired (for accounting purpose) in line with the prudential norms for income recognition, asset classification and provisioning for the advance portfolio of the banks.

Non-Performing Assets (NPAs)

The Bank classifies its advances into performing and non-performing loans (NPL) in accordance with the extant RBI guidelines.NPA is defined as a loan or an advance where:

1. Interest and / or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
2. The account remains 'out of order' for a period of more than 90 days, in respect of an Overdraft/ Cash Credit (OD/CC),
3. The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
4. The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
5. The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

An account is treated as **'out of order'** if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power for more than 90 days. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as **'out of order'**.

Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

Further, NPAs are classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss assets based on the criteria stipulated by RBI.

- A Sub-Standard asset is one, which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months.
- An asset is classified as Doubtful if it has remained in the NPA category for more than 12 months.
- A Loss asset is one where loss has been identified by the Bank or its internal or external auditors or during RBI inspection but the amount has not been written off fully.

Non-Performing Investments (NPIs)

In respect of securities, where interest/principal is in arrears, the Bank does not reckon income on the securities and makes appropriate provisions for the depreciation in the value of the investment.

A non-performing investment (NPI), similar to a non-performing advance (NPA), is one where

1. Interest/installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
2. This applies mutatis-mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid.
3. In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at ` 1 per company on account of the non-availability of the latest balance sheet in accordance with the Reserve Bank of India instructions, those equity shares are also reckoned as NPI.
4. If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities issued by the same issuer is treated as NPI and vice versa.
5. The investments in debentures/bonds, which are deemed to be in the nature of advance, are subjected to NPI norms as applicable to investments.

- **Policy and Procedures**

The Bank has put in place well-structured Credit Risk Management system and developed various risk management policies like Lending Policy, Collateral Management Policy and Stress Testing Policy etc to address the credit risk of the Bank. The main objectives of the policies are to ensure that the operations are in line with the expectation of the management and the strategies of the top management are translated into meaningful directions to the operational level.

The Policies stipulate prudential limits on large credit exposures, standards for loan collateral, portfolio management, loan review mechanism, risk concentrations, risk monitoring and evaluation, provisioning and regulatory / legal compliance.

The Bank assesses the concentration risk by (a) fixing exposure limits for single and group borrowers (b) rating grade limits (c) industry wise exposure limits and (d) analyzing the geographical distribution of credit across the Zones. All the Zones are categorized under four segments namely North, South, East and West. Bank considers rating of a borrowal account as an important tool to measure the credit risk associated with any borrower and accordingly implemented software driven rating/scoring models across all Branches / Zonal Offices.

Credit Risk Management encompasses identification, assessment, measurement, monitoring and control of the credit exposures.

In the processes of identification and assessment of Credit Risk, the Bank has given utmost emphasis in developing and refining the Credit Risk Rating Models to assess the Counterparty Risk, by taking into account the various risks categorized broadly into Financial, Business, Industry, Project and Management Risks, each of which is scored separately.

The measurement of Credit Risk includes setting up exposure limits to achieve a well-diversified portfolio across dimensions such as companies, group companies, industries, collateral type and geography. For better risk management and avoidance of concentration of Credit Risks, internal guidelines on prudential exposure norms in respect of individual and group borrower, industry-wise exposure limit, sensitive sectors such as capital market, real estate etc., are in place. The Bank follows a well defined multi layered discretionary power structure for sanction of credit facilities.

The Bank has processes and controls in place in regard to various aspects of Credit Risk Management such as appraisal, pricing, credit approval authority, documentation, reporting and monitoring, review and renewal of credit facilities, managing of problem loans, credit monitoring, loan review mechanism etc.

Portfolio analysis of major industries/sectors at regular intervals is being undertaken to study the impact of that particular industry/sector on the credit portfolio of the Bank and on the prevalent market scenario. The portfolio analysis covers various aspects including quality of assets; compliance of exposure norms; levels of risk i.e. low, medium, high with corresponding yield and NPA level etc.

The Bank has put in place a Board approved Stress Testing Policy which involves the usance of various techniques to assess the Bank's potential

vulnerability to extreme but tenable stressed business conditions. As per the policy, Stress Testing on Liquidity Risk, Interest Rate Risk in the Banking Book, Foreign Exchange Risk, Credit Risk, Market Risk - impact on capital adequacy and profitability of the Bank is being conducted on Quarterly basis. The Capital maintained by the Bank is found to be adequate under such Stressed conditions as analyzed from time to time.

The Bank is conducting analysis on risk rating migration for large borrowal accounts. The Bank is reviewing various exposure norms fixed by RBI/Bank's Board on half-yearly basis. The Bank has developed a software based credit risk rating model for rating of its borrowal accounts.

Besides, the Bank has also put in place a policy on Credit Risk Mitigation Technique & Collateral Management with the approval of the Board which lays down the details of securities and administration of such securities to protect the interest of the Bank. These securities act as mitigants for the credit risk to which the Bank is exposed.

Quantitative Disclosures:

(` crore)

	Fund Based	Non Fund Based	Total
(b) Total gross credit exposures	71412.00	6873.14	78285.14
(c) Geographic distribution of exposure			
Overseas	Nil	Nil	Nil
Domestic	71412.00	6873.14	78285.14

(d) Industry Type Distribution of Exposures

(` crore)

Code	Name of the Industry	Fund Based Outstanding	Non- Fund Based Outstanding
1	Coal	0.00	0.00
2	Mining including coal	84.39	0.32
3	Iron & Steel	4751.18	291.01
4	Metal Products	74.90	0.08
5	All Engineering	1369.23	115.51
5.1	Of which Electronics	28.60	4.94
5.2	Of which Others	1340.63	110.57
6	Electricity	0.00	0.00
7	Textile	1510.41	124.74
7.1	Of which Cotton Textiles	304.42	116.50
7.2	Of which Jute Textiles	42.27	2.32
7.3	Of which Other Textiles	1163.72	5.93
8	Food Processing	1766.30	64.24
8.1	Of which Sugar	18.74	0.12
8.2	Of Which Tea	478.47	5.82
8.3	Of which Vegetable Oil & Vanaspati	54.92	0.16
8.4	Of which others	1214.17	58.15
9	Tobacco & Tobacco Products	334.05	1.39
10	Paper & Paper Products	122.91	20.21
11	Rubber & Rubber Products	190.64	26.70
12	Infrastructure	13241.12	1565.11
12.1	Of which Power	9335.32	442.04
12.2	Of which Telecommunications	803.86	2.71
12.3	Of which Roads & Ports	1950.98	942.15
12.4	Of which other Infra	1150.96	178.21

Code	Name of the Industry	Fund Based Outstanding	Non- Fund Based Outstanding
13	Cement	1056.74	43.45
14	Leather & Leather Products	204.32	3.73
15	Gems & Jewellery	426.40	71.46
16	Construction	1757.28	75.80
17	Petroleum	137.60	94.25
18	Automobiles including Trucks	605.65	1.01
19	Computer Software	14.46	0.51
20	Chemical, Dyes, Paints etc.	1149.36	91.16
20.1	Of which Fertilizers	194.51	0.00
20.2	Of which Petro-chemicals	473.79	81.36
20.3	Of which Drugs & pharmaceuticals	481.06	9.80
21	NBFC	6183.99	0.19
22	Other Industries	1185.21	3514.75
23	Residuary Other Advances (to balance with Gross Advances)	35245.86	767.52
24	**Total**	**71412.00**	**6873.14**

Fund-based and non-fund based exposure to the following industries exceeded 5% of total fund-based and total non-fund based exposure of the Bank respectively as on 31.03.2016.

Fund Based (FB) Exposure			Non-Fund Based (NFB) Exposure		
Sl	**Industry Name**	**% of total FB**	**Sl**	**Industry Name**	**% of total NFB**
1	Power	13.07	1	Roads & Port	13.71
2	NBFC	8.66	2	Power	6.43
3	Iron & Steel	6.65			

(e) Residual contractual maturity break down of assets

(` crore)

	Day1	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 28 days	29 days to 3 months	Over 3 months & upto 6 months	Over 6 months & upto 1 year	Over 1 year & up to 3 years	Over 3 years & up to 5 years	Over 5 years	Total
Advances	632	410	303	732	3744	4931	4362	12822	10487	29637	68060
Investments	3	74	165	302	3333	1599	1618	4431	5384	27814	44723
Foreign Currency Assets	214	2235	35	88	1073	1146	954	364	0	19	6128

f) Amount of NPAs (Gross)

(` crore)

Category	Amount
Sub-Standard	2506.56
Doubtful – 1	3161.30
Doubtful – 2	3333.25
Doubtful – 3	436.89
Loss	33.01
TOTAL	**9471.01**

(g)	Net NPAs	6110.71
(h)	NPA ratios	(in %)

(a) Gross NPAs to Gross Advances	13.26
(b) Net NPAs to Net Advances	9.04

(j) Movement of Specific & General Provisions

(` crore)

Movement of Provision	Specific Provisions	General Provisions
a) Opening balance as on 1st April, 2015	2430.68	1060.09
b) Provisions made upto 31st March, 2016	1769.17	18.76
c) Write-off/ Write-back of excess provisions	649.42	-
d) Other Adjustments	198.68	442.53
e) Closing balance at the end of 31st March, 2016 (a+b-c-d)	3351.75	636.32

(` crore)

(k) Amount of write-offs and recoveries that have been booked directly to the income statement	110.00

(` crore)

(l) Amount of Non-Performing Investments	166.69

(` crore)

(m) Amount of provision held for Non-Performing Investment	128.55

(n) Movement of provisions for depreciation on Investments

(` crore)

i) Opening balance as on 1st April, 2016	83.91
ii) Provisions made upto 31st March, 2016	-
iii) Write-off/ write-back of excess provisions	1.82
iv) Closing balance at the end of 31st March, 2016 (i+ii-iii)	82.09

(o) Industry Type Distribution of Specific & General Provisions

(` crore)

Sl.No	Name of the Industry	As on March 31,2016			For quarter ended March 31,2016	
		Gross NPA	Specific Provision	General Provision	Write Off	Specific Provision
1	Coal	-	-	-	-	-
2	Mining including Coal	17.99	0.14	0.14	-	-
3	Iron & Steel	2413.21	794.45	8.34	-	314.34
4	Metal Products	3.99	1.38	0.25	-	0.26
5	All Engineering	320.24	92.14	3.64	-	10.33
5.1	of which Electronics	13.73	6.77	0.04	-	1.66
5.2	of which Others	306.51	85.37	3.61	-	8.68
6	Electricity	-	-	-	-	-
7	Textile	761.28	186.75	2.15	-	116.29
7.1	of which Cotton Textiles	10.83	13.51	0.80	-	10.14
7.2	of which Jute Textiles	7.22	1.95	0.08	-	0.26
7.3	of which Other Textiles	743.23	171.29	1.26	-	105.89
8	Food Processing	319.68	113.28	5.22	-	19.23
8.1	of which Sugar	18.74	2.56	0.04	-	(0.04)
8.2	of Which Tea	20.78	5.23	1.80	-	1.84
8.3	of which Vegetable Oil & Vanaspati	34.75	24.54	0.07	-	12.21
8.4	of Which Others	245.41	80.95	3.31	-	5.23
9	Tobacco & Tobacco Products	41.91	19.36	0.98	23.50	(25.06)
10	Paper & Paper Products	7.50	2.68	0.37	-	0.12
11	Rubber & Rubber Products	32.45	12.65	0.42	-	(0.95)
12	Infrastructure	932.27	323.96	48.71	-	117.71
12.1	of which Power	166.38	41.52	36.01	-	25.10
12.2	of which Telecommunications	17.91	0.12	1.75	-	0.07
12.3	Of which Roads & Ports	424.89	179.10	8.71	-	30.40

S.No	Name of the Industry	As on March 31,2016			For quarter ended March 31,2016	
		Gross NPA	Specific Provision	General Provision	Write Off	Gross NPA
12.4	Of which other Infra	323.09	103.22	2.24	-	62.13
13	Cement	355.24	112.65	2.59	-	51.25
14	Leather & Leather Products	55.14	21.13	0.39	-	1.55
15	Gems & Jewellery	80.00	31.15	1.12	-	16.03
16	Construction	238.69	17.51	3.48	-	0.60
17	Petroleum	28.05	12.13	0.41	-	0.42
18	Automobiles including Trucks	5.42	2.01	2.35	-	0.12
19	Computer Software	8.57	4.87	0.01	-	(11.00)
20	Chemical, Dyes, Paints etc.	232.32	128.79	2.32	-	28.30
20.1	of which Fertilizers	0.63	0.24	0.77	-	(0.01)
20.2	of which Petro - chemicals	2.59	25.27	0.58	-	1.46
20.3	of which Drugs & Pharmaceuticals	229.10	103.29	0.97	-	26.85
21	NBFC	-	-	27.45	-	0.00
22	Other Industries	289.60	167.44	9.90	248.43	21.86
23	Residuary Other Advances (to balance with Gross NPA)	3327.46	1269.20	120.24	-	(63.57)
24	**Total**	9471.01	3313.66	224.11	271.93	597.86

(p) Geographic wise distribution of Gross NPA, Specific Provision & General Provision

(` crore)

Particulars	Overseas	Domestic	Total
Gross NPA	-	9471.01	9471.01
Specific Provision	-	3313.66	3313.66
General Provision	-	224.11	224.11

Table DF-4

Credit risk: Disclosures for portfolios subject to the standardized approach

Qualitative Disclosure

For portfolios under the standardized approach

As per RBI guidelines on Basel norms, Bank is using the External Ratings of the following domestic External Credit Rating Agencies (ECRA) accredited by RBI for the purpose of CRAR calculation:

1. CARE 2. CRISIL 3. ICRA 4. INDIA RATINGS (earlier known as FITCH) 5. BRICKWORK and 6. SMERA.

Ratings assigned by ECRA's is used for the following exposures:

- For Short Term Loan (STL), i.e for exposures with contractual maturity of less than one year (except Cash Credit, Overdraft and Revolving Credit) short term rating assigned is considered.
- For Long term Loan (LTL), i.e contractual maturity of more than one year and for domestic Cash Credit, Overdraft and Revolving credits, long term ratings are considered.

The ratings available in public domain are mapped according to mapping process as envisaged in RBI guidelines on the subject.
Bank uses external ratings for the purposes of computing the risk weighted assets as per the RBI norms. Bank also rates its clients internally using an internal rating model.

Quantitative Disclosures:

The table below discloses the amount of the Bank's Gross outstanding for credit exposures (both fund and non-fund) net of specific provision in three major risk buckets:

(` crore)

For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach, amount of a bank's outstanding (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted.	• Below 100 % risk weight: • 100 % risk weight: • More than 100 % risk weight:	39097.64 17695.51 11794.01

Table DF-5

Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardized Approaches

Qualitative Disclosures

(a) The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk mitigation including:

- **Policies and processes for and an indication of the extent to which the bank makes use of, on- and off-balance sheet netting;**
- **Policies and processes for collateral valuation and management:**

In line with the regulatory requirement, the Bank has put in place a policy on Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management with the primary objective of a) Mitigation of credit risks & enhancing awareness on identification of appropriate collateral taking into account the spirit of Basel- II & III norms/RBI guidelines and (b) Optimizing the benefit of credit risk mitigation in computation of capital charge as per approaches laid down in Basel- II & III norms /RBI guidelines. Valuation of collaterals is also addressed in the said policy. The Policy adopts the Comprehensive Approach, which allows full offset of collateral (after appropriate haircuts) against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the collateral.

- **Description of the main types of collateral taken by the bank:**

The main types of Collaterals usually recognized as Credit Risk Mitigants by the Bank under the Standardised Approach are (i) Bank Deposits, (ii) NSCs/KVP, (iii) Life Insurance Policies.

- **Main types of guarantor counterparty and their creditworthiness:**

For computation of CRAR, the types of guarantees recognized for taking mitigation by the Bank are as follows:

- Central Government Guarantee
- State Government Guarantee
- CGTMSE
- ECGC

- **Information about (market or credit) risk concentrations within the mitigation taken:**

The types of collaterals used by the Bank for mitigation purpose are easily realizable financial securities and are not affected by market volatility. As such, presently no limit / ceiling has been prescribed to address the concentration risk in credit risk mitigants recognized by the Bank.

Quantitative Disclosures:

(` crore)

(b) For each separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts.	68587.17
(c) For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees / credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI)	3011.04

Table DF-6
Securitization Exposures: Disclosure for Standardized Approach

Qualitative Disclosures: The Bank has not undertaken any securitization activity.
Quantitative Disclosures: NIL

Table DF-7
Market Risk in Trading Book

Qualitative disclosures

(a) Market Risk is defined as the potential loss that the Bank may incur due to changes / movements in the market variables such as interest rates, foreign currency exchange rates, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to market risk arises from investments (interest rate related instruments and equity related instruments) in trading book (both AFS and HFT categories) and the Foreign Exchange positions. The objective of the Market Risk management is to minimize the impact of losses on earnings and equity.

The Bank has put in place Board approved Asset Liability Management Policy and Investment Policy for effective management of Market Risk in the Bank. Risk Management and reporting is based on parameters such as a Modified Duration, Maximum permissible Exposures, Net Open Position limits, Gap limits, Value at Risk (VaR) etc, in line with the industry best practices.

Quantitative disclosures

(` crore)

(b) The capital requirements for:	
• Interest Rate Risk:	547.17
• Equity Position Risk:	76.16
• Foreign Exchange Risk:	2.25

Table DF-8
Operational Risk

Qualitative disclosures

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risks.

The Bank has formulated Operational Risk Management Policy duly approved by the Board. Supporting policies adopted by the Board which deal with management of various areas of operational risk are (a) Information System Security; (b) Know Your Customers (KYC), (c) Anti Money Laundering (AML) and (d) IT Business Continuity and Disaster Recovery Policy etc.

The Operational Risk Management Policy adopted by the Bank outlines organization structure and detailed processes for management of operational risk. The basic objective of the policy is to closely integrate operational risk management system into the day-to-day risk management processes of the Bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling / mitigating operational risks and by timely reporting of operational risk exposures, including material operational risk losses. Operational risks in the Bank are managed through comprehensive and well articulated internal control frameworks.

Calculation of Capital Charge

In line with RBI Guidelines, the Bank has adopted the Basic Indicator Approach for computing capital charge for Operational Risk. Under this approach average of previous 3 financial years' positive gross income is taken into consideration for arriving at Capital charge for Operational Risk. Accordingly, the capital requirement for Operational Risk as on 31.03.2016 is ` 577.19 Cr.

Table DF-9
Interest rate risk in the Banking Book (IRRBB)

Qualitative Disclosures:

(a) Interest rate risk refers to fluctuations in Bank's Net Interest Income and the value of its Assets and Liabilities arising from internal and external factors. Internal factors include the composition of the Bank's assets and liabilities, quality, maturity, interest rate and re-pricing period of deposits, borrowings, loans and investments. External factors cover general economic conditions. Rising or falling interest rates impact the Bank depending on Balance Sheet composition. Interest rate risk is prevalent on both the asset as well as the liability sides of the Bank's Balance Sheet.

The Asset-Liability Management Committee (ALCO) periodically monitors and controls the risks and returns, funding and deployment, setting Bank's lending and deposit rates and directing the investment activities of the Bank. The Bank identifies the risks associated with the changing interest rates through Earnings at Risk approach and Duration Gap approach.

Quantitative Disclosures

(b) The increase (decline) in earnings and economic value (or relevant measure used by management) for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB, is provided below:

INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK:

(` cr)

Particulars	Condition	Total
1. Earnings At Risk (EAR)	Increase by 200 bps	8.55
	Decrease by 200 bps	-8.55
2. Economic Value of Equity at Risk	Increase by 200 bps	278.27
	Decrease by 200 bps	-278.27

Table DF-10

General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

- **Qualitative Disclosures**

Counterparty Credit Risk is defined as the risk that the counterparty to a transaction could default before the final settlement of the transaction's cash flows and is the primary source of risk for derivatives and securities financing transactions.

Unlike a Bank's exposure to credit risk through a loan, where the exposure to credit risk is unilateral and only the lending bank faces the risk of loss, the counterparty credit risk is bilateral in nature i.e. the market value of the transaction can be positive or negative to either counterparty to the transaction and varying over time with the movement of underlying market factors.

The Banks exposure to counterparty credit Risk is covered under its Counterparty Credit Risk Policy. Bank ensures all the due diligence are to be adhered to viz. KYC norms, satisfactory dealing, credit worthiness of the party before extending any derivative products to the party and accordingly decides the level of credit risk mitigation required in the transaction.

Quantitative Disclosures

(` crore)

Particulars	Notional Amount	Current Credit Exposure
Forward Contracts	11327.45	90.07

Table DF-11

Composition of Capital- As on 31.03.2016

(` crore)

	Basel-III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e from 1st April, 2013 to December 31,2017)		Amounts subject to Pre-Basel-III treatment	Ref No
	Common Equity Tier 1 capital : Instruments and Reserves			
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	3398.34	-	A1+ A4+ B1
2	Retained earnings	-		
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	2412.28	-	B2+ B3
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies) Public sector capital injections grandfathered until 1 January 2018	-	-	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	-	-	
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**5810.62**	-	

Basel-III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e from 1st April, 2013 to December 31,2017) Common Equity Tier 1 capital : Instruments and Reserves			Amounts subject to Pre-Basel-III treatment	Ref No
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments				
7	Prudential valuation adjustments	0.00	-	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0.00	-	
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	3.28	0.82	L 2
10	Deferred tax assets	**164.29**	22.53	M 3
11	Cash-flow hedge reserve	0.00	-	
12	Shortfall of provisions to expected losses	0.00	-	
13	Securitization gain on sale	0.00	-	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0.00	-	
15	Defined-benefit pension fund net assets	0.00	-	
16	Investments in own shares (if not already netted-off paid-in capital on reported balance sheet)	0.00	-	
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	0.00	-	
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0.00	-	
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	0.00	-	
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	0.00	-	
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	0.00	-	
22	Amount exceeding the 15% threshold	0.00	-	
23	Of which: significant investments in the common stock of financial entities	0.00	-	
24	Of which: mortgage servicing rights	0.00	-	
25	Of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0.00	-	
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d+26e)	**(16.68)**	-	
26.a	Of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non- financial subsidiaries	0.00	-	
26.b	Of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial Entities which have not been consolidated with the bank	0.00	-	
26.c	Of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated Insurance Subsidiaries	0.00	-	
26.d	Of which: Un-amortised pension funds expenditures	0.00	-	
	Regulatory Adjustments Applied To Common Equity Tier 1 In Respect of amounts subject to Pre-Basel III Treatment	0.00	-	
	Of Which : Operating loss in the current period	0.00	-	C1
26.e	Regulatory Adjustment due to recognition of DTA and significant investments in CET1	(16.68)	-	

27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0.00	0.00	
28	**Total regulatory adjustments to Common equity Tier1**	**150.89**	-	
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1) (6-28)**	**5659.73**	-	
Additional Tier 1 Capital: Instruments				
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	150.00	-	D4
31	Of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00	-	
32	Of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	150.00	-	D4
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0.00	-	
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT 1)	0.00	-	
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	-	
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	150.00	-	
Additional Tier-1 Capital: Regulatory adjustments:				
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	0.00	-	
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	12.00	-	J1
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00	-	
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00	-	
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	0.00	-	
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	-	
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majorit owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	-	
	Regulatory Adjustments Applied To Additional Tier 1 In Respect of Amounts Subject To Pre-Basel 3 treatment	0.82	-	
	Of Which: Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	0.82	-	L 3
	Of Which: Deferred Tax Assets	0.00	-	
	Of Which: Unamortized Expenses for Pension Fund Expenditure	0.00	-	
	Of Which: Operating Loss in the current period	0.00	-	
	Of Which: Phasing out of PNCPS	0.00	-	
	Of Which: Investment in Non common equity capital instrument of associates (RRBs)	0.00	-	
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	0.00	- -	
43	**Total regulatory adjustments to Add. Tier 1 capital**	**12.82**		
44	**Additional Tier 1 capital (AT1)**	**137.18**	-	
44a	**Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy**	**137.18**	-	
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (row 29 + row 44a)**	**5796.91**	-	

Tier 2 capital: instruments and provisions				
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	500.00	-	D5
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	895.00	-	D 5
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0.00	-	
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	-	
50	Provisions & Revaluation Reserves	545.03	-	Template ref. no.-50
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	**1940.03**	-	
Tier-2 Capital: Regulatory Adjustments:				
52	Investments in own Tier 2 instruments	0.00	-	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	0.00	-	
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0.00	-	
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00	-	
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	367.49	-	
56a	Of Which: Investments in the Tier 2 capital of associates	57.49	-	
56b	Of Which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	-	
	Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in Respect of Amounts Subject To Pre-Basel III Treatment.	310.00	-	
	Of which: Phase out of Tier-2 Bonds	310.00	-	
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	**367.49**	-	
58	**Tier 2 capital (T2)**	**1572.54**	-	
58a	**Tier 2 capital reckoned for capital adequacy**	**1572.54**	-	
58b	Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital	0.00	-	
58c	**Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy row(58a+row58b)**	**1572.54**	-	
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (row 45+row 58c)**	**7369.45**	-	
60	**Total risk weighted assets (60a + 60b +60c)**		-	
60a	*of which: total credit risk weighted assets*	58044.81	-	
60b	*of which: total market risk weighted assets*	7819.76	-	
60c	*of which: total operational risk weighted assets*	7214.87	-	
Capital Ratios				
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.74	-	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.93	-	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	10.08	-	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	6.125	-	
65	of which: capital conservation buffer requirement	0.625	-	
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0.00	-	
67	of which: G-SIB buffer requirement	0.00	-	

68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	1.61	-	
National minima (if different from Basel III) Including CCB requirement				
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	6.125	-	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.625	-	
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.625	-	
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)				
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	0.00	-	
73	Significant investments in the common stock of financial entities	0.00	-	
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0.00	-	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	0.00	-	
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2				
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardized approach (prior to application of cap)	545.03	-	Template ref. no.-50
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardized approach	725.56	-	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	0.00	-	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	0.00	-	
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	NA		
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA		
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	NA		
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA		
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	NA		
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA		

Notes to the Template:

Row No of template Particular	Particular	` Cr
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses net of deferred tax liability	164.29
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of deferred tax liability	0.00
	Total as indicated in row 10	**164.29**
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	0.00
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Tier 2 capital	0.00
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	0.00
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	0.00
	(ii) Increase in risk weighted assets	0.00
44a	Excess Additional Tier 1 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Additional Tier 1 capital as reported in row 44 and admissible Additional Tier 1 capital as reported in 44a)	0.00
	of which: Excess Additional Tier 1 capital which is considered as Tier 2 capital under row 58b	0.00
50	Eligible provisions included in Tier 2 capital	545.03
	Eligible revaluation reserves included in Tier 2 capital	0.00
	Total of row 50	**545.03**
58a	Excess Tier 2 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Tier 2 capital as reported in row 58 and T2 as reported in 58a)	0.00

Table - DF 12
Composition of Capital - Reconciliation Requirements (Step-1)

(` crore)

Sl. No.	Particulars	Balance sheet as in financial statements As on 31.03.2016	Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on 31.03.2016
There is no difference between the regulatory consolidation and accounting			
A	**Capital & Liabilities**		
i	Paid-up Capital	839.51	839.51
	Share Application Money Pending Allotment	480.00	480.00
	Reserves & Surplus	4999.67	4999.67
	Minority Interest	-	-
	Total Capital	**6319.18**	**6319.18**
ii	**Deposits**	116401.28	116401.28
	Of which		
	Deposits from Banks	2439.65	2439.65
	Customer Deposits	40809.62	40809.62
	Other Deposits	73152.01	73152.01
iii	**Borrowings**	**2912.51**	**2912.51**
	Of which		
	From RBI	-	-
	From Banks	0.86	0.86
	From other institutions & agencies	2911.65	2911.65
	Others	-	-
	Capital instruments	-	-
iv	Other liabilities & Provisions	**3798.78**	**3798.78**
	Total	**129431.75**	**129431.75**

(` crore)

Sl. No.	Particulars	Balance sheet as in financial statements As on 31.03.2016	Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on 31.03.2016
There is no difference between the regulatory consolidation and accounting			
B	**Assets**		
i)	Cash and balances with RBI	6070.45	6070.45
	Balance with banks and money at call and short notice	2255.21	2255.21
ii)	Investments:	**44723.38**	**44723.38**
	Of which		
	Government Securities	36240.66	36240.66
	Other Approved Securities	-	-
	Shares	222.71	222.71
	Debentures & Bonds	2087.88	2087.88
	Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	-	-
	Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	6172.13	6172.13
iii)	Loans and advances	**68060.20**	**68060.20**
	Of which		
	Loans and advances to Banks	520.61	520.61
	Loans and advances to customers	67539.59	67539.59
iv)	Fixed Assets	**1210.92**	**1210.92**
v)	Other Assets	**7111.59**	**7111.59**
	Of which		
	Goodwill and intangible assets	-	-
	Deferred tax assets	620.30	620.30
vi)	Goodwill on consolidation	-	-
vii)	Debit balance in Profit & Loss account	-	-
	Total Assets	**129431.75**	**129431.75**

DF-12: Composition of Capital - Reconciliation Requirements-STEP 2

(` crore)

Sl. No.	Particulars	Balance sheet as in financial statements As on 31.03.2016	Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on 31.03.2016	Ref No.
A	**Capital & Liabilities**			
i)	Paid-up Equity Capital	839.52	839.52	A
	a) Of which amount eligible for CET1	839.52	839.52	A1
	b) of which amount eligible for AT1	0.00	0.00	A2
	Of which amount deducted from AT1	0.00	0.00	A3
	Share Application Money	480.00	480.00	
	Of which amount eligible for CET1	480.00	480.00	A4
	Reserves and Surplus	4999.67	4999.67	B
	Of which amount eligible for CET1: Share premium	2078.82	2078.82	B1
	Of which amount eligible for CET1: Statutory Reserves, Revenue Reserves and Capital Reserves	1996.18	1996.18	B2
	Of which amount eligible for Tier 2: Revaluation Reserves discounted @ 55%	416.10	416.10	B3
	Of which Capital that is not qualified as	508.57	508.57	B4
	Balance in Profit & Loss account	0.00	0.00	
	of which : deduction from CET-1	0.00	0.00	
	of which : deduction from AT1	0.00	0.00	
	Total Capital	**6319.18**	**6319.18**	
ii)	**Deposits**	116401.28	116401.28	
	Of which			
	Deposits from Banks	2439.65	2439.65	
	Customer Deposits	40809.62	40809.62	
	Other Deposits	73152.01	73152.01	
iii)	**Borrowings:**	2912.51	2912.51	D
	Of which			
	From RBI	0.00	0.00	D 1
	From Banks	0.86	0.86	
	From other institutions & agencies	2911.65	2911.65	D 2
	Of which Capital instruments	2375.00	2375.00	D 3
	Amount eligible for AT1	150.00	150.00	D4
	Amount eligible for Tier 2	1395.00	1395.00	D 5
	Capital that is not qualified as Regulatory Capital as per Basel-III	830.00	830.00	D6
	Of Which Others	0.00	0.00	D 7
	Other Borrowings	830.00	830.00	D 8
iv)	Other liabilities & provisions	**3798.78**	**3798.78**	E
	Of which			
	DTLs related to goodwill	0.00	0.00	
	DTLs related to intangible assets	0.00	0.00	
	Total Capitals & Liabilities	**129431.75**	**129431.75**	

(` cr)

Sl. No.	Particulars	Balance sheet as in financial statements As on 31.03.2016	Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on 31.03.2016	Ref No.
B	**Assets**			
i)	Cash and balances with RBI	6070.45	6070.45	
	Balance with banks and money at call and short notice	2255.21	2255.21	
	Total	**8325.66**	**8325.66**	
ii)	Investments:	**44723.38**	**44723.38**	F
	Of which			
	Government Securities	36240.66	36240.66	G
	Other Approved Securities	0.00	0.00	H
	Shares	222.71	222.71	I
	Debentures & Bonds	2087.88	2087.88	J
	Of Which: Reciprocal Cross Holding of AT1	15.00	15.00	J1
	Of Which: Reciprocal Cross Holding of Tier 2	0.00	0.00	J2
	Of Which: Investment in Non Common Equity Capital instruments of other Banks	57.49	57.49	J3
	Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	0.00	0.00	
	Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	6172.13	6172.13	K
iii)	Loans and advances	**68060.20**	**68060.20**	
	Of which			
	Loans and advances to banks	520.61	520.61	
	Loans and advances to customers	67539.59	67539.59	
iv)	Fixed Assets	**1210.92**	**1210.92**	L
	Of which Intangible assets	4.10	4.10	L 1
	Of Which deduction from CET1	3.28	3.28	L 2
	Of Which deduction from AT1	0.82	0.82	L 3
v)	Other Assets	**7111.59**	**7111.59**	M
	Of which			
	a) Goodwill and intangible assets	0.00	0.00	M 1
	b) Deferred Tax Assets (Net of DTL)	620.31	620.31	M 2
	Of Which deduction from CET1	164.29	164.29	M 3
	Of Which deduction from AT1	-	-	M 4
vi)	Goodwill on consolidation	-	-	M 5
	Total Assets	**129431.75**	**129431.75**	

Extract of Basel III common disclosure template (with added column) - Table on Composition of Capital - DF 11

Common Equity Tier 1 Capital: Instruments and Reserves			
Sl. No.	**Particulars**	**Component of regulatory capital reported by Bank**	**Source based on reference numbers / letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from Step-2**
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	3398.34	A1+A4+B1
2	Retained earning	0.00	
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	2412.28	B2+B3
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1(only applicable to non-joint stock companies)	0.00	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00	
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	5810.62	
7	Prudential valuation adjustments	0.00	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0.00	

TABLE-DF-13: Main Features Template for Regulatory Capital

Series-I : IPDI (BASEL-II)

1	Issuer	United Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg **identifier for private placement)**	INE695A09095
3	Governing law(s) of the instrument	Applicable Indian Laws and regulatory requirements
	Regulatory treatment	Capital Instrument
4	Transitional Basel III rules	Ineligible
5	Post-transitional Basel-III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Tier 1 Capital Instrument
8	Amount recognized in regulatory capital (` in Cr, as of 31.03.2016)	0.00
9	Par value of instrument	`10.00 lakh per Bond
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	05-12-2012
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	05.12.2022 with prior RBI approval
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	05.12.2022 with prior RBI approval
16	Subsequent call dates, if applicable Coupons / dividends	Not Applicable Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.27% (annual)
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Noncumulative
23	Convertible or non-convertible	Not Convertible
24	If convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, fully or partially	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinated to the claims of other creditors, depositors and subordinated debts of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	Fully derecognized, Does not have loss absorbency features.

Series-I: PDI (BASEL - III)

1	Issuer	United Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE695A08014
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
	Regulatory treatment	Capital Instrument
4	Transitional Basel III rules	Eligible
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Additional Tier 1 Capital Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (` in Cr, as of 31.03.2016)	150.00
9	Par value of instrument	` 10.00 lakh per Bond
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	29.09.2015
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	Not Applicable
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	The Issuer Call, which is discretionary, may or may not be exercised on the 5th anniversary from the date of Allotment or on any anniversary date thereafter.
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Every anniversary date of Allotment after expiry of 1st anniversary from the date of Allotment
	Coupons / dividends	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	11.95% (annual)
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Not Applicable
22	Non cumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	PONV Trigger Event or CET 1 Trigger Event, as applicable
32	If write-down, fully or partially	Fully or Partially on occurence of the PONV Trigger/CET1 Trigger, as applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Both
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	As per RBI guidelines
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to the claims of all depositors creditors and general creditors and subordinated debts of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

Series-I: Upper Tier 2 Subordinated Debts

1	Issuer	United Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE695A09061
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
	Regulatory treatment	Capital Instrument
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Tier 2 Capital Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (` in Cr, as of 31.03.2016)	345.00
9	Par value of instrument	` 10.00 lakh per Bond
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	18.06.2007
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	18.06.2022
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	18.06.2017
16	Subsequent call dates, if applicable	No
	Coupons / dividends	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	10.65% (Step up by 50 bps if call option is not exercised at the end of 10th year)
19	Existence of a dividend stopper	NA
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Non cumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, fully or partially	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	No Loss absorbency feature

Lower Tier 2 Subordinated Debts

Sl.	Lower Tier 2 Subordinated Debts	Series-III
1	Issuer	United Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE695A09038
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
	Regulatory treatment	Capital Instrument
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/group & solo	Solo
7	Instrument type	Tier 2 Capital Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (` Cr, as of 31.03.2016)	0.00
9	Par value of instrument	` 10.00 lakh per Bond
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	29.03.2006
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	29.04.2016
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	No
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.00% (semi-annual)
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Non cumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, fully or partially	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	No Loss Absorbency feature

Sl.	Lower Tier 2 Subordinated Debts	Series-IV	Series-V
1	Issuer	United Bank of India	United Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE695A09046	INE695A09053
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment	Capital Instrument	Capital Instrument
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/group & solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Tier 2 Capital Instruments	Tier 2 Capital Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (` Cr, as of 31.03.2016)	0.00	20.00
9	Par value of instrument	` 10.00 lakh per Bond	` 10.00 lakh per Bond
10	Accounting classification	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	16.08.2006	27.03.2007
12	Perpetual or dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	16.08.2016	27.04.2017
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	No	No
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.25% (semi-annual)	10.10% (annual)
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable	Not Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable	Not Applicable
30	Write-down feature	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable	Not Applicable
32	If write-down, fully or partially	Not Applicable	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	No Loss Absorbency feature	No Loss Absorbency feature

Sl.	Lower Tier 2 Subordinated Debts	Series-VI	Series-VII
1	Issuer	United Bank of India	United Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE695A09079	INE695A09087
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment	Capital Instrument	Capital Instrument
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/group & solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Tier 2 Capital Instruments	Tier 2 Capital Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (` Cr, as of 31.03.2016)	100.00	120.00
9	Par value of instrument	` 10.00 lakh per Bond	` 10.00 lakh per Bond
10	Accounting classification	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	25.03.2009	28.12.2011
12	Perpetual or dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	25.03.2019	28.12.2021
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	No	No
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.30% (annual)	9.20% (annual)
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable	Not Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No
22	Non cumulative or cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable	Not Applicable
30	Write-down feature	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable	Not Applicable
32	If write-down, fully or partially	Not Applicable	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	No Loss Absorbency feature	No Loss Absorbency feature

Series - VIII : Lower Tier 2 Subordinated Debts

1	Issuer	United Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE695A09103
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
	Regulatory treatment	Capital Instrument
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Tier 2 Capital Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (` in Cr, as of 31.03.2016)	500.00
9	Par value of instrument	` 10.00 lakh per Bond
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	25.06.2013
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	25.06.2023
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not Applicable
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.75% (annual)
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Non cumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	On occurrence of the PONV Trigger as decided by RBI
32	If write-down, fully or partially	Fully or partially on occurrence of the PONV Trigger as decided by RBI.
33	If write-down, permanent or temporary	Permanent / Temporary on occurrence of the PONV Trigger as decided by RBI.
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Bank may undertake any of the following action at the PONV with the approval of RBI. a. Temporary/permanent write-off in cases where there is no public sector injection of capital b. Permanent write-off in cases where there is public sector injection of capital.
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

Table DF-14

Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

Instruments	Full Terms and Conditions	
Innovative Perpetual Debt Instrument (IPDI) Series-I under Basel - II norms Unsecured, Non Convertible, Subordinated perpetual Debt instruments- Tier 1 Bonds	Date of Allotment	05.12.2012
	Date of Redemption	05.12.2022 with prior approval of RBI
	Tenure (months)	Perpetual
	Issued Size (` in Cr)	300.00
	Coupon Rate (Annual)	9.27%
	Rating	A- by CARE and A by CRISIL
	Special Features: No Put and Step - up Option. Call Option by the Bank after 10 years with prior approval of RBI.	
Perpetual Debt Instrument (PDI) Series - I under Basel - III norms Unsecured, Non Convertible, Subordinated perpetual Debt instruments - Tier 1 Bonds	Date of Allotment	29.09.2015
	Date of Redemption	Perpetual
	Tenure (months)	Perpetual
	Issued Size (` in Cr)	150.00
	Coupon Rate (Annual)	11.95%
	Rating	IND A-
	Special Features: 1. No Put Option. The issuer Call, which is discretionary, may or may not be exercised on the fifth anniversary from the date of allotment or any anniversary date thereafter.	
Upper Tier -2 Bonds, Series-I Unsecured, Redeemable Non Convertible Subordinated **Upper Tier -2 Bonds**	Date of Allotment	18.06.2007
	Date of Redemption	18.06.2022
	Tenure (months)	180 (months)
	Issued Size (` in Cr)	575.00
	Coupon Rate (Annual)	10.65%
	Rating	A- By CARE and A- By ICRA
	Special Features: 1. No Put Option. Call Option by the Bank after 10 years with prior approval of RBI. 2. Step - up Option. If the Bank does not exercise Call Option after 10 years, the Bonds carry a step - up - option of 50 bps during the remaining period of 5 years. 3. Lock - in - clause on payment of periodic interest and event Principal at maturity, if CRAR is below the minimum regulatory CRAR, prescribed by RBI. 4. Not redeemable without the consent of Reserve Bank of India.	

Instruments	Full Terms and Conditions
Lower Tier -2 Bonds, Series-III Unsecured, Redeemable Non Convertible Subordinated Lower Tier -2 Bonds	Date of Allotment: 29.03.2006 Date of Redemption: 29.04.2016 Tenure (months): 121 Issued Size (` in Cr): 100.00 Coupon Rate (Semi-Annual): 8.00% Rating: A+ by CARE and A+ by ICRA **Special Features:** 1. Plain vanilla Bonds with no special features like put or call option etc. 2. Not redeemable without the consent of Reserve Bank of India.
Lower Tier -2 Bonds, Series-IV Unsecured, Redeemable Non Convertible Subordinated Lower Tier -2 Bonds	Date of Allotment: 16.08.2006 Date of Redemption: 16.08.2016 Tenure (months): 120 Issued Size (` in Cr): 200.00 Coupon Rate (Semi-Annual): 9.25% Rating: A+ by CARE and A+ by ICRA **Special Features:** 1. Plain vanilla Bonds with no special features like put or call option etc. 2. Not redeemable without the consent of Reserve Bank of India.
Lower Tier -2 Bonds, Series-V Unsecured, Redeemable Non Convertible Subordinated Lower Tier -2 Bonds	Date of Allotment: 27.03.2007 Date of Redemption: 27.04.2017 Tenure (months): 121 Issued Size (` in Cr): 100.00 Coupon Rate (Annual): 10.10% Rating: A+ by CARE and A+ by ICRA **Special Features:** 1. Plain vanilla Bonds with no special features like put or call option etc. 2. Not redeemable without the consent of Reserve Bank of India.

Instruments	Full Terms and Conditions	
Lower Tier -2 Bonds, Series-VI Unsecured, Redeemable Non Convertible Subordinated Lower Tier -2 Bonds	Date of Allotment	25.03.2009
	Date of Redemption	25.03.2019
	Tenure (months)	120
	Issued Size (` in Cr)	250.00
	Coupon Rate (Annual)	9.30%
	Rating	A+ by CARE and A+ by ICRA
	Special Features: 1. Plain vanilla Bonds with no special features like put or call option etc. 2. Not redeemable without the consent of Reserve Bank of India.	
Lower Tier -2 Bonds, Series- VII Unsecured, Redeemable Non Convertible Subordinated Lower Tier -2 Bonds	Date of Allotment	28.12.2011
	Date of Redemption	28.12.2021
	Tenure (months)	120
	Issued Size (` in Cr)	200.00
	Coupon Rate (Annual)	9.20%
	Rating	A+ by CARE and AA- by CRISIL
	Special Features: 1. Plain vanilla Bonds with no special features like put or call option etc. 2. Not redeemable without the consent of Reserve Bank of India.	
Lower Tier -2 Bonds, Series-VIII Unsecured, Redeemable Non Convertible Subordinated Lower Tier -2 Bonds	Date of Allotment	25.06.2013
	Date of Redemption	25.06.2023
	Tenure (months)	120
	Issued Size (` in Cr)	500.00
	Coupon Rate (Annual)	8.75%
	Rating	AA- by CRISIL & AA- by BRICKWORK
	Special Features: 1. Instrument is subjected to Loss Absorbency features applicable for non equity Capital instruments. 2. Instrument, may at the option of the RBI either be permanently written off or temporarily written off on the occurrence of the trigger event called Point of Non Viability (PONV). 3. Claims of the investors in this instrument shall be senior to the claims of Investors in Instruments eligible for inclusion in Tier-1 Capital, subordinate to the claims of all Depositors and general Creditors of the Banks.	

Table DF-15
Disclosure Requirement for Remuneration

Qualitative & Quantitative Disclosure: Not Applicable

Table DF-16
Equities – Disclosure for Banking Book Positions

Qualitative Disclosure: General qualitative disclosure requirement with respect to Equity Risk.

- In accordance with the RBI guidelines on investment classification and valuation, Investments are classified on the date of purchase into "Held for Trading" (HFT), "Available for Sale" (AFS) and "Held to Maturity" (HTM) categories. Investments which the Bank intends to hold till maturity are classified as HTM securities. In accordance with RBI guidelines, equity investments held under the HTM category are classified as banking book for capital adequacy purpose.

- Investments in equity of subsidiaries and joint ventures are required to classified under HTM category in accordance with the RBI guidelines. These are held with a strategic objective to maintain strategic relationships or for strategic business purposes.

- Investments classified under HTM category are carried at their acquisition cost and not marked to market. Any diminution, other than temporary, in the value of equity investments is provided for. Any loss on sale of investments in HTM category is recognised in the Statement of Profit and Loss. Any gain from sale of investments under HTM category is recognised in the Statement of Profit and Loss and is appropriated, net of taxes and statutory reserve, to "Capital Reserve" in accordance with the RBI Guidelines.

Quantitative Disclosures:

Sl. No.	Particulars	` cr
1	Equity Investments in Banking Book	
	a) Value disclosed in the balance sheet of investments	3.85
	b) Fair value of the investments	3.85
	As per RBI guidelines investment in RRB is to be valued at carrying cost (i.e. book value) on a consistent basis.	
2	The types and nature of investments including the amount that can be classified as :	
	a) Publicly traded	Nil
	b) Privately held (Unlisted)	3.85
3	The cumulative realized gains (losses arising from sales and liquidations in the reporting period.	Nil
4	Total unrealized gains (losses)*	Nil
5	Total latent revaluation gains (losses)**	Nil
6	Any amounts of the above included in TierI and Tier II capital	Nil
7	Capital requirement broken down by appropriate equity grouping, consistent with the Banks Methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirement.	Investment in associates are risk weighted @ 250% under Basel-III norms.

* Unrealized gains (losses) recognized in the balance sheet but not through the profit and loss account.
** Unrealized gains (losses) not recognized either in the balance sheet or through the profit and loss account.

Table DF 17- Summary comparison of Accounting Assets vs. Leverage ratio Exposure Measure

S.N	Particulars	(` Cr)
1	Total consolidated assets as per published financial statements.	129431.75
2	Adjustment for investments in Banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation.	NA
3	Adjustment for fiduciary assets recognized on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure.	0.00
4	Adjustments for derivative financial instruments	0.00
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e repos and similar secured lending).	0.00
6	Credit equivalent amounts of off balance sheet exposures.	5320.06
7	Other Adjustments.	(163.70)
8	Leverage ratio exposure	**134588.11**

Table DF 18: Leverage ratio Common Disclosure Template

Sl	Item	(` Cr)
	On-Balance sheet Exposure	
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	127331.75
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(163.70)
3	**Total on-balance sheet exposures** (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	**127168.05**
	Derivative Exposure	
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	0
5	Add -on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	0
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	0
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	0
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	0
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	0
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	0
11	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	0
	Securities financing transaction exposures	
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	2100.00
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	0
14	CCR exposure for SFT assets	0
15	Agent transaction exposures	0
16	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	**2100.00**
	Other Off-Balance Sheet Exposures	
17	Off -balance sheet exposure at gross notional amount	11714.96
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(6394.90)
19	**Off -balance sheet items** (sum of lines 17 and 18)	**5320.06**
	Capital and Total Exposures	
20	**Tier 1 Capital**	**5796.92**
21	**Total Exposures** (Sum of lines 3,11,16 and 19)	**134588.11**
	Leverage Ratio	
22	**Basel III leverage ratio**	**4.31**

उप–महाप्रबंधकगण	Dy. General Managers
श्री नवारुन दे पुरकायस्थ	Shri Nabarun Dey Purkayastha
श्री दिलीप कुमार दुर्लभराम नायक	Shri Dilipkumar Durlabharam Nayak
श्री परीक्षित सुबुद्धि	Shri Subuddhi Parikshit
श्री सोमनाथ दत्त	Shri Somnath Dutta
श्री स्वपन कुमार देव	Shri Swapan Kr Deb
श्री देवव्रत सिन्हा	Shri Debabrata Sinha
श्री समीर कुमार राय	Shri Samir Kumar Ray
श्री मुक्ति रंजन राय	Shri Mukti Ranjan Ray
श्री श्यामल विश्वास	Shri Shyamal Biswas
श्री सरोज कुमार नायक	Shri Saroj Kumar Nayak
श्री के. एस. राज	Shri K Sudhindra Raj
श्री अलहरि शेषु बाबु	Shri Alahari Seshubabu
श्री संजय चौधरी	Shri Sanjay Chaudhary
श्रीमती सीमा सिंह (बहल)	Smt Seema Singh (Bahl)
श्री विश्वजीत बंदोपाध्याय	Shri Biswajit Bandyopadhyay
श्री अमरीक सिंह	Shri Amrik Singh
श्री सुशील कुमार शुक्ला	Shri Sushil Kumar Shukla
श्री राकेश चन्द्र नारायण	Shri Rakesh Chandra Narayan
श्री राजेश कुमार अरोड़ा	Shri Rajesh Kumar Arora
श्री धनंजय प्रताप सिंह	Shri Dhananjay Pratap Singh
श्री अश्विनी कुमार झा	Shri Ashwini Kumar Jha
श्री आलोक सिन्हा	Shri Alok Sinha
श्री अनुराग श्रीवास्तव	Shri Anurag Srivastava
श्री विनोद कुमार बब्बर	Shri Vinod Kumar Babbar
श्री परविंदर पाल सिंह	Shri Parvinder Pal Singh
श्री रमेन्दु भट्टाचार्य	Shri Ramendu Bhattacharjee
श्री के. राममूर्ति भास्करन	Shri Kovilur Ramamurthy Baskaran
श्री विवेकानन्द विश्वास	Shri Bibekananda Biswas
श्री पार्थ प्रतिम पाल	Shri Partha Pratim Pal
श्री के.मीनाक्षीसुन्दरम	Shri Kolandaivel Meenakshisundaram
श्री संजय कूलवाल	Shri Sanjay Koolwal
श्री सुधीर कुमार सिन्हा	Shri Sudhir Kumar Sinha
श्री वित्तेश कुमार	Shri Vittesh Kumar
श्री शिव शंकर सिंह	Shri Shio Shankar Singh
श्री नबीन कुमार दास	Shri Nabin Kumar Dash
श्री सुभाशीष विश्वास	Shri Subhasis Biswas
श्री मनीष अग्रवाल	Shri Manish Agrawal
श्री महेन्द्र दोहरे	Shri Mahendra Dohare
श्री उपेन्द्र सबर	Shri Upendra Sabar

नोट्स / Notes

नोट्स / Notes

सुपुर्द न होने के मामले में कृपया निम्नलिखित पते पर लौटाएँ:

मेसर्स. लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि.

यूनिट : **युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया**

59-सी, चौरंगी रोड , कोलकाता-700 020

If undelivered please return to :

M/s. Link Intime India Pvt. Ltd.

Unit : **United Bank of India**

59C, Chowringhee Road, Kolkata-700 020